

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

(1) डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14258/2024

1. श्याम प्रकाश मीना पुत्र श्री शिव लाल मीना, वृद्ध लगभग 60 वर्ष, निवासी बहादुरपुर, भोपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राजस्थान)। (पंजीकृत मालिक) वाहन क्रमांक आर.जे 34 सी 0489)।
2. नरपत सिंह पुत्र जीवराज सिंह, निवासी ग्राम शिवनगर, तहसील पूगल, जिला बीकानेर, राजस्थान। (दर्ज कराई वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 4288 का मालिक)।
3. गुमाना राम पुत्र उदा राम, निवासी खजोरा, भेलू, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 10 जी.ए 2051 का पंजीकृत मालिक)।
4. मदनराम पुत्र दुल्लाराम, निवासी दस्सुसर, रतनगढ़, चुरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक का पंजीकृत मालिक) आर.जे.10 जी.बी.3491).
5. मकाबुल अहमद पुत्र इकबाल मो., निवासी वार्ड .नं.01, रामसरा, 26 एनटीआर नोहर, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (पंजीकृत मालिक) वाहन क्रमांक आर.जे 49 जी.ए 2008)।
6. रूपा राम पुत्र बिरमा राम, निवासी सुरपालिया, तहसील जायल, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक का पंजीकृत मालिक) आर.जे 13 जी.ए 2412).
7. नंदलाल कथूरिया पुत्र राम लाल कथूरिया, निवासी हाउस नंबर 70 ए, स्टेशन-09, सेतिया कॉलोनी, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.बी. 3680 का पंजीकृत मालिक)।

8. बालनाथ पुत्र भगवान नाथ, निवासी वार्ड नंबर 01, रीरी, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 50 जी.ए 2482 का पंजीकृत मालिक)।
9. ललित धोबी पुत्र बद्री लाल धोबी, निवासी लक्ष्मीनाथ मंदिर, जूना बाजार, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)। (पंजीकृत मालिक) वाहन क्रमांक आर.जे 09 पी.ए 1491)।
10. भंवर सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी 410, राजासर, भाटियान, लूणक्रानार, बीकानेर (राजस्थान)। (पंजीकृत मालिक) वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.डी 5238)।
11. होनिया राम पुत्र दिता राम, निवासी मकवाना फला जेड, तहसील कोटड़ा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.बी. 3546 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
5. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर

9. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर

----उत्तरदाता

संबद्ध :

(2) डि.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8869/2024

1. राजेश कुमार पुत्र बीरबल सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी दौलतपुरा, कटराथल सीकर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 8861 का मालिक।
2. गीगराज पुत्र माना राम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी दादिया, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 टी.ए 4001 का मालिक।
3. राकेश कुमार पुत्र दला राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04, श्याम नगर चांदपुरा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.एफ 5769 का मालिक।
4. हरफूल सिंह पुत्र गिदा राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी कोलीडा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 3609 के मालिक।
5. समदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी बारी, सिहोट बड़ी, सीकर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 3894 के मालिक।
6. राम निवास पुत्र कन्हैया लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मुखिया ग्राम, दीनारपुरा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी5447 के मालिक।

7. सतवीर सिंह पुत्र किशोर सिंह, उम्र करीब 30 साल, निवासी भगोठ नीम का थाना, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 9318 का मालिक।
8. रामेश्वर लाल पुत्र गणपत राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी भाखड़ों की ढाणी सिहोट बड़ी, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 1758 का मालिक।
9. लाले खान पुत्र मीर खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी तेजा की बेरी तह सायला, जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 9084 का मालिक।
10. मोहम्मद अली पुत्र सुलेमान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, मंडावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 6712 का मालिक।
11. अनवर पुत्र मुन्ना, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मल्ला बासनी तह. डीडवाना, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 8120 का मालिक।
12. जगदीश कुमार पुत्र हरजी राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 खटिया का मोहल्ला, रामसर बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 50 यू.ए 1098 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(3) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8879/2024

1. नंदलाल यादव पुत्र गुलाब चंद यादव, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड .नं.02, अहिरो की ढाणी, श्यामपुरा, पुरावाला, पालरी, तहसील विराटनगर, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.52 जी.ए. 6852 का पंजीकृत मालिक)।
2. कैलाश पुत्र घेवर राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी जसनगर, मेड़ता सिटी, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 7142 का पंजीकृत मालिक)।
3. प्रेमा राम पुत्र राम करण, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी 126, रोडू मार्ग खारी जोधा, जायल, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 पी.ए. 2989 का पंजीकृत मालिक)
4. अर्जुन राम पुत्र अमरा राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी सुवाडिया, रातंगा, जायल, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 3579 का पंजीकृत मालिक)
5. गोपाल कृष्ण आमेटा पुत्र शिव दाम आमेटा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गांव तातारडी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.ए. 0399 का पंजीकृत मालिक)

6. सुखदेव गोदारा पुत्र कुंभा राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 07, राजियासर, स्टेशन सूरतगढ़, श्री गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2566 का पंजीकृत मालिक)
7. रणवीर पुत्र मनफूल राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, नटवाना, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.बी. 0513 का पंजीकृत मालिक)।
8. कैलाश पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 02, गोपालसर, दुलचासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 4184 का पंजीकृत मालिक)।
9. विकास सांखला पुत्र मोहन लाल सांखला, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी गहलोत पाइप फैक्ट्री, सुजानदेसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.ए 4548 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। \2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचि
2. परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर (राज.)।

6. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, गंगानगर, जिला गंगानगर (राजस्थान)।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर

----उत्तरदाता

(4) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9207/2024

1. अशोक कुमार जैन पुत्र गोपाल जैन, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, लाल कुवा जैन मंदिर के पास लक्ष्मणगढ़ सवाई माधोपुर (राजस्थान)-332311। (वाहन का पंजीकृत मालिक (टोयटा इनोवा जी.1.ए), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 0218)।
2. कयूम खान पुत्र ताजू खान, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ सीकर (राजस्थान)-302318। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा पिक अप), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 0658)।
3. गणेश कुमावत पुत्र सीता राम कुमावत, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी खाटू चोराहा के पास रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राजस्थान)-999999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 5812)।
4. महिपाल सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कटराथल सीकर (राजस्थान)-332024। (पंजीकृत वाहन मालिक (टाटा एल.पी. 1512 टी.सी./52 बस), पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 पी.बी. 2469)।
5. सुरेश कुमार यादव पुत्र धुकल राम यादव, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी जुराथरा, सीकर (राजस्थान)-332402। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा सावरी), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 6843)।

6. सुरजान कुमावत पुत्र माली राम कुमावत, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 287-गांव निवाणा तहसील चोमू जयपुर (राजस्थान)- 999999. (वाहन (महिंद्रा जीप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए. 2307)।
7. कैलाश चंद मीना पुत्र कालू राम मीना, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 72-बड़ो का मौहल्ला पूत का बास आमेर जयपुर (राजस्थान)-302001। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे. 14 यू.सी. 5107)।
8. मुकेश यादव पुत्र सूरजा राम यादव, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ढाणी छतरी वाली, मंडूसिया सीकर (राजस्थान) - 332701. (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 7205)
9. मैसर्स राज ऑटो व्हीकल्स, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से वीरेंद्र कुमार यादव निवासी शाहपुरा रोड, अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, सीकर (राजस्थान)-322701. (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.बी. 7377)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, शकर मार्ग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीटीओ अधिकारी, सीकर, राजस्थान।

5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय शाहपुरा, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय, रींगस, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

(5) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11221/2024

1. पत राम पुत्र रेखा राम, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड . संख्या 09, 9 ब्लू, मिर्जेवाला, श्री गंगानगर। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2552 का पंजीकृत मालिक)।
2. राजेश पुत्र सही राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी बिचपुडी, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 7544 का पंजीकृत मालिक)।
3. ओम प्रकाश पुत्र कंवरी लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 154, रघुनाथपुरी प्रथम, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 27 सी.सी 4446 का पंजीकृत मालिक)
4. बाबू लाल पटेल पुत्र कोदरा जी, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी छानी, तहसील खेरवाड़ा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 27 यू 0537 का पंजीकृत मालिक)
5. भुवनेश्वर चौबीसा पुत्र प्यारे किशन चौबीसा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 283, वार्ड क्रमांक 16, चारभुजा मंदिर, पहाड़ा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.ए. 2197 का पंजीकृत मालिक)।
6. राम गोपाल पुत्र श्री राम नारायण, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी लक्ष्मी वॉलन मिल के पास, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 07 जी 7957 का पंजीकृत मालिक)

7. शमशेर सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी झंगरास अगुना, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 10 सी 0145 का पंजीकृत मालिक)।
8. भागीरथ ठूकिया पुत्र उमाराम ठूकिया, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी जाट बस्ती, गुदावारी सालासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 सी 7154 का पंजीकृत मालिक)।
9. ओमप्रकाश मीना पुत्र रामजीलाल मीना, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी बागावास, चौरासी विराटनगर, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 02 सी2973 का पंजीकृत मालिक)।
10. राज कुमार मीना पुत्र शीशपाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 17, रोडवेज बस स्टैंड, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे 10 पी.ए 1851 का पंजीकृत मालिक)।
11. हुकमाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी अइसीसर, तहसील सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे 07 जी.डी 7543 का पंजीकृत मालिक)।
12. रामस्वरूप कूकणा पुत्र परमाराम कूकणा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी हनुमान जी मंदिर के पास, डिकनाडा बास, बम्बलू, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे 07 जी.डी 0484 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर (राजस्थान)।
9. जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)।
10. जिला परिवहन अधिकारी नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
11. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)।
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(6) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12546/2024

1. दिनेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, खूर, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23-यू.बी-0298 का पंजीकृत मालिक)
2. मेवा राम बाजिया पुत्र दाना राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 27, किशन कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र, सीकर जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे14-यू.डी-1914 का पंजीकृत मालिक)

3. राम कृष्ण पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी सोटवारा नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन क्रमांक आर.जे-23-सी 0156 का पंजीकृत मालिक)
4. रामेश्वर लाल पुत्र हरदेवा राम, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी ताजसर खेजरोलियान, श्यामपुरा, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे-14-2 सी-3726 का पंजीकृत मालिक)
5. प्रदीप कुमार पूनिया पुत्र राम निवास पूनिया, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी नबीपुरा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-14-यू.ए 7269 का पंजीकृत मालिक)
6. ओम प्रकाश शर्मा पुत्र मालीराम शर्मा, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 14/21, 10 ए-1, भगवान बाहुबली नगर, निवारू रोड, जोतवाड़ा, जिला जयपुर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे-06-सी-3621 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर (राजस्थान)
5. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)।

7. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू (राजस्थान)

-----उत्तरदाता

(7) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12824/2024

1. जगदीश प्रसाद मालिक पुत्र रामेश्वर लाल मालिक, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रजनी अस्पताल के पास, जस्सूसर गेट, बीकानेर (राज.) (वाहन संख्या आर.जे 12 यू 0102 के पंजीकृत मालिक)
2. रामरख पुत्र नानक राम जाट, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी लिखमीसर दिखनादा, बीकानेर (राज.) (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.बी 0303 के पंजीकृत मालिक)
3. राम नारायण पुत्र रमन लाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी कतरियासर, बीकानेर (राज.) (वाहन संख्या आर.जे 07 जी 4626 के पंजीकृत मालिक)
4. नारायण पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वाई संख्या 4 तेतरवालों का महोला अर्जुनसर स्टेशन, बीकानेर (राज.) (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 5604 के पंजीकृत मालिक)
5. सरफराज पुत्र मोहम्मद इस्माइल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मदरसा रहमानिया, न्यू वेल, बीकानेर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 07 यू.ए 0374 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(8) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13503/2024

1. राम कुमार पुत्र सादुल राम पंवार, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ओल्ड एस.टी.सी. कॉलेज, बंगला नगर, पुगल रोड, बीकानेर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 07 टी.ए. 0596 के पंजीकृत मालिक)।
2. बेगा राम पुत्र फूसा राम, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी जोधासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 टी.ए. 0806 के पंजीकृत मालिक)।
3. हसन खान, पुत्र जमाल खान, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी वाई संख्या 15 महाजन बीकानेर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 2961 के पंजीकृत मालिक) और (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.बी. 0643 के पंजीकृत मालिक)।
4. बरकत अली पुत्र बहादुर खान, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी देवपुरा पारडिया चौहटन बाडमेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 39 जी.ए. 4691 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय श्री गंगानगर, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(9) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13579/2024

1. रामेश्वर लाल पुत्र दीपा राम बाजिया, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी धीरजपुरा, दुदवा, तहसील दांतरामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 19-1.सी-3365 का पंजीकृत मालिक)।
2. तारा चंद पुत्र मंगल चंद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10, पालरी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे-18-टी.ए-0610 का पंजीकृत मालिक)
3. परमेश्वर लाल पुत्र मोहन सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10, रघुनाथगढ़, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे-14-यू.बी 0998 का पंजीकृत मालिक)
4. मदन लाल यादव पुत्र गोपी राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 109 पगावली ढाणी (बघावली ढाणी), हाथनोदा, तहसील चोमू, जिला जयपुर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे-31-यू.ए-1433 का पंजीकृत मालिक)

5. राकेश कुमार पुत्र बनवारी लाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी बालोद छोटी, तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन क्रमांक आर.जे.23-जी.सी.0850 का मालिक)
6. लालमणि दास पुत्र मोहन दास, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 3 मां भगवती आश्रम, कोकोडिया की ढाणी, गोविंदगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान) (वाहन क्रमांक का पंजीकृत मालिक) आर.जे.-32-यू.ए.-0176)
7. फूल चंद यादव पुत्र बाबू लाल यादव, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 15, ढाणी नवोदा दिवराला, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन नंबर आर.जे.23-यू.बी.9554 का मालिक)
8. प्रताप पुत्र हीरा लाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी बुगालिया की ढाणी, छल्ला, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर वर्तमान नीम का थाना (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.-18-यू.बी-4652 का पंजीकृत मालिक)
9. मुकेश कुमार पुत्र गोपी राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ढाणी बेगा वाली, पृथ्वीपुरा नवलाई, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.14-जी.बी.5155 का पंजीकृत मालिक)
10. बाबू लाल पुत्र फूला राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मीलों की ढाणी, मैलासी, झीगर छोटी, तहसील और जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.23-जी.ए 1136 का पंजीकृत मालिक)
11. बाबू लाल पुत्र फूला राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मैलासी, वाया- कटराथल, तहसील और जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे-23-जी.ए-1603 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर (राजस्थान)
5. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)
7. जिला परिवहन अधिकारी, नीम का थाना (राजस्थान)

-----उत्तरदाता

(10) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13610/2024

1. कजोड़ मल बोचल्या पुत्र डालू राम बोचल्या, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी हुबू बास, किशनपुरा, बधाल तहसील चोमम जयपुर (राजस्थान)-999999। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा सीएल 550 एमडीआई जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 21 यू.ए 0321)।
2. सेडू राम पुत्र हनुमान सहाय, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मालियों की बगीची, नाथपुरा, तहसील चौमू, जयपुर (राजस्थान)- 999999. (पंजीकृत वाहन मालिक (टॉयटो इनोवा 2.5 एलजी जी4), पंजीकरण संख्या आर.जे 37 यू.ए 0472)।

3. प्रदीप सिंह पुत्र राम सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी गुडा, झुंझुनू, (राजस्थान)- 333053। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा मैक्सडी दो पहिया ड्राइव /बी.52), पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.बी 4317)।
4. धन्ना राम यादव पुत्र भारू राम यादव, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 75 नडाला सदरसर, चोमू, जयपुर (राजस्थान)- 332011. (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा पिक-अप डीसी दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.बी 5384)।
5. लखन लाल बढ्कारिया पुत्र हीरा लाल, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी खटिको का मोहल्ला, चीतवाड़ी, जयपुर (राजस्थान)- 303805. (वाहन (जीप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 142 सी 7536)।
6. दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्र जी.एन. शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी पोखरवाला, आनंदपुरा, जयपुर (राज.)- 303805. (वाहन (महिंद्रा मैक्स पिक-अप दो पहिया ड्राइव) का पंजीकृत मालिक, पंजी. संख्या आर.जे 14 जी.आई 7216).
7. सैया मल यादव पुत्र मुरली धर यादव उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी ढाणी शिव सागर, धोबोलाई, जयपुर (राजस्थान)- 303712
(वाहन (महिंद्रा जीप सी.एल 550 एम.डी.आई 2.डब्ल्यू.डी) का पंजीकृत मालिक, पंजीकृत संख्या आर.जे 14 यू.सी 9374)।
8. सुनील कुमार बुनकर पुत्र रामेश्वर लाल, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी मकान संख्या 1, इंद्रा कॉलोनी, बस स्टैंड, जालसू, आमेर, जयपुर (राजस्थान) - 999999
(वाहन (महिंद्रा मैक्स जीप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 13 यू.ए. 8468)।

9. फारुख पुत्र अलादीन, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी 3639, बंजारा बस्ती, चौकड़ी, तोप खाना हुजुरी, जयपुर (राजस्थान)-302004।
(वाहन का पंजीकृत मालिक (मारुति ओमनी ई एम.पी.आई. एस.टी.डी. बी.एस. III), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.ए. 7723)
10. रामेश्वर लाल यादव पुत्र काना राम यादव, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7, बस स्टैंड के पास प्रतापपुरा कलां, आमेर, जयपुर (राजस्थान)-303801।
(वाहन (महिंद्रा बोलेरो डीआई 2 व्हील ड्राइव 8 सीटर) का पंजीकृत मालिक, पंजीकृत संख्या आर.जे 09 यू.ए 0655)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ जयपुर राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ चोमू, जयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

(11) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14107/2024

1. बलराम भाकर पुत्र हनुमान सिंह, उम्र करीब 40 साल, निवासी सुजानपुरा, तह धोद सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 143 सी 8039 का मालिक।
2. बलवीर कुमावत पुत्र भूरा राम कुमावत, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07 अजबपुरा पलसाना तह दांतरामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 20 सी 8304 का मालिक।
3. काना राम पुत्र किशना राम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी सुतोद तह दांतरामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 यू 0212 का मालिक।
4. शौकत अली पुत्र रसूल खान, उम्र करीब 45 साल, निवासी बिंजासी सिहोट बड़ी, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 29 यू.ए 0083 का मालिक।
5. सुशील कुमार चौधरी पुत्र प्रभु दयाल चौधरी, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ढाणी रोलानिया की, थोई श्री माधोपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 12 सी 1112 का मालिक।
6. गोयल सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके मालिक कमल कुमार तोलासरिया पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी जयपुर रोड सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.डी 0832 का मालिक।
7. सुधीर कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी पबाना तह नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.सी 2624 का मालिक।
8. रमेश कुमार पुत्र फूलचंद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बृजपुरा बुहाना झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.ए 0560 का मालिक।
9. देवी सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी खेतास नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ई 1556 का मालिक।

10. भागू राम पुत्र गणेशाराम, उम्र करीब 40 साल, निवासी देवरी मकराना जिला नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 सी 3253 का मालिक।
11. गोपाल सिंह पुत्र खींव सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी सूपका तह डीडवाना, नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.ए 4983 का मालिक।
12. बब्लू कुमार सैनी पुत्र नारायण लाल सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी जीरोता खुर्द जिला दौसा। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 टी.ए 6793 का मालिक।
13. गैदालाल सैनी पुत्र रामूजी सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी नायन शाहपुरा, जयपुर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 142 सी 8807 का मालिक।
14. चंपा लाल पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी मेघवालों का रामदेव बास नोरंगदेसर, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 1346 का मालिक।
15. अंकुर जैन पुत्र जय कुमार जैन, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी डी 40 शिव वैली गंगाशहर रोड बीकानेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.सी 6606 के मालिक।
16. मोहन नाथ पुत्र क्षल नाथ, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम आडसर तह. लूणकरनसर, बीकानेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.सी 5214 के मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, दौसा।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।

----उत्तरदाता

(12) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14728/2024

1. रघुवीर पुत्र हेयर राम, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी लखवाली, हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
(वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 2996 का पंजीकृत मालिक)।
2. भागीरथ पुत्र लालू राम, निवासी मकान नंबर 297, गांव कपूरीसर, तहसील लूणकरनसर,
जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 यू.ए.1013 का पंजीकृत मालिक)।
3. रामेश्वर नाथ पुत्र केशर नाथ, निवासी जियाक, तहसील सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3305 का पंजीकृत मालिक)।

4. सत्य नारायण पुत्र सुरेश कुमार, निवासी 120, मेहराणा, लूणकरनसर, धीरेरा, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 5201 का पंजीकृत मालिक)।
5. भंवर लाल पुत्र फूसा राम, निवासी 22, जाटो का मौहल्ला, खियेरा, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 9167 का पंजीकृत मालिक)।
6. श्रवण कुमार पुत्र अर्जुन राम, निवासी वार्ड नंबर 03, मोडायत, बांसवाड़ा, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 यू 0038 का पंजीकृत मालिक)।
7. सद्दीक खान पुत्र सवाई खान, निवासी ग्राम नोसेरा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 9454 का पंजीकृत मालिक)।
8. मोहम्मद रफीक व्योपारी पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी वार्ड नंबर 12, बीदासर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ए. 1459 का पंजीकृत मालिक)।
9. अली शेर पुत्र साबू खान, निवासी वीपीओ किकरालिया, तहसील रावतसर, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 यू.ए. 3584 का पंजीकृत मालिक)।
10. सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र गेहरी लाल जी, निवासी शिव नगर, सरकारी पंप साउथ सुंदरवास, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 पी.बी. 3654 का पंजीकृत मालिक)।
11. मुकेश पुत्र सोहन लाल, निवासी मकान नंबर 21, कुड़ियों का मौहल्ला, गुंदली, तहसील अराई, किशनगढ़, अजमेर। (वाहन संख्या आर.जे 42 जी.ए 1010 का पंजीकृत मालिक)
12. सुशील कुमार शर्मा पुत्र शुभकरण शर्मा, निवासी वार्ड संख्या 02, करवासर, तहसील चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 यू.ए. 0362 का पंजीकृत मालिक)।

13. सिया राम शर्मा पुत्र राम सहाय शर्मा, निवासी बड़ी का बास, नाई की थड़ी, जयसिंहपुरा, शेखावतान, जयपुर। (वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.ए. 9319 का पंजीकृत मालिक)।
14. जगदीश पुत्र रामेश्वर, निवासी सुखचैनपुर, श्रीगंगानगर, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 जी.ए 2046 का पंजीकृत मालिक)।
15. बलजिंदर सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी 2 टी, जोधेवाला, करणपुर, गंगानगर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 सी 5288 का पंजीकृत मालिक)।
16. नेहरू पब्लिक सेनाध्यक्ष सेक. स्कूल, सुनील कुमार पुत्र पीरू राम, निवासी तारानगर, चूरू (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे.10 पी.ए. 6760 का पंजीकृत मालिक)।
17. श्री नेहरू पब्लिक स्कूल समिति, मालिक के माध्यम से सुनील कुमार पुत्र पीरू राम, निवासी तारानगर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 18 पी.ए. 9409 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।

7. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, किशनगढ़, जिला अजमेर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
11. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर।
12. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
13. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

----उत्तरदाता

(13) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14759/2024

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री कजोड़मल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पुजारी का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन मालिक क्रमांक आर.जे 23-यू.ए-5364)
2. सुनाराम पुत्र श्री छोदराम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ढाणी झांझिया वाली, वार्ड नंबर 04, रींगस, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन मालिक) क्रमांक आरजे23-यूए-0122)
3. धुर मल जाट पुत्र श्री माली राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ढाणी डेरा वाली, मऊ जिला सीकर (वाहन क्रमांक आरजे-23-यूबी-2302 का पंजीकृत मालिक)
4. गजानंद जाट पुत्र श्री जगन्नाथ जाट, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, ढाणी रामसागर, गीलो की ढाणी लामियां, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे-14-यू.ए-8295 के पंजीकृत मालिक)
5. महेश कुमार सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 06, गणेश मंदिर के पास, विराट नगर जिला जयपुर (वाहन संख्या आर.जे23-यू.बी-7673 के पंजीकृत मालिक)

6. रविन्द्र पुरी पुत्र श्री केशव पुरी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी अंबरपुर नगर, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर (वाहन संख्या आर.जे-05-यू.ए 0884 के पंजीकृत मालिक)
7. गोरू राम पुत्र श्री राम कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02, मेघवाल बस्ती पपुराना खेतड़ी, जिला झुंझुनू (वाहन नंबर आर.जे.-23-यू.ए. 3066 का पंजीकृत मालिक)
8. राजीव कुमार मीणा पुत्र श्री मंगल राम मीणा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 15 गणेश कॉलोनी वार्ड संख्या 07 दलपुरा, झोटावाड़ा, जिला जयपुर (वाहन संख्या आर.जे-23-यू.ए 9397 का पंजीकृत मालिक)
9. महम्मद फारुक पुत्र श्री बाबू तेली, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ईदगाह मस्जिद के पास, रेनवाल, जिला जयपुर (वाहन संख्या आर.जे-41-जी.ए-4758) का पंजीकृत मालिक)
10. ज्ञान चंद पुत्र श्री माली राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09 थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 23-यू.बी-4563 का पंजीकृत मालिक)
11. राजेंद्र पुत्र श्री पोखर मल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी दुलथाना, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 23-यू.ए. -0607 का पंजीकृत मालिक)
12. सीताराम पुत्र श्री धुंकल राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ढाणी तियाकन वाली, वार्ड नंबर 02 लाखनी, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन नंबर (आर.जे 23-यू.बी -8298 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डी.टी.ओ. कार्यालय सीकर
6. जिला परिवहन अधिकारी, चोमू, डी.टी.ओ. कार्यालय चोमू जिला जयपुर,
7. जिला परिवहन अधिकारी, धौलपुर डी.टी.ओ. कार्यालय धौलपुर
8. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डी.टी.ओ. कार्यालय झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(14) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14781/2024

1. जयराम पुत्र छीतर मल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी छारा गोकुल का बास तह खण्डेला, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 9352 का मालिक।
2. रामेश्वर लाल पुत्र गणेश राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ढाणी हरितवालों की, गोवटी तह दांतरामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 2930 का मालिक।
3. जितेंद्र कुमार काजला पुत्र प्रभु राम काजला, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08 कांवट तह श्री माधोपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.ए 2023 का मालिक।

4. ईशर राम पुत्र गंगू राम, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ढाणी सुंडावाली मंडा तह दांतारामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 7139 का मालिक।
5. मंचा राम पुत्र लाला जी घाची, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 95 बेरा पिपलिया रामसीन ठ भीनमाल जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 46 जी.ए. 3134 का मालिक।
6. सतार काह पुत्र मोजे खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मीनू की ढाणी तेजा बेरी सिराणा तह सायला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 22 जी.ए 1322 का मालिक।
7. देवी सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खेतास नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ई 1556 का मालिक।
8. आसिफ पुत्र छोदू खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09 जांदा नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 9184 का मालिक।
9. रामनिवास प्रजापत पुत्र ज्ञान चंद प्रजापत, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी प्रजापति मोहल्ला वार्ड नंबर 02 सुजानगढ़ चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी. 2377 का मालिक।
10. सुनील सियाक पुत्र ईश्वर राम सियाक, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी राम नगर तुंकलिया तह मेड़ता सिटी, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 06 जी.सी. 1866 का मालिक।
11. निर्भय सिंह पुत्र केसर सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बसितर समदोर बस्ती, उदीपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 27 यू.ए. 0869 का मालिक।

12. सुरेश कनोडिया पुत्र भगवान दास, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09, बेबी सेंटर की गली खेतड़ी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 14 जी.बी. 1990 का मालिक।
13. हेमराज गुर्जर पुत्र शिवपाल राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, ढाणी वैकावाली चंवरा झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 6650 का मालिक।
14. धर्मपाल यादव पुत्र रामेश्वर प्रसाद यादव, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वीपीओ पथरेड़ी तह कोटपूतली जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 टी.ए. 2134 का मालिक।
15. बजरंग लाल पुत्र माली राम सैनी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी सूरत राम की ढाणी नवलरी नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 5700 का मालिक।
16. सुरजू कुमार पुत्र राम कुमार, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सरदारपुरा खेतड़ी झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.सी. 0065 का मालिक।
17. अलका स्टोन्स, इसके मालिक सुख सिंह पुत्र उदय सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी खसरा संख्या 258/90 3 रोड फेज रीको जालोर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 16 जी.बी. 4319 के मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, उदयपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, भीनमाल।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।
11. जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।

----उत्तरदाता

(15) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14870/2024

1. जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र भोला राम सैनी, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी चंवरा, उदयपुरवाटी, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 18 जी.बी. 0741 का पंजीकृत मालिक)
2. झाबर मल पुत्र बोदूराम, निवासी कांकरिया, खेतडी, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 18 सी 2194 का पंजीकृत मालिक)।

3. बद्री प्रसाद सैनी पुत्र प्रभाती लाल सैनी, निवासी वार्ड नंबर 23, पुलिस का मोहल्ला, छावनी, तहसील नीम का थाना, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 यू 0481 का पंजीकृत मालिक)।
4. शंकर सिंह पुत्र देवी सिंह, निवासी वार्ड संख्या 05, बागोली, तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.18 सी 3091 का पंजीकृत मालिक)
5. रामस्वरूप पुत्र जमना राम, निवासी ढाणी खाता की, बूरका, बीलावा, तहसील खेतड़ी, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 2245 का पंजीकृत मालिक)
6. बंशी पुत्र बीरबल, निवासी खोह, उदयपुरवाटी, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आरजे 23 यू.ए 0419 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू। 5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।

---उत्तरदाता

(16) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14942/2024

राधे श्याम सैनी पुत्र श्री झूंथाराम सैनी, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी डुंगरी की ढाणी ग्राम
धांधेला (पटना) जिला नीम का थाना (पंजीकृत वाहन क्रमांक आर.जे 18-यू-0443 का मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिवहन भवन 1 संसद
मर्द गोकुल नगर कनॉट प्लेस नई दिल्ली के माध्यम से
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग परिवहन भवन सहकार मार्ग जयपुर के
माध्यम से
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन सहकार मार्ग जयपुर
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर आरटीओ कार्यालय सीकर
5. जिला परिवहन अधिकारी सीकर, डी.टी.ओ कार्यालय सीकर

----उत्तरदाता

(17) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15112/2024

1. मुकेश कुमार पुत्र राम कुमार, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वोप- अंबेडकर नगर, डाकघर
उदावास, झुंझुनू (राजस्थान)। वाहन संख्या-आर.जे. 10 सी 1384 के मालिक।
2. अरुण पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी भूरियो का बास वार्ड नंबर 03
नौरंगपुरा, राजगढ़, चूरू राजस्थान 331303। वाहन नंबर-आरजे 10 यूए 6630 का
मालिक

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(18) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15173/2024

1. इब्राहिम खान पुत्र इदु खान, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी मदीना मस्जिद रोड, इमाम चौक, वार्ड नंबर 26, दांता, तहसील दांतारामगढ़, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-28 यूए 0118 का पंजीकृत मालिक)
2. शंकर लाल सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी, निवासी वार्ड संख्या 17, झाड़ली, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-23 जीबी 9859 का पंजीकृत मालिक)
3. अजीज पुत्र मंगतुदीन, निवासी नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आरजे-14 जीएल 4929 का पंजीकृत मालिक)
4. घनश्याम जाट पुत्र रामेश्वर लाल जाट, निवासी किशोरपुरा, तहसील नीम का थाना, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-18 यूए 7125 का पंजीकृत मालिक)

5. रतन लाल पुत्र शिवपाल राम, निवासी ढाणी नीमड़ी वाली, सिहोड़ी, तहसील श्री माधोपुर, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-11 यू 0147 का पंजीकृत मालिक)
6. लाल चंद पुत्र धूरा राम, निवासी वार्ड संख्या 02, सैनी मोहल्ला, कांवट, सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-32 यूए 0657 का पंजीकृत मालिक)
7. बीरबल सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी खेड़ी झुंझिया, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आरजे-13 यूए 5639 का पंजीकृत मालिक)
8. रामू राम पुत्र मन्ना राम, निवासी रुल्याणी, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-37 जीबी 0780 का पंजीकृत मालिक)
9. सुनील कुमार पुत्र बाबू लाल शर्मा, निवासी पोसानी, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-18 टीए 2160 का पंजीकृत मालिक)
10. बलदेव सिंह पुत्र जीवन राम, निवासी बाऊ धाम, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आरजे-23 पीए 1794 का पंजीकृत मालिक)
11. विक्रम कुमार गुर्जर पुत्र बहादुर सिंह गुर्जर, निवासी कुंवलसर, लधाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-14 जीबी 8461 का पंजीकृत मालिक)
12. रामस्वरूप सैनी पुत्र गोता राम, निवासी ढाणी नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-23 यूबी 0673 का पंजीकृत मालिक)
13. विद्याधर बलारा पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी बिराणियां, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-23 जीबी 9491 का पंजीकृत मालिक)
14. विजय पाल पुत्र गणेश राम, निवासी बोहरा वाली ढाणी, खादी बाग, तहसील चौमू, जयपुर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-14 जीए 4436 का पंजीकृत मालिक)

15. काना राम जाट पुत्र किशना राम जाट, निवासी जाटावाली, तहसील चौमू, जयपुर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-28 यूए 0699 का पंजीकृत मालिक)
16. सुभाष पुत्र फूल चंद, निवासी ढाणी गुजराल अड्डा, तहसील झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आरजे-18 यूबी 1043 का पंजीकृत मालिक)
17. मेसर्स रवि कंस्ट्रक्शन कंपनी, मालिक राजेंद्र सिंह, निवासी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास, रोड नंबर 3, झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-18 जीबी 5933 के पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ कार्यालय, जयपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(19) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15339/2024

1. मोहन लाल गढ़वाल पुत्र भागीरथ मल गढ़वाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी जाटो का मौहल्ला, गांव नांगल कलां, तहसील चौमू, अस्थायी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-52-जी.ए. 6668 का पंजीकृत मालिक)।
2. रामकुमार पुत्र श्याम लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, बौरी, तहसील खंडेला, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन नंबर आर.जे-23-पी.ए-8715 का पंजीकृत मालिक)।
3. सुरेश कुमार पुत्र बलवंत राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ढाणी बस्सी, धालियावास, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.-23-जी.सी 1920 का पंजीकृत मालिक)।
4. सुरेश कुमार पुत्र बलवंत राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ढाणी बस्सी, धालियावास, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.-23-टी.ए 3930 का पंजीकृत मालिक)।
5. अजीज चौहान पुत्र मालुद्दीन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी दोलत सिंह का बास, इटावा-भोपजी, तहसील चोमू, जिला जयपुर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.-32-जी.ए 2600 का पंजीकृत मालिक)।
6. बिरादी चंद पुत्र ग्यारसी लाल, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5, अजीतगढ़, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन नंबर आर.जे-23-यू.बी-9019 का पंजीकृत मालिक)।
7. कैलाश चंद मालिक पुत्र रामेश्वर दास, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 6, आनंद नगर खादी बाग रोड, तहसील चोमू, जिला जयपुर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे-18-यू.बी-4521 का पंजीकृत मालिक)।

8. भवानी सिंह पुत्र अमर सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी भगोठ, भगेगा-भगवानपुरा, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर वर्तमान जिला नीम का थाना (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.32-यू-0269 का पंजीकृत मालिक)।
9. सीता राम पुत्र घासी राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी लिसारिया, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.-09-यू.ए.-0376 का पंजीकृत मालिक)।
10. इरफान अली पुत्र मेहरबान अली, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी 8 अकबरी मस्जिद के पीछे आमेर, जिला जयपुर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे.-14-टी.बी-7622 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर जिला सीकर (राजस्थान)
7. जिला परिवहन अधिकारी, नीम का थाना (राजस्थान)

-----उत्तरदाता

(20) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15461/2024

1. ओम प्रकाश पुत्र किशन लाल, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 437, चोटिये की प्यारु के पास, जवाहर नगर, बीकानेर। (वाहन क्रमांक आर.जे. 07 जी.डी. 7228 का पंजीकृत लिक)
2. राजा राम बिश्नोई पुत्र भागीरथ बिश्नोई, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी तेजा जी मंदिर के पास, चौधरी कॉलोनी, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 0137 का पंजीकृत मालिक)।
3. ओम प्रकाश पुत्र मोडा राम, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी माता जी के पास, सुजानदेसर, गंगाशहर, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.बी 9309 का पंजीकृत मालिक)।
4. प्रेम कुमार गहलोत पुत्र मुकेश कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 769 नोखा रोड, हनुमान मंदिर रो के सामने, भीनासर, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 4942 का पंजीकृत मालिक)।
5. वीरेंद्र सिंह पुत्र शिव सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 632, न्यू बीजेएस, आरटीओ ऑफिस के पास, जोधपुर (वाहन संख्या आर.जे. 19 पी.ए. 1366 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय जोधपुर, जिला जोधपुर (राजस्थान)

-----उत्तरदाता

(21) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15728/2024

1. नारायण दास पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी बीकमपुर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.43 जी.ए. 0460 का पंजीकृत मालिक)।
2. भूरा राम पुत्र सोहन लाल, निवासी वार्ड नंबर 03, 7 एचडीपी सुरनवाली, पीलीबंगन, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 49 जी.ए. 2792 का पंजीकृत मालिक)।
3. भजन लाल गर पुत्र श्यो लाल गर, निवासी बरमसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.ए. 2282 का पंजीकृत मालिक)।
4. अमित पुत्र विनोद कुमार, निवासी वार्ड .नं.24, दुलमानी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 04 सी 1062 का पंजीकृत मालिक)।
5. मनीराम पुत्र कानाराम, निवासी वार्ड संख्या 15, जालबसर, श्रीङ्गरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ई 0630 का पंजीकृत मालिक)।
6. सुखपाल पुत्र दूधा, निवासी 104, गुर्जर बस्ती, लाखावा, कोटा (राज.)। (वाहन संख्या आर.जे. 01 जी.ए. 3521 का पंजीकृत मालिक)।
7. कुलदीप सिंह पुत्र मेवा सिंह, निवासी वार्ड नंबर 112 एच, मोहला, करणपुर, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 8860 का पंजीकृत मालिक)।
8. सोनू खान पुत्र फतू खान, निवासी ब्रह्मसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 यू.ए. 0447 का पंजीकृत मालिक)।

9. सुभाष पुत्र हेतराम, निवासी बनवाली, सादुलशहर, गंगानगर (राज.)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 06 यू.ए. 2045 का पंजीकृत मालिक)।
10. श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रोपराइटर भुवनेश्वर शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद, निवासी राजलदेसर, रतनगढ़, चुरू (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे 14 पी.डी 8696 के पंजीकृत मालिक)।
11. किशन लाल प्रजापत पुत्र भागीरथ मल प्रजापत, निवासी धीरासर, स्पीड गोव 2290 डुअल सिस्टम, जिला चूरू। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.बी.5599 का पंजीकृत मालिक)।
12. राजवीर सिंह झाला पुत्र युवराज सिंह झाला, निवासी होटल राज पैलेस, 103, भट्टियानी, चौट्टा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.सी. 0938 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

7. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, कोटा, जिला कोटा।
9. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
10. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
11. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

----उत्तरदाता

(22) डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15823/2024

1. रमेश कुमार सैनी पुत्र नारायण लाल सैनी, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4, चिथवाड़ा मोड़ के पास, फतहपुरा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 20 यू.ए. 1286 का पंजीकृत मालिक)।
2. भागीरथ यादव पुत्र भूरा राम यादव, उम्र लगभग 78 वर्ष, निवासी 11 सरपंच की ढाणी कुम्भपुरिया, चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 09 सी 3229 का पंजीकृत मालिक)।
3. मामराज साई पुत्र आदु राम साई, उम्र लगभग 33 वर्ष, वार्ड नंबर 3 शेरुणा, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन नंबर आर.जे 05 सी 2531 का पंजीकृत मालिक)।
4. बीरबल मीना पुत्र हनुमान सहाय मीना, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी निवाणा देवथला, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 यू.ए. 0190 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय झालाना, जयपुर, जिला जयपुर (राजस्थान)।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चोमू, जिला जयपुर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(23) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16019/2024

1. कमलेश घोसल्या पुत्र गोपाल सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड .नं.11, श्याम सिंह वाली ढाणी मऊ, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 जी.ए 6615 का पंजीकृत मालिक)।
2. कालू पुत्र नर सिंह, निवासी 148, मीणों का मोहल्ला, करणसर, फुलेरा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 7174 का पंजीकृत मालिक)।
3. तोफान सिंह पुत्र बोदू राम, निवासी 132, कुलेसवाली ढाणी, चोमू, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 टी.ई 8967 का पंजीकृत मालिक)
4. भगवान सहाय रंडला पुत्र लक्ष्मण राम रंडला, निवासी झालरिया की ढाणी, बोबास, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 14 यू.ई. 1257 का पंजीकृत मालिक)

5. भाग चंद यादव पुत्र भगवान सहाय यादव, निवासी 94, नदी वाली ढाणी, सुंदरपुरा, तहसील फुलेरा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 यू 0379 का पंजीकृत मालिक)।
6. प्रहलाद राम पुत्र सेइ राम, निवासी नदी वाली ढाणी, नांगल, भरदा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 यू.बी 1959 का पंजीकृत मालिक)।
7. राम लाल यादव पुत्र सुण्डा राम, निवासी 17, छतरी वाली ढाणी, फुलेरा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 6541 का पंजीकृत मालिक)।
8. रामनिवास मीना पुत्र रामपाल, निवासी झीड़ा, बांसा, कुशलपुरा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 9589 का पंजीकृत मालिक)।
9. राजू राम पुत्र जीवन राम, निवासी खुशिया, तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे142 सी 9401 का पंजीकृत मालिक)।
10. बंशीधर चौधरी पुत्र सुजा राम जाट, निवासी 43, राजा रामपुरा, छांवंड का बास, आमेर, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.ए. 1393 का पंजीकृत मालिक)।
11. बनवारी पुत्र केशर, निवासी 352, सेवा की ढाणी, तहसील श्री माधोपुर, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 6482 का पंजीकृत मालिक)।
12. मुकेश कुमार सेरावत पुत्र गोपाल लाल, निवासी 189, महरिया, जसवन्त सिंह वाली नागल भरड़ा, चोमू, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 3005 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चोमू, जिला जयपुर।
5. जिला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर
6. जिला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
7. जिला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन।

----उत्तरदाता

(24) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16025/2024

1. राजा राम पुत्र श्रीफल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- जिंदों का पुरा, केमरी, करौली, नादोती (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 14 पी.ई 0445 का मालिक।
2. आशा राम बाबरिया पुत्र रामप्रसाद बाबरिया, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी-उदई, खुर्द, सवाईमाधोपुर, एटीपी-करौली, (राजस्थान), वाहन मालिक। वाहन संख्या आर.जे 25 जी.ए 4389.
3. हेमराज मीना पुत्र ठंडी राम मीना, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- खाते की पी-मरामदा, करौली (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 25 सी 1467 का मालिक।

4. जीतेन्द्र पुत्र स्व. रामसहाय, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी बैरवा मोहल्ला, गढमोरा, तह-नादौती, जिला। करौली, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 12 जी.ए 0712 का मालिक।
5. श्री मोती लाल गुर्जर पुत्र श्री बजरंग कोटिया, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- सिंधुपुरा, तह। सपोटरा, जिला। करौली (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 29 यू.ए. 1506 का मालिक।
6. कमर सिंह पुत्र स्व. राम चरण, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी-खिजौरा, तह। सपोटरा, जिला। करौली (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 34 टी.ए. 1518 का मालिक।
7. जय भवानी मिनरल्स, मालिक के माध्यम से धर्म चंद जैन पुत्र किशोरी लाल जैन, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी कामेरी, तह। नांदोती, जिला। करौली (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 34 जी.ए 2638 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला करौली (राजस्थान.)
5. जिला परिवहन अधिकारी, जिला दौसा (राजस्थान.)
6. जिला परिवहन अधिकारी, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान.)

-----उत्तरदाता

(25) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16028/2024

1. महेंद्र सिंह बोरान पुत्र श्री रामदेव बोरान, उम्र लगभग 31 वर्ष, वार्ड संख्या 6 प्रेम नगर मदानी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 37-जी.ए-2395 के पंजीकृत मालिक)
2. सीताराम पुत्र श्री भूराराम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी बलायियों का मोहल्ला, नाथूसर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 37-यू.ए-6885 के पंजीकृत मालिक)
3. अरविंद शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चंद बत्रा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 8, गनेरी, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे-23- पी.बी 1172 के पंजीकृत मालिक)
4. महेश कुमार पुत्र श्री भागुराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 2, ढाणी समोता वाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे-23-टी.ए-4566 का पंजीकृत मालिक)
5. अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ढाणी मऊ वाली, वार्ड संख्या 3, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे-23-टी.ए-4600 का पंजीकृत मालिक)
6. इस्लाम पुत्र श्री मुन्सी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, न्यू कॉलोनी पलसाना तहसील दांतारणगढ़, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे-23-टी.ए-3084 का पंजीकृत मालिक)

7. प्रहलाद राम पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी राजपुरा, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे-23-यू.बी-0130 का पंजीकृत मालिक)
8. प्रहलाद सहाय यादव पुत्र श्री तेजा राम यादव, उम्र लगभग 50 साल, निवासी ढाणी डेरा की, मंडुसिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन संख्या आर.जे-13-सी 5875 का मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर

----उत्तरदाता

(26) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16029/2024

1. सांवर मल पुत्र श्री पोकर राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गुजरो की ढाणी, सिगनोर, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 यू.ए-0548 का मालिक।

2. ग्रीन वैली अकादमी स्कूल, इसके प्रोपराइटर श्रीमती रेणु बाला देवी पत्नी श्री मानसी राम के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय पचलंगी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, (राजस्थान) में, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-32 पी.ए-0705 का मालिक।
3. मुकेश कुमार पुत्र श्री केहसा राम, निवासी वार्ड नंबर 6, बुटोली, सीकर, (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए-0608 का मालिक।
4. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद सलीम, निवासी इलाजी का चौक, कोशितल, भीलवाड़ा, (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-20 पी.ए-1808 का मालिक।
5. अशोक कुमार लड्डा पुत्र श्री शंकर लाल लड्डा, निवासी आम बाजार, नेगढ बूंदी, (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-06 जी.ए-3243 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा।
7. जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा।

----उत्तरदाता

(27) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16063/2024

1. नंद राम पुत्र रूपा राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी जाटो का मोहल्ला, लोडसर, तहसील सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 0893 का पंजीकृत मालिक)।
2. अनिल कुमार पुत्र भंवर लाल, निवासी वार्ड नंबर 13, सात्यू, तहसील तारानगर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3140 का पंजीकृत मालिक)।
3. दुला राम पुत्र फूसाराम, निवासी जयसंगसर, तहसील सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.बी. 0761 का पंजीकृत मालिक)।
4. महेंद्र पुत्र संग्राम, निवासी खेरवार, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 7563 का पंजीकृत मालिक)।
5. राजेश पुत्र कालूराम, निवासी वार्ड नंबर 10, 5.आर.डब्ल्यू चोटियावाली ढाणी, पो पंडितावाली, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.बी. 1188 का पंजीकृत मालिक)।
6. सुनील कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर लाल शर्मा, निवासी सी 38, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 09 यू.ए.1369 का पंजीकृत मालिक)।
7. कैलाश चन्द्र बैरागी पुत्र श्री बद्री दास बैरागी, निवासी सलावतिया, तहसील बुओलिया, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 06 जी.डी. 9724 का पंजीकृत मालिक)।
8. संपत कुमार चोरडिया पुत्र श्री लाल चोरडिया, निवासी भंवर बड़ी, बराल-2, बिजयनगर, अजमेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू 1737 का पंजीकृत मालिक)।

9. मन रूप पुत्र बनवारी लाल, निवासी अलाय, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.डी 5390 का पंजीकृत मालिक)।
10. ओम सिंह पुत्र हरि सिंह, निवासी मिठाड़ी, तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 21 यू.ए. 5710 का पंजीकृत मालिक)।
11. नवल किशोर पुत्र सत्यनारायण शर्मा, निवासी बालाजी का चौक, लूणवा, तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 सी 6803 का पंजीकृत मालिक)।
12. हनुमान प्रसाद पुत्र नारायण लाल, निवासी वार्ड नंबर 15, नावा सिटी, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 यू.बी 0550 का पंजीकृत मालिक)।
13. नन्द लाल पुत्र रामेश्वर लाल, निवासी ग्राम सुरजनसर, तहसील श्री इंगरगढ़, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 3852 का पंजीकृत मालिक)।
14. श्री जोराराम पुत्र श्री ईश्वर राम, निवासी 1710, ट्यूबवेल के सामने, वार्ड नंबर 6, तिलक नगर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 5052 का पंजीकृत मालिक)।
15. जगजीत सिंह पुत्र बंता सिंह, निवासी संतपुरा, संगरिया, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 यू 1423 का पंजीकृत मालिक)।
16. शंकर लाल पुत्र किल्यां, निवासी चिरावण्डा, तहसील नादोती, जिला करौली (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 यू.ए 0848 का पंजीकृत मालिक)।
17. मोटा देवी पत्नी सुगर सिंह, निवासी करसाई, तहसील करौली (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 34 यू 0115 का पंजीकृत मालिक)।
18. महेश चंद पुत्र श्री विजेंद्र सिंह, निवासी वीपीओ विजयपुरा, तहसील हिंडौनसिटी, जिला करौली (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 09 सी 3167 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
6. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
7. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
8. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर, जिला ब्यावर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
10. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
12. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
13. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।

-----उत्तरदाता

(28) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16095/2024

केसा पुत्र बुद्धा, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी 193, अखेपुरा, गोविंदगढ़, पीसनगंज, अजमेर, राजस्थान (वाहन पंजीकरण संख्या आरजे 01 जी.ए 4299 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अजमेर, जिला अजमेर (राजस्थान)।

-----उत्तरदाता

(29) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16099/2024

1. नंद लाल कुमावत पुत्र माला राम कुमावत, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी बड़ागांव तह उदयपुरवाटी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 6909 का मालिक।
2. माखन लाल पुत्र भागीरथ मल, निवासी बसावा नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 3020 का मालिक।
3. महावीर प्रसाद पुत्र भागीरथ मल, निवासी कुमावास, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 सी 4256 का मालिक।
4. आईस्कम इंफ्रा प्रा. लिमिटेड, इसके सचिव इस्पाक अली पुत्र मुराद अली खान निवासी गांधी नगर चूरू रोड, झुंझुनू के माध्यम से। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 2207 का मालिक।

5. इमाम रबानी शिक्षण संस्थान, इसके सचिव दिनेश पुत्र परमंद निवासी रोड नंबर 03 झुंझुनू के माध्यम से। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 पी.ए. 0854 का मालिक।
6. जितेंद्र सिंह पुत्र गंगा सिंह, निवासी सीता राम पारीक मार्ग मोहल्ला, शेखपुरा, वार्ड नंबर 32 सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 पी.ए. 1493 का मालिक।
7. राजपाल पुत्र मोती सिंह, निवासी बतरानौ तह लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 9395 का मालिक।
8. बनवारी पुत्र लहरा राम, निवासी स्टेशन रोड कुचामन सिटी, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 4208 का मालिक।
9. छेल सिंह पुत्र फतेह सिंह, निवासी गडरिया राजपूतो का बास जायल नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 यू.बी 0475 का मालिक।
10. चुना राम पुत्र दीपा राम, निवासी पीमपासर श्रीबालाजी, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 5305 का मालिक।
11. राधाकिशन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके सचिव बजरंग लाल पुत्र राधाकिशन निवासी 3 आरडी फ्लोर पार्क वैशाली, शिवराज निकेतन 302 वैशाली सर्कल गौतम मार्ग वैशाली नगर, जयपुर के माध्यम से। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 जी.एच. 2663 का मालिक।
12. बजरंग लाल पुत्र भेरू लाल, निवासी सदु बड़ी बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 27 यू 0822 का मालिक।
13. हरमाना राम पुत्र उमाना राम, निवासी जश्रासर नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 6659 का मालिक।

14. बाबू लाल पुत्र ईशर खान, निवासी इयापा, सुजानगढ़ चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 44 जी.ए 1675 का मालिक।
15. मांगी नाथ पुत्र खेरज नाथ, निवासी वार्ड नंबर 09 थावरिया नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 5628 का मालिक।
16. सगरा राम पुत्र मूला राम, निवासी वार्ड नंबर 05 सजनवाला हिम्मतसर, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 4316 का मालिक।
17. बजरंग सिंह पुत्र तेज सिंह, निवासी समना रींगन तह डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.बी. 1541 का मालिक।
18. जगदीश प्रसाद पुत्र रामू राम, निवासी राजपुरा पोस्ट परेवारी तह नावा नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 30 सी 1617 का मालिक।
19. हेराम पुत्र रामेश्वर लाल, निवासी पाबूसर रतनगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 यू.ए 1110 का मालिक।
20. -घनश्याम चौहान पुत्र बाबू लाल, निवासी वार्ड नंबर 25 मोहल्ला बुचाहेड़ा कोटपूतली, जयपुर। (राजस्थान) वाहन का मालिक पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 जी.सी 7083।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।
11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, चूरू।
12. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, कोटपूतली।

----उत्तरदाता

(30) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16110/2024

1. हरि नारायण पुत्र घीसा नाथ, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मूंडगासोई, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 19 यू.ए. 1062 का पंजीकृत मालिक)।
2. मदन लाल पुत्र लाला राम, निवासी आबास, तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ए. 0540 का पंजीकृत मालिक)।
3. घरसी दास पुत्र राम दास, निवासी आइसर, रणवांसर, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.ए. 1391 का पंजीकृत मालिक)।
4. मुखयातर अली पुत्र श्यामू खां, निवासी 116, स्कूल के पास, पूगल, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 8374 का पंजीकृत मालिक)।
5. मूलाराम पुत्र मघा राम, 128, जाटो का बास, धीरेरा, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 4263 का पंजीकृत मालिक)।

6. कुम्भा राम पुत्र हंसराज, निवासी 70 जाट व बैरागियों का बास, शेखासर, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 6650 का पंजीकृत मालिक)।
7. पप्पू लाल कहार पुत्र देवी लाल कहार, निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 09 जी.ए. 3666 का पंजीकृत मालिक)।
8. श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र बिशना राम, निवासी फोगा भूद्री, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 4835 का पंजीकृत मालिक)।
9. तारा चंद पुत्र नोरंग राम कुम्हार, निवासी दलूसर, सरदारशहर, चूरू। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 2708 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।

-----उत्तरदाता

(31) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16112/2024

1. राम स्वरूप पुत्र प्रभाती लाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 470 अंजी वाला मोहल्ला, कुमावत कॉलोनी, कालदरा, जयपुर राजस्थान-303801। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा सी.डी.आर. 650 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे. 14 यू.सी. 3317)।
2. सत्यनारायण पुत्र रमेश चंद, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी रेनवार रोड, तनकरदा, तहसील चोमू, जयपुर, राजस्थान-999999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा कमांडर), पंजीकृत, नंबर आर.जे 12 सी 1975)।
3. जगदीश सिंह पुत्र मगन सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी 123 सांसी लेखावा, अगली कोठी के पास, खन्नीपुरा, जयपुर राजस्थान-999999 (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा कमांडर 650 डी), पंजीकृत, नंबर आर.जे 14 यू 2458)।
4. राम किशन मीना पुत्र बालकृष्ण मीना, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी जोगिया का मोहल्ला, धवली तहसील शापुरा, जयपुर, राज ऐपुर, राजस्थान 999999 (वाहन (महिंद्रा कमांडर जीप) का पंजीकृत मालिक, नंबर आर.जे 18 सी 2157)।
5. सुरेश कुमार पुत्र सोहन लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 143, गुजर और योगी सागर, हाथनाडा, तहसील चोमू, जयपुर, राजस्थान-999999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा कमांडर 650 डी जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.सी 4516)
6. नवरतन गुर्जर पुत्र किशोर लाल गुर्जर, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 44, कुच्यावास पोस्ट, रामपुरा, बगरू, जयपुर राजस्थान-303007। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा पंजीकृत, नंबर आर.जे 14 3 सी 2942)।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, शंकर मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, जयपुर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, चोमू, जयपुर, राजस्थान।

-----उत्तरदाता

(32) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16194/2024

1. पीथा राम पुत्र हीरा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर 50, सुरनाणा, लूणक्रानसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3668 का पंजीकृत मालिक)।
2. मिट्ठू सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी वार्ड संख्या 07, 1 डीएलपी ढाणी 9 एनटीडब्ल्यू, नाथवाना, तहसील संगरिया, हनुमानगढ़। (वाहन संख्या आर.जे. 31 पी.ए. 4599 का पंजीकृत मालिक)।
3. सुभाष नाथ पुत्र धन्ना नाथ, निवासी वार्ड नंबर 06, भीजसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 6378 का पंजीकृत मालिक)।

4. अमर सिंह पुत्र इंद्राज सिंह, निवासी हनुमानपुरा, बाकरा, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.18 यू.ए.5523 का पंजीकृत मालिक)।
5. मोहन राम पुत्र उदा राम, निवासी 21, हरिराम जी मंदिर के पास, रानीसर, तहसील और जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 2178 का पंजीकृत मालिक)।
6. सहीराम पुत्र उदाराम, निवासी कल्याण सर नया श्री इंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 144 सी 4762 का पंजीकृत मालिक)।
7. सिकंदर पुत्र इब्राहिम खान, निवासी मसाला टेकारा, फलोदी, जोधपुर। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 2391 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर, जिला जोधपुर।

----उत्तरदाता

(33) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16201/2024

1. गणपत लाल पुत्र नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी जुंजडिया की ढाणी पचकोडिया, पंचकोडिया, मुंडोती, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 06 यू.ए. 2294 का पंजीकृत मालिक)।
2. रामेश्वर राम पुत्र जेता राम, वार्ड नंबर 7, पनवारवाला, मानकासर, बीकानेर (राजस्थान) (वाहन नंबर आर.जे 07 जी.डी 6707 का पंजीकृत मालिक)।
3. दुर्जन सिंह पुत्र हरि सिंह, उम्र लगभग 47 वर्ष, कबीर आश्रम वाली गली, एफ.सी.आई. गोदाम रोड, फतीपुरा, बीकानेर। (वाहन क्रमांक आर.जे. 19 पी.ए 1366 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय झालाना, जयपुर, जिला जयपुर। (राजस्थान)
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय जोधपुर, जिला जोधपुर (राजस्थान)

7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----उत्तरदाता

(34) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16204/2024

कैलाश चंद मालिक पुत्र रामेश्वर लाल मालिक, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी 127-128, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दादी का फाटक, बेनार रोड, जयपुर, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-14-जी.एन 6408 का मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चोमू।

-----उत्तरदाता

(35) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16216/2024

1. मनीराम पुत्र सूरजा राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी टिडियासर, तह.-नोहर जिला- हनुमानगढ़, ओट 16350, स्थानांतरण दिनांक 23.01.2017 (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 यू.ए 2724 का मालिक।

2. महावीर सिंह पुत्र छोद्द सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी-रामू का बास, गोकुलपुरा, सीकर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 23 सी 3852 का मालिक।
3. असकर खान पुत्र सादिक खान, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 16, साहवा तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. का मालिक। 13 जी.बी. 7145.
4. ओमप्रकाश पुत्र राम लाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी- खुड्डी, तह.-राजगढ़, चूरू, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 1021 का मालिक।
5. बेगराज पुत्र जय सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- गांव ढाणा पट्टा, सात्यू तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 5564 का मालिक।
6. बलदेव पुत्र बन्ने सिंह नायक, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ढाना, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 2265 का मालिक।
7. राजेंद्र पुत्र स्व. रौनक सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी सांखन ताल, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 4940 का मालिक।
8. सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल, सचिव रणधीर सिंह ढाका के माध्यम से, उम्र-60 वर्ष, निवासी-साहवा, तह. तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 पी.ए. का मालिक। 7593.
9. प्रमोद कुमार पुत्र प्रहलाद राय, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी-लोहसना बारा, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 4140 का मालिक।
10. सुरेश कुमार पुत्र स्व. प्रहलाद राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी - वीपीओ-लोहसाना बड़ा, तह.-चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 7128 का मालिक।
11. राम करण पुत्र स्व. पालू राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी बुकनसर बारा, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 2625 का मालिक।

12. संतोष सिंह पुत्र स्व. भैरू सिंह राजवी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी-भडंग, तह. तरंगर, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे. 10 सी 1775 का मालिक।
13. जितेंद्र कुमार पुत्र रामजी लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 226, वार्ड क्रमांक-02, कुम्हारो का मोहल्ला कटसजावर, गंगानगर (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे.06 यू0207 का मालिक।
14. रामू राम पुत्र खेमा राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3, बाल्डो, तह. लाडनू, नागौर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 37 जी.ए 9437 का मालिक।
15. नवदीप शिक्षण संस्थान, सचिव विजय सिंह के माध्यम से, उम्र-44 वर्ष, निवासी-न्यांगल छोटी, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 31 पी.ए 0909 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. सचिव, सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला. चूरू (राजस्थान).
6. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान).
7. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)

9. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. बीकानेर (राजस्थान)
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. नागौर (राजस्थान)
11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. गंगानगर (राजस्थान)
12. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. हनुमानगढ़ (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(36) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16239/2024

1. संदीप कुमार योगी पुत्र शंकर लाल योगी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी पलारी तह लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 9642 का मालिक
2. गोपाल सिंह पुत्र महादेव राम, निवासी ढाणी खादीवाली तह खंडेला, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 2132 का मालिक।
3. सिंघानिया विश्वविद्यालय, इसके सचिव सुरेश कुमार पुत्र नेतराम सिंह निवासी पचरी, झुंझुनू के माध्यम से। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 पी.ए. 1902 का मालिक।
4. रमेश कुमार पुत्र पदमा राम, निवासी वीपीओ बिरोल नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 9803 का मालिक।
5. संदीप सिंह पुत्र अशोक सिंह, निवासी वाई नंबर कुमावास, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 टी.ए 0448 का मालिक।
6. दलीप सिंह पुत्र भगवान सिंह, निवासी इमरा नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 9904 का मालिक।

7. राजेश गुर्जर पुत्र रामफूल गुर्जर, निवासी डांगरथल थाना निवाई टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 06 जी.ए 1649 का मालिक
8. आशाराम सैनी पुत्र गोपाल सैनी, निवासी कीरो का मौहल्ला वार्ड नंबर 074 बनेठा टी उनियारा, टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 3647 का मालिक।
9. हिमांशु गुप्ता पुत्र गिरधारी लाल गुप्ता, निवासी विवेकानन्द कॉलोनी देवली, टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 26 जी.ए 0926 का मालिक।
10. राम करण गोदारा पुत्र हेमा राम, निवासी वार्ड नंबर 08 सहजरासर, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.बी 6728 का मालिक।
11. हडवंत दान पुत्र टीकम दान चारण, निवासी शेरूवाला श्री कोलायत, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 3650 का मालिक।
12. हिमांशु मालिक पुत्र राजेंद्र प्रसाद मालिक, निवासी 32 ज्ञान विहार मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.सी 3935 का मालिक।
13. ओम पोटलिया पुत्र हुकमा राम, निवासी लोयाली की ढाणिया रायधनु जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 4497 का मालिक।
14. बाबू लाल सैनी पुत्र जेशा राम माली, निवासी अम्बेडकर नगर रतनगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 8167 का मालिक।
15. मांगी लाल पुत्र नाथू लाल, निवासी वार्ड नंबर 19 राजलदेसर रतनगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 2502 का मालिक।
16. विक्रम सिंह पुत्र भंवर सिंह, निवासी मालपुरा, रतनगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 जी.ए 3674 का मालिक।

17. हरि सिंह पुत्र भोपाल सिंह, निवासी 614 मेन गली, भाद्राजून तह. आहोर जालौर।
(राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 16 टी.ए 0570 का मालिक।
18. चंपा लाल पुत्र सोना राम, निवासी मूनपुरा कॉलोनी, जालौर। (राजस्थान) वाहन
रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 16 जी.ए 1628 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से,
परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर,
राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय टोंक।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय नागौर।,
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।

----उत्तरदाता

(37) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16304/2024

1. अब्दुल हमिद पुत्र नूर मोहम्मद, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी देवीपुरा जयपुर रोड, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-23 जीबी 7617 का पंजीकृत मालिक)
2. सलीम अली पुत्र फूल मोहम्मद, निवासी- बालोद भाखरान, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-23 जीसी 1766 का पंजीकृत मालिक)
3. भागीरथ मल पुत्र अमरा राम, निवासी- मुकंदपुरा, सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-14 टीए 5701 का पंजीकृत मालिक)
4. रूपेंद्र सिंह शेखावत पुत्र चेल सिंह शेखावत, निवासी- बलाई मोहल्ला, राजपूत मौहल्ला, बुहाना, तहसील दांतारामगढ़, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आरजे-14 टीए 5701 का पंजीकृत मालिक)
5. धर्मवीर सिंह कुरी पुत्र सुभाष चंद कुरी, निवासी वार्ड संख्या 03, मोहल्ला कुरियान, चला, तहसील नीम का थाना, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-23 जीसी 2439 का पंजीकृत मालिक)
6. महेश कुमार पुत्र मोती लाल, निवासी- राजास, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-21 यूबी 1711 का पंजीकृत मालिक)
7. रतन लाल पुत्र लक्कड़ दास, निवासी- खिरोड़, नवलगढ़, झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आरजे-23 यूबी 4667 का पंजीकृत मालिक)
8. सुरेश पुत्र दल सिंह, निवासी- कुल्हारियो का बास, झुंझुनू, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-32 जीए 4321 का पंजीकृत मालिक)
9. खीव सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी- वार्ड नंबर 6, चांदूर वाली, 16 एनजीसी, पीरकामडिया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आरजे-07 यू 0206 का पंजीकृत मालिक)

10. बजरंग लाल पुत्र भागू राम, निवासी- रेवासा, दलेलपुरा, तहसील नावा, नागौर, राजस्थान।
(वाहन क्रमांक आरजे-10 सी 1796 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, डीटीओ कार्यालय, हनुमानगढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, डीटीओ कार्यालय, नागौर।

----उत्तरदाता

(38) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16330/2024

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 जी.ए 2308 का पंजीकृत मालिक)।
2. गिरधारी सिंह पुत्र मगन सिंह, निवासी पाना, फतेहसिंह मावंडा कलां, तहसील नीम का थाना, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 1706 का पंजीकृत मालिक)।

3. लाल चंद सैनी पुत्र गणपत राम, निवासी रेलवे स्टेशन, ध. साधुवाली मावण्डा, तहसील नीम का थाना, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 3181 का पंजीकृत मालिक)
4. बलबीर सिंह पुत्र देदा राम, निवासी पुरा की ढाणी, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 12 सी 0928 का पंजीकृत मालिक)
5. प्रदीप कुमार पुत्र बलबीर सिंह, निवासी पूरा की ढाणी, सबलपुरा, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 सी 2485 का पंजीकृत मालिक)।
6. बनवारी पुत्र हीरा राम बागरिया, निवासी नंगवाड़ा, तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 यू.ए 7658 का पंजीकृत मालिक)।
7. अशोक बाल विद्या निकेतन, मालिक प्रिंसिपल सैनी, निवासी वार्ड नंबर 19, सीकर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 पी.बी 3322 का पंजीकृत मालिक)।
8. भवानी शंकर सैनी पुत्र बाला बक्स, निवासी खातियों का मौहल्ला, वार्ड नंबर 20, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 पी.ए. 1752 का पंजीकृत मालिक)।
9. मनोज कुमार पुत्र जेठमल सिंह, निवासी शास्त्री नगर, नेहरू पार्क, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.ए. 6430 का पंजीकृत मालिक)।
10. महेंद्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी खुर्दी धोद, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 6730 का पंजीकृत मालिक)।
11. महेंद्र कुमार पुत्र भंवर लाल, निवासी बठोठ, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 पी.बी 2471 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।

----उत्तरदाता

(39) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16368/2024

1. बाबू लाल पुत्र गोरधन लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बधालो की ढाणी, वार्ड नंबर 21, बलायियो का मौहल्ला, पलसाना, सीकर, राजस्थान-332402 और वाहन मालिक आर.जे 23 यू.बी 6970
2. वीरेंद्र सिंह यादव पुत्र प्रहलाद सिंह यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम-उदयपुरा, तहसील-खंडेला, गोविंदपुरा, सीकर, राजस्थान 332402 और वाहन मालिक आर.जे 23 यू.बी 7677
3. विजेंद्र कुमार मीना पुत्र ओम प्रकाश मीना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9 मीना का मोहल्ला, श्री माधोपुर, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332715 और वाहन मालिक आर.जे 23 जी.सी 3479

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कैनाट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन भवन, सेवा मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302001 के माध्यम से।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, सीकर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(40) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16385/2024

1. किशन पुत्र परमा राम, उम्र करीब 25 साल, निवासी कलालो का मौहल्ला मेड़ता सिटी नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 1018 का मालिक।
2. रमेश्वर लाल पुत्र राम चन्द्र, निवासी दूढीवास ताऊसर, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 8104 का मालिक।
3. सुरेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र मोहन लाल, निवासी 1/187 रीको औद्योगिक क्षेत्र, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 2061 का मालिक।
4. करणी राम पुत्र भीवा राम, निवासी वीपीओ खोजावास तह नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 8497 का मालिक।
5. शंकर भारती पुत्र मोहन भारती, निवासी 102, स्वामियों की गली, मोहिवाड़ा तह आहोर, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 यू.ए 4499 का मालिक।
6. लाला राम पुत्र भीमवा राम, निवासी गैडेंट आहोर, जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 24 जी.ए 1086 का मालिक।

7. पुना राम पुत्र नाथा राम, निवासी पुरोहित वास वटेरा तह पिंडवाड़ा, सिरौही। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 38 जी.ए. 1605 का मालिक।
8. बाबू लाल पुत्र प्रतापा राम, निवासी अखरिया ओटावाला, जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 6821 का मालिक।
9. शांति निकेतन शिक्षण संथान, इसके सचिव पुरषोत्तम पुत्र दुर्गादत्त निवासी हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 31 पी.ए. 4718 का मालिक।
10. परमेश्वर राम पुत्र मुख राम, निवासी 11 एम डब्ल्यू एम जाखड़ा वाली, पीलीबंगा, हनुमानगढ़। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 2571 का मालिक।
11. शिव भगवान मालिक पुत्र हरि दास, निवासी बनियासर सरदारशहर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 जी 1589 का मालिक।
12. बलवीर सिंह पुत्र कपूर सिंह, निवासी 23 बी बी पदमपुर एस.जी.एच. 3595 हवेल श्री गंगानगर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.बी 3743 का मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालोर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, आबू रोड, जिला सिरोही।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, हनुमानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, श्री गंगानगर।

----उत्तरदाता

(41) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16388/2024

लाला राम पुत्र श्रीकिशन राम, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी मकान संख्या 488, मेघवालों का बास, जयमालासर तहसील व जिला बीकानेर-221215 (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 07 टी.ए. 0699 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्री परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

-----उत्तरदाता

(42) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16393/2024

1. जगदीश राम जाट पुत्र देवी लाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी लोरडी, मसूदा, अजमेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 36 जी.ए 7154 का पंजीकृत मालिक)।
2. शेखावाटी पब्लिक स्कूल, मालिक किशन लाल पुत्र भगवाना राम, निवासी फकोलिया, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे 32 पी.ए 0849 और आर.जे 18 पी.ए 1562 का पंजीकृत मालिक)।
3. कमलेश शर्मा पुत्र जमना लाल शर्मा, निवासी अलगवास, पोस्ट भभाना, तहसील भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 30 जी.ए 9240 का पंजीकृत मालिक)।
4. डी.एन. सेंट पॉल्स स्कूल, प्रोपराइटर चांद मल भरकटिया पुत्र भंवर लाल भरकटिया, निवासी सांखड़ा, तह कोटरी, भीलवाड़ा (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे 14 पी.ए 8720 का पंजीकृत मालिक)।
5. राजेंद्र जाट पुत्र शेराराम, निवासी वार्ड नंबर 15, क्यू के पास, सूरतसिंहपुरा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 3467 का पंजीकृत मालिक)।
6. पतराम पुत्र उमाराम, निवासी गदनातारानगर, चूरू। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 टी.ए 0429 का पंजीकृत मालिक)।
7. किस्तुरा राम पुत्र पूनामा राम, निवासी लक्ष्मी नगर, बाडमेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.19 जी.एच.3273 का पंजीकृत मालिक)।
8. विजय कुमार पुंगलिया पुत्र ओम प्रकाश, निवासी आजाद चौक, वार्ड नंबर 4, बाडमेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 04 जी.सी. 1558 का पंजीकृत मालिक)।

9. लालचंद पुत्र मोहन लाल, निवासी वार्ड नंबर 05, प्रेम नगर, अनूपगढ़, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.बी. 2026 का पंजीकृत मालिक)।
10. श्री. कमलेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. रतन लाल जी, निवासी सिंदु, तहसील मावली, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 सी 9602 का पंजीकृत मालिक)।
11. ईश्वर सिंह पुत्र मोती सिंह, निवासी गौंदूसर, जोगलसर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.44 जी.ए.2784 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर, जिला ब्यावर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर, जिला अजमेर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, कोटपुतली, जिला जयपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
8. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।
9. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

11. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
12. जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर, जिला बाड़मेर।
13. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
14. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
15. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।

---उत्तरदाता

(43) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16481/2024

1. जीता राम पुत्र रुदा राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी ढाणी सामली, प्रीतमपुरी, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे-25-सी-1400 का पंजीकृत मालिक)।
2. मैसर्स शेखावाटी मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, निवासी एनएच 11 पुरा की ढाणी सीकर, जिला सीकर (राजस्थान) सचिव कमला देवी के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे-23-पी.ए-2030 का पंजीकृत मालिक)।
3. सुरेश कुमार यादव पुत्र काशी राम यादव, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ढाणी बड़बोड़ वाली लिसारिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23-यू.बी-7392 का पंजीकृत मालिक)
4. सुरेश कुमार यादव पुत्र काशी राम यादव, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ढाणी बड़बोड़ वाली, लिसारिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23-यू.बी-7469 का पंजीकृत मालिक)

5. श्रवण कुमार मालिक पुत्र नंदा दास मालिक, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ढाणी हरदास वाली लिसारिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23-टी.ए-4154 का पंजीकृत मालिक)
6. सुरजा राम पुत्र केशर देव, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी सोनालिया की ढाणी आसपुरा-कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21-यू.ए.-0146 का पंजीकृत मालिक)
7. किशन सिंह पुत्र रोहितास सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 2 हाथीदेह, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.23-जी.बी.-6835 का पंजीकृत मालिक)
8. मोहम्मद अजीज पुत्र शमशाद अली, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, खीरवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-34-सी 0128 का पंजीकृत मालिक)
9. नंद किशोर पुत्र मनोहर लाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी नवोदी कोठी के पास टोडपुरा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-18-जी.ए-2488 का पंजीकृत मालिक)
10. हरि प्रसाद पुत्र बोदू राम, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 8 जांगिड़ का मोहल्ला, सिंगरावट, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-21-यू.ए-2298 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(44) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16567/2024

1. गोरी शंकर पुत्र चुन्नी लाल, उम्र लगभग 79 वर्ष, निवासी सोटवाड़ा, नवलगढ़, झुंझुनू।
राजस्थान 333707. वाहन संख्या आर.जे 06 सी 3098 का मालिक।
2. सिराजुद्दीन कुरेशी पुत्र इमामुद्दीन कुरेशी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06,
सूरजगढ़, झुंझुनू राजस्थान 333001. वाहन संख्या-आर.जे 18 सी 2183 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(45) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18297/2023

1. अब्दुल रसीद पुत्र हाकिम खान, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी पीठूसर झुंझुनू (राजस्थान)
2. असरार अली पुत्र मुब्रिक ऐल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, पीठूसर झुंझुनू (राजस्थान)
3. लकी दूर एंड ट्रेवल्स, मालिक राकेश सहारण पुत्र उम्र लगभग 35 साल, निवासी डी-07 तुलशयान मार्केट, बस स्टैंड झुंझुनू (राजस्थान)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस नई दिल्ली के माध्यम से
2. राजस्थान राज्य, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान.) के माध्यम से
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ अधिकारी झुंझुनू (राजस्थान.)

----उत्तरदाता

(46) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18824/2023

1. पूरणमल बाज्या पुत्र सुरजाराम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर 15, रींगस श्रीमाधोपुर, सीकर, जिला सीकर, राजस्थान 322404.

2. सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञानचंद, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी कुरबड़ा, तहसील नीम का थाना, सीकर, राजस्थान।
3. सांवरमल जाट पुत्र तुलछाराम जाट, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सुलियावास, सीकर, दातारामगढ़, राजस्थान 332702।
4. सद्दाम हुसैन पुत्र यासीन खान, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी तहसील फतेहपुर शेखावाटी, चाचियावाद छोटा, सीकर, राजस्थान 332311.
5. मंगू सिंह पुत्र आशु सिंह, उम्र लगभग 36 साल, निवासी भगतपुरा, तहसील दातारामगढ़, सीकर, राजस्थान 332023।
6. महेश कुमार सैनी पुत्र चिग्गन लाल सैनी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी सालम सिंह की ढाणी, बजाज ग्राम, सीकर, राजस्थान 332021.
7. महेश कुमार पुत्र श्री बीरबल सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ढाणी रानीवाली, तहसील लाखनी, श्रीमाधोपुर, सीकर राजस्थान 332404.
8. ताराचंद पुत्र धन्नाराम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 नांगल नाथूसा, सीकर, राजस्थान 332712.
9. हनुमान प्रसाद कुमावत पुत्र पन्ना लाल कुमावत, निवासी वार्ड नंबर 25 जट्टसर रोड, विशाल सिटी, रींगस, सीकर, राजस्थान 332404.
10. रामलाल गढ़वाल पुत्र गोरू राम गढ़वाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 3-मुखिया आबादी, रणजीतपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान।
11. रिछपाल सिंह पुत्र मुकंद सिंह, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी राजपूतों का मौहल्ला, तुनावां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।

12. दीपक गुर्जर पुत्र मानाराम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ढाणी डेरा की, मांडूस्वा सीकर, राजस्थान 332701।
13. विकास कुमार मीना पुत्र श्री बजरन लाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी शिवधरम कटान के पीछे, वार्ड नंबर 12 रानोली, सीकर, राजस्थान 332403।
14. चौथमल यादव पुत्र लादूराम यादव, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी पोदुवाला मऊ, सीकर, राजस्थान 332715।
15. श्रीमती। गीता देवी पत्नी स्वर्गीय हरलाल सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी फगेडियो की ढाणी, कोलीना, कोलीडा, सीकर, राजस्थान 332031।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, सीकर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, चोमू, जिला परिवहन कार्यालय जयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

47. डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 742/2024

1. बलबीर सिंह पुत्र सुमेर सिंह, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर- 04, कुली, तहसील- दांतारामगढ़, सीकर राजस्थान 332710. (पंजीकृत वाहन मालिक (मोटर कार- माह जीप), पंजीकरण संख्या- आर.जे 17 सी 1431)
2. गोपाल पुत्र झाबर मल, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी कोटारी, लुहारवास तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332709. (पंजीकृत वाहन मालिक (बोलेरो डी.आई टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 05 यू.ए 0960)
3. मुकेश यादव पुत्र सुरजा राम यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी 110, ढाणी छतरी वाली, मांडूस्या, सीकर, राजस्थान 332701. (पंजीकृत वाहन (मोटर) मालिक कार- माह जीप), पंजीकृत संख्या- आर.जे 14 यू.ए 5074)
4. नितेश कुमार मीणा पुत्र रामस्वरूप मीणा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी दिवराला, तहसील - दांतारामगढ़, सीकर राजस्थान 332701. (वाहन (पिकअप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जी.सी 2193)
5. राजेंद्र कुमार जाट पुत्र हनुमान जाट, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी जाटों का मोहल्ला, पोस्ट- होली आका बास, तहसील- श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332715। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा सावरी डी 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 3286)
6. गोविंद सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी पटवारी का बास तहसील- श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332715. (वाहन का पंजीकृत मालिक (मोटर कार - मह सावरी एम.डी.आई टी.सी टू व्हील ड्राइव), रजिस्टर्ड नं.- आर.जे 23 यू.ए 6668)

7. पूरणमल चौधरी पुत्र लच्छा राम चौधरी, निवासी साहू की ढाणी, कराड़, तहसील- दांतारामगढ़, सीकर राजस्थान 332710. (वाहन (माल वाहक-मैक्स पिकअप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे. 14 जी.बी. 7903)
8. प्यारे लाल जाट पुत्र नानू राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी 3 सालम सिंह की ढाणी, सांवली, सीकर 332001, राजस्थान। (पंजीकृत वाहन मालिक (मोटर कैब महिंद्रा सावरी डी 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 41 टी.ए 0306)
9. बाबू लाल निठारवाल पुत्र बाबू राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वार्ड .नं.- 20, ढाणी करमाली वाली, महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332603। (पंजीकृत वाहन मालिक) (इनोवा 2.5 जी), पंजीकरण संख्या- आर.जे. 14 यू.बी. 3339)
10. शिव लाल जाट पुत्र महादेव सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या- 07, हमीरपुरा, सुजाना, सीकर, राजस्थान 332708 (वाहन का पंजीकृत मालिक (माल वाहक मैक्स पिकअप 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 13 जीबी 2518)
11. श्री राम यादव पुत्र श्री घासी राम यादव, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी जाटान, जयरामपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332715। (दूसरा क्रेता/पंजीकृत वाहन मालिक (जीप- महिंद्रा सावरी एमडीआई टीसी 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 यू.ए 7548)
12. झाबर मल जाट पुत्र सुंडा राम जाट, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी राम सागर जाट की ढाणी, जोधपुरा अमरसर शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान 303601। (पंजीकृत वाहन मालिक (जीप- महिंद्रा सावरी एम.डी.आई. टी.सी. टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 8065)

13. पवन सैनी पुत्र राम लाल सैनी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं.-1, अमरसर शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान 303601 (वाहन का पंजीकृत मालिक (माल वाहक- पिक अप सी.बी.सी सिंगल कैब), पंजीयन संख्या- आर.जे 23 जी.बी 8786)
14. मोहर सिंह पुत्र झाबर सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी नया बास, तहसील- नीम का थाना, सीकर, राजस्थान 332713. (वाहन का पंजीकृत मालिक (एल.एम.वी जे.जी.पी- सी.डी.आर 650 एम.डी टू व्हील ड्राइव), पंजीयन संख्या- आर.जे 23 सी 4224)
15. रवि जांगिड़ पुत्र मुकेश कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी न्यू कॉलोनी, वार्ड नं.-01, रींगस, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332404. (वाहन का पंजीकृत मालिक (एलएमवी- जेजीपी- महिंद्रा मार्शल 2 व्हील ड्राइव), पंजीकृत संख्या आर.जे 32 यू.ए 3467)
16. केंद्रीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, कार्यालय जाजोद, तहसील- खंडेला, सीकर, राजस्थान 332709. (वाहन का पंजीकृत मालिक (बस- एल.पी 1510/52), रजिस्टर्ड नंबर- आर.जे 18 पी.ए 0588)
17. मोहम्मद यूनुस पुत्र जीवन, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी निछवा, तहसील- लामन गढ़, सीकर, राजस्थान 332026. (वाहन का पंजीकृत मालिक (मोटर कार- सी.डी.आर 650 एम.डी टू व्हील ड्राइव), रजिस्टर्ड नंबर- आर.जे 13 सी 6619)
18. महिपाल पुत्र सरदारा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, नांगलीदीपसिंह मैनपुरा, झुंझुनू, राजस्थान 333053. (वाहन का पंजीकृत मालिक (मोटर कार महिंद्रा सी.डी.आर 650 एम.डी.आई टी.सी टू व्हील ड्राइव), रजिस्टर्ड नंबर- आर.जे 18 यू.बी 4393)

19. धर्मपाल पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी जाटों का मोहल्ला, गिदावाला, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332719. (वाहन का पंजीकृत मालिक (मोटर कार- महिंद्रा सवारी एम.डी.आई टी.सी टू व्हील ड्राइव), रजिस्टर्ड नंबर आर.जे 23 यू.बी. 2196)
20. संदीप शर्मा पुत्र राकेश शर्मा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी खाटू, सीकर, राजस्थान 332602 (वाहन का पंजीकृत मालिक (माल वाहक- पिकअप सीबीसी सिंगल कैब), रजिस्टर्ड नंबर- आर.जे 23 जी.बी 8207)
21. रामेश्वर लाल जाट पुत्र उदाराम जाट, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवास 53, किशोर पुरा, पोस्ट- बिदायका, वार्ड नं.-16, जोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान 302012 (वाहन का पंजीकृत मालिक (एल.एम.वी. जे.जी.पी.- सी.डी.आर. 650 एम.डी. टू व्हील ड्राइव), पंजीयन संख्या- आर.जे. 4 यू.सी. 5647)
22. श्रीमती संतरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, कैरावली, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, कार्यालय कैरावली, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान 332713. (वाहन का पंजीकृत मालिक (बस- एल.पी. 407/31), पंजीयन संख्या- आर.जे. 18 पी.ए. 1541)
23. छोटू राम जाट पुत्र नारायण जाट, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी पानी की टंकी, वाया रेनवाल, मुंडिया गढ़, जयपुर, राजस्थान 303603. (वाहन (कार) का तीसरा खरीदार/पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जी.ए 2324)
24. राजू सैनी पुत्र पुरुषोत्तम सैनी, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी 230, पीछे जैन मंदिर, रामगढ़ - मोड, आमेर, जयपुर, राजस्थान 302002। (वाहन का पंजीकृत मालिक (एलएमवी कार- मारुति ओमनी ई एम.पी.आई मानक बी.एस. III), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 .ए 6916)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, सीकर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, शाहपुरा, जिला परिवहन कार्यालय जयपुर, राजस्थान।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रींगस, जिला परिवहन कार्यालय जयपुर, राजस्थान

----उत्तरदाता

(48) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1858/2024

1. सतपाल मील पुत्र पन्ना लाल मील, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी-यालसर, वाया-कूदन, सीकर (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 232 एम0911 का मालिक।
2. मोहर सिंह पुत्र धर्मपाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी रोलासर, तह.सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 06 यूए0082 का मालिक।
3. लाल नाथ पुत्र जैश नाथ, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी डाइट कॉलेज के पीछे, बजरंग धोरा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 07 जीडी0180 का मालिक।
4. गोपाल राम गोदारा पुत्र श्री नाथू राम गोदारा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, मालाणी बास, पलाना, बीकानेर (राजस्थान), मालिक वाहन नंबर आर.जे. 07 जीडी0660

5. हरि किशन पुत्र श्री नाथू राम गोदारा, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 03, कुम्हारो की ढाणियां, हंसासर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 19 पी.बी 1072 का मालिक।
6. तारा चंद पुत्र नानक राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07, भानुदा, बिदावतन, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 10 जीबी 1696 का मालिक।
7. जगदीश राम पुत्र रामू राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वीपीओ-जेसलसर, तह.-नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जीए 2067 का मालिक।
8. दामोदर जाट पुत्र हरदास राम जाट, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी-वीपीओ-बीकासर, तह.-नोखा, बीकानेर (राजस्थान)-334803, वाहन संख्या आर.जे 50 जीए 2373 का मालिक।
9. बजरंग सिंह पुत्र मालू सिंह, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी खारिया, कनीराम, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी 2503 का मालिक।
10. नारायण राम पुत्र पेमाराम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी हिम्मतसर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 2661 के मालिक।
11. सुनील पुत्र पप्पू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी हिम्मतसर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 2766 के मालिक।
12. केलाश पुत्र पन्ना लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 01, रायसर, नोखा, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 2811 के मालिक।
13. मदन लाल पुत्र लाला राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 2921 के मालिक।
14. नारायण पुत्र मोती राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी- 207, वार्ड संख्या 19, नई मंडी, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 3164 के मालिक।

15. रामदेव सिंह पुत्र मदन सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी- राजपुतों का वास, बेनाथा, जोगलिया, दरीबा, चूरू (राजस्थान)-331501, वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी. 8868 के मालिक।
16. लाल चंद पुत्र नाथू राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी चैनप्रुआ, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 4566 के मालिक।
17. गोविंद पुत्र भैराराम, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 03, हिम्मतसर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 46 जी.ए 3453 का मालिक।
18. शैतान गु आर.जे पुत्र भोपालाराम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी-वार्ड संख्या 09, नेवाड़ी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 18 जी.बी 4938 का मालिक।
19. अखा राम पुत्र रावता राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- 26, तलहटी की बस्ती, गांव, चूरू, तहसील व जिला, नागौर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 4112 का मालिक।
20. हुकमा राम पुत्र शंकर लाल, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी भादला नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 4260 के मालिक।
21. बुधा राम पुत्र दाना राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी निम्बडी रोड, कुचेरा, नागौर, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 जी.बी 7250 के मालिक।
22. दुर्गा राम पुत्र ला राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी- गाँव बिकासर, तह.-नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 आर.बी 4891 के मालिक।
23. शेतन राम पुत्र यू आर जे ए राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी बारानी, नागौर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 212 आर 6735 के मालिक।

24. खिंया राम पुत्र दुदा राम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी मकान संख्या 52, बासी, तह.-नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 07 आर.ए 4136 के मालिक।
25. कैलाश कुमार पुत्र कीर्ता राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 11, नाथूसर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 जी.बी 4202 के मालिक।
26. साजिद पुत्र नबाब, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी-तागाला मस्जिद के पास, वार्ड संख्या 06, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 3522 के मालिक।
27. लूणा राम पुत्र किस्तु राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी सारोठिया, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 44 जी.ए 2934 का मालिक।
28. राम नारायण डेहरू पुत्र देवाराम डेहरू, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी-ग्राम। जेगला गोगलियान, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 43 जी.ए 3812 का मालिक।
29. ओंकार जाट पुत्र बाबू लाल जाट, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी मान्याना, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 3937 का मालिक।
30. अनिल कुमार भूरिया पुत्र बिरदी चंद भूरिया, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी-भूरिया का बास, लक्ष्मणगढ़, सीकर, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 23 टी.ए. 3979 का मालिक।
31. मुन्ना लाल बिश्नोई पुत्र माला राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी-गांव-काकड़ा, तह.-नोखा, जिला-बीकानेर, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 07 पी.बी 4025 के मालिक।
32. जस्सी राम झूडी पुत्र हजारी राम झूडी, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी-बीरमसर, नोखा, बीकानेर, (राजस्थान)-334803, वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 4117 के मालिक।
33. गोविंद राम पुत्र फूसा राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी 74, तह.-नोखा, बीकानेर, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 4297 के मालिक।

34. राजकुमार पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गुदावाड़ी, सुजानगढ़, चूरु, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 23 जी.ए 6092 का मालिक।
35. महेंद्र कुमार पुत्र कनारमा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी-गोविंदपुरा, शोभासर, सुजानगढ़, चूरु, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 23 जीबी 6800 का मालिक।
36. ब्रिजा लाल पुत्र जीतू राम मेघवाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर 02, शेखसर, लूणकरनसर, बीकानेर, चूरु, (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 07 जी.सी 8359 का मालिक।
37. सरोज पुत्र मूलचंद, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी-61, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 144 सी 9448 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, चूरु।
6. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला। चूरु।
7. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।

9. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू

-----उत्तरदाता

(49) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2077/2024

1. विनोद कुमार नाई पुत्र सुमेर मल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी-उदासर चारणान, तह.-सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 41 यूए 1670 का मालिक।
2. अयूब खान पुत्र स्व. हबीब खान क्यामखानी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर 23, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 31 जीए 8374 का मालिक।
3. लाल चंद प्रजापत पुत्र चोखा राम प्रजापत, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी-राम नगर बास, वार्ड नंबर 1, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन नंबर का मालिक। आर.जे 22 सी 1712.
4. नंदराम नाथ पुत्र ईशर नाथ, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी-मालसर, तह.-सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 21 यूए 1541 का मालिक।
5. बंसी लाल ज्याणी पुत्र माघा राम ज्याणी, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी-पुनसीसर, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक का मालिक। आर.जे. 16 यूए 0346.
6. राज कुमार पुत्र ए.आर.जे. उन लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 17, किशन छत्रवास, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 14 यूबी 1797 का मालिक।
7. इमीलाल (मृतक), ट्रांसफरी किशनी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री के माध्यम से। इमीलाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी दांदूसर, उदासर, बिदावतान, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 यूए 5127 का मालिक।

8. वेद प्रकाश पुत्र शीशराम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी सेउवा, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 यूए 4883 का मालिक।
9. सांवर मल पुत्र राम करण, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी हरिजन बस्ती, ढाणी कुम्हारान, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यूए 6479 का मालिक।
10. कपिल सिंह पुत्र स्व. शुभ करण, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी- ढाणी आशा, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यूए 6439 का मालिक।
11. ओम प्रकाश पुत्र डु आर.जे ए राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बास महलान लोहसाना बारा, तह.-चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यूए 4094 का मालिक।
12. राकेश गोठवाल पुत्र भागीरथ, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर-11, चंदेलनगर, चूरू, (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 10 यूए 3830 का मालिक।
13. नाथू शाह पुत्र स्व. अली शाह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 12, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 पा 0519 के मालिक।
14. अमर सिंह पुत्र लेखू राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी थिरपाली बारी, तह.-राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 5138 के मालिक।
15. नंद राम पुत्र दीपा राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी बालाजी बस्ती, मितासर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 गा 0270 के मालिक।
16. रणवीर सिंह पुत्र चंदगी राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जी 1077 के मालिक।
17. लिछमन पुत्र बालू राम, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी झोथरा, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 सी 2013 का मालिक।

18. राकेश पुत्र स्व. अमर सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी धाना पट्टा, सत्यं, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 सी 1477 का मालिक।
19. तारा चंद बुडानिया पुत्र मोटा राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- 4/56, हाउसिंग बोर्ड, भालेरी रोड, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 जीबी 3198 के मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला। चूरू (राजस्थान).
6. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान).
7. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)

---उत्तरदाता

(50) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3242/2024

1. बलदेव प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी नया कुवा, ज्योतिबा नगर, चला, तहसील- नीम का थाना, सीकर, राजस्थान 332706. (वाहन (कमांडर जीप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 यूबी 8188)

2. अनिल कुमार भूरिया पुत्र श्री बिरदी चंद भूरिया, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी भूरिया का बास, लालसी, लक्ष्मण गढ़, सीकर, राजस्थान 332315. (पंजीकृत वाहन मालिक (मारुति), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 ता 3979)
3. महेंद्र सिंह शेखावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह शेखावत, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या- 07, छोटा पाना, जोध सिंह जी की कोठरी, महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332603 (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा सवारी), पंजीकरण संख्या- आर.जे 18 यूबी 3534)
4. भंवर लाल जाट पुत्र श्री गणेश राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी तकिया मिंधा नवां, नागौर राजस्थान 341509। (पंजीकृत वाहन मालिक (बोलेरो डी नॉन एसी), पंजीकरण संख्या- आर.जे 21 यूबी 6025)
5. सांवर मल पुत्र श्री जालू राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सांवलोदा पुरोहितान, सीकर, राजस्थान 332315. (पंजीकृत वाहन मालिक (पिक अप सीबीसी), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जीबी 8229)
6. श्रीराम कुमावत पुत्र श्री मदन लाल कुमावत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या- 07, कुमावतों का मोहल्ला गोवटी, सीकर, राजस्थान 332402. (वाहन का पंजीकृत मालिक (माह सारी एमडीआई टीसी दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 41 यूए 1066)
7. बाबू लाल पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर -10, किशनपुरा भोजपुर, खंडेला, सीकर राजस्थान 332709। (पंजीकृत वाहन का मालिक (माह सावरी एमडीआई टीसी) दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 27 टीए 1015)

8. रोहिताश सिंह पुत्र श्री दीन सिंह, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या-07, कुम्हारो का मोहल्ला, रूपपुरा, उदलवास, सीकर 332719, (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन का मालिक (मैक्स पिक अप दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 14 जीई 5777)
9. महेंद्र राम नेहरा पुत्र श्री मेघा राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड .नं.- 09, रूघनाथपुरा, नागौर, सीकर, राजस्थान 341508। (पंजीकृत वाहन मालिक (पिक अप सीबीसी सिंगल कैब), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जीसी 2908)
10. गोपाल राम जाट पुत्र श्री कालू राम जाट, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी मालिक की ढाणी, मौ, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332715 (पंजीकृत वाहन मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे. 18 यूबी 2563)
11. प्रहलाद राम यादव पुत्र श्री गणपत राम यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ढाणी बन्यावली कृष्ण नगर, महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332603. (पंजीकृत वाहन मालिक (पिक अप सीबीसी सिंगल कैब), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जीबी 6161)
12. राकेश शर्मा पुत्र श्री राम नारायण, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी किशोरपुरा @ कांकरोदा, जयपुर, राजस्थान 302012. (वाहन (पिक अप 2 व्हील ड्राइव) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे 41 जी.ए 4446)
13. राणा राम पुत्र माम चंद, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 101, खानपुर, मेवान, मुंडावर, अलवर, टीएमपी- कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान 301404 वाहन का पंजीकृत मालिक (मैक्स पिकअप सी.बी.सी 2 व्हील ड्राइव), रजिस्टर्ड नंबर- आर.जे 32 जी.ए 4963)
14. दीन दयाल गु आर.जे एआर पुत्र श्री सु आर.जे ए राम गु आर.जे एआर, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी देवीपुरा, हाथीदेह, तह- श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332707. (पंजीकृत

- वाहन मालिक (एमएच पिक अप सी.बी.सी. एम.डी.आई.), पंजीकरण संख्या- आर.जे. 32 जीए 4725)
15. संतू सिंह पुत्र श्री राम चंद्र, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी न्यू कॉलोनी, ढाणी कुंडली, जुगलपुरा, तह- नीम का थाना, सीकर, राजस्थान 332407. (पंजीकृत वाहन मालिक (पंजीकृत) ऊपर), पंजीकरण संख्या- आर.जे. 05 जीए 3092)
16. प्रकाश चंद पुत्र श्री घीसा राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर- 11, ढाणी भांडा वाली, आशपुरा, तह श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332701। (वाहन का पंजीकृत मालिक (माह सावरी एमडीआई टीसी 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यूए 9434)
17. गजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री मनोहर सिंह शेखावत, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी सेवड़ा शाहपुरा, सीकर, राजस्थान 332028। (पंजीकृत वाहन मालिक (सी.बी.सी सिंगल कैब चूनें), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जीसी 5793)
18. धर्मेन्द्र धायल पुत्र श्री भागीरथ मल धायल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी सांवलोदा धायलान, सीकर, राजस्थान 332315. (पंजीकृत वाहन मालिक (पिक सीबीसी सिंगल कैब), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जीए 0058)
19. सांवर मल गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या- 03, खंडेलसर, सीकर, राजस्थान 332403. (पंजीकृत वाहन (पिक अप), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जीसी 3192)
20. सत्य नारायण शर्मा पुत्र श्री हरि मोहन, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी वार्ड एन-14 रींगुश, तह- श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332404 (पंजीकृत वाहन मालिक (टाटा एसेट), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 जीसी 2919)

21. अमरेश कुमार मालिक पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी जुनसियान इटावा, जयपुर, राजस्थान 303602। (वाहन का पंजीकृत मालिक (बायोलेरो एमडीआई 2 व्हील ड्राइव 8 सीटर), पंजीकरण संख्या- आर.जे 32 यूए 0582)
22. रामेश्वर लाल जाट पुत्र श्री मोती राम जाट, उम्र टंकारलडा, तेह चोमू, जयपुर, राजस्थान 303702। (पंजीकृत वाहन (महिंद्रा मैक्स), पंजीकरण संख्या आर.जे. 13 यूए 0882)
23. नानू राम पुत्र श्री रामेहवार, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी गंगासागर, जालिम सिंह का बास, तहसील-छोमू, जयपुर, राजस्थान 303801. (वाहन का पंजीकृत मालिक (मैक्स 2 व्हील ड्राइव 5 डोर्स), पंजीकरण संख्या- आर.जे 14 यूसी 5186)
24. शाहरुख खान पुत्र श्री उइमर फारूक, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी निज़ाम खगन घोड़ी वाले के पास, भगासर, तहसील-फतेहपुर, सीकर, राजस्थान 332303 (पंजीकृत वाहन मालिक (सावरी डी 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 टी.ए 4143)
25. महेंद्र कुमार पुत्र श्री झाबर मल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी जाट बालाजी का रास्ता, मऊ, तह- श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332715. (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा सावरी डी.आई.), पंजीकरण संख्या- आर.जे. 32 यू.ए. 0080)
26. गोविंद सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नं.-08, गैस एजेंसी के पास, पोंख, झुंझुनू राजस्थान 333053. (वाहन (पिकअप सी.बी.सी 2 व्हील ड्राइव) का पंजीकृत मालिक, पंजीकृत संख्या- आर.जे 14 जी.बी 6166)
27. प्रेम पुत्र श्री मुकेश कुमार गजराज, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ढाणी सु आर.जे. ए वाली, खंडेला, निमेरा, सीकर, राजस्थान 332722. (पंजीकृत वाहन मालिक (इनोवा 2 5 एलजी जी4), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 यू.बी 9610)

28. मुकेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी चारणवा, लाखानी, सीकर, राजस्थान 332404. (वाहन (महा सवारी एम.डी.आई टी.सी 2 व्हील ड्राइव) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे 04 यू.ए 4076)
29. सुरेश कुमार गु आर.जे, पुत्र श्री बहादुर मल गू आर.जे., उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी गुवार, गणेश्वर, तहसील- नीम का थाना, सीकर, राजस्थान 332713. (पंजीकृत वाहन मालिक (सी.बी.सी सिंगल कैब चुनें), पंजीकरण संख्या- आर.जे 02 जी 9987)
30. गीता देवी मीणा पत्नी श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी बोसाना वाया लोसल, सीकर, राजस्थान 332025. (वाहन (- पिकअप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू 0451)
31. सुभिता देवी पत्नी श्री सुरेश चंद, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी बीदासर, तहसील - लक्ष्मणगढ़ सीकर, राजस्थान 332316 (वाहन (सवारी 2 व्हील ड्राइव टी.डी.आई.) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 यू.बी 7190)
32. मांगी लाल पुत्र श्री राम सुख, उम्र लगभग 82 वर्ष, निवासी ढाणी बालियों आलोदा, तहसील- दांतरामगढ़, राजस्थान 302602। (पंजीकृत वाहन मालिक (बायोलेरो डी.आई 2 व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या- आर.जे 23 यू.बी 0274)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय, शाहपुरा, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय, रींगस, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।

-----उत्तरदाता

(51) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3782/2024

1. इमरान खान पुत्र सलीम खान, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मुकेरी मोहल्ला झालरापाटन जिला। झालावाड़ (राजस्थान)
2. अनीस अंसारी पुत्र अमीन अंसारी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सूरजपोलगेट जिला झालरापाटन। झालावाड़ (राजस्थान)
3. भगवान सिंह पुत्र गोपाल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी टोलखेड़ा तह, झालरापाटन जिला। झालावाड़, (राजस्थान)
4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वाटर वर्क्स के पीछे श्रीराम कॉलोनी भवानीमंडी जिला। झालवार (राजस्थान)
5. श्रीमती. फरीदा बानो पत्नी सिराजुद्दीन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 16 न्यू ब्लॉक स्कूल के पीछे झालावाड़, जिला। झालावाड़ (राजस्थान)
6. गोकुल सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम। दूधल्या, तह. गंगधार जिला. झालावाड़ (राजस्थान)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ अधिकारी कोटा (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(52) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4758/2024

1. रामदेव सिंह पुत्र श्यामा राम, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी धनीराम सागर, मंडा मांडनी, थदंतरामगढ़, सीकर। (पंजीकृत वाहन मालिक (माह सावरी एम.डी.आई. टी.सी. दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 11 टी.ए 0016)।
2. बिहारी लाल शामा पुत्र भगवान सहाय, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मानगढ़, श्रीमाधोपुर (14 08 2 006) सीकर, राजस्थान-999999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 06 सी 4637)।
3. ओम प्रकाश पुत्र मदन लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 मालियों की ढाणी, पालवास, सीकर, राजस्थान 332042। (वाहन (इनोवा 2 5जी) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.ए 1560)।
4. कुलदीप मील पुत्र राजेंद्र कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी कटराथल सीकर, राजस्थान-332024। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 5807)।

5. सूरज सिंह पुत्र गणेश राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ढाणी डेरावाली जिला सीकर, राजस्थान-999999। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 1842)।
6. गुलाम हुसैन पुत्र सादिक सांखला, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 लक्ष्मणगढ़ सीकर, राजस्थान-999999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (इनोवा 2 5 एलजी 54), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 2039)।
7. मुरारी लाल सैनी पुत्र शंकर लाल सैनी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी अमरसर शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान-303601। (वाहन का पंजीकृत मालिक (कमांडर 655 डी1दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 1720)।
8. छोटमल पुत्र बंशी धर, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमू, जयपुर। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा सावरी डी टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 7270)।
9. धर्मपाल गू आर.जे पुत्र श्री छितर मल गू आर.जे., उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 किशनपुरा, सांवलपुरा पंवरान, सीकर, राजस्थान-332705। (वाहन (बोलेरो) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 01 यू.ए 0292)।
10. बलबीर वर्मा पुत्र देबू राम वर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी श्यामपुरा पूर्व, तहसील धनतारामगढ़, सीकर, राजस्थान-999999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (सी.डी.आर. 650 एम.डी. दोपहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 सी 3634)।
11. मुकेश कुमार पुत्र सोगा राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 15, ढाणी खोखरन, हरिपुरा, तहसील खंडेला सीकर, श्री महदोपुर, राजस्थान-332707। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 6233)।

12. महेश चंद सैनी पुत्र भगवान सहाय सैनी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी मालियों की ढाणी, शिम्भूपुरा, महार कलां, जयपुर, राजस्थान-303806। (वाहन का पंजीकृत मालिक (इनोवा2 5 एलजी जी4), पंजीकरण संख्या आर.जे 36 यू.ए 0123)।
13. अनिल लील पुत्र सांवर कुमार लील, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04 ढाणी लीला की, थोई, सीकर, श्री माधोपुर, राजस्थान 332719। (वाहन (पिक अप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जीबी 6491)।
14. राम चन्द्र पुत्र माली राम जाट, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी मऊ, तहसील श्री माधोपुर, सीकर राजस्थान-332712। (वाहन (बोलेरो) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू 0268)।
15. मुकेश कुमार यादव पुत्र चंदा राम यादव, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी कृष्ण नगर, ढाणी नवासु महारोल, तहसील श्री माधोपुर सीकर, राजस्थान-332603। (वाहन (महिंद्रा जीप) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.ए 0368)।
16. मुकेश कुमार पुत्र श्री राम, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3, हंसासर, झुंझुनू, राजस्थान-333001। (वाहन का पंजीकृत मालिक (बोलेरो डी टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 1132)।
17. शमशाद पत्नी मुस्ताक, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4 मोहल्ला इस्लामपुरा लक्ष्मणगढ़, लछमनगढ़, सीकर, राजस्थान-332001। (वाहन का पंजीकृत मालिक (फोर्स मोटर्स लिमिटेड, ए फ्रियोडी), रजि. सं. आर.जे 23 टी.ए 4215)
18. पूरा राम पुत्र हूंगा राम, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी रघुनाथपुरा वाया खूर, सीकर सिक्स आर (29 09 2005) सीकर राजस्थान-332023. (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा जीप), रजि. सं. आर.जे 02 सी 2195).

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार के माध्यम से, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, शकर मार्ग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीटीओ अधिकारी, सीकर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय शाहपुरा, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय, रींगस, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।

---उत्तरदाता

(53) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5024/2024

1. पब्लिक कैरियर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन कोटा, लोकेन्द्र सिंह राजावत, महासचिव, आयु लगभग 42 वर्ष, महाराव भीम सिंह मार्ग, कोटा, राजस्थान के माध्यम से।
2. बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन जयपुर, सत्य नारायण साहू, अध्यक्ष, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी 1/9, टीचर्स कॉलोनी, कोटा, राजस्थान के माध्यम से।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

2. राजस्थान राज्य, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302001 के माध्यम से
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(54) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5206/2024

1. घनश्याम प्रजापत पुत्र बाल चंद प्रजापत, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी-पंचायत भवन के सामने, सालासर, उजानगढ़, चूरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 44 जीए 2843 का मालिक।
2. सांवर मल पुत्र पीथा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गोगामेड़ी के पास, सालासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या का मालिक। वाहन संख्या आर.जे 23 जीबी 6142.
3. नबाब अली पुत्र भंवरू खान, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी रोलसाहबसर, तह.-फतेहपुर, सीकर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 23 जीसी 1591 का मालिक।
4. परमा राम पुत्र हरजी राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 03, परसनेउ, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 23 यू.ए 1152 का मालिक।
5. बजरंग सिंह पुत्र हीर सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, कानापुरा, बास हंसासर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जीए 4753 का मालिक।
6. समदर सिंह पुत्र जेठू सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, आर/ओ-विलेज। चरकड़ा, तह.-नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 07 सी 1922 का मालिक।

7. बनवारी लाल सैनी पुत्र रिद्धकरण, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी-भोजरासर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीए 1833 का मालिक।
8. किशन लाल पुत्र श्री मुख राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी भोजरासर, सरदारशहर, चूरू, वाहन संख्या आर.जे 06 यू.ए 1347 का मालिक।
9. मोहन लाल पुत्र राम लाल, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी-वीपीओ काकड़ा, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 जीए 3236 का मालिक।
10. बजरंग पुत्र मेघा राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी-तालाब की ढाणी, मंगलूणा, सीकर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 23 जीबी 5234 का मालिक।
11. जयपाल सिंह पुत्र गजू सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बामनिया, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 जीए 3239 का मालिक।
12. इमरान पुत्र फकीर मोहम्मद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी शोभासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 44 जीए 3147 का मालिक।
13. बनवारी पुत्र ईश्वर राम धानक, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- मालासी, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 44 जीए 2645 का मालिक।
14. जय नारायण पुत्र किस्तूरा राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 08, लालमदेसर, बारा, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जीए 1122 का मालिक।
15. नरसीदास शर्मा पुत्र बजरंग लाल शर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 06, काकरा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 टीए 0240 का मालिक।
16. श्रवण कुमार पुत्र स्व. बनवारी लाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी- मोलीसर बड़ा, तह.- चूरू, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 3281 के मालिक।

17. रणजीत सिंह पुत्र राम सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 39, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 पा 1509 के मालिक।
18. उम्मेद सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- हरदेसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 6315 के मालिक।
19. मोहन राम पुत्र श्री आर.जे.ए. राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी चंपासर, पी.एस. बाप, फलोदी, जोधपुर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 जीए 4172 का मालिक
20. रंग लाल पुत्र स्व. दीपा, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मालासी, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 3629 की मालिक।
21. राजेंद्र बिश्नोई पुत्र बनवारी लाल बिश्नोई, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी- 43, वार्ड संख्या 01, विष्णु दल मिल के पीछे, नोखा, बांसवार, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 43 की मालिक। जीए 5289.
22. मंशा राम पुत्र मनी राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी चंदेरी बड़ी, तह.-रावतसर, जिला- हनुमानगढ़, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 जीए 9392 का मालिक।
23. मो. साबिर पुत्र सादिक तंवर, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी डाबड़ी धीर सिंह, झुंझुनू, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 20 यू.ए 1643 का मालिक।
24. बल राम पुत्र रामेश्वर, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी देसलसर, मंडलावतान, भाटियान, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 50 गा का मालिक। 1399.
25. शंकर लाल पुत्र सुगना राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी गजरूपदेसर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 जीबी 0004 का मालिक।
26. सुभाष पुत्र मांगीलाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी-ग्राम कुचोर, आथूनी, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे.50 जी.ए. 4743. का मालिक।

27. नदीम पुत्र सादिक व्यापारी, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 12, बीदासर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 3106 का मालिक।
28. अजीत सिंह पुत्र फूल सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी अनोखू, तह.-धोद, सीकर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 01 यू.ए 1375 का मालिक।
29. गजानंद मेघवाल पुत्र रिछपाल मेघवाल, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी-तोलियासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. का मालिक। 44 जीए 2884.
30. चन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी-जालोदा, फलोदी, जोधपुर (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.बी 1795 का मालिक।
31. उदाराम जाट पुत्र चुनाराम जाट, उम्र करीब 48 साल, निवासी मकान संख्या 6, खोखराना, लूणकरनसर, बीकानेर (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 30 यू0197 का मालिक
32. प्रहलाद पुत्र मांगी लाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी-176, हुड्डो का बास, कुचोर, आथुणी, नोखा, बीकानेर (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 1608 का मालिक।
33. संदीप पुत्र ओमप्रकाश, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी राजास, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 1624 का मालिक
34. जगदीश कुठार पुत्र केशरा राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी- मलाकसर, तह.- सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन मालिक - आर.जे 18 यू.बी 0942
35. मनीराम पुत्र केशराराम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी बीकमसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 5069 का मालिक।
36. बीरबल राम पुत्र हिम्मता राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09, बैनीसर, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 6625 के मालिक।

37. कानाराम शर्मा पुत्र भगवाना राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- वार्ड संख्या 3, राजासर, करणीसर, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 2984.
38. राजेंद्र सिंह पुत्र बने सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.0, शेरपुरा, तह. लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे.31 जी.ए 1405 का मालिक।
39. लतीफ खान पुत्र मौकामल खान, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी-148, डेयरी बुथ के पास, बाराजू, तह.-पूगल, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 जी 9692 का मालिक।
40. भंवर लाल पुत्र अर्जुन राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी जे.एम. 03, हुसंगसर, गेरसर बीच का बास क्यू के पास बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 सी 1893 का मालिक

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर।
5. ला परिवहन अधिकारी, चूरू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला। चूरू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।

9. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
10. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर

----उत्तरदाता

(55) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5530/2024

1. धर्मवीर पुत्र सुल्तान सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी कटराथल, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 11 यू 0113 का मालिक।
2. सुल्तान सिंह पुत्र पोखर मल, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी कटराथल, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 1902 का मालिक।
3. संजय कुमार सैनी पुत्र बाबू लाल सैनी, उम्र करीब 28 साल, निवासी सांखू तह लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 यू.ए. 1302 का मालिक।
4. पापू सिंह पुत्र किशोर सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी दशहपुरा, तह श्री माधोपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 7679 का मालिक।
5. मुकेश कुमार पुत्र कालू राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 05, भवानीपुरा चोमू, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 41 टी.ए 0500 के मालिक।
6. मेसर्स श्री कल्याण आरोग्य सदन स्कूल, इसके सचिव के माध्यम से कनाता प्रसाद मोर पुत्र सांवर मल मोर, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी बजाज ग्राम सांवली सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 पी.बी 3461 के मालिक।
7. मुकंदा राम पुत्र टीकू राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 05, सिहोट छोटी, जिला सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 जी.बी 2026 के मालिक।

8. किशन सिंह पुत्र रामेश्वर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी नेतरवास सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.ए 1665 का मालिक।
9. सुनीता काला पत्नी जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, रामगढ़ तह दांता रामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 29 यू.ए. 2062 का मालिक।
10. विजेंद्र सिंह फगेरिया पुत्र बलबीर सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी सामोतन का बास श्रीमाधोपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 2502 का मालिक।
11. महेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी शाहपुरा, तह श्री माधोपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 03 टी.ए 0058 का मालिक।
12. हेमा राम पुत्र चिमना राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी दान जी ढाणी तह मकराना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 0769 का मालिक।
13. ओम प्रकाश पुत्र रेखा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्यामपुरा, वाया फागलविया, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 3503 का मालिक।
14. सुमित्रा देवी पत्नी लक्ष्मण राम, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी गांगियासर तह फतेहपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 0360 का मालिक।
15. जगमोहन पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कुल्हारियो का बीबासर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 9033 का मालिक।
16. सादिक खान पुत्र महबूब अली खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 क्यामसर धनूरी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 7613 का मालिक।

17. बनवारी लाल पुत्र नाराणा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सीतसर सुजानगढ़, चूरू।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 5817 का मालिक।
18. फूल मोहम्मद खान पुत्र जीतू खान, उम्र करीब 45 साल, निवासी सुदरासन तह डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 42 जी.ए 1709 का मालिक।
19. हरफूल राम पुत्र गोपाल राम, उम्र करीब 40 साल, निवासी बेमोथ डीडवाना, नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 09 यू.ए. 5488 का मालिक।
20. रामचन्द्र पुत्र हिम्मता राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मोहब्बतसरी गौरीवाड़ा, खुर्द झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 141 सी 8389 का मालिक।
21. श्योजी सिंह शेखावत पुत्र किस्तूर सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी राजपूतो की ढाणी गोविंदपुरा, तह खंडेला, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 5939 का मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।

7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(56) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5574/2024

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री नेमी चंद, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी पोस्ट बैरास, तहसील लक्ष्मणगढ़, बैरास, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 टी.ए 0519 का पंजीकृत मालिक)
2. रोहिताश सैनी पुत्र श्री धन्ना राम सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 05, नया मोहल्ला, झाड़ली, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-21 सी 6891 का पंजीकृत मालिक)
3. अमित कुमार पुत्र श्री परसा राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी केरपुरा, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-52 यू.ए. 0420 का पंजीकृत मालिक)
4. गोपाल राम गुर्जर पुत्र श्री गणपत राम गुर्जर, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मंडावरा, बजाजग्राम, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आरजे-18 यू 0183 का पंजीकृत मालिक)
5. सुशील कुमार पुत्र श्री विश्वेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी शिवनगर, कुशलपुरा, पिपराली, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 जीबी 1963 का पंजीकृत मालिक)
6. अलादीन खान पुत्र श्री दाउद खान, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04, तहसील लक्ष्मणगढ़, जाजोद, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.सी. 1327 का पंजीकृत मालिक)

7. जयपाल मीना पुत्र रामनिवास मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी कालूसर सालेदीपुरा, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-18 यू.बी 1338 के पंजीकृत मालिक)
8. महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री चंद्रदत्त शर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 06, कोलीरा, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-23 जी.सी 2783 के पंजीकृत मालिक)
9. मुरारी लाल पुत्र श्री सूरजमल, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 586, शिव मंदिर, वार्ड संख्या 12, कोलीरा, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-23 जी.सी 0053 के पंजीकृत मालिक)
10. हरि सिंह जाट पुत्र श्री ओंकार मल जाट, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मालनगर, माल्यावाली, नीम का थान, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-23 टी.ए 4250 के पंजीकृत मालिक)
11. तारा चंद कुल्हारी पुत्र श्री रामू राम कुल्हारी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 02, माधोपुरा, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-06 यू.ए 0891 के पंजीकृत मालिक)
12. जाकिर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल सत्तार, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 22, मोहल्ला कारीगरान, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-18 सी 1316 के पंजीकृत मालिक)
13. रामानंद यादव पुत्र श्री भीम सिंह यादव, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी पिपराली, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 यू.बी.9133 का पंजीकृत मालिक)

14. भोलू राम कुमावत पुत्र श्री चिमना राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 06, त्रिलोकपुरा रास्ता, रानोली, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-18 जी.बी. 2130 का पंजीकृत मालिक)
15. सरदार महरिया पुत्र श्री नानग राम महरिया, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 05, महरिया वाली ढाणी, शिमरला जागीर, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 पी.ए.9988 का पंजीकृत मालिक)
16. बजरंग सिंह पुत्र श्री मोहन राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम धीरजपुरा, तहसील दांतारामगढ़, रेटा, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.सी. 0934 का पंजीकृत मालिक)
17. प्रताप सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी चाचीवाड छोटा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-14 जी.जे. 8899 का पंजीकृत मालिक)
18. विनोद कुमार पुत्र श्री दुल्ला राम, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी शाहपुरा, पोस्ट शाहपुर सिहोट बड़ी, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.ए. 0469 का पंजीकृत मालिक)
19. गिरधारी लाल पुत्र श्री भागूराम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी तिवाडी का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, ढाणी गुमानसिंह, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 जी.ए 2116 का पंजीकृत मालिक)
20. सोहन लाल पुत्र श्री हनुमान राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 06, खंडेलसर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए 0376 का पंजीकृत मालिक)

21. श्योजी सिंह शेखावत पुत्र श्री किस्तुर सिंह, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी राजपूतों की ढाणी, बढवाली, गोविंदपुरा, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-18 टी 0680 का पंजीकृत मालिक)
22. सुनीता देवी पत्नी श्री पूरन मल जाट, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 04, गोविंदपुरा, नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 2755 का पंजीकृत मालिक)
23. गिरधारी लाल यादव पुत्र श्री घासी राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ढाणी श्यामीवाला, तहसील उदयपुरवाटी, केरोथ, पचलंगी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 जीसी 0671 का पंजीकृत मालिक)
24. मदन लाल सैनी पुत्र श्री रमेशर लाल सैनी, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, कुवा बावड़ी, नांगल, जिला झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए 8940 का पंजीकृत मालिक)
25. अमित कुमार पुत्र श्री भगवती प्रसाद, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी बिरोल नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 जी.बी. 8107 का पंजीकृत मालिक)
26. रघुकुल डिफेंस उच्च माध्यमिक, विद्यालय, सचिव के माध्यम से सियान सिंह राहतोरे पुत्र श्री उगम सिंह राहतोरे, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी गनेरी, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-14 पी.सी.9968 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(57) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5585/2024

1. कुरदा राम पुत्र हरीश चंद्र, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कुल्हारियो की ढाणी, सिंगनोर, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 पी.ए-9063 का मालिक।
2. रणधीर सिंह पुत्र बनवारीलाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भरौंदा कलां चिड़ावा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे - 23 टी.ए -3891 का मालिक।
3. मनमोहन मीना पुत्र शंकर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, परसरामपुरा, नवल गढ़, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण मालिक आर.जे.-41 जी.ए.-1290।
4. मुकेश कुमार पुत्र कैलाश चंद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बुगाला नवल गढ़, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -18 पी.बी-1357 का मालिक।
5. रामदेव पूनिया पुत्र देबू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रणवा की ढाणी, चंदेरापुरा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 जी.सी -0015 का मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(58) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5763/2024

1. ज्ञान नाथ पुत्र निम्ब नाथ, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी लिखमनसर, सुजानगढ़, मुंद्रा, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 4720 का पंजीकृत मालिक)।
2. नेमी चंद पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी खोड़ा, सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 5235 का पंजीकृत मालिक)।
3. धन्ना राम पुत्र राजू राम, उम्र लगभग 4 वर्ष, निवासी मकान नंबर 199, गैरसर, उदासर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 8134 का पंजीकृत मालिक)
4. महेंद्र पुत्र सही राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 120, खाट मोहल्ला और मंदिर के पास, खिलेरिया, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 1269 का पंजीकृत मालिक)

5. सीता नाथ पुत्र रुघ नाथ, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी आडसर, रणवासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 2143 का पंजीकृत मालिक)
6. राजेंद्र सिंह पुत्र बने सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, शेरपुरा, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 1405 का पंजीकृत मालिक)
7. चन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी सदोलाई महादेवली, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 4115 का पंजीकृत मालिक)।
8. शेराम राम पुत्र साहब राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी शेरपुरा, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 0371 का पंजीकृत मालिक)।
9. महात्मा गांधी सिख संस, मालिक हरदास राम पुत्र जेठा राम के माध्यम से, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी मुकाम रोड, चिल्ला, नागौर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 19 पी.ए. 2579 का पंजीकृत मालिक)।
10. सज्जन राम पुत्र राम दयाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी कमांदा की ढाणी, मारवाड़, मुंडवा, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 3165 का पंजीकृत मालिक)
11. त्रिलोक चंद पुत्र राम बक्स, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी नायको का बास, भादवासिठ, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 1408 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
6. जिला परिवहन अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरु।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(59) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5928/2024

1. कुमेर सिंह पुत्र श्री. मगन सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी - वार्ड नंबर 12, तहसील-तारा नगर, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 2361 का मालिक।
2. ब्रह्मानंद मेघवाल पुत्र फूसा राम मेघवाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बयाला, सरदारशहर, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए. का मालिक 5655.
3. कृष्ण कुमार पुत्र राम लाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9, खंडवा पट्टा, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 2038 का मालिक।
4. महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान, मालिक विक्रम कुमार पुत्र प्रभु दयाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी जंगीरो का मोहल्ला, रिरखला, सोमासी, के माध्यम से। चूरु (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे. 18 पी.ए. 1521 का मालिक।

5. शिशुपाल सिंह पुत्र स्व. पोकर राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी गोगा मेड़ी के पास, बढकी, चूरू (राजस्थान)। वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 2037 का मालिक।
6. मांगी लाल पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19, स्वामियों का मोहल्ला, कालू, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी 3324 का मालिक।
7. हरि प्रसाद पुत्र राम लाल मेघवाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी बायला, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जीबी 6095 का मालिक।
8. राकेश कुमार नाथ पुत्र भीख नाथ, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ढाणी, सुहाना, रामसीसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 6685 का मालिक।
9. जय प्रकाश पुत्र पाला राम, उम्र लगभग 47 वर्ष साल, निवासी शंखन ताल, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 3957 का मालिक।
10. पवन कुमार पुत्र स्व. जगदीश, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी देपालसर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 2345 का मालिक।
11. शीशराम पुत्र सुगना राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रिबिया, तह- चुरू, चुरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 3071 का मालिक।
12. सुरेंद्र कुमार पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी नेथवा, तह. -फतेहपुरा, सीकर (राजस्थान)। वाहन संख्या आर.जे. 18 जीबी 2005 का मालिक।
13. जयकरण नाई पुत्र हजारी राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 05, सरायं, तारानगर, चूरू (राजस्थान)। वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 6225 का मालिक

14. जय चंद राम पुत्र स्व. नारायण राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी बालरासर, आथूना, तह.- चुरू, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जीबी 5136 का मालिक।
15. मनोज कुमार मीना पुत्र राम जी लाल मीना, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी बास कीर्तन तह- राजगढ़, चुरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 का मालिक जी.बी. 1097.
16. विजेंद्र कुमार पुत्र देबू राम पुनिया, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी ढाणी पूनिया, नेठवा, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 23 जी.सी 3764 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला. चूरू (राजस्थान) .
6. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान) .
7. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)।
9. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. बीकानेर (राजस्थान)।

-----उत्तरदाता

(60) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6120/2024

1. रवीन्द्र पारीक पुत्र छगन दास पारीक, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11 बड़ा गांव बड़ागांव, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 टी.ए 0282 का मालिक।
2. जगदीश बलोदा पुत्र बुजा राम बलोदा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सारी चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 9790 का मालिक।
3. नारायण सिंह पुत्र बिरजू सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बहादुरवास, मंडावा झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 01 सी 8824 के मालिक।
4. मेसर्स श्री कृष्ण मोटर्स ड्राइविंग स्कूल, इसके सचिव सुचित्रा पत्नी स्नशांक के माध्यम से, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मुकुंदगढ़ नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आरजे 18 जीसी 3074 और आर.जे 18 टी.ए 3808 के मालिक।
5. दया नंद पुत्र सुरजा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बदरवास, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 सी 1385 के मालिक।
6. इंदरिश अली पुत्र अलाउद्दीन खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी माली गांव झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 टी.ए. 3955 का मालिक।
7. सुचित्रा पत्नी शशांक, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला, अजीतगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 टी.ए. 3475 का मालिक।
8. रोहिताश्व कुमार सैनी पुत्र रामेश्वर लाल सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, मनोता कलां झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 9471 का मालिक।

9. आशीष पुत्र महेश, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी चनाना, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 6309 का मालिक।
10. किशोर कुमार पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भीमसर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 सी 4403 का मालिक।
11. रोहिताश सैनी पुत्र श्याम लाल सैनी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, कुवा निरां वाला उदयपुरवाटी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.सी. 1542 का मालिक।
12. रमेश कुमार पुत्र रोहिताश, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कुल्हारिया का बास बीबासर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 2626 का मालिक।
13. श्री राम पुत्र भगवाना राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मिलो का बास पबाना नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 4876 का मालिक।
14. मूलचंद पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी पुनिया का बास, लक्ष्मणगढ़ सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 3305 का मालिक।
15. महेश कुमार पुत्र दुर्गा राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी लालपुरा झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 6902 का मालिक।
16. नरेंद्र कुमार पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी चंद्रपुरा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 टी.ए. 0907 का मालिक।
17. जगमोहन पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कुल्हारियो का बास बीबासर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या का मालिक आर. जे 18 जी.बी. 9033.
18. राणावीर पुत्र दवाराकाप्रसाद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी हंसासर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 4354 का मालिक।

19. सुरेंद्र पुत्र दोद राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी लॉयल खेतड़ी, झुंझुनू। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.बी. 5531 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(61) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6123/2024

1. हनुमान सिंह पुत्र गुमान सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मेगसर, तारानगर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 यू.ए.1808 का पंजीकृत मालिक)।
2. राम लाल पुत्र शिवभगवान पारीक, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी रातूसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.49 जी.ए.4803 का पंजीकृत मालिक)।
3. अमी चंद पुत्र कुना राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड .नं.06, बलरासर, आथूना, पीथिसर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 32 यू 0315 का पंजीकृत मालिक)

4. भगवाना राम पुत्र रामूराम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वार्ड .नं.08, बालरासर, आथूना, तहसील चूरु, जिला चूरु (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 2164 का पंजीकृत मालिक)
5. सतार सिक्का पुत्र गुलाब सिक्का, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी राजपुरा, तारानगर, जिला चूरु (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 3743 का पंजीकृत मालिक)
6. जेठा राम पुत्र लालू राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 140, रानीसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 3917 का पंजीकृत मालिक)
7. बजरंग लाल पुत्र किस्तुरा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी बांस रास्ता, पारेवाड़ा रास्ता, सुजानगढ़, जिला चूरु (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 2876 का पंजीकृत मालिक)
8. रमजान पुत्र मोहम्मद मुस्ताक, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मालासी रोड, डब्ल्यू. संख्या 27, सुजानगढ़, जिला चूरु (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 44 टी.ए 0420 का पंजीकृत मालिक)
9. मुन्ना राम नायक पुत्र खेता राम नायक, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी गोपालपुरा, सुजानगढ़, जिला चूरु (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 18 सी 4458 का पंजीकृत मालिक)
10. जसवीर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रोपराइटर पवन कुमार नाई पुत्र भंवर लाल नाई, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी सेक्टर-सतवीर धनखड़, बीदासर रोड, संडवा, बीदासर, चूरु (राजस्थान) के माध्यम से। (पंजीकृत वाहन संख्या आर.जे. 44 पी.ए. 0667 का मालिक)

11. घनश्याम पुत्र फेफाराम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मेघवाल मोहल्ला, खलिया, सुजानगढ़, जिला चुरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 3137 का पंजीकृत मालिक)
12. सुरेश कुमार पुत्र गणपत लाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी खटिको का बास, ईडवा, डीडवाना, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 2393 का पंजीकृत मालिक)
13. राकेश पुत्र खेमा राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी नायको का बास, धामनिया, बग्गड़, नागौर। (वाहन संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 1765 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू, राजस्थान।
5. जिला परिवहन अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू।
6. जिला परिवहन अधिकारी नागौर, जिला नागौर।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(62) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6258/2024

1. लाल चंद पुत्र राम कुँवर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 310 सिरसली रोड वीर तेजाजी के पास, जड़वालों की ढाणी तहसील आमेर जयपुर (राजस्थान) -303701। (वाहन का पंजीकृत मालिक (ट्रक (खुली बॉडी)), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.एन 1188)।
2. प्रेम चंद कुमावत पुत्र मांगी लाल कुमावत, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 511 मारवालों की ढाणी, जोबनेर रोड, आसलपुर, जयपुर (राजस्थान) -302020। (वाहन का पंजीकृत मालिक (बोलेरो डी टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 07 यू.ए 0992)।
3. जगदीश प्रसाद जाट पुत्र रामेश्वर लाल जाट, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 23 के वी के पास शाहपुरा रोड, अजीत गर्थ सीकर, (राजस्थान) -332701। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा मैक्स पिकअप दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 2647)।
4. सुरेंद्र सिंह पुत्र कैलाश चंद्र, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी माधोगढ़, झुंझुनू, लोतरी, (राजस्थान) -333501। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा मोटर कार), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 3392)।
5. श्रवण कुमार पुत्र बलबीर सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, भुकारो का बास सीकर, (राजस्थान)-332315। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 4612)।
6. हरफूल सिंह पुत्र गिधा राम, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी शिशु रांकली किशनपुरा, तहसी दांतारामगढ़ सीकर, (राजस्थान) -999999। (वाहन (कूजर) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 23 टी.ए 4505)।

7. राज कुमार मालिक पुत्र जीतेन्द्र मालिक, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14 छोटा तालाब रोड, मौहल्ला स्वामियों का सीकर, (राजस्थान)-332001। (पंजीकृत वाहन मालिक (ऑटो रिक्शा), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 पी.ए 1744)।
8. सीता राम जाट पुत्र देवा राम जाट, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी 167 गा, अहीरों की ढाणी, जूनास्या, तसील फुलेरा, जयपुर (राजस्थान) -999999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा सावरी डी टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 टी.ई 9625)।
9. हरिनारायण चौधरी पुत्र सांवर मल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 हस्तेडा, तहसील चौमू, जयपुर (राजस्थान)-303712। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा सावरी एम.डी.आई.टी.सी.एन.जी.टी.), पंजीकरण संख्या आर.जे.41 टी.ए. 0807)।
10. महेंद्र कुमार बाजिया पुत्र श्याम लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी खारड़ा वाली ढाणी, लाखनी, सीकर (राजस्थान) - 332404. (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा मह सावरी एम.डी.आई. टी.सी. टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 8310)।
11. रामेश्वर लाल बाजिया पुत्र छोदू राम बाजिया, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी गोपीनाथपुरा, तहसील दांतारामगढ़ सीकर, (राजस्थान)-332710। (पंजीकृत वाहन मालिक (मैक्सि कैब जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 13 यू.ए. 4324)।
12. महेश चंद जाट पुत्र कजोड़मल जाट, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी खाचरियावास, तहसील दांतारामगढ़, सीकर, (राजस्थान)-332710। (वाहन का पंजीकृत मालिक (मैक्स पिकअप दो पहिया ड्राइव), रजिस्टर्ड नंबर आर.जे 14 जी.सी 3049)।
13. मोहन लाल सैनी पुत्र घीसा राम सैनी, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी मालियों की ढाणी, हर्ष वार्ड नंबर 11, सीकर (राजस्थान) - 332021। (वाहन का पंजीकृत मालिक (सीडीआर 650 एमडी दो पहिया ड्राइव जीप), रजिस्टर्ड नंबर आर.जे 10 सी 1295)।

14. गंगा राम पुत्र रूदा राम गुर्जर, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी त्रिलोकपुरा, सीकर (राजस्थान) -332403। (वाहन का पंजीकृत मालिक (पिकअप), रजिस्टर्ड नंबर आर.जे 23 जी.ए 2276)।
15. महेंद्र कुमार पुत्र पूरण मल, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी दुल्हेपुरा सीकर, (राजस्थान)- 332402। (वाहन का पंजीकृत मालिक (इनोवा 2 5.एल.जी.जी.4), पंजीकरण संख्या आर.जे 06 यू.ए 0825)।
16. राम सिंह जाट पुत्र देवी सहाय जाट, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 ढाणी बोपच्या की हाथीदेह, तहसील सीकर माधोपुर, सीकर (राजस्थान) -332707। (पंजीकृत वाहन मालिक (माह सावरी एम.डी.आई. टी.सी. दो पहिया ड्राइव जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे. 52 यू.ए. 0318)।
17. मोहन लाल शर्मा पुत्र बंशी लाल शर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला, कलवार रोड, जोरपुरा, जयपुर, (राजस्थान) -303328। (पंजीकृत वाहन मालिक (बोलेरो डी.आई टू व्हील ड्राइव सिल्वर), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.सी. 5189
18. राम लाल यादव पुत्र सुंदर लाल यादव, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ढाणी थाना वाली, अरनियां तहसील श्री माधोपुर, सीकर, (राजस्थान) -332701। (पंजीकृत वाहन मालिक (बोलेरो एमडीआई टू व्हील ड्राइव 8 एसटीआर), रजि. संख्या आर.जे. 32 यू.ए. 0978)।
19. सुभाष चंद जाखड़ पुत्र हनुमान सहाय, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ढाणी कजाखड़ावाली, भवानीपुरा, चौमू, पुरोहितान, सीकर, (पंजीकृत वाहन (सी.एल. 500 एम.डी.आई. दो पहिया ड्राइव जीप), रजि. संख्या आर.जे. 19 सी 9038).

20. राजेंद्र पुत्र गोपाल सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी घिरनिया बड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, (राजस्थान)-332026। (वाहन का पंजीकृत मालिक (सिंगल कैब एम.डी.आई टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 3620)।
21. कैलाश चंद मालिक पुत्र भूरा दास, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी 102 श्यामपुरा, परमनापुरा, जयपुर, (राजस्थान) - 302002. (वाहन (महिंद्रा पिक अप सीबीसी) का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.एन 1420)।
22. अशोक कुमार मिठारवाल पुत्र प्रभु दयाल मिठारवाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी कोटारी लुहारवास, तहसील खंडेला, सीकर, (राजस्थान) -332709 (पंजीकृत वाहन मालिक) (महिंद्रा मैक्स), रजि. क्रमांक आर.जे 23 यू.बी 6506)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, शकर मार्ग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीटीओ अधिकारी, सीकर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय शाहपुरा, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय, रींगस, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय जयपुर, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

(63) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6406/2024

1. जीता राम पुत्र रामदेव, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा, तहसील श्री मद, होपुर, सीकर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-13 सी-3968 का मालिक
2. सही राम पुत्र केशर राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम दुलपुरा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-32 का मालिक जी-2949.
3. सुरेंद्र कुमार शिला पुत्र बहादर राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खोरी टमकोर, मलसीसर, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण आर.जे-191 सी-1705 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।

----उत्तरदाता

(64) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6428/2024

1. राजाराम पुत्र सुरजाराम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी 16, जाट व बेरागियो का बास, शेखासर, लूणकरनसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.10 जी.ए. 0853 का पंजीकृत मालिक)।
2. दुनीराम पुत्र गंगाराम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी बलाल, मेलूसर, जिला चूरु। (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 0960 का पंजीकृत मालिक)।
3. रामवीर पुत्र सरदारा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी जैतपुरा, लूणकरनसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.ए 2122 का पंजीकृत मालिक)
4. किशन नाथ पुत्र लिखमन नाथ, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 06, चक 264, रोड भादेरन मलकीसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए 2780 का पंजीकृत मालिक)
5. आदर्श बाल निकेतन समिति, प्रोपराइटर बलजीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह के माध्यम से, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गांव बेहर वाला कलां, वार्ड संख्या 06, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 पी.ए 2307 का पंजीकृत मालिक)
6. दीपक पुत्र राधेश्याम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 302, तहसील नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.ए 2200 का पंजीकृत मालिक)
7. चेलू सिंह पुत्र बालू सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी हाडला भाटियान, श्री कोलायत, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 07 यू.ए 3341 का पंजीकृत मालिक)।
8. मनोहर लाल पुत्र मेहर चंद सुथार, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 05, बज्जू खालसा, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए 3988 का पंजीकृत मालिक)।

9. चेतन लाल मेघवाल पुत्र चंपालाल मेघवाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09, गोयलो का मोहल्ला, नापासर, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.बी 3414 का पंजीकृत मालिक)।
10. अली खान पुत्र नाजू खान, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी सरदारपुरा, तहसील छतरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 1353 का पंजीकृत मालिक)
11. छोटा राम पुत्र तोला राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी चारणों का बास, गदाना, बाप फलोदी, जोधपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 4440 का पंजीकृत मालिक)
12. मोहन राम पुत्र गोपाल राम, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी 33, गोदारा बास, कुंजारी, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 4769 का पंजीकृत मालिक)।
13. श्रवण राम पुत्र रेनबटा राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नंबर 59, रेख मेघाना, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.सी 6714 का पंजीकृत मालिक)।
14. नरेंद्र सिंह पुत्र मेघ सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02, लाखसर, तहसील श्री झुंजरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.डी 4075 का पंजीकृत मालिक)।
15. गिराज प्रसाद शर्मा पुत्र गंगा लहरी शर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम मानपुर, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 29 यू.ए. 0538 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
6. जिला परिवहन अधिकारी, फलोदी, जिला फलोदी।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
8. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा, जिला दौसा।

----उत्तरदाता

(65) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6796/2024

1. संत कुमार पुत्र श्री घन श्याम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी छतरपुरा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333041 (वाहन पिकअप सीबीसी सिंगल कैब का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-जी.ए-0869)।
2. श्री राम खरबास पुत्र श्री हनुमान राम, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी वीपीओ पोसाना, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333022 (वाहन महिंद्रा मार्शल का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-13-सी-6932)।

3. संजीव कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, कैरू, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333707 (पंजीकृत वाहन मालिक बोलेरो डी-टू व्हील ड्राइव, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.ए-6998)
4. महेश पुत्र श्री शंकर लाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी कुमावास पूनिया, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333041 (पंजीकृत वाहन मालिक सावरी डी टू व्हील ड्राइव, पंजीकरण संख्या आर.जे-18 पी.ए-5607)
5. बनवारी लाल पुत्र श्री भगता राम, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी भदुंदा कलां, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333023 (पंजीकृत वाहन मालिक जीप, पंजीकरण संख्या आर.जे-25-सी-1048)
6. नरेश पुत्र श्री कुरडा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 10, होद का मंदिर, बामलास, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राजस्थान) -333022 (वाहन मैक्स पिकअप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-जी.बी 9151)।
7. हवा सिंह पुत्र श्री ताराचंद, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 10, ढाणी बावटा की, कीरपुरा खटकर, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) -333012 (वाहन पिकअप सीबीसी सिंगल स्पेस कैब का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-10-जी.ए-1593)।
8. रजनीश कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी केड रोड, कुमावालों का मोहल्ला, छावसरी, टीनवाड़, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333012 (वाहन महिंद्रा पिकअप सीबीसी एमडीआई का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-जी.बी 7226)।

9. विनोद पुत्र श्री दुर्गा राम, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी माली गांव, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333023 (वाहन महिंद्रा पिकअप सीबीसी का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-14-जी.के-9157)।
10. निलय पिलानिया पुत्र श्री बलबीर सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, निवाई, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) -333305 (वाहन एल.पी. 1512 टी.सी. का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे.-18-पी.बी-1239)।
11. बालू राम पुत्र श्री भैरू राम, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी मकान संख्या 392, वार्ड संख्या 151, कालबेलिया बस्ती, खटकड़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) -333012 (वाहन पिकअप सीबीसी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे.-18-जी.बी-2456)।
12. वीरेंद्र कुमार पुत्र श्री पोकरमल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9, भगेरा, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) -333305 (वाहन मार्शल का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.ए 7393)।
13. नंदलाल पुत्र श्री रामलाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी धीरावाली ढाणी, अलीपुर, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)-333023 (पंजीकृत वाहन मालिक बोलेरो एमडीआई, पंजीकरण संख्या आर.जे.-18-यू.ए.-0980)।
14. ओम प्रकाश पुत्र श्री हरि सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, जाटाबास, बागड़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333023 (वाहन सिंगल कैब टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-13-जी.ए-5491)।

15. सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम रामनाथपुरा भोभिया, चिडावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333030 (वाहन पिकअप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 18-जी.बी-1885)।
16. विजय कुमार पुत्र श्री जगन सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 2, गिलों का बास, भोड़की, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333032 (वाहन सावरी दी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-32-यू.ए-0268)।
17. दिनेश कुमार पुत्र श्री सीताराम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 24, छतरी के पीछे, चूना चौक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333042 (वाहन सावरी दी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-10-टी.ए-0121)।
18. शास्त्री बाल निकेतन शिक्षण समिति, अपने अधिकृत व्यक्ति श्री सांवरमल रेपसवाल, पुत्र श्री हरीश चंद्र, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, रेपसवालों की ढाणी, भोड़की, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333032 (वाहन टाटा 709 का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-14-पी.सी-8690) के माध्यम से।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
3. आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, झुंझुनू (राजस्थान)।

-----उत्तरदाता

(66) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6938/2024

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्री डोला राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी अजीतसर, चूरु (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 1811 का पंजीकृत मालिक)
2. तेजपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी चलकोई बीकन, तहसील चूरु, जिला चूरु (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 यू.ए. 0709 का पंजीकृत मालिक)।
3. राम लाल पुत्र नाथू राम, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, गोपालपुरा, सुजानगढ़, चूरु (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 3631 का पंजीकृत मालिक)
4. शुभ दान पुत्र धन दान, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी बोबासर चारण, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 53 जी.ए. 0091 का पंजीकृत मालिक)
5. नूर हसन पुत्र सूबा खान, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 07, 8 एम.एम.के, कीकरवाली, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 सी 6315 का पंजीकृत मालिक)
6. कैलाश चौधरी पुत्र हनुमान चौधरी, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी इंडी पेट्रोल पंप, बंगला नगर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 3079 का पंजीकृत मालिक)
7. राम निवास पुत्र हरसुख राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बापू नगरी, गोठान, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 7258 का पंजीकृत मालिक)।

8. राजू राम पुत्र निम्बा राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी टालानपुर बड़ा बास, तहसील मेड़ता सिटी, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.डी. 9860 का पंजीकृत मालिक)।
9. रामदेव ताड़ा पुत्र भजनाराम ताड़ा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 227, बासनी सेजा मेड़ता, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 0572 का पंजीकृत मालिक)।
10. नियाजा मोहम्मद पुत्र अब्दुल सकूर, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी छीपो का मोहल्ला, आसोप, जोधपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 191 सी 9379 का पंजीकृत मालिक)
11. मंजू बाला पत्नी विनोद कुमार, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 19, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.एन.के 6290 का पंजीकृत मालिक)
12. शेर सिंह पुत्र मेजर सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 04, गंगानगर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 31 जी.ए 6772 का पंजीकृत मालिक)
13. सुखदेव पुत्र धन्ना राम, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 3, वीपीओ हिंडोर, राजासर, गंगानगर । (वाहन संख्या आर.जे 13 यू.ए 0956 का पंजीकृत मालिक)
14. काना राम पुत्र विशन राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी निंबोला, भुंडेल, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 8694 का पंजीकृत मालिक)।
15. महेंद्र पुत्र खिराज राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ठाकुर जी का मंदिर, बोरवा, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 9845 का पंजीकृत मालिक)।
16. जगदीश बिश्नोई पुत्र हनुमान राम बिश्नोई, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी थाला की ढाणी रेन, तहसील मेड़ता सिटी, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 टी.ए 2200 का पंजीकृत मालिक)।

17. चोखा राम पुत्र आलदान, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मकान नंबर 120, स्वरूपसर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 50 जी.ए. 3438 का पंजीकृत मालिक)।
18. मनीष गुजर पुत्र मुन्ना लाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी सदर बाजार, गौड़ी चांचा, तहसील डेगाना, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.सी 5326 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
2. राजस्थान राज्य, अपने सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, नोखा, जिला बीकानेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
10. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।

----उत्तरदाता

(67) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6949/2024

1. ओम प्रकाश प्रजापत पुत्र स्व. चिरंजी लाल प्रजापत, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी-धाधर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 1500 का मालिक।
2. जय लाल पुत्र स्व. चेताराम सारण, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- ढाणी कुल्हारियां, तह.- तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 2013 का मालिक।
3. शंकर लाल पुत्र अमी चंद, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मानपुरा, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 28 यू 0185 का मालिक।
4. राम कुमार पुत्र कुंभा राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी मेहरी राजवियान, तह.- सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 4328 का मालिक।
5. पवन कुमार पुत्र स्व. महावीर प्रसाद, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी चलकोई, बनीरोतान, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे. 18 सी 3031 का मालिक।
6. विनोद सिंह शेखावत पुत्र स्व. बच्चन सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी-रामपुरा, बेरी, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 2612 का मालिक।
7. रजक खान कलाल पुत्र सराजुदीन कलाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी-वार्ड संख्या 13, सात्यूं बस स्टैंड के पास, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 31 जी.ए 9940 का मालिक।
8. पुरखा राम पुत्र रिधाराम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर-01, उडवाला, बीदासर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 0172 का मालिक।

9. पूनम चंद पुत्र गिरधारी लाल, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी-गणेश धोरा, हंडिया बाबा के पास, वार्ड नंबर 31, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 14 जीबी 1014 का मालिक।
10. गणपत राम पुत्र स्व. शीशपाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी गिंदी पट्टा, राजपुरा, तह.- चूरू, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जीबी 1591 का मालिक।
11. बनवारी लाल पारीक पुत्र गोरीशंकर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी-बुकनसर, छोटा, तह.- सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), मालिक। वाहन क्रमांक आर.जे. 10 जी.बी. 5541.
12. भजना राम पुत्र स्व. गाजू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- मेघवालौ का बास, हरदेसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 18 सी 4667 का मालिक।
13. मनोज कुमार भार्गव पुत्र सत्यनारायण भार्गव, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- राणासर, बीकान, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 18 का मालिक। यू.ए. 4143.
14. राज कुमार ढाका पुत्र महावीर प्रसाद ढाका, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी- रसूलपुर, फतेहपुर, सीकर (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे. 23 सी 2871 का मालिक।
15. सतपाल बिश्नोई पुत्र हमीरा राम बिश्नोई, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 11, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), मालिक वाहन संख्या आर.आर.एफ 8580 का।
16. इकबाल पुत्र काशम अली, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 02 सांखू, राजगढ़, चूरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 18 जी.बी 4462 का मालिक।
17. प्रकाश चंद पुत्र तोरू राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी श्योधनपुरा, चूरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 10 जी.ए 2017 का मालिक।
18. मंजू पत्नी कृष्ण कुमार, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 08, धीरवास, बारा, तारानगर, चूरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 14 यू 1677 का मालिक।

19. महेंद्र कुमार पुत्र चंदू राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी ढाणी सुहाना, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान) वाहन आर.जे 31 जी.ए 0661.

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला. चूरू (राजस्थान) .
6. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान) .
7. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)
8. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर (राजस्थान)
9. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(68) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6977/2024

1. रामती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मल्ल सिंह, आयु लगभग 85 वर्ष, निवासी बाईपास रेलवे फाटक तहसील परबतसर जिला अजमेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-01 सी 9554 के मालिक।
2. राजू लाल रेगर पुत्र उगमा राम रेगर, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी आईटी सेंटर के पास प्राणहेरा, तह. और जिला केकड़ी, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-37 जी.ए 0340 के मालिक।
3. दीपक सिंह रावत पुत्र करण सिंह रावत, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 6, रसोसी केरा की बेरी, अजमेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण आर.जे-42 जी.ए-2750 के मालिक।
4. जसवन्त सारस्वत पुत्र दीनदयाल सारस्वत, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी यूआईटी कॉलोनी अजय नगर अजमेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-01 जी.सी-2262 का मालिक।
5. रमेश चंद मीना पुत्र मल्लू राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गुर्जरों की ढाणी, सावंतसर, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-01 जी.ए 4294 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अजमेर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीडवाना, राजस्थान।
6. डी.टी.ओ., किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

(69) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6995/2024

1. महेंद्र सारण पुत्र अदु राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी बेरासर नोखा, बीकानेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.सी 5728 का मालिक।
2. लक्ष्मण राम सारण पुत्र बिखा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वीपीओ बेरासर तह. नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 50 जी.ए 3695 का मालिक।
3. पता राम पुत्र मुकनाराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वीपीओ कुदसू नोखा बीकानेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 1154 का मालिक।
4. नरसी राम पुत्र सोरामलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 03, बज्जू खालसा, बीकानेर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 15 जी.ए 7301 के मालिक।
5. लिच्छामा पत्नी ओम प्रकाश, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07 बख्तावर पुरा, बेरासर नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 5554 के मालिक।

6. मोहन लाल पुत्र राम चंद्र, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी झाड़ली नोखा, बीकानेर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.सी 9855 के मालिक।
7. कैलाश राम पुत्र पदमा राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 244, मुंडसर, बीकानेर
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 0032 का मालिक।
8. गणपति माइंस एंड कॉन. कंपनी, इसके सचिव सुरेन्द्र कुमार तापड़िया पुत्र गोपी किशन
तापड़िया, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गोविंद नगर रोड़ा, तहसील नोखा, बीकानेर
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 50 जी.ए. 3394 का मालिक।
9. परमा राम पुत्र चैना राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी किशनसर, नोखा बीकानेर
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 50 जी.ए 1346 का मालिक।
10. फारुक पुत्र मो अजीज, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी नगीना बाजार वाई नंबर 12
बीदासर चूरू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 44 जी.ए 2235 का मालिक।
11. अमरजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सूरतगढ़, श्री गंगानगर
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 सी 1422 का मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1,
संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर,
राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, श्री गंगानगर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।

----उत्तरदाता

(70) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7058/2024

1. मामराज सिंह मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी तहसील नवलगढ़, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 पी.बी-0900 के मालिक।
2. स्काई लार्क शिक्षण संस्थान, इसके मालिक श्री रामौतार सिंह पुत्र श्री अमर सिंह के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय वार्ड संख्या 9, दादा की ढाणी, झुंझुनू में, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-10 पी.ए-7203 के मालिक।
3. अमर एजुकेशन सोसायटी, इसके मालिक श्री रामौतार पुत्र श्री अमर सिंह के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय वार्ड संख्या 9, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण आर.जे 18 पी.ए-1540 के मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू।

----उत्तरदाता

(71) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7061/2024

1. सीता राम पुत्र पुराराम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 08, राजासर, करणीसर, तहसील लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 5601 का पंजीकृत मालिक)।
2. फुल चंद पुत्र पेमा राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी 395, गाँव बाना, जिला बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 4091 का पंजीकृत मालिक)।
3. सद्दाम पुत्र अयूब खान, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 18, महाजन, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 4960 का पंजीकृत मालिक)
4. तोला राम पुत्र सुगना राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी बास राजपूत बैजासर, तहसील सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी 1047 का पंजीकृत मालिक)
5. हरि राम पुत्र फूसा राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 10, शोभोलाई, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए 5676 का पंजीकृत मालिक)
6. ओम सिंह पुत्र आनंद सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी दाउदसर, तहसील डीडवाना, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 05 यू 0294 का पंजीकृत मालिक)

7. मोती सिंह पुत्र प्रेम सिंह राठौड़, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 7, रतना कॉलोनी, पोलाट्री फॉर्म के पास, मालियों की ढाणी, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 42 टी.ए 0231 का पंजीकृत मालिक)।
8. खींव सिंह पुत्र उगम सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी पलारा, तहसील नावा, नागौर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 19 यू.ए 5675 का पंजीकृत मालिक)।
9. हेमा राम पुत्र दीपा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी दलेलपुरा, नागौर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 18 यू 0525 का पंजीकृत मालिक)।
10. भोपाल पुत्र गणेश, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कुकनवाली, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 19 सी 9703 का पंजीकृत मालिक)
11. मैनुद्दीन कुरेशी पुत्र उस्मान कुरेशी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी मदीना, मस्जिद के पास, कुचामन सिटी, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 4185 का पंजीकृत मालिक)
12. रमेश पुत्र धन्ना राम, निवासी नायकों की ढाणियां, माडपुरा, खींवसर, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 जी.सी 3153 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

4. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
6. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।

----उत्तरदाता

(72) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7162/2024

1. सुवा लाल पुत्र श्री बनवार लाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चिमनजी की ढाणी भारीजा, दांतारामगढ़, सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे. 23 आर.ए. 2396)
2. चुन्नी लाल पुत्र श्री भट्ट राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी रघुनाथपुरा, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 9575)
3. बजरंग लाल पुत्र श्री हीरा लाल, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 19, रामगढ़, दांता रामगढ़ सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे 23 जी.सी 0665)
4. संपत कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी बटरानौ सीकर, राजस्थान (वाहन संख्या आर.जे. 23 जीबी 5496)
5. सोहन लाल पुत्र श्री मनोहर लाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 13, जेरठी सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 8798)
6. श्रवण कुमार पुत्र श्री राम बक्श, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 07, भरनी तहसील श्रीमाधोपुर सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 टी.ए 2766)

7. लक्ष्मण सिंह बाजिया पुत्र श्री जगदीश सिंह बाजिया, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10 विजय नगर, पलसाना, सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे 14 जी.एफ 2904)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।

----उत्तरदाता

(73) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7560/2024

1. रामेश्वर पुत्र मधु लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी इन्द्रपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 26-जी.ए-0766 का पंजीकृत मालिक)
2. शिवजी लाल पुत्र उद्धा लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी देहलोद, तहसील निवाई, जिला टोंक (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 26-जी.ए-0915 का पंजीकृत मालिक)

3. गोपाल लाल पुत्र रंग लाल, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी 55, गुजारो का मोहल्ला, सरोली, तहसील देवली, जिला टोंक (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 26-जी.ए-0666 का पंजीकृत मालिक)
4. मंजूर पुत्र आसमां अली, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी बड़ा तकिया के पास, निवाई दवाखाना, पुरानी टोंक, जिला टोंक (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 14-1.आर-2959 का पंजीकृत मालिक)
5. हनुमान पुत्र नंदलाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी नया गांव, मोहम्मदपुरा, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान) । (वाहन संख्या ए.पी-07-डब्ल्यू-9054 का पंजीकृत मालिक)
6. जावेद पुत्र सईद, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मोहल्ला करोलियान, छावनी, टोंक, जिला टोंक (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 26-यू.ए-3950 का पंजीकृत मालिक)
7. राजेश पुत्र हजारी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मोहना बड़ का रास्ता, वाई नंबर 2, पीपलू, जिला टोंक (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 26-यू.ए-4385 का पंजीकृत मालिक)
8. रामअवतार पुत्र राम लाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी बखशी बाग, चौथमाता मंदिर के पास, बाण गंगा, जिला बूंदी (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 08-सी 0820 का पंजीकृत मालिक)
9. मुन्ना उर्फ यूसुफ पुत्र अब्दुल, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी छतरियों के पास, वाई नंबर 1, उनियारा, जिला टोंक (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 05-जी-3746 का पंजीकृत मालिक)
10. हनीफ पुत्र बाबू, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी अलीगढ़, तहसील उनियारा, जिला टोंक (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 32-जी.ए-4118 का पंजीकृत मालिक)

11. रामकल्याण पुत्र लादू, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कुरेड़ा, तहसील पीपलू, जिला टोंक (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 14-जी.ई-9513 का पंजीकृत मालिक)
12. विनोद कुमार पुत्र नाथू लाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी डांगरथल, तहसील निवाई, जिला टोंक (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 14-जी.ए-8688 का पंजीकृत मालिक)
13. राधेश्याम पुत्र भूरा लाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी अजमेर रोड, लाम्बाहरिसिंह, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 26-जी.ए-5318 का पंजीकृत मालिक)
14. किशन लाल पुत्र गोकुल, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी पटेल जी का मोहल्ला लाम्बा हरिसिंह, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 26-जी.ए-0377 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, टोंक, जिला टोंक।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी, जिला बूंदी।
6. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, जिला जयपुर।

---उत्तरदाता

(74) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7863/2024

1. कृष्ण कुमार पुत्र रिद्ध करण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 18, मंडावा, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 11 यू 0197 का पंजीकृत मालिक)।
2. भगवान सिंह पुत्र संतू सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी सादिक पुत्र शेरा खान, वैदो का बास, फलोदी, जोधपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.43 जी.ए.4641 का पंजीकृत मालिक)।
3. जय सिंह यादव पुत्र जय दयाल यादव, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 58, नागनेधी स्कीम, पवन पुरी, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 सी.ए 2281 का पंजीकृत मालिक)
4. जीतेन्द्र सिंह पुत्र नरपत सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 04, राजलदेसर, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 टी.ए. 0204 का पंजीकृत मालिक)
5. धर्मेन्द्र पुत्र श्री गबलू, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी खज्जू का पुरा वनकी, तहसील हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान। (वाहन नंबर आर.जे. 03 सी 2097 का पंजीकृत मालिक)
6. गोरू राम पुत्र मूला राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर भवन देसर, रतनगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 सी 2579 का पंजीकृत मालिक)
7. अरुण कुमार दारा पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी नगरासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 4279 का पंजीकृत मालिक)।

8. राम कुमार पुत्र बलवंत राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी 26, जे.आर.के. कान्हेवाला, पिलोबांगन, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 यू 0038 का पंजीकृत मालिक)।
9. भैरो सिंह पुत्र सुखराम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ढाणी बिजारणिया, वार्ड नंबर 06, झौदसर, तहसील रावतसर, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 7033 का पंजीकृत मालिक)
10. प्रकाश चंद कुमावत पुत्र जगदीश प्रसाद कुमावत, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 13, गणेश नगर, हीरापुरा, जयपुर। (वाहन संख्या आर.जे. 14 सी.सी. 6695 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, फलोदी, जिला फलोदी।
6. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
7. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
8. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर, जिला जयपुर

9. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।

----उत्तरदाता

(75) डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7864/2024

1. हरि सिंह पुत्र नानू राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गोठरा भूकरान, सीकर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 6043 का मालिक।
2. मांगी लाल पुत्र भीया राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 मुकर्या गांव ग्राम
बांस तहसील सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 21 जी.सी.
7066 का मालिक।
3. मैसर्स हरियाणा दर्शन ग्रिट उद्योग, मालिक खेतपाल पुत्र नंद किशोर उम्र लगभग 45 वर्ष,
निवासी एच.एन. 80, गांव बुधेरी, तह लोहारू भिवानी ए/पी रूपपुरा, तह दांतारामगढ़,
सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 5726 का मालिक।
4. अर्जुन राम पुत्र मोती राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी लादरिया तह डीडवाना, नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 यू.ए. 0185 का मालिक।
5. सुरेंद्र सिंह पुत्र मेघ सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वीपीओ लांबी अहीर तह बुहाना
झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जीबी 7382 का मालिक।
6. बोहरा शिक्षा समिति, इसके सचिव नरवीर सिंह पुत्र देवी सहाय, उम्र लगभग 50 वर्ष,
निवासी बसई खेतड़ी, झुंझुन। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 18 पी.बी
1814 का मालिक।

7. गोमा राम पुत्र होसा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नया लेटा जालोर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 16 जी.ए 6169 का मालिक।
8. शंकर लाल पुत्र सोना राम जी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 37 तानपी सांचोर, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 16 जी.ए 0990 का मालिक।
9. भूपा राम पुत्र छगना राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कोटरा तह रानीवाड़ा, जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 14 यू.बी. 5988 का मालिक।
10. गजू सिंह पुत्र केसर सिंह जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी राजपूतो की ढाणी, केसूरी तह सांचौर, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 46 जी.ए. 3715 का मालिक।
11. खीम सिंह पुत्र धन सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी चोराऊ तह सयाला जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 जी.ए 5346 का मालिक।
12. विक्रम सिंह पुत्र तगसिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी राजपूतो का वास, नया नारनावास, तह जालोर जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 यू.ए. 3408 का मालिक।
13. जोगा राम जी पुत्र उका राम जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 366, रेबारिक का वास, उनाड़ी तह सयाला, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 जी.ए 4446 का मालिक।
14. कमलेश भारती पुत्र भोला भारती, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 1118, आहोर मेन रोड, भवारनी तह जालोर, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 जी.ए 1159 का मालिक।

15. मनोज पुत्र हड़मान राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11 कुभासर नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 6949 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, भीनमाल, जिला जालौर।

----उत्तरदाता

(76) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8664/2024

1. गोविंद राम पुत्र श्री जीवन राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी फतेपुरा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 2462 का मालिक।

2. लकी प्रकाश सुंगट पुत्र प्रकाश सुंगट, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी निम्बी खुर्द तह डीडवाना, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 3168 का मालिक।
3. जगदीश सिंह पुत्र बन्ने सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रूपपुरा तह नवा, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 4405 का मालिक।
4. भारमल बिश्नोई पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी दारा की ढाणी दुगोली जायल, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 5218 का मालिक।
5. रमजान मोहम्मद पुत्र नानू राम जी सिलावट, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 9 वीं पट्टी जावा बास लाडनूं, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 7786 का मालिक।
6. मूल चंद्र पुत्र दानाराम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी धेवो की ढाणी नवलगढ़, झुंझुनूं। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 टी.ए. 3837 का मालिक।
7. पदमा राम पुत्र गोकल राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मेघवालों का बास बाला का गोल झझू, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 5109 का मालिक।
8. श्याम लाल पुत्र कुंदन मल माली, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, परिहारा रतनगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 0354 का मालिक।
9. परमेश्वर लाल पुत्र रुधा राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04 परिहारा रतनगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.44 जी.ए. 0702 का मालिक।

10. श्रीमती। हरकी देवी जोशी पत्नी रामअवतार जोशी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गोसासर फिटेड एसपीडी गवर्नमेंट रतनगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.ए 1880 के मालिक।
11. सत्य नारायण भारद्वाज पुत्र कुन्ना राम, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी 630 पुनाराबास रीरी श्री इंगरगढ़, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 011 सी 0303 के मालिक।
12. काना राम पुत्र पोकर राम, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी 352 सियागों का मोहल्ला, स्वरूप देसर, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 6622 के मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरु।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।

9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।

-----उत्तरदाता

(77) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8741/2024

1. धर्मपाल सिंह पुत्र श्री इंगर सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी दादिया, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 1377 का पंजीकृत मालिक)
2. अमित कुमार चौधरी पुत्र पोखर मल चौधरी, निवासी जाटो का मोहल्ला, वार्ड नंबर 11, बरसिंहपुरा, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 टी.ए. 4013 का पंजीकृत मालिक)
3. अजीज अली पुत्र श्री नासिर शाह, निवासी बालोद भाकरान, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.बी. 5706 का पंजीकृत मालिक)
4. तोफिक पुत्र श्री हनीफ, निवासी मंगलूणा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.बी.9746 का पंजीकृत मालिक)
5. हरि किशन पुत्र श्री भाना राम, निवासी उदनसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-21 सी 3296 का पंजीकृत मालिक)
6. प्रमोद कुमार पुत्र रामनिवास, निवासी खांजी का बास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.बी. 5040 का पंजीकृत मालिक)
7. शंकर लाल जाट पुत्र गोविंद राम जाट, निवासी छल्ला, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 4817 का पंजीकृत मालिक)
8. सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री इंद्राज सिंह, निवासी वार्ड नंबर 13, पानियों की ढाणी, भगेरा, जिला झुंझुनू, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.ए. 3012 का पंजीकृत मालिक)

9. सरदार मल पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी, निवासी छापोली, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-10 यू.ए. 0178 का पंजीकृत मालिक)
10. मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री गीगराज शर्मा, निवासी उदरासर, रायधाना, जिला नागौर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.बी. 2168 का पंजीकृत मालिक)
11. मुकेश कुमार पुत्र श्री नंद किशोर, निवासी तारापुरा, पोस्ट खाखोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-37 जी.ए.4632 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, डीटीओ कार्यालय, नागौर।

----उत्तरदाता

(78) डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9197/2024

1. सही राम पुत्र मोहन राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी इनयारा वार्ड नंबर 01 बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 8955 का मालिक।
2. मोहम्मद फिरोज बोपारी पुत्र मोहम्मद रफीक बोपारी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, नगीना बाजार बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 2753 का मालिक।
3. राजेंद्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी शोभासर सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 2889 का मालिक।
4. ओमप्रकाश जाट पुत्र कुन्दन मल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 38, प्रगति नगर सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 टी.ए. 0020 का मालिक।
5. गजराज सिंह पुत्र हनुमान सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 इंगरास अगूना तह सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 यू.ए. 0563 का मालिक।
6. महेंद्र पूनिया पुत्र महावीर पूनिया, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बीरमसर रतनगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 11 यू.ए 0206 का मालिक।
7. राम चंद्र बिशु पुत्र शंकर लाल बिशु, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी लाछरसर रतनगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 3285 का मालिक।
8. नंदकिशोर सिंह पुत्र मंगेज सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी हडियाल तह तारानगर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 5563 का मालिक।
9. विक्रम सिंह राठौड़ पुत्र गिरधारी सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सदु बड़ी बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.44 जी.ए. 3077 का मालिक।

10. भंवर लाल माली पुत्र बेगराज माली, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी भीमसर सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 यू.ए 1735 का मालिक।
11. भरत सिंह पुत्र जगमाल सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गुगरियाली जायल, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 3603 का मालिक।
12. सुनील लिम्बा पुत्र परता राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कुम्हारो का मौहल्ला, कटार छोटी, बीदासर नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 2092 का मालिक।
13. जगदीश पूनिया पुत्र भेरा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी इन्न्यारा, बीदासर चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 3803 का मालिक।
14. माना राम पुत्र जसु राम जाट, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी कांधलसर सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.बी. 8708 का मालिक।
15. जवाना राम पुत्र खुमा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी आंवलियासर, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.बी 9026 का मालिक।
16. हिरनाथ पुत्र मंगनाथ, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बिदावतों की कोठरी सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 23 जी.ए 1874 का मालिक।
17. खिराज राम पुत्र ईश्वर राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12 धनेरू, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 21 सी 6290 का मालिक।
18. हनुमान राम पुत्र माला राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी अमरसर बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 44 जी.ए 2997 का मालिक।
19. कालू खान पुत्र नाथू खान तेली, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी दरीबा बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 44 जी.ए 3352 का मालिक।

20. माल सिंह पुत्र शंकर सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी इंद्रा कॉलोनी निमोद द डीडवाना नागौर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 37 यू.ए 7895 का मालिक।
21. धन्ना राम पुत्र दुला राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 01 बैरासर, बीदासर चूरु। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 44 जी.ए 2794 का मालिक।
22. रामचंद्र भास्कर पुत्र प्रभु राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 17, गोरधनपुरा, सीकर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 23 सी 5301 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरु।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।

----उत्तरदाता

(79) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9311/2024

1. नंद किशोर पुत्र भोलू राम साई, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खारिया कनीराम सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 2261 का मालिक।
2. मोहम्मद मोहसिन पुत्र इलियास, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बंगाली बाबा के तकिया के पास वार्ड नंबर 15 सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 3630 का मालिक।
3. हेमाराम पुत्र गिधाराम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी गोपालपुरा रोड वार्ड नंबर 05 सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 1949 का मालिक।
4. दुलाराम बावरी पुत्र बन्ना राम बावरी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ढाणी सिवारो की, बीदासर चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 3504 का मालिक।
5. खिया राम मेघवाल पुत्र नोपाराम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी घंटियाल बारी सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 जी.जी. 8087 का मालिक।
6. जय चंद पुत्र दुला राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कोलासर सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 3001 का मालिक।
7. पीत राम पुत्र हरि राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी राजलदेसर रतनगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 3614 का मालिक।
8. श्रवण कुमार पुत्र पूर्ण राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बाघसरा सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 1410 का मालिक।

9. सुनील कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भारत पेट्रोल पंप के पास, सीकर रोड डब्ल्यू नंबर 02 सालासर, सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.44 पी.ए. 0650 का मालिक।
10. मैसर्स इंद्रगिरि शिक्षण समिति, इसके सचिव के माध्यम से मनोज गुलेरिया पुत्र गिरधारी लाल गुलेरिया, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 37 पी.ए 2475 का मालिक।
11. रामस्वरूप पुत्र हरलाल सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी डेलसर कला तह नवलगढ़, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू 0191 का मालिक।
12. सुरेश कुमार पुत्र बीरबल राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नंगली गुजरान उदयपुरवाटी, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.ए 1234 का मालिक।
13. धर्मवीर सिंह ढाका पुत्र दया राम ढाका, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मनोता जाटान खेतड़ी, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 0933 का मालिक।
14. नितेश कुमार पुत्र सुबोध कुमार, वृद्ध के बारे में उम्र 45 वर्ष, निवासी वाई संख्या 01, कुमावास, नवलगढ़, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू 0167 का मालिक।
15. शिशुपाल सिंह पुत्र राम लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मंडासी नवलगढ़, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.ए 0875 का मालिक
16. बजरंग लाल पुत्र श्रवण कुमार, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वाई नंबर 11 बसारी पोसाना तह. उदयपुरवाटी, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.सी 9474 का मालिक।

17. शाहिद अफरीदी पुत्र मनोसूर खतारी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 सी 0477 का मालिक
18. शुभकरण पुत्र बीरबल राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भारिया का बास, महारादासी झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 06 यू 0237 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(80) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9314/2024

1. मेघ राम पुत्र उमा राम सहारण, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी सेठवा, राजगढ़, चूरू (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 0566 का मालिक)

2. सद्धाम खान पुत्र कासम खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बुधवाली, रतनगढ़, चूरु (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 07 टी.ए. का मालिक) 0687)
3. राजेंद्र कुमार मेघवाल पुत्र स्व. मुखराम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी खेजड़ा, किधनदा, सरदारशहर, चूरु (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.ए. 1069 का मालिक)
4. विकास पुत्र महेंद्र सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी थिमाऊ बारी, तह. - राजगढ़, चूरु (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.ए. 1258 का मालिक)
5. कालू राम पुत्र मोजी राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी पट्टी बिल्ला, दलमीर खेड़ा, फेलका, पंजाब, वाहन संख्या आर.जे. 19 टी.ए 1511 का मालिक
6. अमीर खान पुत्र अली मोहम्मद, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी 411, कमला नेहरू नगर, एनबीसी रोड, हसनपुरा, जयपुर (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 23 यू.ए 2331 का मालिक
7. जगदीश नायक पुत्र माना राम नायक, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी राजासर, पनवारान, सरदारशहर, चूरु (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 31 जी.ए 3112 का मालिक)
8. मांगी लाल पुत्र श्री. बुधा राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी अमरसर, सरदारशहर, चूरु (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 4517 का मालिक)
9. पवन बिश्नोई पुत्र सांवर लाल, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10, बनिया, बीकानेर (राजस्थान) वाहन नंबर आर.जे 07 जी.डी 5610 का मालिक
10. अच्छन कंवर पुत्र हरफूल सिंह, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाहरसरा, तह.-सरदारशहर, चूरु (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 5659 का मालिक)

11. राम निवास पुत्र श्री निम्बा राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 18, तालाब से लोद वास का रास्ता, दिदिया काला, तह.-जायल, नागौर (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 21 जी.बी 4099 के मालिक
12. विनोद कुमार पुत्र राम प्रताप, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 04, के.वार्ड एम. बेरियावाली, खाजूवाला, बीकानेर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 9357 का मालिक)
13. भानीराम पुत्र किशनाराम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी बोहरा बास, संडवा, बीदासर, कुरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 2754 का मालिक
14. हड़माना राम पुत्र हेतराम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी पूगल, बीकानेर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 04 जी.ए 2394 का मालिक)
15. जगदीश प्रसाद पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी प्रताप नगर, वार्ड संख्या 03, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 04 जी.ए 1522 का मालिक)

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला। चूरू (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान)

7. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)
8. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)
9. जिला परिवहन अधिकारी, जिला। बीकानेर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(81) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9331/2024

1. शिव लाल पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम भोरकी, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-34 यू.ए- 0064 का मालिक।
2. टैगोर शिक्षा संस्थान, अपने मालिक श्री राम मिठारवाल पुत्र श्री भूरा राम पंजीकृत कार्यालय ग्राम कल्याणपुरा, सीकर के माध्यम से, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-23 पी.बी-3056 का मालिक।
3. राजू लाल यादव पुत्र श्री रामदेव यादव, निवासी हीरापुरा, पोवार हाउस, जयपुर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण आर.जे-14 जी.ए-9613 का मालिक।
4. केशर देव पुत्र श्री नोरंग राम, निवासी ग्राम बकरा, झुंझुनू, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 पी.बी. 1379 का मालिक।
5. कुलदीप पारीक पुत्र श्री जितेंद्र पारीक, निवासी वार्ड नंबर 15, 8 मंड्रेला, झुंझुनू, वाहन संख्या आर.जे-18 जी.ए 2383 का मालिक।
6. राम गोपाल पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी वार्ड नंबर 5 गणपति नगर, झुंझुनू, वाहन नंबर आर.जे-18 जी.ए-0975 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर।

----उत्तरदाता

(82) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9343/2024

1. देवीलाल पुत्र श्री सुंदरम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी हनुतपुरा, अमरसर, जिला जयपुर (वाहन संख्या आर.जे14-यू.सी-9693 का पंजीकृत मालिक)
2. ज्ञानचंद मीना पुत्र सरदार मल मीना, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी ढाणी नरावली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे. का पंजीकृत मालिक) 23-जी.सी-4592)
3. महेंद्र कुमार पुत्र मालीराम बुरानिया, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5, ढाणी ढाबासा की, गढ़ भोपजी, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे. 23-जी.बी 8960 का पंजीकृत मालिक)
4. श्योपाल सिंह पुत्र रूदाराम चौधरी, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी 448, 4-सी, मोती बंधा रोआ, मचावा, जयपुर (वाहन क्रमांक आर.जे 14-यू.ए.-0994 का पंजीकृत मालिक)

5. महिपाल कुमार शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी शिवपुरा, ज्यांकीपुरा, तहसील श्रीमधोपुर, जिला सीकर (वाहन क्रमांक आर.जे 23-जी.बी.-4417 का पंजीकृत मालिक)
6. कैलाश पुत्र गोविंदा, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ढाणी बड़ा पाना, कांसरदा, तहसील श्रीमधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 23-टी.ए-4067 का पंजीकृत मालिक)
7. प्रेमप्रकाश पुत्र गोपाल सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ढाणी कुल्हाड़ी, डोटासरा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 23-जी.ए-1927 का पंजीकृत मालिक)
8. राजेश कुमावत पुत्र हरिराम, उम्र लगभग 36 वर्ष वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट कटराथल, तहसील व जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 18-जी-2002 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, चौमू, डीटीओ कार्यालय, चौमू, जिला जयपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जयपुर, डीटीओ कार्यालय, झालाना, जयपुर।

-----उत्तरदाता

(83) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9383/2024

जय सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी चारावास, खेतड़ी, जिला झुंझुनू
(वाहन संख्या आर.जे. 14-2 जी-7639 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डी.टी.ओ. झुंझुनू.

-----उत्तरदाता

(84) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9453/2024

1. अरुण शर्मा पुत्र श्री सुभाष चंद शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मीणों का मोहल्ला, डाबला, तहसील नीमका थाना, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन क्रमांक आर.जे 32-यू-0263 का मालिक)

2. मूलचंद यादव पुत्र श्री सीताराम यादव, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ढाणी बिलाल वाली लिसरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन क्रमांक का पंजीकृत मालिक) आर.जे. 01-सी 9725)
3. रति राम योगी पुत्र श्री सूरज नाथ, उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी मीणों का मौहल्ला, दांतिल कोटपुतली, जिला जयपुर (पंजीकृत वाहन मालिक संख्या आर.जे. 23-यू.ए.-6853)
4. गिरधारीलाल पुत्र श्री जीवन राम चौधरी, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी हर्ष, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन मालिक) सं. आर.जे 07-यू.ए.-0376)
5. महेंद्र सिंह पुत्र श्री बक्स सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी प्रीतमपुरी, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन संख्या आर.जे 18-यू.ए.-0324 का मालिक)
6. गिरधारीलाल पुत्र श्री राम चन्द्र, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ढाणी जीनवाली, लिसाड़िया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 13-यू.ए 6718 का पंजीकृत मालिक)
7. शंकर लाल मंगावा पुत्र गोविंद राम मंगावा, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ढाणी बाबूवाली, मालाकाली रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे 23-3 एम-6565 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डी.टी.ओ. कार्यालय सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली, डी.टी.ओ. कार्यालय चोमू जिला जयपुर

----उत्तरदाता

(85) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10439/2024

1. सिंघल बिल्डर्स, मालिक गिरीश कुमार सिंघल पुत्र कपूर चंद सिंघल, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी ए 98, रणजीत नगर, भरतपुर, राज. के माध्यम से। वर्तमान में खेड़ी रमाला, दौसा (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 04 जी.ए 2250 का पंजीकृत मालिक)।
2. सुभाष पुत्र मनीराम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5, 19 जर्क, सरकार के पास। गर्ल्स स्कूल, पक्का भादवा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 जी.ए 9992 का पंजीकृत मालिक)।
3. गुरतेज सिंह पुत्र जीत सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, पुरानी खुंजा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 02 सी 3543 का पंजीकृत मालिक)
4. इंगर राम पुत्र हेमा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, मेघानी बास, हरिराम जी मंदिर के पास, तेजरासर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2482 का पंजीकृत मालिक)

5. पूनम चंद नैण पुत्र रामू राम नैण, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी गांव कालू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 4207 का पंजीकृत मालिक)
6. केसरा राम पुत्र किशना राम, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी जाटों का मोहल्ला, नापासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 4830 का पंजीकृत मालिक)
7. मनोज कुमार प्रजापत पुत्र ओम प्रकाश प्रजापत, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी सरोठिया बीदासर, चूरू (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 5092 का पंजीकृत मालिक)।
8. रूपा राम पुत्र आसू राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 10, धनेरू, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 यू.ए 1020 का पंजीकृत मालिक)।
9. हुलास दास पुत्र हरि दास, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 02, बाडेला, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.बी 2687 का पंजीकृत मालिक)।
10. प्रमोद कुमार पुत्र भागी रथ, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 8, 49 एलडब्ल्यू, नरसिंहपुर, पदमपुर, श्री गंगानगर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 13 यू.ए 3699 का पंजीकृत मालिक)।
11. उग्रा राम पुत्र रामदेव, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 8, जालसू नानक डेगाना, नागौर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.ए 0529 का पंजीकृत मालिक)।
12. कैलाश पुत्र बिरमा राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी बीचावा, तहसील डीडवाना, नागौर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 3308 का पंजीकृत मालिक)।

13. अशोक पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 31, पिथोलाव, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 4791 का पंजीकृत मालिक)।
14. किशना राम पुत्र राम देव, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी खारिया कलां, छोलियास, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 7554 का पंजीकृत मालिक)।
15. गंगा राम पुत्र हर लाल बिश्नोई, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी ग्राम मानकासर, तहसील श्री कोलायत, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 यू.ए. 1022 का पंजीकृत मालिक)।
16. राम प्रताप पुत्र हनुमान, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट साबनिया जैतपुरा, लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ई 0062 का पंजीकृत मालिक)।
17. भंवरा राम नायक पुत्र पुनमा राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम अक्खासर, जिला बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 3132 का पंजीकृत मालिक)।
18. अख्तर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी पत्थर मंडी, रानी बाजार, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 6231 का पंजीकृत मालिक)।
19. सुमन कंवर पत्नी पवन सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 15, मोहिलो का बास, सूरतसिंहपुरा, जिला बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 3463 का पंजीकृत मालिक)।
20. प्रकाश बिश्नोई पुत्र रामचंद्र बिश्नोई, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 10, भंभूओ का बास, गोड़, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.बी 5479 का पंजीकृत मालिक)।

21. मनोहर लाल पुत्र दुला राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी अलसर, तहसील रतनगढ़, चूरु (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 5934 का पंजीकृत मालिक)।
22. धर्मेन्द्र कुमार लिम्बा पुत्र सुन्दर लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कटार छोटी, तहसील बीदासर, चूरु (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 19 जी.ए 8634 का पंजीकृत मालिक)।
23. सुभाष कुमार पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी परसनेऊ, रतनगढ़, चूरु (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 10 टी.ए 0337 का पंजीकृत मालिक)।
24. मोहम्मद सलीम पुत्र सुभान खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी रामगढ़िया दरवाजा, वाई संख्या 26, चूरु (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 0786 का पंजीकृत मालिक)।
25. भजन लाल पुत्र हेत राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 15 केएलएस, वाई नंबर 6, सूरतगढ़, श्री गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 जी.बी 4043 का पंजीकृत मालिक)।
26. राजकुमार मेघवाल पुत्र श्रवण कुमार, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी मेलुसर, तहसील सरदारशहर, चूरु (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 3354 का पंजीकृत मालिक)।
27. सरस्वती विद्या मंदिर, मालिक नानग राम पुत्र मंगू, उम्र लगभग 79 वर्ष, निवासी घोंसला, तहसील हिंडौन, करौली (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे. 34 पी.ए. 3910 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, दौसा, जिला दौसा (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना (राजस्थान)।
10. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू (राजस्थान)।
11. जिला परिवहन अधिकारी, गंगानगर, जिला गंगानगर (राजस्थान)।
12. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली (राजस्थान)।
13. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

---उत्तरदाता

(86) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10471/2024

1. जितेंद्र सिंह पुत्र श्री. श्रवण सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी-मिखाला, चांगोई, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 6248 का मालिक।

2. रामलाल पुत्र गुमाना राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 08, सत्यं, तह.- तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 18 का मालिक। यू.ए. 6959.
3. मोहम्मद रफीक पुत्र अनार अली, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी सेकसरिया क्यू के पास, वार्ड नंबर 30, चूरू (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 10 पी.ए 1824 का मालिक।
4. प्रथ्वी सिंह पुत्र कर्णपाल सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, धोधलिया, तह.-चूरू, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 41 यू.ए 2303 के मालिक।
5. सुरेश कुमार (मृतक), स्थानान्तरित खजानी देवी पत्नी स्वर्गीय सुरेश कुमार के माध्यम से, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी खबरपुरा, पोस्ट-लीलावती, सांखू फोर्ट, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 6604 के मालिक।
6. बृज लाल पुत्र श्री। हड़मान प्रसाद, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी भोजूसर, उपाध्यायान, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 0609 का मालिक।
7. रतनाराम पुत्र किशनाराम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी भरपालसर, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 06 यू का मालिक 0314.
8. भरत सिंह पुत्र रतन सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी कोहिना, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे.18 यू.बी. 0376 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला. चूरू (राजस्थान) .
6. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान) .
7. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)
9. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. बीकानेर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(87) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10539/2024

1. लक्ष्मी नारायण व्यास पुत्र भैरु दान, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी भारम सागर के पिचे, बंगला नगर, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 सी 3323 के पंजीकृत मालिक)।
2. रामचंद्र पुत्र नानूराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 02, कुनपालसर, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 1298 के पंजीकृत मालिक)।
3. जगदीश पुत्र काना राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 06, ढाणी पांडुसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 49 जी.ए 1822 का पंजीकृत मालिक)
4. किशन राम पुत्र गणेश राम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 01, बैरासर सांडवा, बीदासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 2958 का पंजीकृत मालिक)

5. मदन लाल पुत्र उदाराम, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 4, जाखासर नया इंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 5202 का पंजीकृत मालिक)
6. लिखमन राम पुत्र ईश्वर राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी रिडी इंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 सी 0062 का पंजीकृत मालिक)
7. हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 02, भोजास, बैनीसर, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 03 यू.ए 0619 का पंजीकृत मालिक)
8. राम रतन पुत्र मंगला राम, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी गाँव बम्बलू, तहसील व जिला बीकानेर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 4643 का पंजीकृत मालिक)
9. अभिषेक शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 21, आडसर बास, इंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 8149 का पंजीकृत मालिक)
10. तारू राम पुत्र जिया राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09, लाखूसर गाँव, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 6966 का पंजीकृत मालिक)।
11. नरपत सिंह पुत्र नत्थू सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी तहसील पुगल, करणीसर, भाटियान, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 7472 का पंजीकृत मालिक)।
12. रेवंत राम पुत्र दुला राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी 66, कल्याणसर नया, इंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 9513 का पंजीकृत मालिक)।

13. प्रहलाद राम पुत्र श्री उदा राम मेघवाल, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम 10-बी.एस.डी., भलूरी, बज्जू, तहसील श्री कोलायत, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 3342 का पंजीकृत मालिक)।
14. राम चन्द्र पुत्र राम धन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 247 चक 12, डोब, मानकसर कोलायत, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 4328 का पंजीकृत मालिक)।
15. हड़माना राम पुत्र लिच्छू राम, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी भंभुवो का बास, गोदू, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 01 यू.ए. 0315 का पंजीकृत मालिक)।
16. नवीन कुमार पुत्र बाबू लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 1297, पंजाब नेशनल बैंक वाली गली, गवोलाई तलाई के पास, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 33 यू.ए 0118 के पंजीकृत मालिक)।
17. लिछमन राम पुत्र कोजू राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी 16 एमएल, ओटीटी 6000, श्रीगंगानगर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 13 पी.ए 1440 के पंजीकृत मालिक)।
18. दया राम पुत्र श्री लादू राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी कैलाश, तहसील तारानगर, जिला चुरू (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 10 जी.ए 0746 के पंजीकृत मालिक)।
19. एम बी एम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मालिक संतोष कुमार शर्मा पुत्र नारायण मल शर्मा, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी भांभोरी कलवार रोड, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे 14 पी.ई 8455 के पंजीकृत मालिक)।
20. सुभाष योगी पुत्र आत्माराम योगी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गांव भाबरू, तहसील विराटनगर, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे 52 जी.ए 6390 के पंजीकृत मालिक)।

21. मेसर्स श्री ओम मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड, मालिक अनोप्रांम पुत्र ताजराम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी जे/53, 11 फेज अग्रे ब्लॉक, करणी औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 4665 के पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)।
9. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(88) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10705/2024

1. सोहन लाल पुत्र दयानंद, निवासी संजयनगर, भोजासर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 18 सी 0750 का पंजीकृत मालिक)।

2. इमरान खान पुत्र दाउद खान, निवासी वार्ड नंबर 3, मुकंदगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)
(वाहन नंबर आर.जे 34 यू.ए 0313 का पंजीकृत मालिक)।
3. बृजमोहन पुत्र मोगाराम, निवासी वीपीओ। दुर्जनपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू
(राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 0995 का पंजीकृत मालिक)।
4. महेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण, निवासी सरकारी हॉस्पिटल के पास, मंडेला, जिला झुंझुनू
(राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 2918 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,
परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार
मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(89) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10770/2024

1. गोपाल सिंह शेखावत पुत्र समुंदर सिंह शेखावत, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर
08, भादवारी सीकर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 यू.बी. 6523
का पंजीकृत मालिक)

2. गोकुल चंद पुत्र रामेश्वर लाल यादव, निवासी-मीना मोहल्ला, कोटडी, श्री माधोपुर, जिला सीकर, (राजस्थान)। सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.सी. 4927 का पंजीकृत मालिक)
3. खान मोहम्मद पुत्र मनवर खान, निवासी- वार्ड नं. 03, जाजोद, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, (राजस्थान)। (पंजीकृत वाहन संख्या Rj-23 Gc 4927 का स्वामी)
4. रवीन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह, निवासी- सांगलिया, तहसील दांतरामगढ़, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.बी. 9050 का पंजीकृत मालिक)
5. सुरेश कुमार काजला पुत्र काना राम काजला, निवासी- ढाणी काजलान, कल्याणपुरा थोई, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 7533 का पंजीकृत मालिक)
6. राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल, निवासी- कटराथल, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या. आर.जे.-23 जी.सी 4085 का पंजीकृत मालिक)
7. सांवर मल ढाका पुत्र जीवन राम ढाका, निवासी- घिरनिया बारा, नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.बी. 0229 का पंजीकृत मालिक)
8. सांवर मल पुत्र श्री केशर देव, निवासी- रामपुरा तहसील और जिला सीकर, (राजस्थान)। वाहन संख्या. आर.जे.-23 यू.ए. 1203 का पंजीकृत मालिक)
9. सुशील कुमार पुत्र राम सिंह, निवासी- शिवराणा का बास, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, (राजस्थान)। वाहन क्रमांक आर.जे.-01 सी 6894 का पंजीकृत मालिक)

10. मदन लाल खीचड़ पुत्र गणपत राम खीचड़, निवासी-खेड़ी इकिया भूमा बारा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक. आर.जे.-23 जी.बी. 6495 का पंजीकृत मालिक)
11. सुनील कुमार पुत्र श्री नोरंग लाल, निवासी- सार्वजनिक चौक के पास, पुनिया का बास, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23 जीबी 9213 का पंजीकृत मालिक)
12. मोहम्मद इमरान पुत्र बसीर अहमद, निवासी- वार्ड नंबर 10, मोहल्ला व्यापारी उस्मान गनी की होटल, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन नंबर आर.जे-21 सी 4771 का पंजीकृत मालिक)
13. सुभाष मावलिया पुत्र सुवालाल, निवासी- माजीपुरा, नेतरवास, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23 जी.सी. 2838 का पंजीकृत मालिक)
14. सोहन लाल पुत्र भूरा राम, निवासी- गोगा जी मंदिर के पास, नारी बारी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.14 6 सी 7400 का पंजीकृत मालिक)
15. न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल, सचिव राम चंद्र पुत्र भगवाना राम, निवासी- मंगलूणा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे-05 पी.ए 0312 का पंजीकृत मालिक)
16. सरस्वती बाल विद्या निकेतन सचिव, सचिव राम चन्द्र पुत्र भगवाना राम, निवासी- विद्यालय तिरोकी बड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे-23 पी.ए 9691 का पंजीकृत मालिक)

17. करण सिंह पुत्र गोविंद राम, निवासी- मकारो तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू (राजस्थान)
(वाहन संख्या. आर.जे.-18 यू.ए. 5296 का पंजीकृत मालिक)
18. राकेश कुमार पुत्र गोपी राम सैनी, निवासी- वार्ड संख्या 11, रेडिहाला, जहाज, जिला झुंझुनू
(राजस्थान). (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.बी. 8514 का पंजीकृत मालिक)
19. झुंझुनू अकादमी, अपने सचिव दिलीप मोदी पुत्र मथुर प्रसाद, निवासी- ज्ञान कुटीर, मोदी
रोड, जिला झुंझुनू, राजस्थान के माध्यम से। वाहन क्रमांक आर.जे.-18 पी. ए 0510 का
पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,
परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के
माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(90) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10775/2024

1. मुकेश कुमार यादव पुत्र झाबर मल यादव, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, जोगिहाला की ढाणी, छापोली, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 31 यू.ए. 0127 का मालिक।
2. पप्पू राम जांगिड़ पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी बरसिंहपुरा तह दांतारामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 8741 का मालिक।
3. विवेकानन्द सेन सेकेंडरी स्कूल, इसके सचिव गोकुल राम गुर्जर पुत्र माली राम उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी पुलिस स्टेशन के सामने पलसाना खंडेला, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 पी.ए 6168 का मालिक।
4. राजेंद्र सिंह मांडीवाल पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी नाका की ढाणी, रूपगढ़, तह दांतारामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 38 जी.ए. 2435 का मालिक।
5. भागीरथ पुत्र कालू, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी सोला तह लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 सी 2838 का मालिक।
6. नरसी राम पुत्र रघुनाथ राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा रेटा कोछोर तह दांतारामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.ए 2612 का मालिक।
7. अशोक कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बलाईयों का मौहल्ला नाथी का बास सांवत का बास जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 8859 का मालिक।

8. गोकुल सिंह धायल पुत्र पन्ना राम धायल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ढाणी बढा वाली, कोटारी धायलान तह श्री माधोपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 41 यू.ए. 3054 का मालिक।
9. लाल चंद महरिया पुत्र भेभा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19, खाटूश्याम जी तह दांतरामगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 2193 का मालिक।
10. मांगी लाल बाजिया पुत्र नानू राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्योता का बास, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 05 यू.ए 0888 और आर.जे 19 यू.ए 0870 का मालिक।
11. मोहन लाल बागरिया पुत्र मंशा राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी दुगोली, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 14 जी.बी 4098 का मालिक।
12. सांवर मल पुत्र धूना राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मांडूस्या, अजीत गढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.बी. 2264 का मालिक।
13. अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल सतार खत्री, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 34 युसुफ पनवाल के पास मोहल्ला व्यापारीयान सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 0330 का मालिक
14. गिरधारी पुत्र श्री मुन्ना राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भुवाला, सीकर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 8978 के मालिक
15. बनवारी लाल वर्मा पुत्र सुखा राम वर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी सिहोट बड़ी, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 0293 का मालिक।

16. अशोक कुमार सैनी पुत्र बद्री प्रसाद सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कुडाली, सीकर।
(राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 23 जी.बी 6818 के मालिक।
17. राम सिंह पुत्र मधु सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 सिंहासन सीकर।
(राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 18 जी.बी 9506 के मालिक।
18. संजय कुमार पुत्र बुध राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वारिसपुरा, झुंझुनू। (राजस्थान)
वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 18 यू.ए 7612 के मालिक।
19. तुगाना राम पुत्र मघा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मालासर तह. सरदारशहर, चूरू।
(राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 जी.बी 4321 के मालिक।
20. रामबिलास पुत्र सूरजा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मोह. नगला, बनेठी, कोटपुतली,
जयपुर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 32 जी.सी 4955 के मालिक।
21. पवन कुमार शर्मा पुत्र जगन प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वीपीओ गुंता तह.
बानसूर, अलवर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 32 टी.ए 2099 के
मालिक।
22. रविन्द्र शर्मा पुत्र श्याम लाल शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बागरोदा तह. फतेहपुर,
सीकर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 23 जी.सी 3815 के मालिक।
23. कुंभा राम पुत्र बजरंग लाल, उम्र करीब 40 साल, निवासी जीजोत तह नावा, नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.बी. 0079 का मालिक।
24. जब्बर सिंह पुत्र मेघ सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मल्ला बासनी तह डीडवाना,
नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 टी.ए 4503 का मालिक
25. रामस्वरूप पुत्र राजाराम गोदरा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी राजोद तह जायल नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 2379 का मालिक।

26. उस्मान गनी पुत्र नबीब बख्श व्यापारी, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी नेछवा तह लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 4012 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चोमू, जिला जयपुर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।

----उत्तरदाता

(91) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10835/2024

1. राम प्रताप पुत्र हनुमान, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट साबनिया जैतपुरा, लूणकरनसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ई 0062 का पंजीकृत मालिक)।
2. देवीलाल पुत्र भूरा राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, खोडाला, लूणकरनसर, बायनेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 यू.ए. 0962 का पंजीकृत मालिक)।
3. सीता राम पुत्र पूराराम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, राजासर, करणीसर, तहसील लूणकरनसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 5601 का पंजीकृत मालिक)
4. कपिल कुमार शर्मा पुत्र सतीश चंद शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, तहसील हिंडौन, जिला करौली (राजस्थान)। (पंजीकृत वाहन संख्या आर.जे. 05 सी 1968 का मालिक)
5. मोहम्मद इमरान पुत्र नूर मोहम्मद, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी सिलवटों का बास, वार्ड नंबर 17, बीदासर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 सी 4266 का पंजीकृत मालिक)।
6. कालू लाल कुम्हार पुत्र गणेश लाल जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी श्रीमालियों का कादिया, तहसील गिरवा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 27 यू.ए 3712 के पंजीकृत मालिक)
7. प्रकाश चंद्र नाई पुत्र मोहन लाल जी, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी बस स्टैंड के पास, गोगुन्दा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 27 सी 5118 के पंजीकृत मालिक)।

8. हड़माना राम पुत्र केशा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी अलसर, फिटेड स्पीड, सरकारी ईक्यू नंबर 872560, 23 04 2019 से, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 2653 के पंजीकृत मालिक)।
9. नरेश कुमार पुत्र श्याम लाल शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वीपीओ कौथल, संहालपुर, तहसील बानसूर, अलवर, वर्तमान में कोटपुतली, जयपुर। (वाहन संख्या आर.जे. 32 टी.ए. 2103 का पंजीकृत मालिक)।
10. राम किशन पुत्र मंगला राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी गांव बम्बलू, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 2675 का पंजीकृत मालिक)।
11. केशव विद्या पीठ, मालिक मनोज कुमार आसोपा पुत्र रामदयाल आसोपा के माध्यम से, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी केशव विद्या पीठ, नापासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 पी.बी. 1562 का पंजीकृत मालिक)।
12. भंवर लाल पुत्र सुरजा राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी रासीसर बास, पुरोहितान, तहसील नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 50 यू.ए. 0390 का पंजीकृत मालिक)।
13. ओम प्रकाश मोदी पुत्र हनुमान दास, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पीछे, सुभाष पुरा, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 पी.ए 1941 का पंजीकृत मालिक)।
14. दुला राम पुत्र रेवंत राम जाट, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गांव सूरतसिंहपुरा, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 यू.ए 0649 का पंजीकृत मालिक)।

15. कुंभा राम पुत्र भजना राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1, कुआ के पास, तेजरासर, जिला बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 2369 का पंजीकृत मालिक)।
16. रेवंत राम पुत्र हकू राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी 11, बीरमसर, उदरासर, बीकानेर, वर्तमान में खत्री पुरा, नागौर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.बी 1126 का पंजीकृत मालिक)।
17. भंवर दास पुत्र केशर दास, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 5, इनथवाना, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 31 जी.बी 0697 का पंजीकृत मालिक)।
18. मुंशी सिंह पुत्र साधु सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी लालपुरा, सादुलशहर, श्री गंगानगर, (राजस्थान) । (वाहन संख्या आर.जे 13 टी.ए 0808 का पंजीकृत मालिक)।
19. लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल, मालिक राजेश गर्ग पुत्र बलराम गर्ग, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी लाल गढ़ जट्टान, सादुलशहर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 पी.ए 6203 का पंजीकृत मालिक)।
20. मनोहर लाल बिश्नोई पुत्र हजारी राम बिश्नोई, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी बिश्नोई बास, अलाय, तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 0245 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली, जिला कोटपूतली (राजस्थान)।
9. जिला परिवहन अधिकारी, नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
10. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)।
11. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

-----उत्तरदाता

(92) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10860/2024

1. मोहन लाल पुत्र मेवा राम, उम्र करीब 43 साल, निवासी लोरा की ढाणी लालास तह नवा नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 142 सी 5774 का मालिक।
2. सेक। मैक्सवेल इंटरनेशनल स्कूल, इसके सचिव विजय लक्ष्मी पुत्र मान सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी कुचामन रोड मूलसर तह डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 पी.बी. 4312 का मालिक।

3. वीर तेजा विद्या मंदिर संस्थान, इसके सचिव राजू देवी पत्नी हरीश इंडी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गौरी चाचा डेगाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 पी.ए 2983 और आर.जे 21 पी.ए 1947 का मालिक।
4. दुला राम पुत्र मोड़ू राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी दोबारी कल्लन तह मकराना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 2179 का मालिक।
5. शंकर लाल पुत्र गिरधारी लाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी मांडोता धोद सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 191 सी 2293 का मालिक।
6. संपत सिंह पुत्र राजेश सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खोजास तह डीडवाना जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 14 यू.ए 5441 का मालिक।
7. किशोर सिंह पुत्र मनोहर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 61 सम्पूर्ण ग्राम रावलोटन हडाला कोलायत बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 पी.ए 9056 का मालिक।
8. किशन सिंह पुत्र नारायण सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बिकमसरा, सरदारशहर, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 49 जी.ए 2939 का मालिक।
9. बाबू लाल पुत्र लिखमा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 82, ग्राम का पश्चिम भाग बाना बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 4150 के मालिक।
10. धर्मपाल पुत्र बिरमा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी राजेड़ बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 पी.बी 2847 के मालिक।
11. रामेश्वर लाल पुत्र मनी राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06 34 के वाई डी एच 1 हेड तह खाजूवाला बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.बी 3270 के मालिक।

12. हरमन राम पुत्र मालू राम जाट, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गांव कल्याणसर नया तह श्री झुंगरगढ, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 6306 का मालिक।
13. नेमा देवी पत्नी भोमा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 50 सातलेरा, झुंगरगढ, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.बी. 7464 का मालिक
14. पूनम राम पुत्र गिरधारी राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मकान नंबर 66, मेघवालों का मौहल्ला तह कोलायत बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.बी. 4219 का मालिक।
15. रामनिवास पुत्र गिरधारी सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कुकरोध तह मकराना जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 यू.ए. 1661 का मालिक।
16. भंवर लाल पुत्र रावता राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ढाणी खुम्हारान बीदासर, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 2624 का मालिक।
17. चिमना राम पुत्र कोजा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वीपीओ नोरंगदेसर, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 5368 का मालिक।
18. राजेश कुमार पुत्र तारा चंद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी श्यामपुरा खेतड़ी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.ए 0074 का मालिक।
19. रघुवीर पुत्र माखन दास, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रामसर का मंदिर, गुढा गोरजी उदयपुरवाटी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 1768 का मालिक।

20. शाह निवाज पुत्र तुफेल खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 लखवाली हेड 5 एलके रावतसर, हनुमानगढ़। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 9530 का मालिक।
21. शंभू सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पृथ्वीपुरा तह श्री माधोपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 8961 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
11. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, हनुमानगढ़।

----उत्तरदाता

(93) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10893/2024

1. मोहर सिंह पुत्र खमा राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम तोगरा कलां झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-10 सी-1194 का मालिक।
2. सीता राम मूंड पुत्र श्री राम करण सिंह, निवासी ग्राम मझाऊ उदयपुरवाटी, झुंझुनू, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 सी-3157 का मालिक।
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी उरिका, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण मालिक आर.जे-18 पी.ए-6028।
4. ओम प्रकाश प्रजापत पुत्र श्री महादेव प्रसाद, निवासी ग्राम बिसाऊ, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 जी.बी-4478 का मालिक।
5. सरोज पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी पिलानी, झुंझुनू, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे-18 पी.ए-9777 की मालिक।
6. रणधीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ मल, निवासी कुमावास, झुंझुनू, (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे-18 जी.बी-8274 का मालिक।
7. शेर सिंह पुत्र श्री हजारी लाल, निवासी डी-180, मालवई नगर, जयपुर, वाहन संख्या आर.जे-145 सी-4140 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जयपुर।

----उत्तरदाता

(94) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11037/2024

1. शीश राम पुत्र भींवा राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड नं 10 जाजोद लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.ए 2519 का मालिक।
2. सोहन लाल पुत्र तिलोका राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी कच्छवा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.ए 2667 का मालिक।
3. मो गुलाब बेलिम पुत्र बसीर खान, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं 23 सुल्ताना चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.सी 2064 का मालिक।
4. अनूप सिंह पुत्र नेकी राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी घरडाना खुर्द, बुहाना, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 2976 का मालिक।
5. राकेश पुत्र सुरेश, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी घराइ की ढाणी, सूरजगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 9994 का मालिक।
6. सुरेश कुमार पुत्र हरलाल सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सूबेदार की ढाणी बारवाशी, नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 6974 का मालिक।

7. दशरथ पुत्र रणजीत सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सिसियां झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 3491 का मालिक।
8. प्रदीप कुमार सावमी पुत्र मूलचंद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कानेका वाली ढाणी, नवलगढ़ झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 4776 का मालिक।
9. राम कुमार पुत्र ताराचंद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बाकरा झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 26 सी 0916 का मालिक।
10. मनोज पुत्र भगवाना राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 18, ढाणी ब्राह्मण चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 04 यू.ए 3005 के मालिक।
11. धर्मराज बैरवा पुत्र रामरतन बैरवा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बारेडा टी- निवाई टोंक। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 27 यू.ए 2572 के मालिक।
12. जितेंद्र कुमार योगी पुत्र मोहन लाल योगी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सिरस टी- निवाई टोंक। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 34 यू.ए 0741 के मालिक।
13. मेरिडियन अकादमी चांदसेन, इसके सचिव रमेश सैनी पुत्र घीसा लाल सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी चांदसेन टी- मालपुरा, टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 पी.बी 6106 के मालिक।
14. मयूर एजुकेशन सोसाइटी, इसके सचिव पनज शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ओल्ड एसबीबीजे फिजरान वाटिका देवली, टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 20 पी.ए 1866 के मालिक।

15. सेकण्डरी चैम्पियन शिक्षण संस्थान, इसके सचिव विजय लक्ष्मी पुत्र मान सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 37 पी.ए 2182 के मालिक।
16. सीता राम जाखड़ पुत्र गोपाल राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी केशरदेशर गंगा गुरांकेशरदेसर जाटान, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 जी.सी 3374 का मालिक।
17. राम चंद्र पुत्र गंगा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 128 कीरो का बास, सेलरी गोविंदला जालोर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 22 जी.ए 1965 का मालिक।
18. जोगा राम पुत्र उका जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रेबारियों का वास उनरी तह सायला जालोर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 46 जी.ए 3301 का मालिक।
19. श्री वर्धमान सेवा समिति, इसके सचिव गोतम चंद जैन पुत्र कुईभालाल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी सायला, जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 जी.ए 1242 का मालिक।
20. गणपत राम चौधरी पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बारांगना तह डीडवाना, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 0669 का मालिक।
21. राम लाल पुत्र चांद मल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी पावर हाउस के पीछे लाडनूं, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 47 जी.ए 0087 का मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, टोंक।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, पाली।

----उत्तरदाता

(95) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11096/2024

1. लिखमा राम पुत्र डालू राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मालकसर सरदारशहर चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 5699 का मालिक।
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र खिराज राम मेघवाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी-वाई क्रमांक ढाणी तेतरवाल, गोदावरल, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक का मालिक। आर.जे. 49 जी.ए. 3454.
3. बाबू लाल पुत्र सुमेर मल शर्मा, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- वाई संख्या 19, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 पी.ए. 0765 के मालिक।

4. परमा राम पुत्र नंदा राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 8 रीरी इंगरगढ़ बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 07 यू 0198 के मालिक।
5. सही राम चौधरी पुत्र फूसा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी-कुचोर अथुनी, नोखा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 07 सी 1573 के मालिक।
6. राजेंद्र कुमार पुत्र चुन्नी लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी-सीतसर, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 23 पी.ए. 2196 के मालिक।
7. राम कुमार पुत्र हरि राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी थिमाऊ बारी राजगढ़ चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 18 जीबी 6261 का मालिक।
8. बनवारी लाल पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 05 रैया टुंडा, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 1410 का मालिक।
9. जितेंद्र सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी- मिखाला, चांगोई, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 6248 का मालिक।
10. रामेश्वर लाल पुत्र मंगतू राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- हरिजन बस्ती, झड़ासर गंजिया, तह.-तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 यू.ए 1024 का मालिक।
11. राजेंद्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- मेघसर, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 का मालिक। जी.बी. 6583.
12. गिरधारी जाट पुत्र तिलोका राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी बंधनाऊ, दिखनादा, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 21 सी 4758 का मालिक।
13. हजारी राम पुत्र हड़माना राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- मलाकसर, तह.-सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या का मालिक। वाहन क्रमांक आर.जे 16 जी.ए 1362.

14. राजू राम पुत्र निराना राम सारण, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- धोलिया कुआ, वार्ड संख्या 05, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 14 जी.बी 9360 के मालिक।
15. सफी मोहम्मद पुत्र नजीर खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- वार्ड संख्या 25, बिलाल मस्जिद, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 8606 के मालिक।
16. प्रताप सिंह पुत्र श्री। भगवाना राम ज्याणी, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी- सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 0540 का मालिक।
17. मोहम्मद शरीफ खान जोया पुत्र सब्बीर खान जोया, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- रसूलपुर, कायमसर, तह.-रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राजस्थान), वाहन का मालिक नंबर आर.जे 36 जी.ए 0554.
18. रामेश्वर पुत्र स्व. मघा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- घड़सीसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 6076 का मालिक।

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. सचिव, सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)।

5. जिला परिवहन अधिकारी सुजानगढ़, जिला. चूरू (राजस्थान) .
6. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान) .
7. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)
9. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. बीकानेर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(96) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11223/2024

1. बाबू लाल सैनी पुत्र रामअवतार सैनी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4 जमात, उदयपुरवाटी, झुंझुनू जिला झुंझुनू (राजस्थान)। वाहन संख्या-आर.जे. 23 जी.सी. 2806 का मालिक।
2. मनी राम पुत्र भोला राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वीपीओ लॉयल खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। वाहन क्रमांक - आर.जे 23 यू.ए 5966 का मालिक
3. रवीन्द्र पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम सिरसला, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। वाहन संख्या- आर.जे. 18 जी.सी. 1150 का मालिक।
4. मदन लाल पुत्र माला राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04 ढाबारों की ढाणी, गुढा गोरजी, घुडागोरजिका, झुंझुनू (राजस्थान)। वाहन क्रमांक - आर.जे 18 जी.सी 1829 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(97) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11241/2024

1. राजेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08 ढाणी बोरावाली गोयहरा खेतड़ी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 9511 का मालिक।
2. द्वारका प्रसाद पुत्र माला राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 25 अंबेदकर पार्क, नवलगढ़ झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 पी.ए. 1256 का मालिक।
3. मधु कंवर पत्नी पाबूदान सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी राजापुतो का मोहल्ला उदयपुरवाटी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 1279 का मालिक।
4. सुरेंद्र कुमार पुत्र नंद लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गोठ तह बुहाना, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 18 यू 0413 का मालिक।
5. हनीफ पुत्र मागे खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 81 मुसलमानों का मोहल्ला, गणेशवाली तह. पुगल बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 43 जी.ए 0412 का मालिक।

6. संदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं 06 1 एम टी एम 2 केएल डी गुलामलीवाला बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 13 यू.ए 6068 का मालिक।
7. बजरंग लाल पुत्र श्री शंकर लाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नं 03 फतेहपुर, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.ए 3141 का मालिक।
8. ओम प्रकाश पुत्र मूलचंद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी निम्बी जोधा तह लाडनूं, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 1611 का मालिक।
9. सुमेर सिंह पुत्र दुर्गा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी राजपूत बास भादवा नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.एच 7586 का मालिक।
10. सुगन चंद सैनी पुत्र सुरजा राम सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ढाणी भीतर, गनवारी तह नीम का थाना, सीकर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 18 जी.बी 8473 के मालिक।
11. अशोक कुमार पुत्र मातादीन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी एम नंबर 128 रतनपुरा बानसूर, अलवर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 32 जी.ए 2516 के मालिक।
12. राम कंवर गुर्जर पुत्र अर्जुन लाल गुर्जर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बाढ़ गूजरां अलवर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 13 जी.ए 7728 के मालिक।
13. निंभू सिंह पुत्र मेघ सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी गली नंबर 17 रामपुरा बस्ती बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 जी 6547 के मालिक।

14. रामकरण सुथार पुत्र गंगा राम सुथार, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 11 केव श्रीङ्गरगढ, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 21 यू 0321 के मालिक।
15. लक्ष्मण पुरोहित पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 01 झंझू बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 यू.ए 8283 के मालिक।
16. लिखमन सिंह पुत्र हरि सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी दुदावा तह. चिडावा झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 18 जी.बी 8116 का मालिक।
17. भागीरथ पुत्र दीपा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 582 पुनारा बास वार्ड नंबर 11 रिडी झंगरगढ, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 11 यू.ए 0237 का मालिक।

----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।

8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।

-----उत्तरदाता

(98) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11368/2024

1. जसवन्त कुमार नाई पुत्र गोरधन लाल नाई, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, सिंहासन, सीकर, राजस्थान 332027
2. संपत सिंह पुत्र फूल सिंह, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, चेतन दास स्की दहानी, गोरधनपुरा, सीकर, राजस्थान 332402
3. महेश कुमार पुत्र बाबू लाल, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला, पोसानी द लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान 332031
4. रहमान पुत्र समसुद्दीन, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी पी.एन.बी.के पास, पलसाना, सीकर, राजस्थान 332402

-----याचिकाकर्त

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कैनाट प्लेस, न्यूजीलैंड।
2. राजस्थान राज्य, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन भवन, सेहकर मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302001 के माध्यम से।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, सीकर (राजस्थान)।

-----उत्तरदाता

(99) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11427/2024

1. परहलाद पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड .नंबर 19, 33 एम.एम.के, पक्कासहारणा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 04 सी 0835 का पंजीकृत मालिक)
2. ग्रामोत्थान विद्या निकेतन, मालिक मनोज कुमार पुत्र श्याम सुंदर के माध्यम से, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 पी.ए 4978 का पंजीकृत मालिक)।
3. कालू राम पुत्र गोपाल राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 174, गांव पुरानी गुवाड़ से पश्चिम का भाग सुरनाणा, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 जी.ए 0399 का पंजीकृत मालिक)
4. रमजान व्यापारी पुत्र मोहम्मद। सलीम व्योपारी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 17, बीदासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 2031 का पंजीकृत मालिक)
5. संदीप पुत्र बलराम, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड .नंबर 05, 36 एच नग्गी करणपुर, गंगानगर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 31 टी.ए 1145 का पंजीकृत मालिक)।
6. लीलाधर पुत्र लेख राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी बिरमाना, सूरतगढ़, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.बी 8133 का पंजीकृत मालिक)
7. भागीरथ रणवा पुत्र धन्ना राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी गोमटिया, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 7366 का पंजीकृत मालिक)।

8. भंवर लाल पुत्र धनाराम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी गोमटिया, तहसील सरदारशहर, चुरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 8850 का पंजीकृत मालिक)।
9. सुंदर लाल पुत्र केसर राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर बीकासर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 2323 का पंजीकृत मालिक)।
10. दुली चंद पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रेलवे स्टेशन के पास, तहसील श्री झुंजरगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 3980 का पंजीकृत मालिक)।
11. कान नाथ पुत्र चूनानाथ, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी मकान संख्या 149, सुजानबासी, नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.बी 6857 का पंजीकृत मालिक)।
12. शिवलाल पुत्र धर्मा राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 05, अमृतवासी, इंदपालसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 1829 का पंजीकृत मालिक)।
13. हंसराम पुत्र मूला, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गुर्जर पाड़ा, ताहरपुर, तहसील हिंडौन, करौली (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 05 यू.ए 4219 का पंजीकृत मालिक)।
14. विनायक इंटरनेशनल स्कूल, प्रोपराइटर महेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद के माध्यम से, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 पी.ए 5771 का पंजीकृत मालिक)।
15. न्यू विनायक शिक्षा समिति, प्रोपराइटर महेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद के माध्यम से, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी दो जांटी बालाजी, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 पी.ए 6599 का पंजीकृत मालिक)।

16. विनायक शिक्षा समिति, प्रोपराइटर महेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद के माध्यम से, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वी एंड पी फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 पी.ए 5336 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू (राजस्थान)।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(100) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11433/2024

संजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, हतैन के पास, गोविंदगढ़, अजमेर (राजस्थान) (वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 36 टी.ए 0067 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अजमेर, जिला अजमेर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(101) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11488/2024

1. रामावतार सैनी पुत्र श्री रुदा राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी किशोरपुरा मोड़, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -18 जी.बी -7305 का मालिक।
2. राजेंद्र सैनी पुत्र श्री हरि राम, निवासी वार्ड नंबर 1, सैनिक नगर, झुंझुनू, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.ए-1794 का मालिक।
3. राम सिंह पुत्र श्री शिव लाल, निवासी उदयपुरवाटी, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -21 यू.बी 0143 का मालिक।

4. शिव लाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी ग्राम भोरकी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -34 यू.ए-0064 का मालिक।
5. जगदीश पुत्र श्री बोदू राम, निवासी ढाणी ब्रह्म दास वाली, तहसील नीम का थाना, सीकर, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -32 सी-0072 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर

-----उत्तरदाता

(102) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11510/2024

1. महेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बासनी पोस्ट भूमा बड़ा तह. लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 1300 के मालिक।
2. पन्ने सिंह पुत्र बेगा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी दौलत पुरा, कटराथल सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 8339 के मालिक।

3. विवेकानंद शिक्षण संस्थान, इसके सचिव शिव पाल पुत्र लक्ष्मण राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पेवा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 पी.ए 7930 के मालिक।
4. सीता राम जाखड़ पुत्र गोपाल राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी केशरदेशर गंगा गुरान, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 3374 का मालिक।
5. रामेश्वर लाल पुत्र भोमाराम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी लालासर नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 50 जी.ए. 3458 का मालिक।
6. ओम प्रकाश नाई पुत्र लिच्छू राम नाई, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम डाकघर अणखीसर, तह नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 6108 का मालिक।
7. सुरेश कुमार गौड़ पुत्र छोटू राम गौड़, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 15 ब्राह्मणों का मौहल्ला मंडेलिया चिताणा नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.बी 6804 का मालिक।
8. बाबा रामदेव शिक्षण संस्थान, इसके सचिव हरिराम पुत्र बुदा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी उटामदेसर, तह. नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 19 पी.ए 2621 का मालिक।
9. भंवरलाल पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी जाटो का बेरासर नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 3139 का मालिक।
10. लक्ष्मण राम पुत्र परता राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06 साधासर नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 7280 का मालिक।

11. सूखा राम पुत्र श्री मघा राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी जसरासर मार्ग झाड़िली नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 50 जी.ए. 1094 का मालिक।
12. रतन लाल प्रजापत पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08 परिहारा रतनगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 2570 का मालिक।
13. कुलदीप चौधरी पुत्र गिरधारी लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी संडवा बीदासर, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 यू.ए. 1179 का मालिक।
14. पृथ्वी राज पुत्र मांगी लाल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रणधीसर सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 सी 0571 का मालिक।
15. माधो राम पुत्र उमाराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, इलुदास नागौर का निवासी। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जीसी 4712 का मालिक।
16. कांति लाल पुत्र बाबू लाल जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, फगुत्रा तह. बागोडा जिला जालौर का निवासी। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 जी.ए 5738 का मालिक।
17. छोगा राम पुत्र तिलोका राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, मेघवालों का बागोडा तह. बागोडा जिला जालौर का निवासी। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 1267 का मालिक।
18. सुल्तान खान पुत्र बक्सू खान, उम्र लगभग 50 वर्ष, धनसा तह. भीनमाल जिला जालौर का निवासी। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 यू.ए 0292 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।

----उत्तरदाता

(103) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11618/2024

1. संजय सैनी पुत्र श्योपाल सैनी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी- मालियों की ढाणी, बावड़, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 जी.बी. 4481 का पंजीकृत मालिक)
2. किशोर कुमार पुत्र करण सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- थिथावता, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-18 जी.ए. 2234 का पंजीकृत मालिक)
3. सुमन देवी पुत्री शिंभू गुर्जर, निवासी- ढाणी राजू वाली, गुवार चीपलाटा, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.-32 जी.बी.1030 का पंजीकृत मालिक)

4. गोपाल दास मालिक पुत्र भीव दास मालिक, निवासी-चक गोपीनाथपुरा, दांतारामगढ़, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-14 यू.ए. 2589 का पंजीकृत मालिक)
5. इकरामुद्दीन कारीगर पुत्र सलामुद्दीन कारीगर, निवासी - वार्ड नंबर 14, रामलीला मैदान के पास, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-14 यू.बी. 0242 का पंजीकृत मालिक)
6. श्री बालाजी स्टील्स, प्रोपराइटर छीतर मल पुत्र बद्री नारायण, निवासी - भूत बंगला, पिपराली रोड, जिला सीकर, राजस्थान के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 जी.बी.5505 का पंजीकृत मालिक)
7. सवाई सिंह पुत्र रिडमल सिंह, निवासी- नरसास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-10 जी.बी. 1538 का पंजीकृत मालिक)
8. रामधन मिठारवाल पुत्र रामेश्वर लाल मिठारवाल, निवासी वार्ड नंबर 16, घासीपुरा कांवट, सीकर, (राजस्थान)। (पंजीकृत वाहन क्रमांक आर.जे.-13 सी 4571 का मालिक)
9. पवन कुमार सैनी पुत्र चोथमल सैनी, निवासी- ढाणी फूटी जोड़ी की मावंडा कलां, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.बी. 4362 का पंजीकृत मालिक)
10. महेंद्र सिंह पुत्र जोर सिंह, निवासी- रापूतों की कोटाइयाण जाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 जी.ए. 6442 का पंजीकृत मालिक)
11. बनवारी लाल पुत्र रामरक्ष पाल, निवासी- वार्ड नंबर 23, सात बत्ती के पास, कुवा कानूनगो वाली, उदयरपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू 0261 का पंजीकृत मालिक)

12. राजवीर सिंह पुत्र महावीर सिंह, निवासी-चन्द्रपुरा तोलियासर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे.-23 यू 0329 का पंजीकृत मालिक)
13. राजेंद्र प्रसाद पुत्र भैरू लाल, निवासी- रावस आमेर, जिला जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-14 जी.आई 4772 का पंजीकृत मालिक)
14. तेज पाल शर्मा पुत्र हरिनारायण शर्मा, निवासी - खाटियों का बास, अनोपपुरा नोपपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23 यू.बी 4268 का पंजीकृत मालिक)
15. राधेश्याम शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, निवासी - पोस्ट अनोपपुरा भीलपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-49 यू.ए 1484 का पंजीकृत मालिक)
16. मुकेश कुमार सैनी पुत्र ओम प्रकाश सैनी, निवासी - वार्ड संख्या 29, त्रिपोलिया तहसील चोमू, जयपुर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-06 यू.ए 7147 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चौमू, डीटीओ कार्यालय, चौमू।

8. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ कार्यालय, जयपुर।

-----उत्तरदाता

(104) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11713/2024

1. संदीप कुमार पुत्र बहादुर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी अरविंद पब्लिक स्कूल, वार्ड नंबर 24, शोभा नगर, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 टी.ए 0415 का मालिक।
2. मनाफुल पुत्र जुवारा राम, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी धायलो का बास कारी जाखल, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.बी. 3285 का मालिक।
3. गणेश राम पुत्र छोटू राम, निवासी फगड़ियों की ढाणी, नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 2184 का मालिक।
4. मदन लाल पुत्र भगवाना राम, निवासी घोड़ीवाड़ा कलां, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.ए 5605 का मालिक।
5. रोहित अश्व पुत्र राम निवास, निवासी वार्ड नंबर 2, सिलारपुरी, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 49 जी.ए 2343 का मालिक।
6. सुनील कुमार पुत्र धारा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, गांव देवरोड तहसील सूरज गढ़, झुंझुनू का निवासी। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.ए 2131 का मालिक।
7. मुकेश कुमार पुत्र इंगर मल, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी टोडरवास जिला झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 7473 का मालिक।
8. नवीन पब्लिक स्कूल, सचिव श्रीमती अंजू देवी के माध्यम से, बुडाना, जिला झुंझुनू की निवासी। आर.जे 18 पी.बी 2158.

9. न्यू सिंघाना अकादमी शिक्षण समिति, प्रिंसिपल सचिन कुमार निवासी सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू के माध्यम से। आर.जे 18 पी.बी 0639.
10. निधि शेखावत पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल रतन सिंह निवासी पिलानी, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू के माध्यम से। आर.जे 18 पी.ए 3599.
11. सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल सुभाष चंद्र निवासी टोडी गुढा गो आर.जे आई, जिला झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 पी.ए 0861 के मालिक के माध्यम से।
12. ग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रिंसिपल श्रीमती के माध्यम से कोसर निवासी कोलाली, जिला झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 पी.बी 1123 का मालिक।
13. सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल के माध्यम से सुभाष चंद्र निवासी टोडी गुढा गो आर.जे आई, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 पी.ए 2665 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जयपुर।

-----उत्तरदाता

(105) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11742/2024

1. विष्णु दत्त पुत्र राजा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मकान नंबर 42, गली नंबर 02, वार्ड नंबर 19, महावीर कॉलोनी, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 30 टी.ए 0229 का पंजीकृत मालिक)।
2. रामेश्वर लाल पुत्र भीखा राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नंबर 63, रामसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 यू.ए 7034 का पंजीकृत मालिक)।
3. नोरंग लाल पुत्र फूला राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी 58, 2 केजेडी, बेरीनवाली, खाजूवाला, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 6294 का पंजीकृत मालिक)
4. राज कुमार पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी मसीतावाली, टिब्बी हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 9336 का पंजीकृत मालिक)
5. राकेश ज्याणी पुत्र भंवर लाल ज्याणी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, अमृतवासी, श्री इंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 18 यू 0292 का पंजीकृत मालिक)।
6. हेतराम पुत्र रेडा राम, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 5 पीएसए, घड़साना, श्री गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 सी 5673 का पंजीकृत मालिक)

7. कालू राम पुत्र लूणा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 25, पशु अस्पताल के पास, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 31 यू.ए 0507 का पंजीकृत मालिक)।
8. नरेश कुमार पुत्र भगवान दास, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम डाकघर दुलापुर केरी, श्रीगंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 यू.ए 6141 का पंजीकृत मालिक)।
9. हरीश दास पुत्र किशन दास जी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी आजाद मोहल्ला, कुराबड़, तहसील गिरवा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 06 टी.ए 2149 का पंजीकृत मालिक)।
10. लक्ष्मण पुत्र केशु लाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी छिपला, मोड़ी, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 27 यू.ए 1790 का पंजीकृत मालिक)।
11. लक्ष्मण राम पुत्र तिलोका राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी तजनियों का तला, कापराऊ, चोहटन, बाड़मेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 38 पी.ए 1070 का पंजीकृत मालिक)।
12. उस्मान पुत्र हामिद, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी बरसल की बेरी, दूठवा, तहसील चितलवाना, जालौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 04 जी.ए 2784 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, बाडमेर, जिला बाडमेर (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, भीनमाल, जिला जालोर (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(106) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11745/2024

1. ताराचंद बागरिया पुत्र नोरंग लाल बागरिया, उम्र करीब 40 साल, निवासी गुंगारा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 जी.ए. 0403 का मालिक।
2. बनवारी लाल बलाई पुत्र दीपा राम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी कैलाश नागौर वाई नंबर 39, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 टी.ए 4220 का मालिक।
3. धूडा राम पुत्र भागू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी नवलरी नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.18 पी.बी. 0553 का मालिक।
4. दीपक जांगिड़ पुत्र धन्ना राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भीमसर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 सी 2261 के मालिक।
5. उस्मान गनी पुत्र नबीब बख्श व्यापारी, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी नेछवा लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 4012 के मालिक।

6. इमरान पुत्र अब्दुल गफार, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खिचिया बासनी तह. डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जीसी 0462 के मालिक।
7. चरण सिंह जाट पुत्र महेन्द्र सिंह जाट, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कारी तह. नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.ए 0277 के मालिक।
8. धर्मेन्द्र पुत्र भोलू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी निवाई नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 6291 का मालिक।
9. हरि सिंह पुत्र पितराम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी अहीरों की ढाणी पोस्ट सोनासर, तह मलसीसर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 सी 2490 का मालिक।
10. मुमताज पुत्र गुटम हुसन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी जसरापुरा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 7548 का मालिक।
11. द सेंट जिवर्स एकेडेमी शिक समित, सचिव शैतान राम चांगल पुत्र मोती राम चांगल उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी 217 नायकों का बास दिदिया कला देदिया, कलां नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 पी.ए 3458 और आर.जे 21 पी.ए 3988 और आर.जे 54 पी.ए 0071 और आर.जे 21 पी.ए 2889 और आर.जे 21 पी.ए 4333 के मालिक।
12. बाराजी देवी पत्नी मूल चंद सोनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वाई नंबर 09, तोगरा कलां, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 पी.बी 2383 के मालिक।
13. नौसाद अली पुत्र अहमद अली जहागीर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खिचिया तह डीडवाना जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 37 जी.ए 0748 के मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।

----उत्तरदाता

(107) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11848/2024

1. कृष्ण कुमार पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी- बेजवा, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 4776 का मालिक।
2. जगीदश प्रसाद पुत्र माम राज, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 12 एबी, अनूपगढ़, श्री गंगा नगर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 यू.ए 4558 का मालिक।
3. राम कुमार पुत्र लादू राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ढाणी पूनियां, झाड़सर, छोटा, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 18 यू.ए 6533 का मालिक।

4. विकास तोसावड़ा पुत्र रिछपाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी खटिको का मोहल्ला, वार्ड संख्या 07, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या का मालिक आर.जे 18 जी.बी 5969.
5. कान गर पुत्र पूर्ण गर, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी किल्लीपुरा, तारानगर, चुरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 10 यू.ए 4579 का मालिक।
6. सुभाषचंद्र जरिया पुत्र किशनाराम जरिया, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी - सती मंदिर के पास, दुधवा खारा, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 10 का मालिक यू.ए. 1961.
7. गजेंद्र सिंह पुत्र इंद्र सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी- आथुणा बास, रूपलीसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), मालिक वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 2942.
8. कमल कुमार शर्मा पुत्र श्याम सुंदर शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 08, नेहरू मोहल्ला, रामगढ़, शेखावाटी, सीकर (राजस्थान), मालिक वाहन क्रमांक आर.जे 23 जी.सी. 2462.
9. राम प्रकाश राजगर पुत्र राम सुख राजगर, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी - वी/पोस्ट हरमाड़ा, निंदर मोदी, दास कॉलोनी वाया वकिया (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 14 यू.बी 4840 का मालिक।
10. महेंद्र पुत्र विद्याधर, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी घड़सीसर, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए 0825 का मालिक।
11. जब्बार खान पुत्र सतार खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी राजपुरा, तारानगर, चुरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 18 जीबी 4686 का मालिक।
12. गोतम सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी - चलकोई बीकन, चुरू (राजस्थान) वाहन संख्या का मालिक आर.जे 23 पी.बी 4068.

13. रणवीर सिंह पुत्र तिलोक चंद, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी -ए-44, सेक्टर-1, भालेरी रोड, सैनिक बस्ती, चूरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 10.जी.बी 2399 के मालिक।
14. सुंदरपाल पुत्र श्री. जय करण, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी ढाणी मौजी, राजगढ़, चूरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 10 जी.ए 8220 का मालिक।
15. रंजीत राम बा आर.जे अति पुत्र लिखमा राम बा निवासी अति, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी - ढाणी डेगन, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान) वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी. का मालिक 1063.
16. राजस्थान अकादमी शिक्षण संस्थान जनाऊ खरी राजगढ़, सचिव दलीप सिंह पूनिया पुत्र पोकर राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी जनाऊ खरी, चूरू, (राजस्थान) के माध्यम से। वाहन क्रमांक आर.जे 10 पी.ए 0563 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जयपुर द्वितीय, विद्याधर नगर (राजस्थान)
5. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वितीय (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)।

7. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला. चूरू (राजस्थान)
8. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान)।
9. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)।
10. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)
11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला। बीकानेर (राजस्थान)
12. जिला परिवहन अधिकारी, जिला। श्रीगंगानगर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(108) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11998/2024

1. रतन सिंह पुत्र गोम सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नारी, तहसील फ़तेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे-23-जी.सी-1741 का पंजीकृत मालिक)।
2. राज कुमार पुत्र भवानी शंकर, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी मालिक वी सैनी मोहल्ला, सिंगरावट, तहसील धोद, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे-23-जी.सी-3000 का पंजीकृत मालिक)।
3. कमला पत्नी सुवा राम, निवासी 139, बाल विहार कॉलोनी, कांता के पास, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-14-जी.बी.-8812 का पंजीकृत मालिक)
4. भरत राम खीचड़ पुत्र बृज लाल खीचड़, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों की ढाणी खटकड़, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -18-यू.ए-6824 का पंजीकृत मालिक)

5. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र भोलू राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी निवाई, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -18- यू.बी-6291 का पंजीकृत मालिक)
6. बी.आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान, लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। सचिव संजय कुमार मीणा पुत्र राम सिंह, निवासी नयाबास, नीमकाथाना, जिला सीकर के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे -23-पी.ए-0881 का पंजीकृत मालिक)
7. भाग चंद पुत्र हनुमान प्रसाद, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी बुच्यासी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -14-यू.डी 5226 का पंजीकृत मालिक)।
8. राजेंद्र कुमार बागरिया पुत्र बजरंग सिंह बागरिया, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी पिपराली, सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे -23-यू.बी-6553 का पंजीकृत मालिक)।
9. मुकेश कुमार बाजिया पुत्र हरलाल सिंह बाजिया, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी तपीपल्या, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23-जी.सी-4587 का पंजीकृत मालिक)।
10. किशन लाल पुत्र गणपत, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी अलफसर, हिरना, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -23-यू.ए-0895 का पंजीकृत मालिक)।
11. सुरेश कुमार यादव पुत्र प्रभु दयाल यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी चरथा वाली ढाणी, तिगरिया, तहसील चोमू, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -19-1सी-2699 का पंजीकृत मालिक)।
12. राजेंद्र यादव पुत्र छीतर मल यादव, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी ढाणी अमर सिंह वाली, मुंडरू, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -23-यू.ए-3568 का पंजीकृत मालिक)।

13. महेंद्र पारीक पुत्र दुर्गा प्रसाद पारीक, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी वार्ड दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -19-सी-2596 का पंजीकृत मालिक)।
14. मंगल चंद पुत्र माथु राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 6, गनोरा, दांतला, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -14-यू.ए-5420 का पंजीकृत मालिक)।
15. झाबर मल पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी लामिया, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -23-यू.ए-7296 का पंजीकृत मालिक)।
16. महेश कुमार यादव पुत्र काना राम यादव, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी अनंतपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -23-यू.ए-6024 का पंजीकृत मालिक)।
17. नेमी चंद पुत्र शिशुपाल सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी कंगनसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -23-जी.बी 2844 का पंजीकृत मालिक)।
18. रामचंद्र पुत्र गिरधारी लाल, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी खोजावास, झज्जर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -18-सी-2960 का पंजीकृत मालिक)।
19. संजय कुमार मीणा पुत्र राम सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी नया बास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -18-यू.बी 3881 का पंजीकृत मालिक)।

20. सुभाष चंद यादव पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, छापोली, झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे -21-यू.ए-2149 का पंजीकृत मालिक)।
21. दिलीप सिंह पुत्र शिवराम सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी भगेगा, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे -23-यू.बी 1380 का पंजीकृत मालिक)।
22. जगदीश प्रसाद पुत्र साधुराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9, ढाणी फूटली, रलावता, सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे -18-यू.बी-2495 का पंजीकृत मालिक)।
23. किस्तूर मल पुत्र पूसा राम रेगर, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी कुकनवाली, तहसील नावा, नागौर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे -19-यू.ए-0247 का पंजीकृत मालिक)।
24. विष्णु कुमार पुत्र बनवारी लाल सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पिंजारा पोल के पास, मंडावा रोड, वार्ड नंबर 28, फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे -23-जी.बी-9205 का पंजीकृत मालिक)।
25. अनंत राम पुत्र श्री राम, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी मोहल्ला आचार्यो का, वार्ड नंबर 6, फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 23-जी.सी-1943 का पंजीकृत मालिक)।
26. मुकेश गोदारा पुत्र शिशुपाल सिंह, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी मर्दतू बाड़ी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. -23-जी.सी 0428 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला नागौर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(109) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12008/2024

गजानंद जांगिड़ पुत्र हीरा लाल जांगिड़, निवासी भानपुरा, बिरोल, झुंझुनू (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 6940 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(110) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12010/2024

जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र रेखा राम सैनी, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, दुलवारी ढाणी, नवलगढ़, काना की ढाणी, झुंझुनू, धनिया, राजस्थान। वाहन संख्या आर.जे 18 पी.ए 6236 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(111) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12223/2024

1. राम लाल पुत्र अमरा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी डंकर बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए. 1877 का मालिक।
2. किशना राम जाट पुत्र बालू राम जाट, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ढाणी शिवरान, बीदासर सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 0933 का मालिक।
3. अनिल कुमार सैनी पुत्र घेवर सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नलिया बास सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 8008 का मालिक।
4. राम निवास जाट पुत्र राम रख राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी साड़ छोटी सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 यू.ए 4462 का मालिक।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र मांगी लाल जाट, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सदु बड़ी बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 44 जी.ए 1423 का मालिक।
6. अनवर पुत्र खाजू खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मंगलूणा तह. लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 37 जी.ए 7758 का मालिक।
7. अभिषेक सोनी पुत्र हरीश कुमार सोनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02, सालासर सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 21 सी 5049 का मालिक।
8. किशोर कुमार पुत्र बालू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी धायलो का बास, कारी झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.ए 1909 के मालिक।

9. उम्मेद सिंह पुत्र जुगल किशोर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी घोरीवाड़ा कलां तह. नवलगढ़, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 9825 के मालिक।
10. हीरा लाल पुत्र हनुमान दास, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी भींवसर भीमसर, तह. सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 5199 के मालिक।
11. लालदास मालिक पुत्र राम दास मालिक, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 01 अमरसर बीदासर, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 50 टी.ए 0270 का मालिक।
12. तेजा राम पुत्र भूरा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 49 सदाओं का मोहल्ला टिपानी तह. लाडनूं, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 37 यू.ए 3474 का मालिक।
13. शंकर लाल पुत्र मंगला राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भींचरो का बास नालोट तह. नावा, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 29 यू 0196 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।

----उत्तरदाता

(112) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12229/2024

1. नारायण राम पुत्र सुगना राम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1, बीरमाना, लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2524 का पंजीकृत मालिक)।
2. गौतम सिंह पुत्र कमरपाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी बाजना मार्ग, बांकी, तहसील हिंडौन, करौली (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 29 यू.ए 4805 का पंजीकृत मालिक)।
3. ओम सिंह पुत्र बाबू सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 6490/1, झालामंड गांव, जोधपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 19 जी.जे 0080 का पंजीकृत मालिक)
4. सद्दाम हुसैन पुत्र भंवरू खान, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी पुरानी शिव बाड़ी रोड, अंबेडकर कॉलोनी, गली नंबर 3, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 04 जी.ए 3506 का पंजीकृत मालिक)
5. गोपाल राम पुत्र तोला राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी 174, रिडी, झुंजरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 6078 का पंजीकृत मालिक)।

6. प्रेमा राम पुत्र देराज राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 9, लिखमीसर, उत्तरादा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 5191 का पंजीकृत मालिक)
7. निरानाराम पुत्र झूंगर राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, उदरासर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 जी.ए 6694 का पंजीकृत मालिक)।
8. हेमन्त कुमार पुत्र हरिशंकर, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी मंजूर आलम पुत्र कल्लू शाह, जलदाय विभाग के सामने, वार्ड नम्बर 9, अंता, बारां। (वाहन क्रमांक आर.जे.20 टी.ए.3335 का पंजीकृत मालिक)।
9. अजीत कुमार जैन पुत्र मोहन लाल जैन, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी सिलावटी मौहल्ला निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। (वाहन क्रमांक आर.जे 09 सी 4556 का पंजीकृत मालिक)।
10. श्रीमती. श्यामा देवी पत्नी चन्द्र शेखर, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी यादव मोहल्ला, हनुमान मंदिर छोटी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 09 यू 0423 का पंजीकृत मालिक)।
11. विजय कुमार शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी आजादपुरा, राजमहल बारी के पास, सादड़ी, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 14 पी.बी 3265 का पंजीकृत मालिक)।
12. विजय कुमार शर्मा पुत्र मनोहर लाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी बारी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 09 पी.ए 5653 का पंजीकृत मालिक)।
13. रामू नाथ पुत्र सला नाथ, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी 95, वार्ड नंबर 11, नाथूसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 ए 2072 का पंजीकृत मालिक)।

14. सुश्री जाहर एगो इंडस्ट्रीज, मालिक चंपा लाल जाखड़ पुत्र बद्रीनारायण जाखड़ के माध्यम से, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी जी-231, करणी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 3048 के पंजीकृत मालिक)।
15. अंकित मेहता पुत्र राज कुमार, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 24, पुराना मोहल्ला, डब्ल्यू.नंबर 8, फतेहनगर, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 27 जी.डी 8309 के पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर, जिला जोधपुर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, बारां, जिला बारां।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

-----उत्तरदाता

(113) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12300/2024

1. रफीक अली खान पुत्र इलियाश खान, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी गांव-गोविंदपुरा पोस्ट-अलसीसर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 18 जी.ए 2417 का पंजीकृत मालिक)।
2. भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निदेशक ओमप्रकाश पुत्र चंदगी राम वार्ड नंबर 5, खानपुर, झुंझुनू के माध्यम से, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी खानपुर, सिंघाना, तहसील-बुहाना, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 18 पी.ए 0242 का पंजीकृत मालिक)।
3. कृष्ण कुमार पुत्र प्रताप बिश्नोई, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी बैकसाइड जैन कॉलेज औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 सी 3976 का पंजीकृत मालिक)।
4. राम किशन पुत्र सुखा राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, 233, स्कूल के पास कुनपासर श्री इंगरगढ़, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 3480 का पंजीकृत मालिक)।
5. सागर दास पुत्र कालू दास, निवासी गाँव सुई, तहसील लूणकरणसर, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 4214 का पंजीकृत मालिक)।
6. रामेश्वर लाल पुत्र भेरा राम कांटिया, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गाँव झड़ू, तहसील श्री कोलायत, जिला बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 3702 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(114) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12355/2024

1. शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोहिताश्व सिंह शेखावत, पिता श्री रोहिताश्व सिंह शेखावत, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी कालीपहाड़ी, बागर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन पिकअप सीबीसी सिंगल कैब का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.ए-3010)।
2. नरपत सिंह पुत्र श्री मालू सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी पोंख, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन बोलेरो डी.आई-टू व्हील ड्राइव मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.ए-0975)।
3. इंदरपाल पुत्र श्री तारा चंद, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी लालपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन सावरी टू व्हील ड्राइव मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.बी-1793)।
4. सही राम पुत्र श्री कुरडा राम, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी धतरवाला, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन कमांडर जीप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.ए-2942)
5. संजीव कुमार पुत्र श्री लच्छू राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मैनास, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन सावरी महिंद्रा मार्शल डीएलएक्स 2000 टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.ए-3788)

6. राम सिंह पुत्र श्री पन्ना राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बुडानिया, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333025 (वाहन पिकअप सीबीसी सिंगल कैब का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.बी-7048)
7. रत्ना पुत्र श्री सुरेश, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी महरमपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333028 (वाहन जीप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 18-यू.ए-0328)।
8. राम सिंह पुत्र श्री पन्ना राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बुडानिया, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन जीप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-सी-4525)।
9. नागेश चंद्र पुत्र श्री भोमा राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5, भामरवासी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333024 (वाहन एसएफसी 407/27 का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-पी.ए-1933)।
10. सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री फूल चंद सैनी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी रामकुमारपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333503 (वाहन पिकअप सीबीसी सिंगल कैब का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -23-जी.सी-0912)।
11. राजपाल पुत्र श्री राम कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी छरू, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333305 (वाहन सावरी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.बी-0086)।
12. सुखदेव राम पुत्र श्री माला राम चौधरी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी मोहबतसर, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन मार्शल का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.ए-8506)।

13. राजेंद्र खीचड़ पुत्र श्री अशोक कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी नवलरी, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन सवारी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-टी.ए-2158)।
14. विजय सिंह पुत्र श्री बीरबल राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी मुंडा की ढाणी, बजावा, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333001 (वाहन पिकअप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.सी-0603)।
15. शिवचंद सिंह पुत्र श्री चंद्र राव, उम्र लगभग 87 वर्ष, निवासी गांव भारू, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन क्ल 550 एम.डी.आई टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-सी-3454)।
16. सुनील पुत्र श्री बुधराम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7, रानी सती मंदिर के पीछे, अररावतिया कॉलोनी, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333026 (वाहन बोलेरा कैंपर 128 का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.ए-2379)।
17. चंदगी राम पुत्र श्री माडू राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1, सुल्ताना, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333028 (महिंद्रा मैक्स 110 रिजिड टू व्हील ड्राइव वाहन का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.ए-4676)।
18. सुरेश कुमार पुत्र श्री सही राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी महारामपुर, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333028 (वाहन सी.डी.आर 650 डी.आई 4 पहिया ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -14-सी-9185)।

19. दशरथ पुत्र श्री रणजीत सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सिसयान, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333001 (वाहन एमएच पिकअप सीबीसी एमडीआई का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.बी-3491)।
20. प्रदीप कुमार सैनी पुत्र श्री मूलचंद, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी कनक वाली ढाणी, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333001 (वाहन एमएम 950 एमडी का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जीबी 4776)।
21. सुभाष शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 28, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333042 (वाहन टाटा बस का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-पी.बी 0657)।
22. रतन लाल पुत्र श्री सांवर मल, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी निवाई, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन जीप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-सी-0899)।
23. गंगाधर सिंह पुत्र श्री जवाहर राम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ग्राम व पो निवाई, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333305 (वाहन एमएच पिकअप सीबीसी एमडीआई का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.ए-3095)।
24. हरलाल पुत्र श्री भोलू राम, उम्र लगभग 84 वर्ष, निवासी सुल्तानपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन एमएच पिकअप सीबीसी एमडीआई का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.बी-4129)।
25. जितेंद्र पुत्र श्री विनोद, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी झेरली, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333031 (वाहन पिकअप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.बी-7460)।

26. जयराम पुत्र श्री बुधराम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी बामलाश, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333001 (वाहन एम.एम 950 एम.डी टू व्हील ड्राइव सिंगल कैब का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.बी-9645)।
27. अनिल कुमार पुत्र श्री ए.आर.जे.उन लाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 10, धोला खेड़ा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333307 (पंजीकृत मालिक वाहन बोलेरो कैंपर एम.डी.आई. टी.सी. टू व्हील ड्राइव, पंजीकरण संख्या आर.जे. -19-जी.सी. 3298)।
28. नोरंग राम पुत्र श्री नागर मल सैनी, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी गांव डाकघर जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (पंजीकृत मालिक वाहन पिकअप, पंजीकरण संख्या आर.जे. -14-जी.बी-8842)।
29. गोपाल राम पुत्र श्री भाना राम सैनी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी किरोड़ी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333307 (पंजीकृत वाहन सावरी टू व्हील ड्राइव के मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -04-टी.ए-0939)।
30. श्री चंद पुत्र श्री हीरा राम जाट, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी बे नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन सीडीआर 650 एम.डी टू व्हील ड्राइव के मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-सी-3658)।
31. हंसराज सिंह पुत्र श्री भीमपाल सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी जयपहाड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333001 (पंजीकृत वाहन पिकअप के मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-जी.बी-3541)।
32. महेंद्र कुमार पुत्र श्री लूणा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10, खटीकान मोहल्ला, बागड़, जिला झुंझुनू (राजस्थान), टीएमपी राजपुरा, शाहपुरा, 10.08.2020 से

- प्रभावी, जिला जयपुर - 303103 (वाहन एसएफसी 407/31 एक्स के पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -52- जी.ए-6714)।
33. गीता बाल निकेतन समिति, अपने अधिकृत व्यक्ति श्री राधेश्याम गिल, पुत्र श्री झुझार सिंह गिल, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी भोरकी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333032 (वाहन एलपी 909 के पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-पी.बी-0909) के माध्यम से।
34. सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री माला राम सैनी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी कांकरिया, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान)-333053 (वाहन पिकअप सीबीसी सिंगल कैब का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-23-जी.ए-2403)।
35. किशोरी लाल पुत्र श्री बिरदी चंद, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी निवाई, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)-333305 (वाहन एम स्कॉर्पियो एल.एक्स टर्बो 2 जी.सी.आर.डी.ई टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-14-यू.ए 4229)।
36. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी सेजा की ढाणी, अजारी कलां, बड़ागांव, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन सी.एल 550 एम.डी.आई टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -14-5 सी-4326)।
37. पवन सिंह पुत्र श्री रति राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी गोड़ की ढाणी, बड़बर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333502 (वाहन सावरी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-यू.बी-5196)।
38. पंकज भंवरीया पुत्र श्री सहीराम भंवरीया, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी नेहरो की ढाणी, कोलसिया, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333042 (पंजीकृत वाहन सावरी दो पहिया वाहन मालिक बी.एस.2, पंजीकरण संख्या आर.जे -18-टी.ए-3851)

39. गीता लाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से श्री राधे श्याम गिल, पुत्र श्री झुझार सिंह गिल, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी भोरकी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333032 (वाहन मिनी बस का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे -14-पी.डी-3169)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
3. आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, झुंझुनू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, सीकर (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, शाहपुरा, जयपुर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(115) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12365/2024

बुद्धि प्रकाश कहलिया पुत्र विश्वंभर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 1 ए 5 स्पेशल तलवंडी कोटा, जिला कोटा राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, प्रमुख सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग नई दिल्ली- 110001
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर- 302005
3. जिला परिवहन अधिकारी, कोटा

----उत्तरदाता

(116) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12407/2024

1. मुकेश पुत्र श्री लच्छूराम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ढाणी घोडेला वाली, वार्ड नं 17, रींगस तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन मालिक संख्या आर.जे 23-टी.ए-0627)
2. श्रवण कुमार पुत्र श्री राम बख्श, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड नं 07, भरनी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन मालिक संख्या आर.जे 23-टी.ए 2766)
3. रामेश्वर लाल पुत्र श्री हरदेवा राम, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी तेजसर खेजरोलीयां, जिला सीकर (पंजीकृत वाहन मालिक संख्या आर.जे -14-2 सी-3726)
4. कुदन मल सैनी पुत्र श्री भोला राम सैनी, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी राजकीय बालिका माड़, विद्यालय के पास लोसल जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे -23-जी.सी 1561 का पंजीकृत मालिक)

5. राजेश कुमार पुत्र श्री छुन्नी लाल, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर चारा का बास परसरामपुरा, नवलगढ़ जिला झुंझुनू (वाहन संख्या आर.जे 18-यू.बी-1435 का पंजीकृत मालिक)
6. बलराम सैनी पुत्र श्री मुरलीधर सैनी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे -14-जी.बी-5707 का पंजीकृत मालिक)
7. प्रहलाद सहाय यादव पुत्र श्री तेजाराम यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ढाणी डेरा की, मंडिसिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे -13-सी-5875 का पंजीकृत मालिक)
8. जे पी कंस्ट्रक्शन कंपनी, भागीरथ सिंह पुत्र श्री कानाराम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी एनएच 52, लाखनी मोड़ बावड़ी तहसील खंडेला जिला सीकर (वाहन संख्या आर.जे -23-आर.डी-4893 के पंजीकृत मालिक)
9. महेंद्र सिंह पुत्र श्री सागर मल, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (वाहन संख्या आर.जे -10-सी-1908 के पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डी.टी.ओ. कार्यालय सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, चोमू, डी.टी.ओ. कार्यालय चोमू जिला जयपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जयपुर, डी.टी.ओ. कार्यालय झालाना, जयपुर।

----उत्तरदाता

(117) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12414/2024

सुमित्रा जैन पत्नी स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद जैन, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी 1-डी-26, विज्ञान नगर, जिला कोटा, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, प्रमुख सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302005 के माध्यम से।
3. जिला परिवहन अधिकारी, कोटा।

----उत्तरदाता

(118) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12426/2024

1. महेश पुत्र नाथा राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी कटराथल, सीकर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 पी.बी 3239 का मालिक।

2. राजू राम पुत्र मंगला राम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी जूठा वाली ठिकरिया तह. श्रीमाधोपुर, सीकर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 4077 का मालिक।
3. विजयपाल सिंह पुत्र इंदर सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बिरानिया तह. फतेहपुर, सीकर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 7896 का मालिक।
4. नरोत्तम कुमार पुत्र राम निवास, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, खातीपुरा, शिमला खेतड़ी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 3726 का मालिक।
5. रोहिताश कुमार राठी पुत्र सुगना राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09, डगरा वाली जोहारी ढोला खेड़ा, उदयपुरवाटी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 05 यू.ए. 0628 का मालिक।
6. मनोज पूनिया पुत्र प्रताप सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कोदेसर, झुनझुन। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 5570 का मालिक।
7. हरफूल पुत्र सोभा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बाबई खेतड़ी झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 2602 का मालिक।
8. सुनील कुमार पुत्र शेर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ढाका मंडी बुहाना, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 7239 का मालिक।
9. बोहरा शिक्षा समिति, इसके सचिव नरवीर सिंह पुत्र देवी सहाय, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बसई खेतड़ी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 पी.ए. 0310 का मालिक।

10. रवीन्द्र नाथ टैगोर शिक्षण संस्थान, इसके सचिव रणजीत भाकर पुत्र लक्ष्मण राम भाकर उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गौशाला के सामने गांव धनकोली, तह डीडवाना, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 पी.ए. 0411 का मालिक।
11. भानीराम पुत्र टीकू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी जेगनिया बियावतान तह रतनगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 जी.बी 4030 का मालिक।
12. श्रवण कुमार पुत्र राम भींवा, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी पौटा छापरी तह. डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 37 जी.ए 9848 का मालिक।
13. मदन लाल बैरवा पुत्र मांगी लाल बैरवा, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी बैरवा मोहल्ला, धार, तह. दूनी, टोंक। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 41 जी.ए 1687 का मालिक।
14. सुरेश चंद मालिक पुत्र लीला राम मालिक, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी भैसलाना, कोटपूतली जयपुर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 32 जी.सी 9552 का मालिक।
15. कमल मेघवाल पुत्र नेमाराम मेघवाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नं 03 नया बास लोडसर सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 44 जी.ए 3761 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, टोंक।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।

----उत्तरदाता

(119) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12446/2024

1. सूरजमल पुत्र झुनाथा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ढाणी पावंडा वाली, भोपतपुरा, तहसील श्री माधोपुर, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 143 सी 9730 का पंजीकृत मालिक)।
2. मंगल चंद यादव पुत्र श्याम लाल यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ढाणी कचोलिया अरनिया, श्री माधोपुर, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.14 जी.बी.8896 का पंजीकृत मालिक)।
3. मनोज सैनी पुत्र रिछपाल सैनी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी अनोखू, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 जी.बी 2494 का पंजीकृत मालिक)

4. देवेंद्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी मोहल्ला राजपुतान, वार्ड नंबर 04, खादरा, तहसील नीम का थाना, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 यू.ए 1240 का पंजीकृत मालिक)
5. विनोद कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 24, गणेश मंदिर के पास, फतेहपुर, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 जी.सी 6800 का पंजीकृत मालिक)।
6. विशाल राम पुत्र दीपा राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी गांव डाकघर लूणासर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 31 पी.बी 2525 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

----उत्तरदाता

(120) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12450/2024

1. सत्यनारायण पुत्र गोविंद राम, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9, दिखनादा बास, मूंदसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 5188 का पंजीकृत मालिक)।
2. रेवंत राम पुत्र पूरा राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी शिव मंदिर वाली गली, वार्ड.नंबर 1, बंगला नगर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी 6045 का पंजीकृत मालिक)।
3. नाथा राम पुत्र खेता राम, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07, धनेरू, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 50 जी.ए 2299 का पंजीकृत मालिक)
4. गोविंद पुनिया पुत्र शिव दत्त, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड .नंबर 4, बिलोचिया, 13 बीएलएम बी, विजय नगर, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 143 सी 4526 का पंजीकृत मालिक)
5. राम लाल पुत्र जेठा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी चक 5 केजेडी, 22 केवाईडी, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 7726 का पंजीकृत मालिक)।
6. हुसैन खान पुत्र फाजू खान, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी 206, गांव डुकोसी, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 21 यू.ए 8079 का पंजीकृत मालिक)
7. मोजी राम पुत्र किशनाराम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी 78, कचरास, तहसील जायल, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.बी 7602 का पंजीकृत मालिक)।
8. लाल चंद पुत्र मनी राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम डाकघर सोनारी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 30 यू 0140 का पंजीकृत मालिक)।

9. प्रहलाद पुत्र हरदत्त, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम डाकघर सु आर.जंसार, तहसील नोहर, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 49 जी.ए 2518 का पंजीकृत मालिक)।
10. गुड्डू माली पुत्र राम प्रसाद माली, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी जाखोदा, तहसील सपोटरा, करौली (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 34 जी.ए 0265 का पंजीकृत मालिक)।
11. अशक अली पुत्र गुलाम कादर, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी लैंडमार्क वार्ड संख्या 07, खरबारा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 0148 का पंजीकृत मालिक)।
12. सुरेश चंद्र जाट पुत्र श्री जोधा जाट, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी गुरलान, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 06 जी.ए 2193 का पंजीकृत मालिक)।
13. प्रियंका भंडारी पत्नी श्री नवरतन, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 जी.सी 2485 का पंजीकृत मालिक)।
14. जय किशन अहीर पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 79 वर्ष, निवासी सिंगोली रोड, ग्रिड के पास, मांडलगढ़, भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 यू.ए 0819 का पंजीकृत मालिक)।
15. मोती सिंह रावत पुत्र लखमा सिंह, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी मावला, तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 सी 4845 का पंजीकृत मालिक)।

16. माधो सिंह पुत्र श्री परमा, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी ग्राम नांगल, दुर्गसी, तहसील हिंडौनसिटी, जिला करौली (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 34 यू.ए 0985 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
5. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
6. जिला परिवहन अधिकारी, नगर, जिला नागौर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
9. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

----उत्तरदाता

(121) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12567/2024

1. पवन कुमार पुत्र श्री राम जांगिड़, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी तारा का बास, चिड़ावा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -32 यू-0145 का मालिक

2. नागर मल कुमावत पुत्र श्री घासी लाल कुमावत, निवासी भोजा का ढाणी, तहसील दातारामगढ़, सीकर, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -23 जी.सी-2466 का मालिक।
3. विधाधर सिंह पुत्र श्री महेर चंद, निवासी मोभिया का बास, चिड़ावा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण मालिक आर.जे.-18 यू.ए.-0820।
4. संदीप शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा, निवासी कासनी, सूरजगढ़, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -18 यू.बी-2154 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू। 5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर

-----उत्तरदाता

(122) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12637/2024

1. त्रिलोक चंद खोखर पुत्र श्री नंदलाल खोखर, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी धोद, तहसील धोद, जिला सीकर।
2. मदन लाल पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम झीगर छोटी, जिला सीकर (राजस्थान)।

3. शंकर लाल जाट पुत्र श्री रामकुमार जाट, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ग्राम झीगर छोटी, कटराथल, जिला सीकर (राजस्थान)।
4. सागरमल पुत्र रामूराम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी नाडा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
5. सुशीला पत्नी बलकेश कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी दिनारौरा रोड, झीगर छोटी, जिला सीकर (राजस्थान)।
6. सुभाष पुत्र रिछपाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मुख्ता ग्राम झीगर छोटी, जिला सीकर (राजस्थान)।
7. मोती लाल पुत्र झूथा राम जाट, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी बिरोडी बड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।
8. बाबू लाल पुत्र श्री अन्ना राम, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी कुंडलपुर, जिला सीकर।
9. ख्यालीराम पुत्र माडूराम, उम्र करीब 47 साल, निवासी भगेगा तहसील नीम का थाना, जिला नीम का थाना।
10. गिरीश माथुर पुत्र श्री गिरधारी लाल माथुर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14, कायस्ट कॉलोनी, डिस्पेंसरी नंबर 2 के पास, सीकर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपने सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर आरटीओ कार्यालय झालाना जयपुर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर आरटीओ कार्यालय सीकर, राजस्थान।
6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, जिला सीकर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(123) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12651/2024

1. रामस्वरूप पुत्र भूरा राम, उम्र करीब 48 साल, निवासी मांदरी खेतड़ी झुंझुनू। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 यू.ए 9648 का मालिक।
2. मेघ राम पुत्र माला राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम डाकघर लांबा गोठरा चिड़ावा,
झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 सी 2900 का मालिक।
3. विवेकानन्द शिक्षण संस्थान, इसके सचिव बसंती लाल सैनी पुत्र प्रभु दयाल, उम्र लगभग
45 वर्ष, निवासी थोई, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.18 पी.ए.
0840 का मालिक।
4. हंसराज पुत्र घनश्याम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी रताऊ लाडनूं, नागौर। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 5842 का मालिक।
5. राम लाल पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 अरवर कुचेरा
तह. जायल, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 5774 का
मालिक।
6. घनश्याम पुत्र लूना राम, उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी पांचू नोखा, बीकानेर। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 यू.ए 0680 का मालिक।

7. इमरता राम पुत्र बीजा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी एच नंबर 12, विलेज बासी, तह. नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.बी 4761 का मालिक।
8. किसन दास पुत्र मोहन दास, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गोंडुसर नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 यू.ए 1620 का मालिक।
9. राम प्रसाद पुत्र धूड़ा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 23 पांचू नोखा, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 यू.ए 1267 का मालिक।
10. कानाराम गुर्जर पुत्र लक्ष्मण गुर्जर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी गुर्जर आरो का मोहल्ला बेगस जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 41 यू.ए 3027 का मालिक।
11. हरकेश गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी नयागांव, दौसा। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 जी.ए. 4957 का मालिक।
12. गोपा राम पुत्र मोडा राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी 67, सुथारो का वास उनरी तह सयाला, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 यू 0188 का मालिक।
13. गीगा राम पुत्र भोपा राम जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 28, रायला नाडा बबतरा तह सयाला, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 सी 1202 का मालिक।
14. राम सिंह यादव पुत्र उमदा राम यादव, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ढाणी गुजरवाली महरमपुर नवाब गोवर्धनपुरा, तह कोटपूतली, जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 टी.ए 0405 के मालिक।

15. राजस्थान पब्लिक स्कूल, इसके सचिव ख्याली राम यादव पुत्र श्री साधु राम यादव, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी शर्मा कॉलोनी, पावटा कोटपुतली, जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 पी.ए 0775 के मालिक।
16. मघा राम पुत्र मांगी लाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी धोलेरा कलासर बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 टी.ए 0889 के मालिक।
17. ओम प्रकाश पुत्र मामराज, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04 मलकीसर बड़ा कपूरीसर, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 8422 के मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झालाना, जिला जयपुर।

9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, दौसा।

----उत्तरदाता

(124) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12652/2024

1. लाला राम जाट पुत्र गणेश नारायण जाट, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी कोटी वार्ड नंबर 32, रिसानी, भुरथल, जिला जयपुर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.14 जी.एल.7944 का पंजीकृत मालिक)
2. मुकेश कुमार कुम्हार पुत्र भेरू राम, निवासी मीणों की ढाणी, अनंतपुरा, जैतपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-41 जी.ए. 3955 का पंजीकृत मालिक)
3. राजा अली पुत्र हफीज अली, निवासी वार्ड नंबर 13, किरडोली, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-10 जी.बी. 2890 का पंजीकृत मालिक)
4. श्रवण कुमार पुत्र बालू राम, निवासी पनलावा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, (राजस्थान) (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 टी.ए 2711 का पंजीकृत मालिक)
5. रोहिताश सैनी पुत्र महावीर प्रसाद, निवासी सातियावास, पोस्ट दयारा, तहसील खंडेला, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-13 यू.ए. 0415 का पंजीकृत मालिक)
6. सुगना पुत्री रुदाराम गुर्जर, निवासी मुसाहिब की ढाणी, हटयाज, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 जी.सी 1589 का पंजीकृत मालिक)
7. राम निवास पुत्र किशन लाल, निवासी वार्ड नंबर 1, मंडावरा, सीकर, (राजस्थान)। (पंजीकृत मालिक) वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.बी. 0427)

8. मालिक केशवानंद पब्लिक शिक्ष संस, सचिव वीरेंद्र कुमार पुत्र सतवीर सिंह, निवासी बिरानियां, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे.-23 पी.बी. 3838 का पंजीकृत मालिक)
9. कासम खान पुत्र रहमत खान, निवासी मोहल्ला मुसलमानों का, दयारा, तहसील खंडेला, जिला सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 1116 का पंजीकृत मालिक)
10. फूल चंद अचरा पुत्र महादेव अचरा, निवासी दुलथाना सवाईपुरा, जिला सीकर, राजस्थान (वाहन संख्या आर.जे-23 यू.बी 6031 का पंजीकृत मालिक)
11. गिरधारी लाल पुत्र शिवापाल, निवासी चक बाढ़ भगतपुरा, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.ए. 4768 का पंजीकृत मालिक)
12. सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सचिव राजेंद्र कुमार पुत्र प्रभाती लाल, निवासी वाई नंबर 8 श्याम पार्क के पास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे -23 पी.ए 1779 का पंजीकृत मालिक)
13. जैल सिंह पुत्र नेकी राम, निवासी मंडासी, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-18 पी.बी 1418 का पंजीकृत मालिक)
14. ईश्वर सिंह पुत्र सोहन लाल, निवासी ग्राम डाकघर घरड़ाना कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.-18 यू.ए. 8469 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ कार्यालय, जयपुर।

----उत्तरदाता

(125) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12653/2024

1. बजरंग लाल पुत्र गोपाल राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या सत्तासर, लिखमदेसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 5997 का पंजीकृत मालिक)।
2. संतोष कुमार पुत्र सोहनराम जाखड़, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 06, उदरासर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 5479 का पंजीकृत मालिक)।
3. ओमप्रकाश पुत्र लिच्छू राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ठुकरियासर, श्री इंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 3798 का पंजीकृत मालिक)
4. सोना माध्यमिक विद्यालय, मालिक शिव पाल सिंह पुत्र नंद सिंह के माध्यम से, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी सागर रोड, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 पी.बी 4070 का पंजीकृत मालिक)

5. जयवीर पुत्र मनीराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी भनीन तारानगर, चुरू (राजस्थान)।
(वाहन संख्या आर.जे 10 जी.ए 1751 का पंजीकृत मालिक)।
6. राजस्थान डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मालिक विकास सिहाग पुत्र सोहन लाल सिहाग के माध्यम से, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी एनएच 8, बगरू खुर्द, अजमेर रोड, जयपुर।
(वाहन संख्या आर.जे 14 पी.ई 5823 का पंजीकृत मालिक)
7. ताड़गोर विकास एवं शिक्षा समिति, मालिक हरिगुण लाल गुर्जर पुत्र दिलसुख गुर्जर के माध्यम से, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी गुढा चांदजी, तहसील नादोती, जिला करौली (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 14 पी.ए 6018 का पंजीकृत मालिक)।
8. थाना राम पुत्र गिरधारी लाल, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी कुटियासनी खुर्द, तहसील डेगाना, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 0290 का पंजीकृत मालिक)।
9. चंद प्रकाश पुत्र श्री माना राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 30, पिथोलाव, तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.सी 0393 का पंजीकृत मालिक)।
10. रोहित पाठक पुत्र शीलेश चन्द्र पाठक, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 13, रामगढ, तहसील दांतरामगढ, सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 यू.बी 0492 का पंजीकृत मालिक)।
11. राजू लाल पुत्र सांवलिया, उम्र करीब 42 साल, निवासी यादवों की ढाणी खाचरियावास, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 18 सी 2951 का पंजीकृत मालिक)।
12. छोटू राम पुत्र दुला राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी शिव दान पुरा, पंचवा, तहसील नावा, नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 23 सी 4168 का पंजीकृत मालिक)।

13. ओम प्रकाश पुत्र भंवर राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, जैतपुर, राइका चक, लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 49 जी.ए 2657 का पंजीकृत मालिक)।
14. विशाल पुत्र रामजी लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी जाटो का मोहल्ला, खीन्हेरा, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2288 का पंजीकृत मालिक)।
15. कसम खान पुत्र हुसैन खान, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02, धोधा, थारुसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.डी 2562 का पंजीकृत मालिक)।
16. प्रेमा राम पुत्र गिधा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी गांव डाकघर मैयासर, तहसील नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 3082 का पंजीकृत मालिक)।
17. गजन भारती पुत्र रामेश्वर भारती, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02, मलकीसर छोटा, कपूरीसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 8872 का पंजीकृत मालिक)।
18. आसाराम रोझ पुत्र हेतराम रोझ, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 10, गणेश धोरा बास, मोमासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 18 जी.ए 2264 का पंजीकृत मालिक)।
19. राम किशन पुत्र आशा राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 241, केसर देसर, जतन सुथारो की गली, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 4484 का पंजीकृत मालिक)।

20. जोधा राम पुत्र हुंता राम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी लिखमीसर, उत्तरादा, तहसील श्रीङ्गरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 8966 का पंजीकृत मालिक)।
21. शिव कुमार जाट पुत्र गोपी चंद, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, लच्छारसर, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.सी 8723 का पंजीकृत मालिक)।
22. इंगर राम पुत्र रामू राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी भावनदेसर, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 पी.ए 1687 का पंजीकृत मालिक)।
23. प्रेम सिंह पुत्र नाथू सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी गांव चुंडावत खेड़ी, तहसील मावली, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 27 जी.डी 2434 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

6. जिला परिवहन अधिकारी, नोखा, जिला बीकानेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरु, जिला चूरु।
8. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, जिला जयपुर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
11. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
12. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चुरू (राजस्थान)।
13. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
14. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

----उत्तरदाता

(126) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12710/2024

1. प्रेम कुमार पुत्र श्यो लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी भोजरासर, पोस्ट-असपालसर बड़ा, सरदारशहर, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 4928 का मालिक।
2. युसाब अली लुहार पुत्र मो. दीन लुहार, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर 12, ख्याली मोहल्ला, तारानगर, चुरू (राजस्थान), मालिक वाहन संख्या आर.जे 10 यू 0179।
3. बजरंग लाल पुत्र परसा राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी कोहिना, तारानगर, चुरू (राजस्थान), मालिक वाहन संख्या आर.जे. 25 यू.ए.0170.
4. रेवंत राम पुत्र किशना राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी खंडवा पट्टा, झरिया, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 जी.ए 0553 का मालिक।

5. चेना राम पुत्र सोहन राम बावरी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी - सोनियासर उंचैरा, बीकानेर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 44 जी.ए 0952 का मालिक।
6. गणेश नाथ पुत्र निरांन नाथ, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी रैयाटुंडा, तारानगर, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 10 यू.बी. 1106 का मालिक।
7. रिछपाल सिंह राठौड़ पुत्र रणजीत सिंह राठौड़, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी - जालेउ बारी, तह.-रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 10 जीबी 1106 का मालिक। 4949.
8. उपेन्द्र पुत्र तुलछा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी नायकों का मोहल्ला खुडेरा बीकान, तह.-रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे. 10 जीबी 5959 का मालिक।
9. लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, मालिक प्रदीप कुमार पुत्र पवन कुमार, उम्र लगभग-37 वर्ष, निवासी हिसार रोड, राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 का मालिक। पी.ए. 7355.
10. पाताराम पारीक पुत्र सहीराम पारीक, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी - राणासर बीकन, तह.-सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 9427 का मालिक

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वितीय (राजस्थान)
5. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)।
6. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला. चूरू (राजस्थान)।
7. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू (राजस्थान)।
8. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)।
9. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला। बीकानेर (राजस्थान)
11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. श्रीगंगानगर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(127) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12803/2024

1. गोरधन राम मेघवाल पुत्र फूसा राम, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी कुनपालसर, श्री झुंझुनू, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 टी.ए 0855 का पंजीकृत मालिक)।
2. भादरराम पुत्र मुखराम, निवासी डब्लू.नंबर 09, दनियासर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.ए. 2557 का पंजीकृत मालिक)।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री चंद, निवासी ग्राम डाकघर बिसरासर, तहसील रावतसर, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 49 जी.ए. 2511 का पंजीकृत मालिक)
4. भजन लाल पुत्र भंवरा राम, निवासी 25 बीबी, पदमपुर, गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2996 का पंजीकृत मालिक)

5. रोहताश पुत्र मदन लाल, निवासी मकान संख्या 37, वार्ड संख्या 02, ओढ़ां, तहसील सिरसा, हरियाणा वर्तमान में वार्ड संख्या 42, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 31 जी.बी 0669 का पंजीकृत मालिक)।
6. विमल सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, निवासी जंगिन का पुरा, करौली (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 11 यू.ए 0234 का पंजीकृत मालिक)
7. महेंद्र सिंह पुत्र आसू राम, निवासी बांकावास मार्ग, खर्चिया जैतारण, पाली (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.बी 4077 का पंजीकृत मालिक)।
8. मांगीलाल मेघवाल पुत्र तोलाराम मेघवाल, निवासी आगुणा बास, वार्ड नंबर 12, सींथल, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 टी.ए 4969 का पंजीकृत मालिक)।
9. तपेश कुमार पुत्र श्री माम राज, निवासी सवाई बड़ी, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 पी.ए. 6089 का पंजीकृत मालिक)।
10. ओमप्रकाश पुत्र सु पुत्र राम, निवासी ग्राम लालमदेसर, नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी 5519 का पंजीकृत मालिक)।
11. मांगीलाल मेघवाल पुत्र चूनाराम मेघवाल, निवासी अणखीसर, तहसील नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 0299 का पंजीकृत मालिक)।
12. पुष्कर सिंह राव पुत्र धूल सिंह, निवासी सदन मेड़ता, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 जी.डी. 3530 का पंजीकृत मालिक)।
13. भेरू लाल प्रजापत पुत्र लालू राम जी, निवासी गुडली, तहसील ग्रिवा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 27 यू.ए. 0308 का पंजीकृत मालिक)।
14. दीपचंद पुत्र कुन्दन, निवासी गडरा, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 यू.बी 0408 का पंजीकृत मालिक)।

15. आदूराम गोदारा पुत्र भीयाराम गोदारा, निवासी मकान नम्बर 61, मेघवालों का बास, गुसाईसर, बीकानेर। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी 8606 का पंजीकृत मालिक)।
16. शंकर लाल पुरोहित पुत्र प्रयाग चंद, निवासी नोखा रोड, गंगाशहर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 यू 0043 का पंजीकृत मालिक)।
17. चंदू राम पुत्र मल्लू राम, निवासी जाटो का बास, खराड़ा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2651 का पंजीकृत मालिक)।
18. कन्हैया लाल पुत्र सुख राम, निवासी वार्ड नंबर 2, बाना, झुंजरगढ़, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.बी 2351 का पंजीकृत मालिक)।
19. राजू राम पुत्र फूसा राम, निवासी वार्ड नंबर 04, समंदसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 2676 का पंजीकृत मालिक)।
20. रामू राम पुत्र बीरबल राम, निवासी खारी, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 3802 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, नोखा, जिला बीकानेर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
11. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
12. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

----उत्तरदाता

(128) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12840/2024

1. बाबूलाल पुत्र नाराणा, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4, सोनासर मलसीसर, जिला झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 जी.ए 5303 का मालिक।
2. विकास चंद्र पुत्र श्री गिरधारी लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गुगे का बास, चंदवा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. का मालिक 18 टी.ए. 3798.
3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी गली नम्बर 6, वार्ड नम्बर 2, लोहारू रोड पिलानी, चिड़ावा, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 9908 का मालिक।
4. विकास पुत्र नौरंग लाल, निवासी टोला सेही, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 7020 का मालिक।
5. विजय सिंह पुत्र रामपाल, निवासी नंगली गुजरान, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 2348 का मालिक।

6. सुरेंद्र सिंह पुत्र भाग चंद, निवासी फतेहसारी, देवगांव नवलगढ़, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 01 1 सी 0441 का मालिक।
7. प्रताप सिंह पुत्र तारा चंद, निवासी डोली तला, तहसील खेतड़ी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.बी 2129 का मालिक।
8. प्रकाश पुत्र श्री शुभकरण, निवासी चूड़ी चतरपुरा, जिला झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.ए 0407 का मालिक।
9. रितेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार, निवासी गाडजी का बास, हेतमसर, जिला झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 जी.ए 9724 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, अलवर।

-----उत्तरदाता

(129) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12851/2024

1. राम कुमार पुत्र जालू राम जाट, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट रोजा, तहसील लूणकरनसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 यू.ए 1293 का पंजीकृत मालिक)।
2. वीरेन्द्र सिंह मावल पुत्र श्री प्रेम सिंह मावल, निवासी तिवारा, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 34 यू.ए. 1237 का पंजीकृत मालिक)।
3. रामू नाथ पुत्र साला नाथ, निवासी 95, वार्ड नंबर 11, नाथूसर नाथूसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 13 यू.ए. 2072 का पंजीकृत मालिक)
4. प्रेम चंद सारण पुत्र पुरखा राम, निवासी वार्ड नंबर 06, मालिक का मौहल्ला, ग्राम गढ़वाला, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 6563 का पंजीकृत मालिक)
5. सत्य नारायण लोहार पुत्र श्री मोहन लाल जी लोहार, निवासी ओंकार लाल डांगी, रूपावली, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 जी.डी 8270 का पंजीकृत मालिक)।
6. मुकेश खिलेरी पुत्र मुनी राम, निवासी ग्राम लाखासर, तहसील श्रीङ्गरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 9801 का पंजीकृत मालिक)
7. रुधा राम पुत्र हरि राम गोदारा, निवासी वार्ड नंबर 5, ठुकरियासर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.सी. 6752 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

----उत्तरदाता

(130) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12871/2024

1. राजकुमार मीना पुत्र गणपत लाल मीना, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी सिहोट बड़ी, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 3088 का मालिक
2. आनंद कुमार आमेरिया पुत्र मदन लाल आमेरिया, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भोजासर नुआ झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू 2143 का मालिक।
3. विशाल पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी काजारा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 14 जी.सी. 2660 का मालिक।
4. नरेंद्र कुमार पुत्र गुरुदयाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 05 राजपुरा घरझाना कलां, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 जी.बी 6800 का मालिक।

5. बलबीर पुत्र राम लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बामला की ढाणी केड झुंझुनू।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.ए 1414 का मालिक।
6. रामकिशोर पुत्र सोहन लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी जेवलियावास तह. डीडवाना,
नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 2806 का मालिक।
7. हारुन पुत्र मोहम्मद सादिक, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बासनी बेलिया, नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 जी.ए 6254 का मालिक।
8. महेंद्र सिंह पुत्र शैतान सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बीका बास वार्ड नंबर 2
रतनगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 जी.बी 3642 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1,
संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर,
राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।

-----उत्तरदाता

(131) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13223/2024

1. बलबीर सिंह पुत्र श्री गंगाधर मीणा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड . संख्या 10, इमरा नवलगढ़, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -18 जी.बी-4417 के मालिक।
2. राजेंद्र सिंह पुत्र श्री बजरंग लाल, गांव आक्वा, सीकर के निवासी, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -18 यू.ए-1398 के मालिक।
3. विकास पुत्र श्री सीताराम, निवासी वार्ड नंबर -05, मेहरो की ढाणी, खंडेला, सीकर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण आर.जे -23 जी.ए-1945 के मालिक।
4. महेंद्र सिंह पुत्र श्री सावंत राम, जाजूसर, नवलगढ़, सीकर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे -18 पी.बी-1401 के मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर

-----उत्तरदाता

(132) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13244/2024

1. भगवान सिंह पुत्र धने सिंह, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी बोहरा बास, वार्ड नंबर 18, संडवा, बीदासर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.44 टी.ए.0461 का पंजीकृत मालिक)।
2. जगदीश नाथ पुत्र रामकरण नाथ, निवासी जैतासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 07 यू.ए. 0960 का पंजीकृत मालिक)।
3. कालू पुत्र नाथू राम, निवासी वार्ड नंबर 04, गोपालपुरा, बनिया का बास, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 6759 का पंजीकृत मालिक)
4. महावीर प्रसाद पुत्र इंद्र राम, निवासी गनोड़ा चरला, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 सी 5243 का पंजीकृत मालिक)
5. राजू राम पुत्र भिया राम, निवासी बजरंग पुरी, गणेश मंदिर के पास, बलभा गार्डन, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 2774 का पंजीकृत मालिक)।
6. गोपाल राव पुत्र लक्ष्मी नारायण राव, निवासी कलाल बस्ती ऋषभदेव, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 20 सी 9191 का पंजीकृत मालिक)
7. राजमल मेनारिया पुत्र वेगत राम मेनारिया, निवासी रुंडेरा वल्लभ नगर, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 यू.ए 1431 का पंजीकृत मालिक)।
8. डालचंद नागदा पुत्र श्री धन लाल जी, निवासी सीसारमा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 जी.ए 4514 का पंजीकृत मालिक)।

9. हीरा लाल लोहार पुत्र पेमा जी लोहार, निवासी 95, पुनावली, तहसील गोदुन्दा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 191 सी 6064 का पंजीकृत मालिक)।
10. भूरी लाल पुत्र कालू जी, निवासी ओबरा खुर्द, ओबरा कलां, उदयपुर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 27 जी.ए. 6718 का पंजीकृत मालिक)।
11. सोहेल बेग पुत्र नौशाद बेग, निवासी 1577, नयापुरा, सुकेत रामगंजमंडी, कोटा (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 20 सी 7774 का पंजीकृत मालिक)।
12. गुड्डी बसोड़ पुत्र कलमेश बसोड़, निवासी छोटी सरवठ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 03 टी.ए 0232 का पंजीकृत मालिक)।
13. ईश्वर लाल डांगी पुत्र बाबू लाल जी, निवासी डांगियों का मौहल्ला, ओरडी-ए, तहसील मावली, उदयपुर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 27 जी.ए. 6585 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।

6. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, रामगंजमंडी, जिला कोटा।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा।
9. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

----उत्तरदाता

(133) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13314/2024

1. राहुल सिंह खेदड़ पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी सी-49 गोविंद नगर कलवार रोड, जयपुर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 3074 का मालिक।
2. नाथू लाल टेलर पुत्र रामनिवास टेलर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रोडाबास रस्ते पार बाबायचा अजमेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 08 यू 0104 का मालिक।
3. बिनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, मंडावा झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी 7426 का मालिक।
4. सुरेश चंद पुत्र रामदीन राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी लोरोली खुर्द नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 06 सी 3086 का मालिक।

5. रामावतार पुत्र शंकर लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04 सांड चौक सुजानगढ़। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.10 पी.ए. 7416 का मालिक।
6. रेखा राम पुत्र मोटा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मारोठिया तह सुजांजर, जिला चूरू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 3992 का मालिक।
7. जवाहर लाल सिंवर पुत्र निराणा राम सिंवर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, जाट मोहल्ला आढतरी सुजानझार, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 4856 का मालिक।
8. ताराचंद भांभू पुत्र हरिराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04, ढाडेरू भामुवान बीदासर, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 8019 का मालिक।
9. मो जफर खान पुत्र ए के खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बी-133 इंद्रा नगर, झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 1483 का मालिक।
10. संस्कार वैली शिक्षण संस्थान, इसके सचिव सुरेश कुमार पुत्र रूपाराम उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बागरा, भानमाल, जालोर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 पी.ए. 1255 का मालिक।
11. अजय सिंह गुर्जर पुत्र बाबू सिंह गुर्जर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, भोपुर, शाहपुर तह महवा, दौसा। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 यू.ए 4592 का मालिक।
12. प्रकाश पुत्र गोपाल राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी हनुमान नागौर भेलू नोखा, बीकेएन टू 8 07 22 नोखा, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 2014 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झालाना, जिला जयपुर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, दौसा।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।

----उत्तरदाता

(134) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13321/2024

1. राम लाल पुत्र गंगा राम, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी भैरुपावा, कानासर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 8637 का पंजीकृत मालिक)।

2. माम राज पुत्र श्री लिचू राम, निवासी पायली, रतनगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3638 का पंजीकृत मालिक)।
3. काला सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी वार्ड नंबर 10, 30 जीजी, चूनावढ़, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 सी 2931 का पंजीकृत मालिक)
4. बनवारी लाल मालिक पुत्र बोदु राम, निवासी बालाजी नगर, स्टेशन रोड, कुचामन सिटी, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.बी. 3784 का पंजीकृत मालिक)
5. नारायण राम गोदारा पुत्र फूसा राम गोदारा, निवासी वार्ड नंबर 03, सहजरासर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.18 यू.बी.2635 का पंजीकृत मालिक)
6. पेमाराम पुत्र धूडाराम, निवासी वार्ड नंबर 01, बंधा, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 टी.ए. 0702 का पंजीकृत मालिक)
7. राजूराम पुत्र भेराराम, निवासी गिराजसर, कोलायत, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 पी.ए 2317 का पंजीकृत मालिक)।
8. सहीराम पुत्र लालाराम, निवासी मकान नंबर 31, खियेरा, लूणकरणसर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 टी.ए 4178 का पंजीकृत मालिक)।
9. भंवर लाल पुत्र गोपाल राम, निवासी 158, रामदेव मंदिर के पास, बंगला नगर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3294 का पंजीकृत मालिक)।
10. गोपीदास पुत्र रामदास, निवासी मकान नंबर 235, शेखसर, ट्यूबवेल के पास, लूणकरणसर, बीकानेर ((राजस्थान)) (वाहन नंबर आर.जे 07 जी.डी 4324 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(135) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13457/2024

1. गीता देवी पत्नी बनवारी लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी विजयपुरा तह लक्ष्मणगढ़, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 8709 का मालिक।
2. रघुनाथ सिंह सेवदा पुत्र बेगा राम सेवदा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी रूपपुरा तह धोद, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 टी.ए 0462 का मालिक
3. . पवन कुमार पुत्र बरजमोहन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, राजपुरा सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 4282 का मालिक।

4. हीरा लाल पुत्र जीवन राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी कुमावतों की ढाणी टोडास तह नावा, जिला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.बी. 1002 का मालिक।
5. नानू राम माली पुत्र राजू राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी मालियों की ढाणी पीह नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 2456 का मालिक।
6. सुरेश पुत्र बंशीधर, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भुकाना झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.सी. 2440 का मालिक।
7. ओम प्रकाश पुत्र कमलेश कुमार, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी रघुनाथपुरा, झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 1865 का मालिक।
8. गजेंद्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी इंद्रा कॉलोनी मालगढ़ तह आहोर जिला जालोर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 22 जी.बी. 3312 का मालिक।
9. अमर सिंह पुत्र करणी सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी शिवपुरी बीदासर कटार चूरू, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 5872 का मालिक।
10. रेम शंकर गमेती पुत्र धूला जी गमेत, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 1274 अंबा तलाई तह गोगुंदा उदयपुर। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 27 यू.ए 6725 का मालिक।
11. रूप लाल पुत्र केशा राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी चना की उमर तह. कोटड़ा, उदयपुर। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 23 यू.ए 83 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, उदयपुर।

----उत्तरदाता

(136) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13482/2024

1. भगवाना राम पुत्र गुला राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी सारनो का बास, संडवा, तहसील बीदासर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.44 जी.ए.2966 का पंजीकृत मालिक)।
2. राम निवास जाट पुत्र राम रख राम, निवासी साहू छोटी, सुजानगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 यू.ए.4462 का पंजीकृत मालिक)।

3. देवा राम पुत्र श्री जीवा राम, निवासी बोथिया बास, सुजानगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 10 पी.ए. 1285 का पंजीकृत मालिक)
4. अब्दुल सत्तार पुत्र इशाक मोहम्मद, निवासी वार्ड नंबर 11, नगीना बाजार, बीदासर, सुजानगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.ए. 2230 का पंजीकृत मालिक)
5. मुनीर खान पुत्र शाबाज खान, निवासी झारीडीह, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, डीडवाना ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 सी 3749 का पंजीकृत मालिक)।
6. कालू राम पुत्र जीसुख राम, निवासी कुनांगर, वार्ड नंबर 03, पीपेरा, बीकेएन बस स्टैंड, सूरतगढ़, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 3660 का पंजीकृत मालिक)
7. अमरजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह, निवासी मिर्जेवाला, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 7689 का पंजीकृत मालिक)।
8. वीरेंद्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह, निवासी 8 ईईए, पदमपुर, श्री गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 सी 5440 का पंजीकृत मालिक)।
9. चन्द्राराम जाट पुत्र धरमराम जाट, निवासी आलसर बास, सुजानगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.ए. 3193 का पंजीकृत मालिक)।
10. मंगल चंद पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी वार्ड नंबर 05, सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 पी.ए. 1484 का पंजीकृत मालिक)।
11. हंसराज पुत्र माना राम पूनिया, निवासी बालासर, सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान)) (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 4316 का पंजीकृत मालिक)।

12. सुरजाराम पुत्र तोलाराम, निवासी ढाणी कुम्हारान, सुजानगढ़, चूरु। (वाहन क्रमांक आर.जे.44 जी.ए.1072 का पंजीकृत मालिक)।
13. प्रभु दास पुत्र राजू दास, निवासी 127/11, रडवाई रावला, तहसील कोलायत, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 5824 का पंजीकृत मालिक)।
14. प्रहलाद पुत्र गणपत राम, निवासी धनेरू, तहसील श्री झुंजरगढ़, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 सी 5465 का पंजीकृत मालिक)।
15. बीरबल राम पुत्र जीवन राम, कांकरिया, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 सी 3604 का पंजीकृत मालिक)।
16. विक्रम पुत्र उमा राम, निवासी बड़ला का बास, कुचामन सिटी, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 6882 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरु ((राजस्थान))
5. जिला परिवहन अधिकारी, चूरु, जिला चूरु।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।

7. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(137) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13564/2024

1. मदन लाल पुत्र सोहन लाल, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ग्राम फणीसर, तहसील लूणकरणसर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 6114 का पंजीकृत मालिक)।
2. कैलाश चौधरी पुत्र हनुमान चौधरी, निवासी बंगला नगर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 2763 का पंजीकृत मालिक)।
3. ओम प्रकाश पुत्र लाल चंद, निवासी ताजियों चौकी मस्जिद, वार्ड नंबर 30, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 5042 का पंजीकृत मालिक)
4. बनवारी लाल पुत्र पूर्ण राम शर्मा, निवासी भूकरका (मांगल बास), तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन नंबर आर.जे. 31 जी.ए. 2265 का पंजीकृत मालिक)
5. मोहम्मद रमजान पुत्र सादिक, निवासी वार्ड नंबर 04, लखवाली, हेड 5 एलके हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 2473 का पंजीकृत मालिक)।
6. जयराम जाजड़ा पुत्र सांवत राम जाजड़ा, निवासी जाजड़ों का मौहल्ला, सुवाडिया बास, जायल, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 2678 का पंजीकृत मालिक)

7. मोहस रफीक खान पुत्र नेकू खान निवासी डुकोसी, नागौर ((राजस्थान)) (वाहन संख्या आर.जे 09 सी 1731 का पंजीकृत मालिक)
8. प्रकाश पुत्र कुन्दन लाल, निवासी 4 टीके 5 टीके, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 31 यू.ए. 6362 का पंजीकृत मालिक)।
9. भंवर लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी ढाणी नोलावाली, तापीपल्या, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 यू 0380 का पंजीकृत मालिक)।
10. हनुमान राम पुत्र हरि राम, निवासी मकान नंबर 10, खातियों का बास, भराली, तहसील डेगाना, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 144 सी 7143 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।

7. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(138) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13578/2024

1. साबिर अली पुत्र मुन्ना अली, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बुडाना जिला झुंझुनू ((राजस्थान)) वाहन क्रमांक आर.जे 18 यू.ए 1278
2. हरिमोहन शर्मा पुत्र चंद्र शेखर शर्मा, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी कनवास सांगोद जिला कोटा ((राजस्थान)) वाहन क्रमांक आर.जे 20 सी 5866
3. चंदन वैष्णव पुत्र चंदन वैष्णव धर्म वीर वैष्णव, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी खंडिया कॉलोनी जिला-झालावाड़ ((राजस्थान)) वाहन क्रमांक आर.जे 17 जी.ए 7421

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर ((राजस्थान)) के माध्यम से।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, झुंझुनू ((राजस्थान))
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ अधिकारी कोटा ((राजस्थान))

----उत्तरदाता

(139) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13604/2024

1. राजकुमार पुत्र सुमेर सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी हरपालू सांवल राजगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन क्रमांक आर.जे 10 यू.ए 0351 का मालिक।
2. लीलाराम पुत्र तुलाराम, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी-वाड क्रमांक 04, करणी मंदिर के पास, तारानगर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन क्रमांक आर.जे. का मालिक 10 जी.ए. 8784.
3. अस्त अली खान पुत्र हबीब खान, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी शिमला, सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए 3047 का मालिक।
4. अल्लादीन खान पुत्र खुदा बक्स खान, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी- 45 मस्जिद के पास-इआखोली तहसील-डीडवाना, नागौर ((राजस्थान)), वाहन का मालिक क्रमांक आर.जे 13 यू 0076।
5. ज्ञाना राम पुत्र श्रीचंद राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- हरिजन मोहल्ला, सोमसीसर, तारानगर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन क्रमांक आर.जे 32 जी.ए 1399 के मालिक।
6. श्री अख्तर खान पुत्र हाकम अली, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- गोयल अस्पताल, वाड क्रमांक 24, चूरू ((राजस्थान)), वाहन क्रमांक आर.जे 10 टी.ए 0395 के मालिक।
7. हरि सिंह पुत्र श्री। प्रताप राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी- बलाल सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे 146 सी 5424 का मालिक।
8. सुरेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी- वाड नंबर 04, घंटेल, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे 10 जीबी 5633 का मालिक।
9. सुभाष पुत्र हरि सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी सेठवा राजगढ़, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 10 जीबी 1733 का मालिक।

10. राज कुमार जांगिड़ पुत्र बीरबल राम जांगिड़, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 11, दूधवाखारा, थीसिल-चूरू, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. का मालिक। 10 जी.ए. 3959

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वितीय ((राजस्थान))
5. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू ((राजस्थान))।
6. जिला परिवहन अधिकारी सुजानगढ़, जिला. चूरू ((राजस्थान)).
7. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू ((राजस्थान)).
8. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर ((राजस्थान)).
9. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू ((राजस्थान))
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. बीकानेर ((राजस्थान))
11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. नागौर ((राजस्थान))

-----उत्तरदाता

(140) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13656/2024

1. बजरंग शर्मा पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी सलाहदीपुरा पोस्ट रामजीपुरा, तहसील फुलेरा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 142 सी 4420 का पंजीकृत मालिक)।
2. तंवर सिंह खिंची पुत्र मदन सिंह, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी 5-बी-8 विज्ञान नगर, कोटा (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.20 जी.बी.9853 का पंजीकृत मालिक)।
3. सुभाष जाखड़ पुत्र मांगी लाल जाखड़, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5 रीरी बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 जी.सी 0191 का पंजीकृत मालिक)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 9046 का पंजीकृत मालिक)।
4. जितेंद्र कुमार भंसाली पुत्र गौतम चंद भंसाली, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी 6 घ 2, पवनपुरी दक्षिण बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 6062 का पंजीकृत मालिक)।
5. भंवर सिंह पुत्र शेतान सिंह, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या-13 देह, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 पी.बी 4638 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय झालाना, जयपुर, जिला जयपुर (राजस्थान)
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय कोटा, जिला कोटा (राजस्थान)।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय श्री गंगानगर, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

(141) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13722/2024

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम उरीका, झुंझुनू, ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 जी.ए-2575 का मालिक।
2. संगीता देवी पत्नी श्री श्रवण कुमार, निवासी देवी पुरा, नवलगढ़, झुंझुनू, ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 जी.बी-1631 की मालिक।
3. महावीर सिंह पुत्र श्री मूला राम, निवासी वार्ड नंबर 13, छौसारी, झुंझुनू, ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण आर.जे-18 टी.ए-3862 का मालिक।
4. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री राम चन्द्र यादव, निवासी मेहरो की ढाणी, खंडेला, सीकर, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-09 सी-3702 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू। 5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।

----उत्तरदाता

(142) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13736/2024

केशर सिंह पुत्र खींव सिंह (मृतक के बाद से), अपने कानूनी प्रतिनिधि श्रीमती के माध्यम से।
इंदर कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री केशर सिंह, उम्र लगभग 82 वर्ष, निवासी ग्राम। - जाखल, नवलगढ़,
झुंझुनू ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-13 सी-0281 का मालिक

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(143) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13768/2024

1. खुमा राम पुत्र घीसा राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी किसनपुरा बिरानिया तह फ़तेहपुर, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 8605 का मालिक।
2. रामदेव अचारा पुत्र लाल चंद अचारा, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी इडियों की ढाणी सुंदरिया दांतारामगढ़, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए 3803 का मालिक।
3. सुरेंद्र कुमरा पुत्र श्री ओंकार मल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी भाठोठ तह लक्ष्मणगढ़, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 6526 का मालिक
4. जगमाल सिंह बलोदा पुत्र शिव करण राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बास बजावा झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 सी 3034 का मालिक।
5. महेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गिरधरपुरा नवलगढ़, झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जीबी 9646 का मालिक।
6. रणजीत पुत्र मंगेजा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8 भादान बुहाना, झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18.यू.ए. 8190 का मालिक।

7. खुशी मोहम्मद पुत्र सादिक, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी काजियो की ढाणी गोविंदपुरा तह चिड़ावा, झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 यू.ए 0598 का मालिक।
8. मोहम्मद असलम पुत्र अब्दुल गफ्फार, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी अमरपुरा तह डीडवाना, नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 06 यू 0263 का मालिक।
9. जेठ मल तिवारी पुत्र श्री लाल तिवारी, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 28 हनुमान धोरे की पास जोरावरपुरा नोखा, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.ई 0807 का मालिक।
10. लक्ष्मण राम सारण पुत्र रामरखराम सारण, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी खधलसर सुजानगढ़, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 13 जी.बी 0989 के मालिक।
11. पूस सिंह राजपूत पुत्र भेरू सिंह राजपूत, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बांस बीदासर, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 21 जी.बी 7411 के मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।

----उत्तरदाता

(144) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13785/2024

1. भंवर लाल पुत्र गंगा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी तखारो की ढाणी, रेलवे स्टेशन के पास, भढाल, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 9670 का पंजीकृत मालिक)।
2. हनुमान लाल यादव पुत्र लादू राम, निवासी लोहरवाड़ा, खीरी मिलक, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 8105 का पंजीकृत मालिक)।
3. राम सिंह शेखावत पुत्र प्रेम सिंह, निवासी जुनसिया इटावा, तेह की रेनवाल, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 41 यू.ए. 3712 का पंजीकृत मालिक)
4. लिछमण सिंह पुत्र पोखर मल, निवासी 168-साला वाली ढाणी, अस्ती कलां, तहसील चोमू, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 41 टी.ए. 0763 का पंजीकृत मालिक)
5. सागर मल यादव पुत्र रुदा राम यादव, निवासी झाड़वालों की ढाणी, अस्ती कलां, चौमू, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 यू.एफ 7088 का पंजीकृत मालिक)।

6. मोहन लाल पुत्र नन्चू लाल, निवासी 24 बड़ के पास, सामोद रोड, चोमू, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 14 यू 2822 का पंजीकृत मालिक)
7. झाबर मल जाट पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी चारणा वाली ढाणी, हेस्टेडा, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 टी.ई 7717 का पंजीकृत मालिक)।
8. मोती राम ताखर पुत्र गंगा राम ताखर, निवासी काली का खाना, बधाल, फुलेरा, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 36 टी.ए. 0206 का पंजीकृत मालिक)।
9. प्रभात शर्मा पुत्र नानग राम, निवासी विमलपुरा, कनारपुरा, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.ए. 3076 का पंजीकृत मालिक)।
10. मुमताज अली पुत्र इंदु खां, निवासी 313, पठानों का मौहल्ला, हस्तेडा, चौमू, जयपुर। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 यू 0332 का पंजीकृत मालिक)।
11. जेम्स किड्स एकेडमी, सचिव/मालिक मुकेश कुमार चौधरी पुत्र देवा राम चौधरी, निवासी इंगरी खुर्द, पावर हाउस की रेनवाल के पास, जयपुर ((राजस्थान)) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे.41 पी.ए. 0570 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

4. जिला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चोमू, जिला जयपुर।
5. जिला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर।

----उत्तरदाता

(145) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13825/2024

1. ओम प्रकाश पुत्र नाथू राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी ढाणी बोरान की, ठिकरिया तहसील नीम का थाना, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.सी. 3735 का पंजीकृत मालिक)
2. खुमाणा राम महला पुत्र रूधा राम, निवासी सामी, खूर तहसील दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-19 सी 9049 का पंजीकृत मालिक)
3. किशोर लाल पुत्र सुरजा राम, निवासी कृपाराम की ढाणी, पोस्ट सुडोद, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.सी. 0568 का पंजीकृत मालिक)
4. सचिव आदर्श बालनिकेतन सैन, सचिव रणवीर सिंह पुत्र राम बक्श, निवासी कृष्णा कॉलोनी, सांवली रोड, चंदपुरा, सीकर, (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 पी.बी. 3378 का पंजीकृत मालिक)
5. घोसल्या चिल्ड्रेन एकेडमी, सचिव शंकर सिंह घोसल्या पुत्र गोरुराम घोसल्या, निवासी ढाणी घोसल्या वाली, भरनी, सीकर, (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे.-18 पी.ए.9312 का पंजीकृत मालिक)

6. पवन कुमार मंगावा पुत्र फूल चंद मंगावा, निवासी फूटली, रलावता, सीकर राजस्थान।
(वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.बी. 1595 का पंजीकृत मालिक)
7. राज कंवर पत्नी समदर सिंह, निवासी रेलवे फाटक नंबर 3, कृषि उपज मंडी के पीछे, वार्ड नंबर 36 सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.ए. 0811 का पंजीकृत मालिक)
8. सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री झाबर, निवासी वीपीओ उषापुरा, झुंझुनू, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 7970 का पंजीकृत मालिक)
9. सविता सिंगड़ा पत्नी महेश कुमार, निवासी सीगरा, जिला झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 सी 3439 का पंजीकृत मालिक)
10. कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र सोहन लाल शर्मा, निवासी ढाणी दौलत सिंह की बानसूर अलवर, टेम्पल-लेट का बास, शाहपुरा, जयपुर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.-14 यू.एफ 7814 का पंजीकृत मालिक)
11. जमीला बानो पत्नी खान मोहम्मद खान, निवासी पी.एन.ओ. 25, संजय नगर, जोशी मार्ग, कलवार, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान। (वाहन क्रमांक आर.जे.-14 यू 2686 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ कार्यालय, जयपुर।

----उत्तरदाता

(146) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13841/2024

1. कैलाश चंद पुत्र बक्सू राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी फागलवा, जिला सीकर ((राजस्थान)) (वाहन संख्या आर.जे-23-यू.बी-4526 का पंजीकृत मालिक)।
2. तेजपाल यादव पुत्र बद्री प्रसाद यादव, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 34, लेसावा ढाणी खेजरोली, तहसील चोमू, जिला जयपुर ((राजस्थान)) (पंजीकृत वाहन मालिक संख्या आर.जे-41-यू.ए-3357)
3. पीथा राम पुत्र भैरू राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी बल्लूपुरा, बोसाना, तहसील धोद, जिला सीकर ((राजस्थान)) (पंजीकृत वाहन मालिक संख्या आर.जे-18-जी.बी-8542)
4. विनोद कुमार शर्मा पुत्र रूप नारायण शर्मा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 15, थोई, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर ((राजस्थान)) (पंजीकृत वाहन मालिक संख्या आर.जे-21-सी-5534)

5. बजरंग सिंह चौधरी पुत्र नवल किशोर चौधरी, उम्र लगभग 34 साल, निवासी 183, छिला की ढाणी नांगल कलां, तहसील चौमू, जिला जयपुर ((राजस्थान)) (वाहन नंबर आर.जे.-19-यू.ए.-1194 का पंजीकृत मालिक)
6. शब्बीर खान पुत्र भवर खान, उम्र लगभग 37 साल, निवासी धनोटा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ((राजस्थान)) (वाहन नंबर का पंजीकृत मालिक) आर.जे-23-यू.बी-9370)
7. सुभाष कुमार गुर्जर पुत्र प्रभु दयाल गुर्जर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2 मोहनपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ((राजस्थान)) (वाहन नंबर आर.जे-23-यू.बी-3743 का पंजीकृत मालिक)
8. शिव गोपाल कुमावत पुत्र राम प्रसाद कुमावत, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19 हनुमान जी का कुवा, चेजारो का मोहल्ला, पालवास रोड सीकर, जिला सीकर ((राजस्थान)) (वाहन संख्या आर.जे-14-यू-3690 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर ((राजस्थान))
5. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर ((राजस्थान))

6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर ((राजस्थान))

----उत्तरदाता

(147) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13844/2024

1. हरि राम पुत्र मोटा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भानीपुरा, तहसील सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान))। (पंजीकृत मालिक वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 3663)।
2. हड़मान सिंह पुत्र करणी सिंह, निवासी वार्ड संख्या 09, लालासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर ((राजस्थान))। (पंजीकृत मालिक वाहन संख्या आर.जे 21 जी.सी 5894)।
3. रामकरण जाट पुत्र श्रवण सिंह, निवासी आडसर, बीकानेर ((राजस्थान))। (पंजीकृत मालिक वाहन संख्या आर.जे 07 जी.डी 6530)।
4. रमेश चंद्र पुत्र मणि लाल गर्ग, निवासी टी/ए रिजर्व पुलिस लाइन्स, डूंगरपुर, पी/ए भूधर, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 12 सी 1557 का पंजीकृत मालिक)।
5. हरिओम इंटरप्राइजेज, मालिक मनीष अग्रवाल पुत्र हरि वल्लभ अग्रवाल, निवासी बी-65, बापू नगर सेंथी, चित्तौड़गढ़ ((राजस्थान)) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे. 09 जी.ई. 3189 का पंजीकृत मालिक)।
6. अब्दुल जब्बार नीलगर पुत्र मोहम्मद इस्मिल नीलगर, निवासी पांसल चौराया, एकता नगर, भीलवाड़ा ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.ए 2836 का पंजीकृत मालिक)।

7. सीता राम प्रजापत पुत्र मांगी लाल प्रजापत, निवासी बोबासर, सुजानगढ़, टैक्स-एलएसटी, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.ए. 1708 का पंजीकृत मालिक)।
8. प्रभु पुरी पुत्र बिला पुरी, निवासी जाओली रेन, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 9837 का पंजीकृत मालिक)।
9. साहब राम पुत्र राम चंदर, निवासी 15 एच, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 2658 का पंजीकृत मालिक)।
10. सुख दास पुत्र मोहन दास, निवासी वार्ड नंबर 13, गिराजसर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 1236 का पंजीकृत मालिक)।
11. राजवीर पुत्र गुरुमीत कुमार, निवासी ग्राम 42 एनपी, रायसिंहनगर, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3773 का पंजीकृत मालिक)।
12. हिम्मत सिंह पुत्र गंगा सिंह, निवासी मकोड़ी, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 191 सी 0041 का पंजीकृत मालिक)।
13. संजय सिंह जादौन पुत्र स्व. कलभान सिंह, निवासी हरनगर, तहसील करौली, जिला करौली ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 34 यू.ए. 1139 का पंजीकृत मालिक)।
14. हबीब खान पुत्र मल्ले खान, निवासी 237, कोरी धवेचा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.46 जी.ए.3915 का पंजीकृत मालिक)।
15. रूगा राम पुत्र अमरा राम, निवासी सुथारो की ढाणियां सारणों की ढाणी, बाडमेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.ए. 6133 का पंजीकृत मालिक)।
16. दया राम पुत्र तगा राम, निवासी धोरीमन्ना, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 04 जी.ए 2707 का पंजीकृत मालिक)।

17. अमर ज्योति विद्या पीठ एस. शोड, मालिक हुकमा राम चौधरी पुत्र खियाराम, निवासी तेजियावास, तहसील गुडामालानी, बाडमेर ((राजस्थान)) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे. 19 पी.ए. 6225 का पंजीकृत मालिक)।
18. वीर तेजा पब्लिक स्कूल, प्रोपराइटर जालम सिंह पूनिया पुत्र चुना राम चौधरी, निवासी वीर तेजा पब्लिक स्कूल, सरला, बाडमेर ((राजस्थान)) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 15 पी.ए 1700 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, झुंजरपुर, जिला झुंजरपुर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
7. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
8. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
9. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।

11. जिला परिवहन अधिकारी, भीनमाल, जिला जालौर।
12. जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर, जिला बाड़मेर।

----उत्तरदाता

(148) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13878/2024

1. राडमल सिंह पुत्र लिछमण राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मोरङ्गा, तह धोद सीकर।
((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 9068 का मालिक।
2. भाना राम पुत्र नोपा राम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी टिडोकी छोटी लक्ष्मणगढ़, सीकर।
((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 7464 का मालिक।
3. बजरंग सिंह पुत्र बोदु राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मौलसर तह डीडवाना जिला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.बी. 0134 का मालिक।
4. गणपत लाल पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी मगरा बास लाडनूं जिला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.बी 2454 का मालिक।
5. यूनुस खान पुत्र इसुब अली, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सुपका डीडवाना, नागौर।
((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 7343 का मालिक।
6. कृष्ण बाल भारती शिक्षण संस्थान, इसके सचिव जगदीश पुत्र रामसुख उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रताऊ तह लाडनूं, नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 पी.ए. 3024 का मालिक।
7. इमरान पुत्र नासिर खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मल्ला बासनी तह डीडवाना, नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 0417 का मालिक।

8. राम लाल बजाड़ पुत्र मांगी लाल बजाड़, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी तेजाजी चौक के पीछे नानसियावास अजमेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.बी. 0512 का मालिक।
9. मोहन लाल पुत्र हनुमान प्रसाद, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04, रामगढ़, तेह दांतारामगढ़, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 20 यू.ए. 0717 का मालिक।
10. रामनिवास पुत्र रामदीन, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम खानवर, पोस्ट रोल तहसील जायल, नगौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 आर.एच 8841 के मालिक।
11. राजेश पुत्र सही राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी बिचपुडी तह डेगाना जिला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 7544 के मालिक।
12. ओमप्रकाश पुत्र मोहन राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी डकोरिया नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.डी 9157 के मालिक।
13. नत्थू खान पुत्र भवरे खान, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी भैरू खीरा, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 4258 के मालिक।
14. नवलाराम पुत्र हीराराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08 गिराजसर, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 यू 0098 का मालिक।
15. राम सिंह पंवार पुत्र पन्ने सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 39 माताजी मंदिर रोड पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 टी.ए 0457 का मालिक।

16. रामशरण जाट पुत्र हनुमान जाट, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 357 खेडावैया प्रेम नगर मंढा कोटपूतली, जयपुर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 09 जी.ए 3202 का मालिक।
17. महिपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी भीजी तेली की ढाणी राजनोटा कोटपूतली, जयपुर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 यू 0121 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।

-----उत्तरदाता

(149) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13916/2024

1. आशीष कुमार पुत्र मांगे राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी कुलोठ खुर्द, जिला झुंझुनू, ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू 0416 का मालिक।
2. जय पाल जाट पुत्र हनुमान, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी सेसू मलसीसर, जिला झुंझुनू, ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जीबी का मालिक। 9062.
3. मुकेश कुमार पुत्र राम प्रसाद सैनी, निवासी दरोगा की ढाणी वार्ड नंबर 29 नवलगढ़, झुंझुनू, ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 टी.ए 0238 का मालिक।
4. रामस्वरूप पुत्र नाथू राम, निवासी बिरमी, झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 05 यू.ए 1276 का मालिक।
5. रामस्वरूप नूनिया पुत्र फूला राम, निवासी नूनिया गोठरा, चिड़ावा जिला झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 सी 4038 का मालिक।
6. संदीप पूनिया पुत्र राम निवास, निवासी वार्ड नंबर 6, बिशनपुरा, जिला झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.18 यू.ए.9636 का मालिक।
7. महेश कुमार पुत्र मंगला राम, निवासी जाटो का मोहल्ला, डुमरा नवलगढ़, जिला झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जीबी 9963 का मालिक।
8. रोहिताश पुत्र श्री महावीर प्रसाद, निवासी गुजरा की ढाणी, लोहारगल नवलगढ़, जिला झुंझुनू, ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 3530 का मालिक।
9. श्री मां भारती पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, चिड़ावा ((राजस्थान)) प्रधानाचार्य श्रीमती संतोष देवी शर्मा पत्नी सत्यनारायण के माध्यम से निवासी वार्ड नंबर 22, शिव मार्ग, चिड़ावा, जिला झुंझुनू वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 पी.ए 1622 का मालिक।

10. सेठ शिव दत्त राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बड़ागांव, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ((राजस्थान)) सिद्धांत के माध्यम से सांवर मल सोनी पुत्र जुगल किशोर निवासी बरनगांव, जिला झुंझुनू वाहन पंजीकरण नंबर आर.जे 18 पी.ए. का मालिक 1863.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, भरतपुर।

----उत्तरदाता

(150) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13923/2024

फते सिंह पुत्र रूप सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी श्यामपुरा मताना झुंझुनू (राजस्थान) महिंद्रा पिकअप वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 2572 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(151) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13924/2024

जितेंद्र सिंह पुत्र देव करण सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी नारी जोधा का बास, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू ((राजस्थान)) महिंद्रा जीप बियरिंग वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 सी 4825 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(152) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13962/2024

1. बंसी लाल पुत्र धन्ना राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी श्योता का बास, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 2944 का मालिक।
2. हेमराज गुर्जर पुत्र बद्री लाल गुर्जर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी उन्टिटाना घास टोंक। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 26 सी 1039 का मालिक।
3. मदन लाल माली पुत्र रामस्वरूप माली, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बनेठा उनियारा, टोंक। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 25 जी.ए 5973 का मालिक।
4. लीला राम पुत्र नरसा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रायला मराग तल्याणा सायला जालोर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 जी.ए 1434 का मालिक।
5. सूखा राम पुत्र हरदेव राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी डाबरा तह डीडवाना, मौलासर नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए 2117 का मालिक।
6. भेजा गया सोल्डर शिक्षण संथान, इसके सचिव राम करण पुत्र झुमेरा राम उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी भंथरी डीडवाना, नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 पी.बी. 1536 का मालिक।
7. जे.एस. शेखावाटी पब्लिक स्कूल, इसके सचिव विजय सिंह पुत्र जोरावर सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भीमसर सुजानगढ़, चूरु। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 44 पी.ए 0329 का मालिक।

8. रामप्रताप पुत्र गोरधनराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी लखारा शिव मंदिर के पास नोखा, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 जी.डी 3920 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, टोंक।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सवाई माधोपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालोर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।

----उत्तरदाता

(153) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13965/2024

1. शकुंतला बाई पत्नी कैलाश चंद मीना, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी मीणों की ढाणी अभयपुरा जयपुर, ((राजस्थान))- 303603. (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा कमांडर 650 एमडी टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.ए. 5430)।
2. बृजेन्द्र कुमार पुत्र हरि नारायण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, नाइयों का मौहल्ला टिगरिया चौमू, जयपुर, ((राजस्थान))-303804। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा कमांडर 650 डी.एल 4 स्पो-टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.बी 9781)।
3. शिव पाल सिंह शेखावत पुत्र पूरण सिंह शेखावत, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी 13 सांसी लेसवा अगली लोठी के पास खातीपुरा तहसील चोमू जयपुर ((राजस्थान))-99999। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा मैक्स टू व्हील ड्राइव 5 डोर्स), पंजीकरण संख्या आर.जे. 14 यू.बी. 9799)।
4. सुमन कंवर पत्नी कालू सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी बीलवाड़ी विराट नगर जयपुर ((राजस्थान))-303102। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा सी.डी.आर. 650 एम.डी. टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे. 142 सी 8243)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार के माध्यम से, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, शंकर मार्ग, जयपुर राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ चोमू, जयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

(154) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13969/2024

1. रामेश्वर लाल जटिया पुत्र मांगी लाल जटिया, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 09 जी.ई. 3192 का पंजीकृत मालिक)।
2. कर्ण पाल पुत्र राम कुमार यादव, निवासी नावता पचेरी छोटी, झुंझुनू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 18 यू.बी. 3007 का पंजीकृत मालिक)।
3. बुधराम पुत्र रति राम, निवासी वार्ड नंबर 02, ढाणी परमाकावाली कोल्याली कालोता, खेतड़ी, झुंझुनू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.18 जी.सी.3544 का पंजीकृत मालिक)।
4. हरपिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह, निवासी 11 जेड, श्री गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 सी 5420 का पंजीकृत मालिक)।
5. जयप्रकाश पुत्र श्रीराम, निवासी वार्ड नंबर 8, उदरसर, श्री हूंगरगढ़, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 1494 का पंजीकृत मालिक)।

6. राकेश कुमार पुत्र भगवान सिंह, निवासी भाकरवासी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 23 यू.ए. 3755 का पंजीकृत मालिक)।
7. माम राज पुत्र श्री लिचू राम, निवासी दयाली, रतनगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3638 का पंजीकृत मालिक)।
8. सुंदर भान पुत्र जगदीश राम, निवासी वार्ड नंबर 22, पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे. 31 टी.ए. 0209 का पंजीकृत मालिक)।
9. प्रहलाद सिंह पुत्र नारायण सिंह, निवासी वार्ड नंबर 14, सिंघानिया, मोह.फतेहपुर शेखावाटी, सीकर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 यू.ए. 0175 का पंजीकृत मालिक)।
10. मुकेश कुमार सैनी पुत्र भैरू राम सैनी, निवासी मुकंदगढ़, मंडी नवलगढ़, झुंझुनू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 146 सी 5306 का पंजीकृत मालिक)।
11. फकीर चंद पुत्र हंसराम, निवासी मकान नंबर 215 अप स्वास्थ्य, केंद्र के पास, चिड़िया गांधी, गांव 6 सदर, तहसील भादरा, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 143 सी 0459 का पंजीकृत मालिक)।
12. ओम सिंह पुत्र इंगर सिंह, निवासी अस्त्रासरदारशहर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.ए.2042 का पंजीकृत मालिक)।
13. लिछमण राम पुत्र सुखा राम, निवासी ज्याक सुजानगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 01 सी 6892 का पंजीकृत मालिक)।
14. जयमल पुत्र लालू राम, निवासी 13 एलएनपी ठकरावाली, ढाणी, श्रीगंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.5242 का पंजीकृत मालिक)।

15. सुरेश कुमार पुत्र बोराराम जी, निवासी 755, खेड़ा का जाव, जोजावर, जिला पाली। (वाहन संख्या आर.जे. 34 यू.ए. 0007 का पंजीकृत मालिक)।
16. सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, मालिक ओम प्रकाश पुत्र मनफूल राम, निवासी सादुलशहर, गंगानगर ((राजस्थान)) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 पी.ए 6087 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
7. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
9. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
10. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

12. जिला परिवहन अधिकारी, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
13. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(155) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14037/2024

1. नंद किशोर वेद पुत्र श्री देवीलाल वेद, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी 294-कच्ची बस्ती, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 09 पी.ए. 0915 का पंजीकृत मालिक)।
2. कालू लाल माली पुत्र डोला जी माली, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर, चित्तौड़गढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 03 यू.ए. 0358 का पंजीकृत मालिक)।
3. आशिक मोहम्मद मंसूरी पुत्र जान मोहम्मद, निवासी धारडी, तहसील सिंगोली, जिला नीमच, स्वरूप जी खेड़ी, तहसील बेगूं, चित्तौड़गढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 09 यू.ए. 0160 का पंजीकृत मालिक)।
4. बाबू लाल पुत्र कूका राम, निवासी लुहारो का बास, ढावा, नोखा, चंदावतान, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4353 का पंजीकृत मालिक)।
5. सत्य नारायण प्रजापत, पुत्र मांगी लाल प्रजापत, निवासी वार्ड नंबर 188, बिग्गा बास, श्रीङ्गरगढ़, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे. 31 जी.ए. 2726 का पंजीकृत मालिक)।
6. राणा राम पुत्र गुलाब राम, निवासी इंद्रा कॉलोनी, एफसीआई गोदाम के पास, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए 7547 का पंजीकृत मालिक)।

7. सोना राम पुत्र श्री बालू राम भास्कर, निवासी खाकोली पोसी, मोलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी 2306 का पंजीकृत मालिक)।
8. सुरेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र गोविंद सिंह राठौड़, निवासी इंदौखा, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 यू.ए 0640 का पंजीकृत मालिक)।
9. मनीराम पुत्र श्री चंदू राम, निवासी महाजन लूणकरणसर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 9038 का पंजीकृत मालिक)।
10. रतिराम पुत्र लक्ष्मण राम, निवासी गली नंबर 18, त्रिमूर्ति मंदिर के पास, रामपुरा बस्ती, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 3398 का पंजीकृत मालिक)।
11. राम लाल पुत्र भोमा राम, निवासी सैमसन भूमि के पास, वार्ड नंबर 10, करणपुर, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 सी 4920 का पंजीकृत मालिक)।
12. सुवा लाल पुत्र गणेश कुमावत, निवासी 11 बाल विहार, कल्याण पुरी, रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 142 सी 7313 का पंजीकृत मालिक)।
13. श्रवण राम पुत्र गोमा राम, निवासी भूनी, तहसील नावा सिटी, जिला नागौर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे. 18 सी 2930 का पंजीकृत मालिक)।
14. बलवीर सिंह पुत्र हरि सिंह, निवासी भडी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 2270 का पंजीकृत मालिक)।
15. हरि राम पुत्र चंदू राम, निवासी वार्ड नंबर 13, अमरपुरा ढाणी, अब बूढी आलिया, तहसील रावतसर, हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 49 जी.ए. 2708 का पंजीकृत मालिक)

16. रंग लाल पुत्र कालू सिंह, निवासी 149, नोहरा मेला, हाथी पत्ता, तहसील नसीराबाद, अजमेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 01 जी.सी. 5055 का पंजीकृत मालिक)।
17. प्रभुलाल रूपलाल जोशी पुत्र रूपल मायाराम जोशी, निवासी 362- अम्बा माता मेनार के सामने, तहसील वल्लभ नगर, उदयपुर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 12 यू.ए 0560 का पंजीकृत मालिक)।
18. कानाराम जाट पुत्र छीतर मल जाट, निवासी गेगा गागरडू, तहसील दूदू, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 21 सी 5280 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
5. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
7. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर, जिला अजमेर।

10. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, दूदू, जिला दूदू।
12. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
13. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

----उत्तरदाता

(156) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14087/2024

1. शंकर लाल जाखड़ पुत्र माली राम जाखड़, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी गोविंदपुरा, श्रीमाधोपुर, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-14 यू.सी 0896 का पंजीकृत मालिक)
2. राम चन्द्र पुत्र मोहन सिंह, निवासी रामचन्द्र का बास, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 सी 3281 का पंजीकृत मालिक)
3. महेंद्र सिंह पुत्र हनुमान, निवासी आरा मशीन के पास, सेसम तहसील दांता रामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.सी. 0701 का पंजीकृत मालिक)
4. घासी राम पुत्र नाथा राम, निवासी सिंगडोला, बारा बाथोट, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 सी 3347 का पंजीकृत मालिक)
5. महावीर पुत्र बद्री प्रसाद गुर्जर, निवासी गोविंदपुरा, तहसील नीम का थाना, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-14 यू.बी.4402 का पंजीकृत मालिक)
6. माखन लाल पुत्र पाला राम गुर्जर, निवासी ढाणी क्वातरा वाली, तन भगोठ, नीम का थाना, सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 जी.ए. 2638 का पंजीकृत मालिक)

7. मोहम्मद इमरान पुत्र जमालुद्दीन, निवासी वार्ड संख्या 47, अम्बेडकर नगर, सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-01 सी 4053 का पंजीकृत मालिक)
8. गोविंद कुमार पुत्र श्याम लाल, निवासी ब्राह्मण मोहल्ला, पोसानी, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-10 सी 2002 का पंजीकृत मालिक)
9. ओम प्रकाश पुत्र सुरजा राम, निवासी मैनास नवलगढ़, झुंझुनू, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-18 जी.सी. 1355 का पंजीकृत मालिक)
10. पवन कुमार पुत्र हरिपाल सिंह, निवासी 1/377, हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 1760 का पंजीकृत मालिक)
11. फूल चंद पुत्र बंशीधर, निवासी वीपीओ दीपपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनू, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 1837 का पंजीकृत मालिक)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(157) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14214/2024

1. अनिल पुत्र रघुवीर, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 14, खारियाबास, राजगढ़, चुरू ((राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 10 यू.ए 6873 का मालिक।
2. दीप चंद नायक पुत्र धन्ना राम नायक, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 16, छापर, सुजानगढ़, चुरू ((राजस्थान)), वाहन नंबर का मालिक। आर.जे. 44 जी.ए. 3513.
3. भूप सिंह पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम-ढाणी गंगाजल, झांझनी, तारानगर, चुरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 1012 का मालिक।
4. मनीराम पुत्र स्व. अमी लाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी झाड़सर कांघलान, तह.तरंगर, चुरू ((राजस्थान)), वाहन क्रमांक आर.जे 13 जी.ए 7098 का मालिक।
5. हरि राम पुत्र गोविंद राम जाट, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी काजला की ढाणी, राजगढ़, चुरू ((राजस्थान)), वाहन क्रमांक आर.जे 10 जी.बी. का मालिक 3482.
6. लाखन सिंह मीना पुत्र हल्के मीना, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- मीना बस्ती, दर्रा, रोडहाट, तह.-मण्डरायल ((राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 14 यू 1334 का मालिक।
7. धर्मी मीना पुत्र स्व. राम गिलास मीना, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी- पितुपुरा, टी-करौली, जिला-करौली ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 34 यू.ए. 1135 का मालिक।
8. बिजेंद्र मीना पुत्र खलारी मीना, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 2, मकान नंबर। 74, भजेरा, तह.थोडाभीम, जिला. करौली, ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 29 यू.ए 1713 का मालिक।

9. रामनरेश मीना पुत्र सुगन लाल मीना, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी- कुरीगामा, तह.- बसेड़ी, धौलपुर, एटीपी-मोहन नगर, हिंडौन सिटी, करौली ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 34 यू.ए 0834.
10. का मालिक। योगेश कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मीकांत शर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- अटेवा वाया कैलादेवी, तह. और जिला. करौली ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 34 यू.ए 1314 का मालिक।
11. रमेश पुत्र रामफूल, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी-पीलोदा, तह.-गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 11 सी 0620 का मालिक।
12. कलावती देवी पत्नी रामफूल मीना, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी- गोलाबपुरा, इनायती, तह.-सपोटरा, करौली ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 34 पी.ए. 4226 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दौसा ((राजस्थान))
5. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू ((राजस्थान))।
6. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला. चूरू ((राजस्थान)).
7. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू ((राजस्थान)).

8. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर ((राजस्थान)).
9. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू ((राजस्थान))
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. बीकानेर ((राजस्थान))
11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. नागौर ((राजस्थान))
12. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला। करौली ((राजस्थान))
13. जिला परिवहन अधिकारी, सवाई माधोपुर, जिला। सवाई माधोपुर ((राजस्थान))

----उत्तरदाता

(158) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14312/2024

भंवरा राम पुत्र श्री भागीरथ मल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ढाणी निर्वाण की ग्राम खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू वर्तमान में जिला नीम का थाना (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे 14 यू ए 1985 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और रिगवेज़ मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

4. जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ), झुंझुनू जिला झुंझुनू ((राजस्थान))

-----उत्तरदाता

(159) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14359/2024

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र बनवारी लाल ढाका, उम्र करीब 25 साल, निवासी सांवलोदा पुरोहितान धोद, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 1268 का मालिक।
2. मुकेश कुमार मील पुत्र सुखवीर सिंह मील, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी लालासी द लक्ष्मणगढ़। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू 0075 का मालिक।
3. निहाल सिंह पुत्र मातू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी घुमनसर कलां, खुडानिया चिड़ावा, झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.सी. 2694 का मालिक।
4. मांगी लाल पुत्र भोमा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी खरवालिया तह डीडवाना जिला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 9924 का मालिक।
5. ईशर राम पुत्र नारायण राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रींगन डीडवाना, नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 15 यू.ए 0270 का मालिक।
6. भोपाल सिंह पुत्र जवान सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 126, गिरधर मोटर वाली गली, नगर बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 टी.ए 0580 का मालिक।

7. भंवर लाल पुत्र शेरा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13 रामपुरा बस्ती सूरतसिंहपुरा कुचोर आथुनी नोखा, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 2248 का मालिक।
8. किशन जोशी पुत्र गोगराज जोशी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, भार्गव चौक का बड़ा के पास फतहपुर, सीकर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 22 यू.ए 0218 का मालिक।
9. शिशु विद्या मंदिर सेक्टर। स्कूल, अपने सचिव जगदीश पुत्र शिवनाथ सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी वलूदपुरा जिला झुंझनू के माध्यम से। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.18 पी.ए 0712 का मालिक।
10. भगवान दास मालिक पुत्र राम नारायण, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नायक बस्ती लछड़सर रतनगढ़, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 44 जी.ए 3020 का मालिक।
11. भंवर लाल पुत्र रामनारायण, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बर्डी नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.डी 4713 का मालिक।
12. ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी इंदपालसर बारा श्री इंगरगढ़, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 यू.ए 3036 का मालिक।
13. अयूब खान पुत्र अस्तअली खान, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी छापरी खुर्द डीडवाना, नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 6214 का मालिक।
14. सत्य नारायण पुत्र राम प्रताप, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रघु नाथ मंदिर बंथली तह देवली, टोंक। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 26 यू.ए. 3704 का मालिक।

15. राधेश्याम माली पुत्र रामफूल माली, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मालियों की ढाई झिलाई, निवाई, टोंक। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे.52 जी.ए. 0286 का मालिक।
16. हनुमान प्रसाद यादव पुत्र घडसी राम यादव, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी चूरी बनेठी कोटपूतली, जयपुर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 यू.ए 0991 के मालिक।
17. अंकित यादव पुत्र सत्यवीर, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी सैदपुर चौधरी महेन्द्रगढ़, (हरियाणा) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 जी.सी 6160 का मालिक।
18. रमेश कुमार यादव पुत्र हनुमान प्रसाद यादव, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वीपीओ गोरधनपुरा कोटपूतली, जयपुर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 टी.ए 2110 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।

7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, टोंक।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।

----उत्तरदाता

(160) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14395/2024

1. सुनील कुमार पुत्र श्री धारा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी देवरोड, सूरजगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन महिंद्रा सिंगल कैब एम.एम 950 एम.डी फोर व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-14-जी.एन-2488)।
2. रघुवीर रेपसवाल पुत्र श्री केशरदेव रेपसवाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पूनियां का बास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान) (वाहन सावरी का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-23-यू.बी 7356)।
3. संदीप कुमार पुत्र श्री देवकरण महला, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी सौंसर, जिला झुंझुनू (राजस्थान), (वाहन केरल 400 वी2 का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-पी.बी-2567)।
4. सुनील धतरवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी धतरवाल का बास, ओजदू, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन मैक्स पिकअप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-जी.ए-1596)।

5. मेहर चंद सैनी पुत्र श्री पहाड़ राम सैनी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ढाणी चाचावाली, संजय नगर, वार्ड नंबर 16, पपुराना, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन मैक्स पिकअप ट्र व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-जी.सी-0597)
6. शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री देवी दत्त शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी धूलवा, बुहाना, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन माह सवारी एम.डी.आई टी.सी ट्र व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-14-यू-2472)।
7. वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी दरोगन मोहल्ला, तोगरा स्वरूप सिंह, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन शेवरले टवेरा बी3 10(पी10ए) का पंजीकृत मालि, (पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू 3312)।
8. शीश राम पुत्र श्री अमर सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी दुदियों की ढाणी, नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन महिंद्रा मार्शल डीएलएक्स 2000 ट्र व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18- यू-0421)।
9. प्रीतम पुत्र श्री राजू, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ढाका मंडी, बुहाना, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन बोलेरो डी.आई ट्र व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.ए-6062)।
10. सुनील कुमार पुत्र श्री शीश राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 02, देव रोड, सूरजगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन कमांडर 650 का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.ए 8874)।

11. प्रभु राम पुत्र श्री रतिराम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी सहजसर मेहरासर चचेरा, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू (राजस्थान) - 331403 (वाहन मैक्स टू व्हील ड्राइव 5 डोर का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-10-यू.ए-6704)।

12. रवि कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी कोलिंडा का बास, उत्तरी कोलिंडा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन महिंद्रा मार्शल डीलक्स का पंजीकृत मालिक 2000 टू व्हील ड्राइव, रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे-21- सी-6849)।

13. रूप चंद पुत्र श्री राम देव, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, नुहंद, राजगढ़, जिला चुरू (राजस्थान) (वाहन पिकअप का पंजीकृत मालिक, रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे-10-जी.बी-3998)।

14. राजस्थान माध्यमिक विद्यालय समिति, अपने अधिकृत व्यक्ति श्री समदर कुमार, पुत्र श्री महावीर प्रसाद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी जाखोदा, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन टाटा एल.पी 709/38 एक्स का पंजीकृत मालिक, रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे-18-पी.ए 9349) के माध्यम से।

15. राजस्थान लोक शिक्षण संस्थान, अपने अधिकृत व्यक्ति श्री दयानंद सिंह, पुत्र श्री नोरंग राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी मंडावा रोड, झुंझुनू के माध्यम से। जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन टाटा 709/38 का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-पी.ए-0519)।

16. शांति निकेतन सार्वजनिक संस्थान, इसके अधिकृत व्यक्ति श्री जय करण सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी मंडेला, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन एल.पी 407/31 सिटीराइड का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-पी.बी-2440)।

17. विज्ञान चिल्ड्रन अकादमी सेकेंडरी स्कूल, इसके अधिकृत व्यक्ति श्री सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री छाजूराम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी बाबई, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन टाटा बस का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-पी.ए-9692) के माध्यम से।

18. विज्ञान चिल्ड्रन अकादमी सेकेंडरी स्कूल श्री सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री छाजूराम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी बाबई, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन मालिक टाटा बस, पंजीकरण संख्या आर.जे.-18-पी.ए.-9693)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, अपने सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
3. आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ झुंझुनू (राजस्थान) का कार्यालय।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ झुंझुनू (राजस्थान) का कार्यालय।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ सीकर (राजस्थान) का कार्यालय।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ चूरू (राजस्थान) का कार्यालय।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ खेतड़ी (राजस्थान) का कार्यालय।

----उत्तरदाता

(161) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14403/2024

1. कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 08, भालेरी, तारानगर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 यू.ए. 2845 का पंजीकृत मालिक)।

2. नेमीचंद पारीक पुत्र परमेश्वर लाल, निवासी मेलूसर, सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 यू.ए. 6685 का पंजीकृत मालिक)।

3. ओम प्रकाश पुत्र भगवाना राम, निवासी वार्ड नंबर 5, खाजूवाला, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 यू.ए. 0952 का पंजीकृत मालिक)।

4. दिनेश चन्द्र खटीक पुत्र गंगा राम खटीक, निवासी खटीक मोहल्ला, गोरा जी का निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 09 जी.डी. 2972 का पंजीकृत मालिक)।

5. अरविन्द सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह, निवासी रावण की बगीची चूने भाटे के पास, केसरगंज, अजमेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे. 01 जी.सी 7787 का पंजीकृत मालिक)।

6. पुखराज पुत्र धन्ना राम, निवासी कांकरिया, तहसील नावा, जिला नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ए. 9563 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
6. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।

----उत्तरदाता

(162) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14637/2024

1. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8 शिव कॉलोनी पालवास रोड सीकर, जिला सीकर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे-23-यू-0477 का पंजीकृत मालिक)।
2. मोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी पानी की टंकी के पास दूद, जिला जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे.-20-सी 9807 का पंजीकृत मालिक)।
3. गयान चंद पुत्र सुल्तान, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ढाणी पटियाला की, वीपीओ पांचालंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 23-सी-3888 का पंजीकृत मालिक)
4. भरत कुमार सैनी पुत्र श्रवण लाल सैनी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी जादू बाबा की ढाणी, जोधपुरा चौमू, तहसील चौमू, जिला, जिला जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे.-41-जी.ए.-4184 का पंजीकृत मालिक)
5. अर्जुन लाल सैनी पुत्र बालूराम सैनी, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, वीपीओ भुरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे.-14-जी.एन.-2679 का पंजीकृत मालिक)
6. मनीष कुमार वर्मा पुत्र धन्ना राम बुनकर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी स्याऊ धोबलाई, जिला जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे.-41-यू.ए.-1195 का पंजीकृत मालिक)

7. सुंडा राम पुत्र गोपी राम, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3, बरवाला की ढाणी, नांगल-नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ((राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23-यू.ए.-6152 का पंजीकृत मालिक)
8. राजकमल गढ़वाल पुत्र भागू राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ढाणी घाटमदास वाली, होलिया का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ((राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे-23-यू.ए-2235 का पंजीकृत मालिक)
9. राम निवास पुत्र मारू राम गुर्जर, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ढाणी चेचियान, प्रीतमपुरी, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर वर्तमान में नीम का थाना (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.-32-जी.ए.-4825 का पंजीकृत मालिक)
10. राजेंद्र कुमार जाट पुत्र प्रभात जाट, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पुतक्या की ढाणी वार्ड नंबर 1, चीथवाड़ी, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-49-यू.ए.-1696 का पंजीकृत मालिक)
11. सिंगोदिया डिस्ट्रीब्यूटर्स पुत्र ना, निवासी मोरिजा रोड चोमू, जिला जयपुर, प्रोपराइटरशिप बाबू लाल सिंगोदिया के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे-41-जी.ए-3747 का पंजीकृत मालिक)

12. तुलसी राम पुत्र दानाराम, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी करीरो की ढाणी बानूडा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे-23-यू.ए-7841 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना, जिला जयपुर ((राजस्थान))।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जिला जयपुर ((राजस्थान))
6. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर ((राजस्थान))।

7. जिला परिवहन अधिकारी, नीम का थाना ((राजस्थान))

----उत्तरदाता

(163) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14746/2024

1. सही राम पुत्र श्री. जोधा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ मेलुसर सरदारशहर, चूरू (राजस्थान), वाहन नंबर आर.जे 07 यू.ए 1653 का मालिक।

2. भवानी सिंह पुत्र दान सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी रिड़खला, चूरू ((राजस्थान)), वाहन नंबर आर.जे 10 जी.ए 0884 का मालिक।

3. इंद्र कुमार पुत्र भगवान राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- आसलखेड़ी, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे 10 जी.ए 6016 का मालिक।

4. मदन लाल पुत्र परमानंद पांडिया, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 1, नाकरासर चूरू, ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे 10 जी.बी 4551 का मालिक।

5. प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र रेवंत सिंह राठौड़, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 07, इंद्रपुरा, तहसील-चूरू, चूरू ((राजस्थान)), वाहन नंबर आर.जे. 10 जीबी 4648 का मालिक।

6. महेंद्र कुमार पुत्र मदन लाल व्यास, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 01, आथुणा मोहल्ला तारानगर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन नंबर आर.जे 10 का मालिक। जी.बी. 6115.
7. रणजीत प्रजापत पुत्र स्व. उधमी राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी- रामदेवरा, तहसील-चूरू, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 10 टी.ए. 0394 के मालिक।
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृज लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी- धीरवास बड़ा तारानगर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 2209 के मालिक।
9. नोपा राम पुत्र माल चंद, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी- धीरवास बड़ा तारानगर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 6167 के मालिक।
10. वीरेंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- रिड़ाखला, थेसिल-चूरू, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 18 जी.सी. 0194 के मालिक।
11. मोहन लाल पुत्र श्री. लक्ष्मी नारायण, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- आनंदवासी सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान)), वाहन संख्या आर.जे. 31 यू.ए 0856 का मालिक।
12. विजेंद्र कुमार पुत्र देबूराम, निवासी वार्ड नंबर 01, कुम्हारो का मौहल्ला रायपुरिया तहसील चूरू, चूरू ((राजस्थान)), वाहन नंबर आर.जे 49 जी.ए 3978 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार के माध्यम से। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला, परिवहन अधिकारी, चूरू ((राजस्थान))।
5. जिला, परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला। चूरू ((राजस्थान))।
6. जिला, परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चूरू ((राजस्थान))।
7. जिला, परिवहन अधिकारी, जिला। सीकर ((राजस्थान))।

8. जिला, परिवहन अधिकारी, झुंझुनू ((राजस्थान))।
9. जिला, परिवहन अधिकारी, जिला. बीकानेर ((राजस्थान)).
10. जिला, परिवहन अधिकारी, जिला। नागौर ((राजस्थान)).

----उत्तरदाता

(164) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14777/2024

1. मोहन लाल पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, ढाणी बिरनिया, झौदासर, तहसील रावतसर, हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.49 जी.ए. 4075 का पंजीकृत मालिक)।
2. रतन लाल पुत्र बीरबल, निवासी मायला, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे.10 जी.ए. 2111 का पंजीकृत मालिक)।
3. राकेश कुमार पुत्र गणेशाराम माली, निवासी रणसीसर, तहसील सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.बी.5342 का पंजीकृत मालिक)।

4. श्रवण कुमार पुत्र लाल चंद, निवासी वार्ड नंबर 07, तारानगर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 2102 का पंजीकृत मालिक)।
5. रतननाथ पुत्र बाबूनाथ, निवासी खेमाणा, राजगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 यू 0634 का पंजीकृत मालिक)।
6. श्याम लाल मुंड पुत्र जगदीश मुंड, निवासी जाटो का मोहल्ला करणसर, सरदारशहर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 3422 का पंजीकृत मालिक)।
7. रति राम पुत्र बिसना राम, निवासी वार्ड नंबर 14, सात्यू, तहसील तारानगर, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 यू.ए.4333 का पंजीकृत मालिक)।
8. टैगोर विकास एवीएम शिक्षा, प्रोपराइटर हरिगुण लाल गुर्जर पुत्र दिलसुख गुर्जर, निवासी गुढा चंदरजी, तहसील नादोती, करौली ((राजस्थान)) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 पी.ए 6018 का पंजीकृत मालिक)।
9. सांवर मल पुत्र बलदास, निवासी मांडोता, तहसील धोद, सीकर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 34 यू.ए. 0058 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, करौली, जिला करौली।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

-----उत्तरदाता

(165) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14926/2024

1. ओंकार सिंह पुत्र छैलू सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी भाटियों का मौहल्ला बंगरसर, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए. 5297 का पंजीकृत मालिक)।
2. जाकिर खान पुत्र खेरदीन खान, निवासी वार्ड नंबर 9, महाजन, जिला बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 31 जी.ए. 2312 का पंजीकृत मालिक)।
3. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र हुकमा राम, निवासी करणी माताजी मंदिर के पास, आडसर बास, वार्ड नंबर 22, झुंजरगढ़, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 यू.ए.3925 का पंजीकृत मालिक)।
4. निर्मल चन्द्र रेगर पुत्र धर्मा रेगर, निवासी बांसी, चित्तौड़गढ़ ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 27 जी.डी 9700 का पंजीकृत मालिक)।
5. कयूम अहमद पुत्र अशफाक अहमद, निवासी राम निवास होटल के सामने, कैलाश कॉलोनी, गली नंबर 1, उदयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 27 टी.ए 6855 का पंजीकृत मालिक)।

6. आदिल इरफान पुत्र मंजूर अहमद, निवासी 10, मुर्शिद नगर, सवीना खेड़ा, उदयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 27 सी 9599 का पंजीकृत मालिक)।

7. भगवाना राम पुत्र श्री जैसा राम, निवासी उदवाला, सुजानगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे 13 जी.ए 9147 का पंजीकृत मालिक)।

8. दीपा पुत्र तारा सिंह, निवासी वार्ड नंबर 02, 29 एम.एम.के, पक्का सरना, 24 एल.एल.डब्ल्यू-ए, हनुमानगढ़ ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 22 जी.ए 1681 का पंजीकृत मालिक)।

9. लखविंद्र सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह, निवासी वार्ड नंबर 08, 39 एच, बुर्जवाला, श्री करणपुर, गंगानगर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर जे 27 यू.ए 1936 का पंजीकृत मालिक)।

10. जगदीश पुत्र सुरजाराम जाट, निवासी गुदावाड़ी, सालासर, सुजानगढ़, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.10 सी 2032 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

----उत्तरदाता

(166) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14940/2024

1. अनिल कुमार मीणा पुत्र रामस्वरूप मीणा, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी 177 ख गरेडो की ढाणी, वार्ड संख्या 3 चोमू, जयपुर, राजस्थान-999999. (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा जीप कमांडर 650 डी.आई 4 स्पीड-टू व्हील ड्राइव), रजिस्टर्ड संख्या आर.जे 14 यू.बी 7024)।
2. सांवर मल पुत्र बंसी नाथ योगी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी पोचकोडिया मूंडोटी, जयपुर, राजस्थान-303328. (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा जीप कमांडर 650 डीआई), रजिस्टर्ड संख्या आर.जे 23 यू.ए 1348)।
3. राम नारायण पुत्र हनुमान, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी इटावा भोपजी, बेदाली ढाणी, चोमू, जयपुर, राजस्थान 303804। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा बोलेरो एक्स.एल 10 सीटर टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 06 यू.ए 0383)।
4. गिरिराज पुत्र सूरज, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ढाणी रामनगर, चतुर्भुज, तहसील कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान 303108। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा बोलेरो एक्सएल टू व्हील ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 32 यू.ए 0985)।
5. दिलीप सिंह निर्बाण पुत्र जोरावर सिंह निर्बाण, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी बिजारणियों की ढाणी, देदिया का बास, मिंडा, नागौर, राजस्थान-341509। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा कमांडर जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 13 यू.ए 6833)।

6. संगीता पत्नी नागेंद्र, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14, गढ़ के पास, मुकनादगढ़, झुंझुनू, राजस्थान-333705। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा मैक्स जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 12 यू.ए 0366)।

7. महावीर सिंह मीना पुत्र सीता राम मीना, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी सेवा गरेड की ढाणी बिहारीपुरा, तहसील आमेर, जयपुर, राजस्थान-303702। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा कमांडर 650 डी.आई 4 स्पीड-दो पहिया ड्राइव), पंजीकरण संख्या आर.जे 19 यू.बी 1784)।

8. राकेश कुमार यादव पुत्र सीता राम यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी खन्नीपुरा, जयपुर, जयपुर, राजस्थान-303801। (वाहन का पंजीकृत मालिक (महिंद्रा बोलेरो एक्सएल टू व्हील ड्राइव 10 सी), पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.ए 4217)।

9. बिंजा राम रैगर पुत्र नारायण लाल रैगर, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी बैंगारो का मोहल्ला, हरमाडा घाटी, आमेर, जयपुर, राजस्थान-999999। (पंजीकृत वाहन मालिक (महिंद्रा जीप), पंजीकरण संख्या आर.जे 143 सी 2836)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार के माध्यम से, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, शंकर मार्ग, जयपुर राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ जयपुर, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, डीटीओ चोमू, जयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

(167) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14957/2024

गिरधारी लाल पुत्र महावीर प्रसाद, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी सिंगनोर उदयपुरवाटी झुंझुनू, वाहन नंबर आर.जे 21 यू.ए 0433 का पंजीकृत मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(168) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14973/2024

1. संजय पुत्र महावीर प्रसाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी झेरली, चिड़ावा, झुंझुनू।
((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 0177 का मालिक।

2. राम प्रताप जांगिड़ पुत्र छोदू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी चंदा का की ढाणी अंबेडकर नगर, मोहनवाड़ी झुंझुनू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 17 सी 0700 का मालिक।

3. शंकर लाल पुत्र देवी लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी गरम राजासर चौड़िया सरदारशहाई चूरू। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 2440 का मालिक।

4. प्रेम कुमार पुत्र श्यो लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भोजरासर पोस्ट आसपालसर बड़ा सरदारशहर चूरू। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 यू.ए 4928 के मालिक।

5. महावीर प्रसाद पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रातूसर सरदारशहर, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 यू.ए 9233 के मालिक।

6. राम निवास गोदारा पुत्र लिचु राम गोदारा, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 05 पुलिस चौकी के पास मोमासर, बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 05 यू.ए 0682 के मालिक।

7. नंद किशोर पुत्र पुरखा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी भूतो का बास बीकानेर। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 जी.सी 8875 का मालिक।

8. गणेश नाथ पुत्र निरन नाथ, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रैयाटुंडा तारानगर, चूरू। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 जी.बी 1106 का मालिक।

9. कैलाश राम पुत्र अमरा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बरवाला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 21 जी.डी 1534 का मालिक।

10. रमेश कुमार गमेती पुत्र विरमा राम गमेती, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी सेमल तह कोटडा उदयपुर। ((राजस्थान)) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 41 यू.ए 2136 का मालिक।

11. श्रवण राम पुत्र नारायण राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी धुरिला रताऊ नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 यू.ए. 0821 का मालिक।

12. छगन लाल पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी पावटा की ढाणी छापरी खुर्द तह डीडवाना जिला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 यू.ए 1834 का मालिक।

13. लियाकत अली पुत्र सिकंदर खान, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी सुपका तह डीडवाना जिला नागौर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 01 यू 0302 का मालिक।

14. कैलाशविद्या पीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके प्रिंसिपल महेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री कैलाश चंद्र शर्मा उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी प्रागपुरा कोटपूतली, जयपुर। ((राजस्थान)) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 पी.ए 1046 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।

7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, उदयपुर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।

----उत्तरदाता

(169) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15071/2024

1. लिखमण पुत्र ईश्वराराम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी गुसाईंसर, बीकानेर ((राजस्थान))।
(वाहन संख्या आर.जे. 07 यू.ए. 0976 का पंजीकृत मालिक)।
2. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र हुकमा राम, निवासी करणी माताजी मंदिर के पास, आडसर बास, वार्ड नंबर 22, झुंजरगढ़, बीकानेर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 यू.ए.3925 का पंजीकृत मालिक)।

3. पप्पू राम पुत्र गोरधन राम, निवासी राडकापुरा पडियाल, फलोदी, जोधपुर ((राजस्थान))।
(वाहन संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 1656 का पंजीकृत मालिक)।
4. महावीर पुत्र ओम प्रकाश, निवासी झुंजरसिंहपुरा, सादुलशहर, श्री गंगानगर ((राजस्थान))।
(वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 5536 का पंजीकृत मालिक)।
5. बजरंग लाल पुत्र शंकर लाल, निवासी वार्ड नंबर 24, चूरू ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 10 पी.ए 1537 का पंजीकृत मालिक)।
6. पीथा राम पुत्र वाहेता जी, निवासी भूतवाड, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर ((राजस्थान))।
(वाहन संख्या आर.जे. 27 टी.ए. 1108 का पंजीकृत मालिक)।
7. संजय पुत्र नाथू राम, निवासी वार्ड नंबर 19, रावतसर, तहसील रावतसर, हनुमानगढ़। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 टी.ए 0616 का पंजीकृत मालिक)।
8. सत्यनारायण पुत्र बेगराज, निवासी नानाऊ, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ ((राजस्थान))।
(वाहन क्रमांक आर.जे.49 जी.ए.4101 का पंजीकृत मालिक)।
9. भागू राम पुत्र दयाल राम, निवासी दारों का बास, मारोठ, तहसील नावा, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 यू.एफ 0798 का पंजीकृत मालिक)।

10. मालिक नित्यानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालिक हेमा राम पुत्र नारायण लाल, निवासी दांता, सीकर ((राजस्थान)) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे.58 पी.ए. 0023 का पंजीकृत मालिक)।

11. प्रकाश पुत्र मालू राम, निवासी चितावा, तहसील नावा, नागौर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 37 यू.ए. 3185 का पंजीकृत मालिक)।

12. बोदू राम पुत्र हनुमान, निवासी 30, गोलकुलपुरा, धनिया, तहसील फुलेरा, जयपुर ((राजस्थान))। (वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.ई. 1220 का पंजीकृत मालिक)।

13. राकेश शर्मा पुत्र छोटेलाल, निवासी संकट मोचन मंदिर के पीछे, दुलिया बास, सुजानगढ़, चूरू। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.बी. 5461 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।

6. जिला परिवहन अधिकारी, फलोदी, जिला जोधपुर।

7. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर, जिला जोधपुर।

8. जिला परिवहन अधिकारी, गंगानगर, जिला गंगानगर।

9. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

10. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।

11. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।

12. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
13. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
14. जिला परिवहन अधिकारी, दूदू, जिला दूदू।
15. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
16. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

----उत्तरदाता

(170) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15110/2024

1. योगेश कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी डीके बास, चिड़ावा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 जी.ए-1613 का मालिक।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्रीभगवान सिंह, निवासी ग्राम चंदवाड़ा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 सी-3404 का मालिक।

3. विजय पाल पुनिया पुत्र श्री भगवान सिंह पुनिया, निवासी बिशनपुरा, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण आर.जे-18 जी.बी-8134 का मालिक।

4. नारायण लाल जाट पुत्र श्री राम जाट, निवासी ग्राम जालमपुरा, तहसील हुरड़ा, भीलवाड़ा, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण मालिक आर.जे.-06 टी.ए.-0379।

5. विनायक बाल विधा मंदिर, इसके मालिक श्री विनायक पुत्र श्री उम्मेद पंजीकृत कार्यालय मोखुंदा, तहसील रायपुर, भीलवाड़ा, (राजस्थान) के माध्यम से, वाहन पंजीकरण मालिक आर.जे.-06 पी.ए.-1201।

6. नयामुद्दीन पुत्र श्री कयामुद्दीन, निवासी नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, वाहन पंजीकरण आर.जे. 32 जी.सी-6631 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर।

----उत्तरदाता

(171) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15120/2024

1. सूरजमल पुत्र लक्ष्मण, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 10/11 दुशाद गार्डन 2 एनडी कॉलोनी सांगानेर, जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 जी.आई 7065 का मालिक।

2. गणेश सेन पुत्र बद्री लाल सेन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बलाइयों का मोहल्ला कंवरावास तह. टोडारायसिंह टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 27 यू.ए 0830 का मालिक।

3. मोहम्मद शाकिर पुत्र नूर मोहम्मद, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी सरदार नगर सोनवा रोड टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 26 सी 0327 का मालिक।

4. कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी पचाला तह. उनियारा टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 25 यू 0089 का मालिक।
5. हेत राम मेघवाल पुत्र लेख राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 70 नायकों का मौहल्ला ग्राम मालासर बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 13 जी.ए 5856 का मालिक।
6. ओम प्रकाश पुत्र जैसा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 40 गजनेर तह श्री कोलायत बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 7264 का मालिक।
7. धन्ना राम पुत्र गुमान राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 125 जाटो का मोहाल अहमदपुरा नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 6570 के मालिक।
8. हिंगलाज दान पुत्र हड़मान दान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गांव दसोरी जिला बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.ए 5910 के मालिक।
9. सुश्री गहलोत पाइप फैक्ट्री सुजानदेसर, इसके सचिव मंजूश्री गहलोत पुत्र जुगल किशोर उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सुजानदेसर, बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 6091 के मालिक।

10. एशियन ड्राइविंग स्कूल, इसके सचिव प्रहलाद दान चारण पुत्र हड़मान दान, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के पास प्लॉट नंबर 08 लक्ष्मी विहार उदासर बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 3599 और आर.जे 07 जी.डी 3598 और आर.जे 07 टी.ए 5145 के मालिक।

11. लिच्छू राम सिवाल पुत्र हनुमान राम सिवाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी उदवाला बीदासर, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 44 टी.ए 0462 के मालिक।

12. जय नाथ सपेरा पुत्र धूडा नाथ, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी जोगी मगरा बास वार्ड नंबर 04 लाडनूं, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 सी 2063 के मालिक।

13. बजरंग लाल पुत्र भेरू लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी सदु बड़ी बीदासर, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 यू 0822 का मालिक।

14. शेखावाटी महाविद्यालय, इसके सचिव विजय सिंह पुत्र जोरावर सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नोखा रोड तह अंदेसर सुजानगढ़, चूरु। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 पी.ए 1565 का मालिक।

15. राजू राम सारण पुत्र आसु राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 34 करणी नगर बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.सी 6408 का मालिक।

16. प्रहलाद राम पुत्र मानाराम सांसी, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 05 काकरा नोखा बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 50 जी.ए 2346 के मालिक।

17. नोरत लोढ़ा पुत्र श्री किशन लोढ़ा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मकान संख्या 2618/5 पोपसिंह मोहल्ला नसीराबाद, अजमेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 01 जी.बी 6810 के मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जगतपुरा, जिला जयपुर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, टोंक।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, अजमेर।

----उत्तरदाता

(172) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15279/2024

1. शंकर लाल शर्मा पुत्र भेरू लाल जी शर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी रायपुरा रोड, गंगापुर, तहसील सहाड़ा, भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 06 सी 4859 का पंजीकृत मालिक)।

2. सुभाष चंद्र पुत्र हेत राम, निवासी बनवाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.बी.8079 का पंजीकृत मालिक)।

3. देवी सिंह गुर्जर पुत्र हनुमान सिंह गुर्जर, निवासी सालासर, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 10 जी.ए 2209 का पंजीकृत मालिक)।

4. मन रूप पुत्र बनवारी लाल, निवासी अलाय, नागौर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जीबी 5390 का पंजीकृत मालिक)।

5. विष्णु राम पुत्र हनुमान सिंह, निवासी वार्ड नंबर 12, दुलचासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 जी.ए 1468 का पंजीकृत मालिक)।

6. कृष्ण लाल गोदारा पुत्र बन्ना राम, निवासी वार्ड नंबर 04, ठाकुर जी मंदिर के पास, ढाणी पांडुसर, राजासर, करणीसर, लूणकरणसर, बीकानेर। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.बी. 2808 का पंजीकृत मालिक)।

7. बगड़ राम पुत्र राम लाल, निवासी भोम नगर, मुंजासर, फलोदी, जोधपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 यू 1633 का पंजीकृत मालिक)।

8. अविनाश पुत्र इंद्रजीत, निवासी 2 एनपी, झोटावाली, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.बी. 3016 का पंजीकृत मालिक)।

9. रशिक लाल एम. धारीवाल पब। स्कूल, मालिक पुष्कर लाल डांगी पुत्र नारायण लाल डांगी, निवासी चित्रकुट नगर, पेसिफिक कॉलेज के सामने, भुवाणा बाईपास, उदयपुर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन संख्या आर.जे. 27 पी.बी. 1219 का पंजीकृत मालिक)।

10. दिनेश डामोर पुत्र थावरा जी, निवासी लाट महुडी, खानमीन, तहसील खेरवाड़ा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.ए. 3586 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

4. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

5. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, फलौदी, जिला जोधपुर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
11. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

----उत्तरदाता

(173) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15391/2024

1. विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-23 यू.ए-1554 के मालिक।

2. मोहम्मद रफीक पुत्र श्री रहमतुलिया, निवासी वार्ड नंबर 3, मोहल्ला इस्लामपुरा, सीकर, (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-27 यू.ए-0345 के मालिक।

3. मोहम्मद, यूसुफ पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी वार्ड नंबर -16, इस्लाम पुरा, सीकर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण आर.जे 14 यू.ए-1599 के मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।

5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर

----उत्तरदाता

(174) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15477/2024

1. राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत राम, उम्र करीब 40 साल, निवासी हुकुमपुरा सीकर। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 2215 का मालिक।

2. विद्याधर जाट पुत्र झुंझा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कोलीडा सीकर। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 142 सी 8097 का मालिक।

3. बंसी लाल पुत्र नानू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी हरिपुरा लोसल सीकर। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 142 जी 6369 का मालिक।

4. दीन दयाल पुत्र राम कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी नेछवा तह लक्ष्मणगढ़, सीकर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.सी 6100 का मालिक।

5. महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र किशन लाल सैनी, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी श्यामी जी का
मौहल्ला जैतूसर रींगस तह श्रीमाधोपुर सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23
जी.ए 2523 का मालिक।

6. किशना राम पुत्र काना राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बासनी तह लक्ष्मणगढ़ सीकर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 यू.बी 8977 का मालिक।

7. महेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5 नावा सिटी नावा नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.बी. 0403 का मालिक।

8. महेन्द्र सिंह पुत्र प्यारे लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बता का बास बिरमी झुंझुनू।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 टी.ए 2984 का मालिक।

9. दलीप कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भगेरा नवलगढ़, झुंझुनू।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 32 जी.ए 0195 का मालिक।

10. हरि राम पुत्र पन्ना लाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी गुरला चंतीसरा नागौर। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 9794 का मालिक।

11. शुभ करण बेनीवाल पुत्र तेजा राम बेनीवाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कोडिया खाटू खुर्द
तह डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.बी. 0560 का
मालिक।

12. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मलसीसर झुंझुनू। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 8002 का मालिक।

13. अशोक कुमार पुत्र समुंद्र सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सिरसला झुंझुनू। (राजस्थान)
वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 7375 का मालिक।

14. भंवर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी राय करणपुरा तह कोटपूतली,
जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 यू 0058 का मालिक।

15. दुन्नी राम पुत्र मुरली दास, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 137 डी, भूरासर तह कोलायत
जिला बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 7452 का मालिक।

16. शिव सिंह पुत्र भोज राज सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09 क्यूब कुएं के
पास कनासर बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 जी.ई 0257 का
मालिक।

17. मुरलीधर पुत्र लक्ष्मण दास, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर 109 निचला बास
अमरपुरा बीकानेर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 07 जी.ए 6466 का मालिक।

18. कालूराम पुत्र लिछ्मन राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06 काजटी बीकानेर।
(राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 13 जी.ए 3613 का मालिक।

19. राम चंद्र पुत्र गणपत लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गोदाम मंडी तह. नसीराबाद अजमेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 01 जी.सी 5118 के मालिक।

20. रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी गाँव डीडवाना, तहसील लालसोट, दौसा (राजस्थान)। वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 29 सी 1017 के मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, कोटपूतली।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, अजमेर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, दौसा।

----उत्तरदाता

(175) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15543/2024

1. मुकेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम डाकघर गांधला कलां उदीपुरवाटी, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 यू 0267 का मालिक।

2. भागीरथमल पुत्र सुरजा, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 15 जीतरवालों की ढाणी गुढा गोरजी उदयपुरवाटी, झुझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 यू.ए 4166 का मालिक।

3. राजकुमार सैनी पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भगत सिंह की ढाणी नवलगढ़, झुझुनू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 18 यू.ए 7762 का मालिक।

4. जितेंद्र सिंह पुत्र भागीरथ मल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07 कुमावास नवलगढ़, झुझुनू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 21 सी 4260 का मालिक।

5. मजीद चौहान पुत्र मोहम्मद यूसुफ चौहान, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 15 नवलगढ़, झुझुनू। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 10 जी.ए 4052 का मालिक।

6. गणपत सिंह पुत्र शंकर सिंह जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी तड़वा तह. सायला, जिला जालोर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 जी.ए 3537 का मालिक।

7. लाल चंद पुत्र खेता राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 37 जी.ए 0727 का मालिक।

8. मुकेश कुमार यादव पुत्र गोपाल राम यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मान जी ढाणी घाटवा तह नावा, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.बी 9612 का मालिक।

9. रणवीर सिंह पुत्र जेठा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खतीरों की ढाणी निमोद तह डीडवाना, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.बी 0349 का मालिक।

10. मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र अयूब, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी तेली रोड वार्ड नंबर 19 लाडनूं, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 यू.बी 3540 का मालिक।

11. जीता राम पुत्र लाला राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रूपथल अरवर, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 आर.एफ 2241 का मालिक।

12. पप्पू राम डुकिया पुत्र बस्ती राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी फिरोजपुरा चारना गोथरा, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 आर.ए 7882 के मालिक।

13. दिनेश कुमार मोदी पुत्र बाबू लाल मोदी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी एफ 1 उदासर रोड मधुबन नगर बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 6880 के मालिक।

14. नारायण सिंह पुत्र भोपाल सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04 पीपेरा बीकानेर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.डी 5898 के मालिक।

15. करण सिंह पुत्र पेम सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 136 केऊ तह श्री इंगरगढ़, बीकानेर।

(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.सी 8140 का मालिक।

16. कालू सिंह शक्तावत पुत्र हरि सिंह शक्तावत, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी काकड़ियों का खेड़ा

भिंडर, उदयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 27 पी.ए 6741 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।

6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।

7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।

8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, उदयपुर।

9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, बीकानेर।

----उत्तरदाता

(176) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15552/2024

1. मोहन लाल पुत्र श्योनारायण, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 7 एसजेएम-ए, अनूपगढ़, जिला गंगानगर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 31 जी.बी. 1766 का पंजीकृत मालिक)।

2. अरजा पुत्र चतरा जी, निवासी 414, बेकरिया बड़, पो बिकरनी, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.बी. 8956 का पंजीकृत मालिक)।

3. नरेश कुमार भोई पुत्र श्री गट्टू लाल जी, निवासी ग्राम कल्याणपुर, तहसील खेरवाड़ा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 जी.ए. 3857 का पंजीकृत मालिक)।

4. जयदीप सिंह चौहान पुत्र रामावतार सिंह, निवासी 41 डी 9 दुकान, पानी पेच, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 14 यू 1790 का पंजीकृत मालिक)।

5. शांति लाल सुथार पुत्र किशन लाल, निवासी नई आबादी श्रीमालियों की करिया, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 जी.डी 7949 का पंजीकृत मालिक)।

6. अनुराग मेहता पुत्र फतेह सिंह मेहता, निवासी 94, भोपालपुरा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 यू 0087 का पंजीकृत मालिक)।

7. न्यू राठौड़ आयरन स्टोर, प्रोपराइटर मंजूर अली पुत्र अहमद खान, निवासी प्लॉट नंबर जी-515, करणी इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.ए 5073 का पंजीकृत मालिक)।

8. सुरेश कुमार चौधरी पुत्र प्यारे लाल चौधरी, निवासी ए4, उदासर फांटा, जयपुर रोड, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 पी.ए 2123 का पंजीकृत मालिक)।

9. नवल किशोर सारस्वत पुत्र कन्हैया लाल सारस्वत, निवासी ओझा सारस्वत भवन के पीछे, ईदगाह बाड़ी, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 34 यू.ए. 0336 का पंजीकृत मालिक)।

10. झाबर मल पुत्र गणपत राम, निवासी गोठरा, तगेलान, तहसील सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 37 जी.ए 0929 का पंजीकृत मालिक)।

11. प्रयाग सिंह पुत्र किशन सिंह, निवासी गोगरियावाला, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 13 जी.ए 2749 का पंजीकृत मालिक)।

12. सुरेश कुमार पुत्र अर्जुन राम, निवासी 688, गौड़, तहसील कोलायत, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए 5456 का पंजीकृत मालिक)।

13. आस नाथ पुत्र हरू नाथ, पत्नी वार्ड संख्या 11, जोधासर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.ए 5096 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर (प्रथम), जिला जयपुर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

-----उत्तरदाता

(177) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15572/2024

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री हरफूल सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील लक्ष्मण गढ़, सीकर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 सी-3073 का मालिक।
2. धुरा राम पुत्र श्री सुरजा राम, निवासी नवलगढ़, झुंझुनू, (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-18 सी-3167 का मालिक।
3. कुरदा राम पुत्र श्री पीथा राम, निवासी ग्राम डाकघर, भारुंडा खुर्द, झुंझुनू, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण का मालिक आर.जे-18 यू-0606।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर

----उत्तरदाता

(178) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15722/2024

1. भगवाना राम पुत्र पेमा राम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी सिलनवाड़ जायल, नागौर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 37 जी.बी 1917 का मालिक।
2. दुर्गा सिंह शेखावत पुत्र नरपत सिंह शेखावत, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी रायपुरा सीकर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 4762 का मालिक।
3. चिरंजी लाल पुत्र भगवान सहाय, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी विमलपुरा कनारपुरा, जयपुर (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 सी 1363 का मालिक।

4. सद्दाम हुसैन पुत्र इंगर खान, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी गांव मैनसर नोखा, बीकानेर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 1641 का मालिक।
5. सुरजान गुर्जर पुत्र रामनिवास गुर्जर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी काली के बाग के पास,
निवाई, टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 टी.ए 5934 का मालिक।
6. शीश पाल बावरी पुत्र मोहन राम बावरी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी पारेवाड़ी नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 37 जी.ए 9720 का मालिक।
7. शब्बीर खान पुत्र दरगाही खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी खिडगी निवाई, टोंक।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 26 टी.ए 0280 का मालिक।
8. नानू राम पुत्र जेठ राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 01 रूपेली सुजानगढ़, चूरू।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 07 जी.सी 8881 का मालिक।
9. मनोज बंग पुत्र बंकट लाल बंग, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09 भटारों का
चौक मारवाड़ मुंडवा नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.डी 2990 का
मालिक।
10. भगवती सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 211 हिम्मत नगर टोंक रोड,
जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू.ए 0202 का मालिक।

11. संजू खान पुत्र जाकिर हुसैन, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी साल्ट रोड डीडवाना, नागौर।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 यू.ए. 0150 का मालिक।

12. प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल, इसके प्रिंसिपल कलिश चौधरी पुत्र मुरली धर, उम्र लगभग 50 वर्ष,
निवासी राधामालिक बाग जैतपुरा चोमू जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14
पी.ए 9438 का मालिक।

13. राजेंद्र पारीक पुत्र भंवर लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 119 खेतड़ी नगर खेतड़ी, झुंझुनू।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 145 सी 8040 का मालिक।

14. रामस्वरूप पुत्र नोरंग, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भगीना ढिंढावा अगुणा झुंझुनू।
(राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 जी.बी. 6884 का मालिक।

15. जय प्रकाश कस्वां मेमोरियल शिक्षण संस्थान, इसके सचिव उमेश कुमार कस्वां पुत्र रामदेव,
उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी जीतनगर, वसंतविहार, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या
आर.जे 18 पी.ए 0574 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सुजानगढ़।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चोमू।

10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नोखा।

11. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, टोंक।

12. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जयपुर प्रथम, जिला जयपुर।

----उत्तरदाता

(179) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15771/2024

1. इमरान खान पुत्र श्री मोहम्मद रमजान, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी सुल्ताना, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333028 (पंजीकृत वाहन मालिक बोलेरो एमडीआई ट्र व्हीलर, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.ए-0177)।

2. रमेश कुमार पुत्र श्री मंद रूप, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी बिशनपुरा, जाखोद, चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333033 (पंजीकृत वाहन मालिक जीप, पंजीकरण संख्या आर.जे-06-सी-4006)।

3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी चंदू सिंह की ढाणी, डाकघर जाखोद, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (पंजीकृत वाहन मालिक महिंद्रा मैक्स, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.बी-0260)।

4. दीनदयाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी बिंजूसर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) 333021 (पंजीकृत मालिक वाहन महिंद्रा एमएम900 एमडी-टू व्हील ड्राइव, पंजीकरण संख्या आर.जे-23-जी.बी 3309)।

5. बबीता पत्नी श्री वीरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी गांव डाकघर वाहिदपुरा, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (पंजीकृत मालिक वाहन बोलेरो डी टू व्हील ड्राइव, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.ए-4749)।

6. मनी राम पुत्र श्री भोला राम, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी झटावा खुर्द, निरधना, मलसीसर, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 331028 (वाहन पिकअप सीबीसी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-जी.सी 3893)

7. सुशीला देवी पत्नी श्री महेश, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी लालगढ़, वार्ड संख्या 30, पपुराना, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) - 333503 (वाहन बोलेरो डी टू व्हील ड्राइव का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-यू.ए-8444)

8. समशेर अली पुत्र श्री सबदल खान, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी जयपहाड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) (वाहन जीप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-10-सी-1432)

9. संदीप कुमार पूनिया पुत्र श्री शीश राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी हनुतपुरा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)- 333023 (वाहन पिकअप का पंजीकृत मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे-18-जी.बी-3308)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
3. आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, झुंझुनू (राजस्थान)।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू (राजस्थान)।

-----उत्तरदाता

(180) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15802/2024

दिलीप सिंह राजावत पुत्र कल्याण सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 360-बी, हनुमान नगर, मीनावाला, सिरसी रोड, जोतवाड़ा, जयपुर, वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-14-जी.सी-1996 के मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर।

-----उत्तरदाता

(181) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15854/2024

1. महेश कुमार पुत्र धन्ना राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी फकीरपुरा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 टी.ए 0254 का मालिक।
2. रामस्वरूप पुत्र मोहन राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी भाऊजी की ढाणी, लक्ष्मणगढ़, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 यू.ए. 4972 का मालिक।
3. किशन दास पुत्र हनुमान राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पुजारी की ढाणी परसरामपुरा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 33 यू 0030 का मालिक।
4. उम्मेद शिक्षण संस्थान, इसके सचिव अमीर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी चनाना चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 10 पी.ए. 7602 का मालिक।
5. एसएस मोदी विद्या विहार, इसके सचिव के माध्यम से शशिकांत सत्यनारायण मोदी पुत्र सत्यनारायण मोदी उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बी.डी. अस्पताल रोड के पीछे झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 पी.ए 0208 का मालिक।

6. दिनेश कुमार पुत्र भागीरथ सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13 पुलिस स्टेशन खेतड़ी के पास, जिला झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.ए 1067 का मालिक।

7. तालाब खान पुत्र मेराज खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पुराना सिनेमा के सामने मदरसा के पास लालसोट रोड नागोरी मोहल्ला जिला दौसा। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 29 यू.ए 0361 का मालिक।

8. कुड़िया राम पुत्र वेना राम जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मेघवालों का वाड रतुजा, जालोर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 16 जी.ए 0942 का मालिक।

9. अरविंद कुमार पुत्र मथुरा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी धामसीन तह रानीवाड़ा, जालोर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 46 जी.ए 1159 का मालिक।

10. रामोतार सैनी पुत्र प्रभु लाल सैनी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मित्रपुरा तह बौली, सवाई। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 25 जी.ए 4706 का मालिक।

11. कालू राम पुत्र नागर मल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नायक बस्ती कुचामन सिटी, तह. नवा जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 147 सी 1182 का मालिक।

12. राम जीवन पुत्र पेमा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी राम नगर टुंकलिया मेड़ता सिटी, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 5425 का मालिक।

13. सलीम पुत्र इब्राहिम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मावा तह. नागौर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 23 जी.ए 2629 के मालिक।

14. टीकम सिंह रावत पुत्र लादू सिंह रावत, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या बी 62, एसआरजी ग्रीन सिटी निमेरा रोड महारापुरा, भांकरोटा जयपुर। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 14 यू.बी 2396 के मालिक।

15. तुलसी राम पुत्र जग नाथ, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी बीका वास गड़वास प्रतापगढ़। (राजस्थान) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 27 यू.ए 2406 के मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सरकार सचिव के माध्यम से, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सरकार सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।

6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, दौसा।

7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जालौर।

8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, भीनमाल।

9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सवाई माधोपुर।

10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।

11. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।

12. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, जयपुर प्रथम।

13. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, उदयपुर।

----उत्तरदाता

(182) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15861/2024

1. राम सिंह राजपूत पुत्र मांगीलाल जी राजपूत, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी 378, न्यू कॉलोनी, झाड़ोल, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 27 यू.ए. 0805 का पंजीकृत मालिक)।

2. सरवर शिक्षण संस्थान, प्रोपराइटर इस्माइल पुत्र काले खान, निवासी सेडवा, बाड़मेर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे.19 पी.सी.0209 का पंजीकृत मालिक)।

3. स्वरूप चंद बोहरा पुत्र बाबू लाल बोहरा, निवासी ढाणी मंदिर के पास, आसरिया का वास नोखरा, बाड़मेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 04 जी.ए. 3519 का पंजीकृत मालिक)।

4. भगवाना राम पुत्र तोला राम, निवासी वार्ड नंबर 03, परसनेऊ, रतनगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.ए.3928 का पंजीकृत मालिक)।

5. मनीराम पुत्र सूरजा राम, निवासी टिडियासर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
(वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 2724 का पंजीकृत मालिक)।
6. बनवारी लाल पुत्र ग्यारसी लाल, निवासी इन्दौखा, तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)।
(वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.बी. 3647 का पंजीकृत मालिक)
7. मूलचंद पुत्र अन्ना राम, निवासी गो शाला के पास, कुचामन सिटी, नागौर (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे. 34 सी 0377 का पंजीकृत मालिक)।
8. श्रवण राम पुत्र घीसा राम, निवासी चंपा का बास, नोलासिया, तहसील नावा, जिला नागौर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 37 यू.ए. 5887 का पंजीकृत मालिक)।
9. पुना राम पुत्र बिरमा राम, निवासी सियोलो की ढाणी, परसाला, जोधपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 21 जी.सी 8198 का पंजीकृत मालिक)।
10. जोगेन्दर कुमार पुत्र हाकम राम, निवासी 20 एफएफ, करणपुर, गंगानगर (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.बी.5163 का पंजीकृत मालिक)।
11. दलवीर सिंह चौहान पुत्र मोहन सिंह चौहान, निवासी 77, नोखा, दैया कोलायत, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.डी. 5534 का पंजीकृत मालिक)।

12. लियाकत पुत्र यासीन नाई, निवासी शोभासर, तहसील सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 0648 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर, जिला बाड़मेर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।

7. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना।
8. जिला परिवहन अधिकारी, नागौर, जिला नागौर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
12. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
13. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।

----उत्तरदाता

(183) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15906/2024

1. रेखा राम पुत्र जवाहर राम, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी बागरियों की ढाणी, यालसर, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.-23 जी.बी. 8313 का पंजीकृत मालिक)

2. रमेश कुमार सैनी पुत्र गिरधारी लाल सैनी, निवासी ढाणी काली बावरी, वार्ड नंबर 1, खंडेला ग्रामीण, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-23 जी.सी 2114 का पंजीकृत मालिक)
3. संतोष देवी शर्मा पत्नी रघुनंदन, निवासी राधा हॉस्पिटल के पास, फ़तेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.ए. 0211 का पंजीकृत मालिक)
4. भवानी सिंह पुत्र किशोर सिंह, निवासी करंगा छोटा, तहसील फतेहपुर, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-07 जी.ए 6098 का पंजीकृत मालिक)
5. परमेश्वरी पत्नी स्वर्गीय भगवाना राम, निवासी दोलतपुरा, दांतारामगढ़, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.ए. 2220 का पंजीकृत मालिक)
6. कृष्णा मीना पत्नी राजवीरेन्द्र, निवासी मौहल्ला जाटों का, निमेड़ा, तहसील श्री माधोपुर, सीकर राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-13 यू.ए. 3364 का पंजीकृत मालिक)
7. कमल कुमार पारीक पुत्र भंवर लाल, निवासी खंडेला, सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-18 यू.ए. 6991 का पंजीकृत मालिक)
8. राम प्रताप जाट पुत्र रूधा राम जाट, निवासी राजपूत कॉलोनी, तिहाय, तहसील फतेहपुर, सीकर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-18 सी 1551 का पंजीकृत मालिक)

9. गोपाल राम पुत्र दानाराम, निवासी धनधान, सीकर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे.-23 यू.ए. 5086 का पंजीकृत मालिक)

10. सोनू कंवर पत्नी पूरण मल, निवासी बढाधार, जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे.-20 यू.ए. 1235 का पंजीकृत मालिक)

11. आदर्श किशन विद्या मंदिर, सचिव बलवीर चौहान पुत्र पूरण सिंह, निवासी भीमा, जिला सीकर, राजस्थान के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे.-18 पी.ए. 8525 का पंजीकृत मालिक)

12. चिरंजी लाल जाखड़ पुत्र झाबर मल जाखड़, निवासी हरदयालपुरा, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-23 यू.ए 1535 का पंजीकृत मालिक)

13. विक्रम पुत्र जीवन राम, निवासी वार्ड संख्या 15, महारोली तहसील श्री माधोपुर, सीकर, राजस्थान। (वाहन संख्या आर.जे-23 जी.सी 3718 का पंजीकृत मालिक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर, आरटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, डीटीओ कार्यालय, सीकर।

----उत्तरदाता

(184) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16018/2024

1. सोहन लाल पुत्र भीवा राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मंडावरा सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 23 जी.सी 1793 का मालिक।
2. राजेश कुमार घोसल्या पुत्र रामदेव, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी किशनपुरा, सीकर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 जी.बी. 4643 का मालिक।

3. राजेश कुमार पुत्र सांवर मल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड . 26 पुलिस चौक के पास सुल्ताना चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 1818 का मालिक।

4. शुभ करण पुत्र होशियार सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बेरी तह चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.सी 0832 का मालिक।

5. अनूप पुत्र सुनील कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी अरडावता चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.सी 0758 का मालिक।

6. आजाद नबी पुत्र मुराद खान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, हमर खा का बास जाबासर, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 जी.बी 0616 का मालिक।

7. खलील अहमद पुत्र मुराद खान, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी हमर खा का बास, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.ए. 3881 का मालिक।

8. भागीरथ सिंह पुत्र सुरजा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, सामोता की ढाणी जैतपुरा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 8867 का मालिक।

9. प्रभु पुरी पुत्र बिला पुरी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी जाओली रेन नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 9837 का मालिक।

10. ईश्वर लाल बेनीवाल पुत्र प्रहलाद बेनीवाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सिरौही तह नेवाई, टोंक। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0526 का मालिक।

11. कालू सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी लोहारों का मोहल्ला तह नागौर, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 19 यू.सी. 6895 का मालिक।

12. कैलाश काठात पुत्र दीना काठात, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रोडा बोरवा भीम राजसमंद। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 36 टी.ए. 1567 का मालिक।

13. महेंद्र सिंह पुत्र भैरू सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी हथाई के पास फतेपुर प्रथम सुहावा, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.सी 2090 का मालिक।

14. शारदा विद्या मंदिर, इसके सचिव सागर मल पुत्र हनुमान सहाय, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बड़ तहसील प्रभातसर नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 पी.ए 4393 का मालिक।

15. मिनर्वा सेवा समिति, इसके सचिव जतिन रिणवा पुत्र रामपाल रिणवा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी जायल नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 18 पी.बी 2514 का मालिक।

16. घनश्याम मेनारिया पुत्र गुलाब चंद मेनारिया, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी 15 न्यू मालिक नगर टेकरी मांदरी लिंक रोड द स्कॉलर एरिना स्कूल के पास उदयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 09 जी.ए. 3015 का मालिक।

17. राम सिंह गुर्जर पुत्र माली राम गुर्जर, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ढाणी गुरा वाली परथरेडी कोटपूतली टी.एम.पी वार्ड एन 11 न्यू कॉलोनी जोहदा, देवन, शाहपुरा, जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 32 जी.ए. 5138 का मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, सीकर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, टोंक।
8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, ब्यावर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, उदयपुर।

----उत्तरदाता

(185) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16196/2024

1. मोहन लाल गरासिया पुत्र खीमा जी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी जूना पादर जूडा, तहसील कोटडा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.41 टी.ए. 0312 का पंजीकृत मालिक)।

2. राजेंद्र सिंह भाटी पुत्र मान सिंह जी, निवासी भाटी की बड़ी, डांगियों की तूस रोड, डबोक, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 सी 5657 का पंजीकृत मालिक)।
3. हकमा राम पुत्र भेरा राम, निवासी भवानी ऑटो इंटरप्राइजेज, मानपुर, आबूरोड, जिला सिरोही (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 38 यू.ए. 1151 का पंजीकृत मालिक)।
4. मुकेश कुमार पुत्र कालू लाल जी, निवासी 338, कलाल बस्ती (केसरीमाझी ऋषभदेव), तहसील खेरवाड़ा, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 27 यू 0138 का पंजीकृत मालिक)।
5. दल चंद मेनारिया पुत्र छतर भुज, निवासी बड़ा नोहरा, पानेरियो की मादड़ी के पास, उदयपुर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 27 यू 0593 का पंजीकृत मालिक)।
6. धनराज पुत्र हजारी राम, निवासी कुचोर अगुणी, नोखा, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 07 जी.बी. 6047 का पंजीकृत मालिक)।
7. मुमताज पत्नी सफीखा, निवासी कांकरवाला, तहसील छतरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी 6278 का पंजीकृत मालिक)।
8. पदमा राम पुत्र जुगता राम, निवासी देरासर, तहसील रामसर, बाडमेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 04 जी.ए 9585 का पंजीकृत मालिक)।

9. जाकिर हुसैन पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी वार्ड संख्या 25, फेफाना, तहसील नोहर, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 49 जी.ए 3623 का पंजीकृत मालिक)।

10. तनु राम पुत्र ईशर राम, खोखराना, लूणकरणसर, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे 07 जी.ए 3265 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

4. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, आबूरोड, जिला सिरोही।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, नोखा, जिला बीकानेर।
9. जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर, जिला बाड़मेर।
10. जिला परिवहन अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ़।

----उत्तरदाता

(186) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16226/2024

1. मोहन सिंह पुत्र कुशाल सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी पातलीसर पुरोहितान, पातलीसर बारा, सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 44 जी.ए 2820 का पंजीकृत मालिक)।

2. सतनाम पुत्र चेतन दास, निवासी वार्ड नंबर 06, गणेशगढ़, श्री गंगा नगर (राजस्थान)।
(वाहन संख्या आर.जे. 13 यू.ए. 8810 का पंजीकृत मालिक)।

3. राकेश कुमार पुत्र गणेशाराम माली, निवासी रणसीसर, तहसील सरदारशहर, चूरू (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे.10 जी.बी.5342 का पंजीकृत मालिक)।

4. वली मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद, निवासी वार्ड नंबर 08, नवां, 1 एन.डब्ल्यू.एन, हनुमानगढ़
(राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.एन.के 1355 का पंजीकृत मालिक)।

5. पंचवटी सेकेंडरी स्कूल, फतेहगढ़ मालिक सुरेश चंद्र पालीवाल पुत्र राम चंद्र पालीवाल, निवासी
फतेहगढ़, जैसलमेर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 15 पी.ए 2222 का
पंजीकृत मालिक)।

6. इकबाल खान पुत्र इस्माइल खान, निवासी जेवली कुमास जागीर, लक्ष्मणगढ़, सीकर
(राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 यू.ए 0053 का पंजीकृत मालिक)।

7. इकबाल पुत्र इस्माइल खान, निवासी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक
आर 323 यू.एन 0053 का पंजीकृत मालिक)।

8. मोहित सिंघल पुत्र राम प्रकाश, निवासी बी-70, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर
(राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे.14 जी.जे.8058 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के माध्यम से, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
6. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

8. जिला परिवहन अधिकारी, जैसलमेर, जिला जैसलमेर।

9. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।

10. जिला परिवहन अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर।

----उत्तरदाता

(187) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16334/2024

विनोद कुमार पुत्र ताराचंद पिता ताराचंद, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी पूजारी की ढाणी गोठरा जिला झुंझुनू (राजस्थान)। महिंद्रा मैक्स पिकअप जूनिटर नंबर आर.जे. 18 जी.बी. 6354 का पंजीकृत मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(188) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16355/2024

बनवारी पुत्र फूलाराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बड़वासी नवलगढ़ जिला झुंझुनू, वाहन संख्या आर.जे 18 जी.सी 0225 का पंजीकृत मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(189) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16363/2024

विनोद कुमार नायक पुत्र ताराचंद नायक, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी मोती लाल कॉलेज के पास, मोड़ा पहाड़, वार्ड नंबर 41, झुंझुनू (राजस्थान) महिंद्रा पिकअप सीबीसी सिंगल कैब नंबर आर.जे. 18 जीबी 8862 का पंजीकृत मालिक।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

(190) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16401/2024

1. महेंद्र सिंह परिहार पुत्र श्री कैलाश चंद परिहार, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5, मकान नंबर 120, लेबर कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, ब्यावर, अजमेर (राजस्थान) (वाहन संख्या आर.जे. 36 पी.ए. 0669 का पंजीकृत मालिक)।

2. सत्तार काठात पुत्र सोहन काठात पुत्र सोहन काठात, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मंडावास, देलवाड़ा, अजमेर, (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.ए. 6305 का मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर, जिला अजमेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर, जिला ब्यावर।

----उत्तरदाता

(191) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16496/2024

1. राम पाल पुत्र श्री धुकल राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी नसांवा, पो-सुतोत, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-13 सी-5709 का मालिक।

2. बाराजी देवी पत्नी श्री मूलचंद सोनी, निवासी वार्ड नंबर 9, तोगड़ा कलां, झुंझुनू, (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-23 पी.बी-3135 की मालिक।

3. कपिल मालिक पुत्र श्री नाथूराम, निवासी वार्ड नंबर 4, पिलानी, झुंझुनू, (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 10 जी.ए-1912 का मालिक।

4. नाथूराम कुमावत पुत्र श्री गोविंद राम, निवासी कुम्हारो का मोहल्ला, गैलोटा, किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-21 जी.बी-0823 का मालिक।

5. सांवर मालानी पुत्र श्री भेरू लोहार, निवासी 109, लोहार, मसूदा रोड, ब्यावर, अजमेर (राजस्थान), वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे-04 जी.ए-8385 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू।
5. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर
6. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर, जिला अजमेर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, किशनगढ़, जिला अजमेर।

----उत्तरदाता

(192) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16499/2024

क्षितिज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके सचिव रमेश कुमार सैनी पुत्र नारायण लाल सैनी, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 13, क्षितिज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। स्कूल बस के मालिक, पंजीकरण संख्या आर.जे 18 पी.बी 0867.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू।

-----उत्तरदाता

(193) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16518/2024

1. श्री. शंकर लाल शर्मा पुत्र स्व. मल चंद शर्मा, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10, सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 10 जी.ए 7876 का पंजीकृत मालिक)।

2. नरेश कुमार पुत्र साधु राम, निवासी वार्ड नंबर 44, कुम्हार मोहल्ला, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे.13 जी.बी.2882 का पंजीकृत मालिक)।

3. विजय कुमार खटीक पुत्र बंशी लाल खटीक, निवासी वार्ड नंबर 04, आखरियों का चौक, बेगूं, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 20 सी 2681 का पंजीकृत मालिक)।

4. मोहम्मद. बिलाल लोहार पुत्र स्व. मोहम्मद गफ्फार लोहार, निवासी 854, शरियों का मोहल्ला, बीगोद, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 06 जी.डी. 9980 का पंजीकृत मालिक)।

5. कन्हैया लाल खटीक पुत्र मोहन लाल, निवासी 122, खटीक मोहल्ला, बेगूं, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 06 यू.ए. 0334 का पंजीकृत मालिक)।

6. उम्मेद सिंह पुत्र जयनारायण सिंह, निवासी आइसर, वार्ड नंबर 1, आइसर पुरोहितान, बीकानेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 07 जी.डी 5145 का पंजीकृत मालिक)।

7. बी.पी.एस. शिक्षण संस्थान, प्रोपराइटर धर्म राज जाट पुत्र हनुमान मल, निवासी सांवरली रोड बाईपास सर्कल, सीकर (राजस्थान) के माध्यम से। (वाहन क्रमांक आर.जे 23 पी.ए 0265 का पंजीकृत मालिक)।

8. अनिल कुमार पुत्र धन्ना राम, निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला, लिखमणसर, तहसील सुजानगढ़, चूरू (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे 44 जी.ए 3025 का पंजीकृत मालिक)।

9. दुर्गाराम पुत्र शम्भू राम, निवासी लीलासर कोल्हू, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे 04 जी.ए 2361 का पंजीकृत मालिक)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के माध्यम से।

3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

4. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।

5. जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर, जिला बाड़मेर।

6. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, जिला बीकानेर।
8. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू, जिला चूरू।
9. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला चूरू।
10. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
11. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
12. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

----उत्तरदाता

(194) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16572/2024

1. मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी- जांदवा, तह.-रतनगढ़, चूरू (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 18 जी.बी 8018 के मालिक।

2. शिव भगवान पुत्र जोरा राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी रंगाईसर, सरदारशहर, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 04 सी 0924 के मालिक।

3. रोहिताशव कुमार योगी पुत्र करण नाथ योगी, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 13, नया बास, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 13 यू.ए 2965 के मालिक।

4. आर.एस. मेमोरियल स्कूल एस. स्मिति, मालिक के माध्यम से - महावीर सिंह पुत्र रावत सिंह, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी - नेट जी मंदिर के पास, राजगढ़, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 पी.ए 1935 का मालिक।

5. शंकर लाल पुत्र रामप्रसाद, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी डेराजासर, सरदारशहर, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 का मालिक यू 0181.

6. मंगनाथ पुत्र मिर्छ नाथ, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी खेमाणा, राजगढ़, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 यू.ए 0645 का मालिक।

7. बजरंग लाल पुत्र भागुता राम जाट, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- मोलीसर बड़ा, चूरु (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 10 सी का मालिक 0511.

8.कन्हैयाल लाल पुत्र राम सहाय, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 4376, यज्ञशाला की बावड़ी, पुरानी बास ती जाट के कुए का रास्ता, चंदोपल बाजार, जयपुर (राजस्थान), वाहन संख्या आर.जे 14 यू 2510 का मालिक

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ अपने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. सचिव, सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य। राजस्थान, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला परिवहन अधिकारी, झालाना इंगरी, जयपुर (राजस्थान)
5. जिला परिवहन अधिकारी, चूरू (राजस्थान)
6. जिला परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़, जिला। चूरू (राजस्थान)।

7. जिला परिवहन अधिकारी, सरदारशहर जिला। चुरू (राजस्थान)।

8. जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला. सीकर (राजस्थान)।

9. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू (राजस्थान)

10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. बीकानेर (राजस्थान)

11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. नागौर (राजस्थान)

12. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. गंगानगर (राजस्थान)

13. जिला परिवहन अधिकारी, जिला. हनुमानगढ़ (राजस्थान)

----उत्तरदाता

(195) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16743/2024

1. नवलकिशोर उर्फ नंदराम पुत्र राजू राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी आदर्श चावा, तहसील व जिला बाडमेर (राजस्थान)। (वाहन क्रमांक आर.जे. 04 जी.सी 1841 का पंजीकृत मालिक)।

2. कौशल कुमार पुत्र राजू राम, निवासी मोटोनी गोदारा, आदर्श चावा, बाडमेर (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे. 04 जी.ए. 2744 का पंजीकृत मालिक)।
3. सतार खान सायर खान पुत्र सायर खान, निवासी चोचरा, तहसील शेओ, बाडमेर (राजस्थान)।
(वाहन क्रमांक आर.जे. 04 जी.सी. 3705 का पंजीकृत मालिक)।
4. भूरा राम पुत्र साहब राम, निवासी वार्ड नंबर 12, मिर्जेवाली, हनुमानगढ़ (राजस्थान)। (वाहन संख्या आर.जे. 31 यू.ए. 2032 का पंजीकृत मालिक)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
3. परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।

4. जिला परिवहन अधिकारी, बाडमेर, जिला बाडमेर।
5. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

----उत्तरदाता

(196) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16745/2024

1. पवन चावला पुत्र कल्याण सहा चावला, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी जयसिंहपुरा तह चौमू, जयपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 23 यू.बी. 2988 का मालिक।
2. राजेंद्र कुमार पुत्र राधा राम, निवासी जोडिया चिड़ावा, झुंझुनू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 2927 का मालिक।
3. बनवारी लाल पुत्र जोधा राम, निवासी जिलिया तह नावा, नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 37 जी.ए. 9172 का मालिक।
4. मनोज मालिक पुत्र हुलास चंद मालिक, निवासी वार्ड नंबर 17 नया बास सुजानगढ़, चूरू। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 14 यू 4567 का मालिक।

5. हरि सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी डेगाना, जिला नागौर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 21 जी.ए 2319 का मालिक।

6. सकुर खान पुत्र अमु खान, निवासी बेड़ कल्ला जोधपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 3920 का मालिक।

7. निजाम दीन पुत्र अब्दुल खान, निवासी सिंधियों की ढाणी धोलासर फलोदी जोधपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 6299 का मालिक।

8. रहमत आला पुत्र मूसे खान, निवासी इमाम नगर सज्जनानियों की ढाणे घंटियाली फलोदी, जोधपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 7215 का मालिक।

9. अब्दुल वाहिद पुत्र कमरदीन, निवासी हाजी सागर सारणपुरा आरू फलोदी, जोधपुर। (राजस्थान) वाहन पंजीकरण संख्या आर.जे 16 सी 1521 का मालिक।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ सरकार के सचिव के माध्यम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, गोकुल नगर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

2. राजस्थान राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
 3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
 4. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, नागौर।
 5. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, झुंझुनू।
 6. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चोमू, जिला जयपुर।
 7. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, डीडवाना।
 8. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, फलोदी।
 9. जिला परिवहन अधिकारी, डीटीओ कार्यालय, चूरू।
-

याचिकाकर्ताओं के लिए : सुश्री रजनी व्यास, अधिवक्ता

श्री सुरजीत सिंह, अधिवक्ता

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, अधिवक्ता

श्री सुल्तान सिंह कुरी, अधिवक्ता

श्री प्रधुम्न सिंह राठौड़, अधिवक्ता

श्री नरसी प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता

श्री राज कुमार सैनी, अधिवक्ता

श्री के.एन. शर्मा, अधिवक्ता

श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता,

श्री अंकित शर्मा, अधिवक्ता

श्री कुलदीप भाटिया, अधिवक्ता

श्री नेम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता

श्री रघुराज सिंह राजावत, अधिवक्ता

श्री मनोज अवस्थी, अधिवक्ता

श्री सतीश कुमार खंडेलवाल, अधिवक्ता

श्री देवेन्द्र राज जैन, अधिवक्ता

श्री विनय पांडे, अधिवक्ता

श्री प्रखर शर्मा, अधिवक्ता

सुश्री नूपुर शर्मा, अधिवक्ता

श्री श्याम गुप्ता, अधिवक्ता

श्री राज कुमार गोयल, अधिवक्ता

श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता

श्री शोवित झाझरिया, अधिवक्ता

श्री संदीप जैन, अधिवक्ता

श्री विजय पुनिया, अधिवक्ता

श्री मजहर हुसैन, अधिवक्ता

श्री विकास यादव, अधिवक्ता

श्री आतिश जैन, अधिवक्ता

श्री नितीश कुमार जैन, अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार बैरवा, अधिवक्ता

श्री दीपक सोनी, अधिवक्ता

सुश्री ज्योति वर्मा, अधिवक्ता एवं

श्री पंकज सोनी, अधिवक्ता

श्री सुरेश कुमार ढेनवाल, अधिवक्ता

श्री दुष्यन्त सिंह नरुका, अधिवक्ता

श्री मयंक कुमार चौधरी, अधिवक्ता

श्री सांवर मल, अधिवक्ता

श्री राम अवतार पारीक, अधिवक्ता

श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता

श्री आशीष शर्मा उपाध्याय, अधिवक्ता

श्री पूनम सिंह रत्न, अधिवक्ता

श्री रामअवतार बोचल्या, अधिवक्ता

श्री अभिषेक बी शर्मा, अधिवक्ता

श्री अंकुश शर्मा, अधिवक्ता
श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता
श्री बसंत सिंह राठौड़, अधिवक्ता
श्री सौरभ भंडारी, अधिवक्ता
श्री वाई.के. शर्मा, अधिवक्ता एवं
श्री अरविंद कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता

प्रतिवादी(यों) के लिए : श्री आर.डी. रस्तोगी, एएसजी, जिनकी सहायता
श्री सी.एस. सिन्हा, एडवोकेट,
श्री वैभव भंसाली, एडवोकेट,
श्री रजत शर्मा, एडवोकेट और
सुश्री कनिका वाधवानी, एडवोकेट,
श्री एस.एस. नरुका, एएजी, जिनकी सहायता
श्री सचिन सिंह राठौर, एडवोकेट,
श्री अनिकेत व्यास, एडवोकेट,
श्री अंगद हक्सर, एडवोकेट

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री न्यायाधीश आशुतोष कुमार

(वी.सी. के माध्यम से)

आदेशरिपोर्ट योग्य19/12/2024(माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुसार):

1. चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर ये रिट याचिकाएँ विचारार्थ विधि के सामान्य मुद्दे उठाती हैं, इसलिए इन पर समान रूप से सुनवाई की गई और इसी सामान्य आदेश द्वारा इनका निर्णय किया जा रहा है। संक्षिप्तता और सुविधा के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, हम श्याम प्रकाश मीणा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14258/2024) और राजा राम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6428/2024) में प्रस्तुत दलीलों और दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे।

I. तथ्य:

2. इन सभी याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं, जो परिवहन संचालक हैं, ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (जिसे आगे '1989 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 81 में निहित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और वैधता पर सवाल उठाया है, जैसा कि दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें "फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क" लगाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता परिवहन संचालक हैं और उन्हें अपने वाहनों को सड़कों पर चलने लायक स्थिति में रखना आवश्यक है। राज्य ने कई फिटनेस परीक्षण केंद्र खोले हैं, जहाँ वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे '1988 का अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार फिटनेस परीक्षण से गुजरना आवश्यक है, जिसे इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाए। सक्षम प्राधिकारी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परिवहन वाहन की फिटनेस प्रमाणित करता है। कानून के अनुसार समय-समय पर फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना आवश्यक है, जिसके बिना किसी वाहन को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 1989 के नियमों का नियम 81, जैसा कि दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, विभिन्न नियामक शुल्क के साथ-साथ सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क भी निर्धारित करता है। किसी विशेष मोटर वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की मंजूरी/नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ, 1989 के नियमों के तहत आवेदन शुल्क की परिकल्पना की गई है। जबकि 1989 के नियमों के नियम 81 में फिटनेस प्रमाण पत्र की मंजूरी/नवीनीकरण के मामले में आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, 1989 के नियमों के नियम 81 की क्रम संख्या 11ए में नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है।

इन सभी याचिकाओं में नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को चुनौती दी गई है। तदनुसार, 1989 के नियमों के नियम 81, जैसा कि दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया

है, जिसमें क्रम संख्या 11 ए के तहत विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान शामिल है, को इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

II. याचिकाकर्ताओं के निवेदन:

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को शुल्क लगाने का अधिकार 1988 के अधिनियम की धारा 211 सहित उसके प्रावधानों के तहत लगाए जा सकने वाले शुल्क के दायरे और परिधि में प्राप्त है। इसके अलावा, केंद्र सरकार को 1988 के अधिनियम की धारा 64 के तहत नियम बनाने का अधिकार है जिसमें कुछ मामलों के लिए शुल्क लगाने का अधिकार शामिल है। इसलिए, शुल्क लगाने का अधिकार 1988 के अधिनियम की योजना के लिए संदर्भित है और ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है जो 1988 के अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का यह निवेदन है कि शुल्क लगाने का अधिकार नियम बनाने वाले प्राधिकारी से मिलता है जैसा कि 1988 के अधिनियम की धारा 64 के साथ धारा 211 में निहित है, जो शुल्क लगाने की सामान्य शक्ति प्रदान करता है आवेदन जमा करने में देरी के प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने संबंधी नियम का प्रावधान जुर्माने या दंड की प्रकृति का है क्योंकि नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने में देरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि यह शुल्क नहीं है क्योंकि यह किसी नियामक अभ्यास या सेवाएं प्रदान करने से जुड़ा नहीं है, बल्कि मूलतः एक दंडात्मक कार्रवाई है, जो फिटनेस प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन जमा नहीं करने पर परिवहन ऑपरेटरों को दंडित करती है। 1988 के अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार को फिटनेस प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने में देरी

के लिए परिवहन ऑपरेटरों को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं देते हैं। 1988 के अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार को केवल कुछ मामलों के संबंध में शुल्क लगाने की अनुमति देते हैं, जो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। वे प्रकृति में नियामक हैं और स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि 1988 का अधिनियम केंद्र सरकार को किसी कार्य या चूक के लिए कोई जुर्माना या दंड लगाने का अधिकार नहीं देता है। यह तर्क दिया गया है कि विधानमंडल ने 1988 के अधिनियम को लागू करते समय 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII के तहत अपराधों, दंड और प्रक्रिया का प्रावधान किया था। कोई भी जुर्माना या दंड केवल उन प्रावधानों के तहत निर्धारित तरीके से लगाया जा सकता है। मूल अधिनियम, यानी 1988 के अधिनियम में फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने में देरी के लिए किसी भी दंड या जुर्माने के अभाव में, शुल्क लगाने के लिए नियम बनाने की शक्ति की आड़ में केंद्र सरकार अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकती है जो शुल्क नहीं है, बल्कि संक्षेप में जुर्माना या दंड है। 1988 के अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को ऐसी मूल शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के. सत्यनारायण एवं अन्य¹; बिमल चंद्र बनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य आदि²; जंतिया हिल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन बनाम शैलांग एरिया कोल डीलर एवं ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं अन्य³; बी. प्रेमानंद एवं अन्य बनाम मोहन कोइकल एवं अन्य⁴; मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राकेश सेठी एवं अन्य⁵; भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया एवं अन्य⁶; गोवा राज्य बनाम समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य⁷; भारत संघ एवं अन्य बनाम के. पुष्पवनम एवं अन्य⁸;

गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य 9 और मद्रास उच्च न्यायालय के चेन्नई सिटी ऑटो ऊटुनार्गल संगम बनाम सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं अन्य 10 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

III. प्रतिवादियों के प्रस्तुतियाँ:

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी-भारत संघ और उसके प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और प्रतिवादी-राज्य और उसके प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत का विरोध किया। भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सबसे पहले यह प्रस्तुत करेंगे कि 1989 के नियमों के नियम 81, जैसा कि दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, की वैधता को चुनौती बिना किसी तथ्यात्मक आधार के दी गई है और यह चुनौती शून्य है और इसलिए, रिट याचिकाएँ केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि अतिरिक्त शुल्क लगाना कुछ और नहीं, बल्कि फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने के मामले में शुल्क संरचना का एक हिस्सा है। केवल इसलिए कि फिटनेस प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदनों को देरी से जमा करने पर कुछ अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, यह दंड या जुर्माना नहीं बन जाता है। वास्तव में, 1988 के अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत नियामक तंत्र परिवहन वाहनों सहित मोटर वाहनों के संचालन को विनियमित करना चाहता है। यह तर्क दिया जाता है कि 1988 का अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति देने से पहले उन्हें फिट स्थिति में रहना होगा। 1988 के अधिनियम और केंद्र सरकार

और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन विभिन्न सुरक्षा शर्तों का पालन करें विनियामक तंत्र के अनुसार वाहन का नियमित रूप से परीक्षण किया जाना आवश्यक है, ताकि यह पता चल सके कि वह 1988 के अधिनियम और 1989 के नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त है या नहीं। इस प्रकार, वाहनों का परीक्षण और फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करना विनियामक तंत्र का हिस्सा है, इसलिए शुल्क या अतिरिक्त शुल्क लगाने में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

1 एआईआर 1968 एस.सी. 825

2 (1970) 2 एस.सी.सी. 467

3 (2009) 8 एस.सी.सी. 492

4 (2011) 4 एस.सी.सी. 266

5 एआईआर 2020 एस.सी. 4156

6 (2020) 3 एस.सी.सी. 525

7 (2023) 7 एस.सी.सी. 791

8 एआईआर 2023 एस.सी. 3827

9 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1841

10 डब्ल्यू.पी. संख्या 1598/2017 और अन्य संबंधित मामले 03.04.2017 को तय किए गए

6. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, 1989 के नियम 81 में संशोधन को शामिल करते हुए दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद 01.04.2022 से लागू हो गई। शुल्क लगाने की शक्ति 1988 के अधिनियम की धारा 211 के साथ धारा 64, 210 सी (सी) में निहित प्रावधानों के अनुरूप है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 1988 के अधिनियम की धारा 110 के साथ धारा 64 और 65 के तहत नियम बनाने का अधिकार है। उन्हें विभिन्न कार्यों जैसे फिटनेस प्रमाणपत्र, लाइसेंस, परमिट आदि जारी करने के लिए आवेदन संसाधित करने के लिए शुल्क लगाने का भी अधिकार है, जिसके लिए 1988 के अधिनियम की धारा 211 से शक्ति प्राप्त होती है। 1988 के अधिनियम की धारा 211 पहली श्रेणी में विभिन्न सेवाओं को निर्दिष्ट करती है जैसे आवेदनों के संबंध में शुल्क लगाना, दस्तावेजों में संशोधन, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिट आदि जारी करना, हालांकि, 1988 के अधिनियम की धारा 211 के बाद के भाग में, वाक्यांश, "किसी भी सेवा के प्रदान करने से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य या मामले के लिए" आता है 1988 के अधिनियम की धारा 211 के पूर्व भाग में उल्लिखित सेवाओं के अलावा किसी अन्य सेवा प्रदान करने के संबंध में विशिष्ट संदर्भ निहित है। इसलिए, नियम किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी बनाए जा सकते हैं। भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे तर्क दिया कि 1988 के अधिनियम की धारा 211 में "इस आशय के किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद" वाक्यांश का प्रयोग किया गया है और इसलिए, भले ही उक्त धारा में अतिरिक्त शुल्क लगाने का विशेष प्रावधान न हो, फिर भी अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान करना नियम बनाने वाली संस्था के अधिकार और शक्ति के अंतर्गत आता है। चूंकि प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन/प्रार्थना 1988 के अधिनियम/1989 के नियमों में निर्धारित नवीकरण की अवधि की समाप्ति के बाद भी संसाधित और विचार की जाती है, सेवाओं का ऐसा प्रदान करना 1988 के अधिनियम की धारा 211 में आने वाले वाक्यांश, "किसी भी सेवा

के प्रदान करने से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य या मामले के लिए" द्वारा कवर किया गया है, और इसलिए, कर बनाने वाला प्राधिकारी देरी से प्राप्त आवेदनों या फिटनेस प्रमाणपत्रों के नवीकरण के लिए की गई प्रार्थनाओं के प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने के अपने अधिकार क्षेत्र, शक्ति और अधिकार के भीतर है। सेवाओं का प्रदान करना शुल्क लगाने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है क्योंकि कर और शुल्क के बीच का अंतर संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास में काफी हद तक मिट गया है क्योंकि शुल्क के मामले में, वसूली वास्तव में स्वैच्छिक प्रकृति की होनी चाहिए। प्रकाशन से पहले, 1988 के अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया गया था। दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना, जैसा कि निर्धारित है, दिनांक 15.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से, निर्धारित समयावधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी। चूंकि प्रस्तावित संशोधन के संबंध में हितधारकों द्वारा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ या कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, इसलिए संशोधन प्रकाशित किया गया। भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि शुल्क लगाने की योजना आनुपातिकता की कसौटी पर भी खरी उतरती है। यह रेखांकित किया जाता है कि अतिरिक्त शुल्क लगाने की प्रस्तावित कार्रवाई वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक थी। सबसे पहले, अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्राथमिक उद्देश्य वाहन मालिकों को समय पर अपने फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिटनेस प्रमाणपत्रों का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करता है कि सड़कों पर चलने वाले वाहन कानूनी रूप से पंजीकृत हैं और आवश्यक नियामक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे प्रभावी यातायात प्रबंधन और कानून प्रवर्तन के लिए आवश्यक सक्रिय वाहनों का अद्यतन डेटाबेस बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा, अतिरिक्त शुल्क लगाने से नवीनीकरण प्रक्रिया में देरी को रोकने में मदद

मिलती है। तीसरा, अतिरिक्त शुल्क लगाने से वाहन पंजीकरण से संबंधित 1989 के नियमों को लागू करने में मदद मिलती है और यह स्पष्ट संदेश देता है कि नियमों का पालन न करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय पर फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न कराने के परिणाम भुगतने होंगे।

7. भारत के विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल और विद्वान अपर महाधिवक्ता ने 1988 के अधिनियम की धारा 210 सी(सी) में निहित प्रावधान का उल्लेख किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उक्त प्रावधान केंद्र सरकार को 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII में आने वाले अपराधों, दंड और प्रक्रिया से संबंधित मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि 1988 के अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए 1989 के नियमों के प्रावधानों के तहत नियामक तंत्र की समग्र योजना, कानूनी और वैध रूप से केंद्र सरकार को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन जमा करने में देरी की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार देती है। भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि चूंकि केंद्र सरकार की शक्ति 1988 के अधिनियम की धारा 211, धारा 64, धारा 211 के साथ धारा 210 सी में निहित प्रावधानों से जुड़ी है, इसलिए सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है और वैधानिक अधिदेश को विस्तारित अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि यह माना जा सके कि अधिसूचना सक्षम अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के वैध प्रयोग में जारी की गई थी। अपने तर्कों के समर्थन में, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भारत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य¹¹; सिकंदराबाद हैदराबाद होटल मालिक संघ एवं अन्य बनाम हैदराबाद नगर निगम, हैदराबाद एवं अन्य¹²; आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी (श्रीमती)¹³; एम.

रथिनमालिक एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य **14**; दिल्ली रेस क्लब लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य **15**; धर्मेन्द्र किरथल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य **16**; शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव एवं अन्य) **17**; जलकल विभाग नगर निगम एवं अन्य बनाम प्रदेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम एवं अन्य **18**; प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा। शनमुगवेलु **19** और बॉम्बे उच्च न्यायालय के 'के' सवाकाश ऑटो रिकशा संघ के मामले में निर्णय, जिसका प्रतिनिधित्व उसके ट्रस्टी श्री प्रदीप शंकर भालेराव बनाम भारत संघ के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य **20** द्वारा किया गया।

11 (1988) 4 एस.सी.सी 534

12 (1999) 2 एस.सी.सी 274

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्दी प्रस्तुतियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

IV. विश्लेषण और निष्कर्ष:

(ए) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत शुल्क लगाने की वैधानिक योजना:

9. हम सबसे पहले 1989 के नियमों में निहित प्रावधानों का उल्लेख करेंगे, जिन्हें इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

13 (2008) 4 एस.सी.सी. 720

14 (2009) 5 एस.सी.सी. 625

15 (2012) 8 एस.सी.सी. 680

16 (2013) 8 एस.सी.सी. 368

17 (2017) 9 एस.सी.सी. 1

18 (2021) 20 एस.सी.सी. 657

19 (2024) 6 एस.सी.सी. 641

20 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम 970

दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना के माध्यम से, केंद्र सरकार ने 1988 के अधिनियम की धारा 64 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1989 के नियमों में संशोधन किया। अन्य प्रावधानों के साथ, 1989 के नियमों के नियम 81 में भी व्यापक संशोधन किया गया। विभिन्न उद्देश्यों के लिए शुल्क निर्धारित करने वाले उक्त नियम के विभिन्न खंडों के अंतर्गत संशोधन करते समय, 1989 के नियमों के नियम 81 के क्रम संख्या 11 के बाद क्रम संख्या 11 ए जोड़ा गया। भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 04.10.2021 की अधिसूचना का अंश नीचे दिया गया है:

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

जी.एस.आर. 714(ई).-चूंकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए कुछ मसौदा नियम, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के तहत अपेक्षित अनुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 191(ई), दिनांक 15 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 15 मार्च, 2021 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, चूंकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया गया है;

अब, इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (तेईसवां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) में खंड (एम) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(एन) जमा प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो:

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "जमा प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन (वाहन स्ट्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (सी) में दिया गया है।”

3. उक्त नियमों के नियम 81 में,-

(i) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“इसके अतिरिक्त, यदि वाहन जमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।”

(ii) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	उद्देश्य	मात्रा	नियम	अनुभाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना और नया पंजीकरण चिह्न प्रदान करना या पंजीकरण प्रमाणपत्र का		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) 78(1)	

	नवीनीकरण:-			
	(ए) अमान्य गाड़ी	पचास रुपये		
	(ख) मोटर साइकिल: (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	(1) तीन सौ रुपये (2) एक हजार रुपये		
	(सी) तिपहिया/क्वाट्रिसाइकिल: (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	(1) छह सौ रुपये (2) दो हजार पांच सौ रुपये		
	(घ) हल्के मोटर वाहन: (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	(1) छह सौ रुपये (2) पांच हजार रुपये		
	(ई) मध्यम माल/यात्री वाहन	एक हजार रुपये		

	(एफ) भारी माल/यात्री वाहन	एक हजार पाँच सौ रुपये		
	(छ) आयातित मोटर वाहन (दो या तीन पहिया): (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	(1) दो हजार पाँच सौ रुपये (2) दस हजार रुपये		
	(ज) आयातित मोटर वाहन (चार या अधिक पहिया): (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	(1) पाँच हजार रुपये (2) चालीस हजार रुपये		
	(i) कोई अन्य वाहन जिसका उल्लेख ऊपर	(1) तीन हजार रुपये		

	नहीं किया गया है: (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	(2) छह हजार रुपये		
	क्रमांक 1: यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्ड प्रकार का है, जो फॉर्म 23 ए में जारी या नवीनीकृत किया गया है, तो अतिरिक्त शुल्क या दो सौ रुपये वसूले जाएंगे। टिप्पणी 2: पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के मामले में, मोटर साइकिलों के संबंध में			

	प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए तीन सौ रुपए और अन्य श्रेणियों के गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए पांच सौ रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।"			
--	--	--	--	--

(b) सीरियल नंबर के बाद (10) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10 ए.	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने और नवीनीकरण के लिए वाहन का परीक्षण		62(2)	
--------	---	--	-------	--

	करना:			
	(क) मोटरसाइकिल	(i) मैनुअल: चार सौ रुपये (ii) स्वचालित: पांच सौ रुपये		
	(ख) तीन पहिया या हल्का मोटर वाहन या क्वाड्रिसाइकिल	(i) मैनुअल: आठ सौ रुपये (ii) स्वचालित: एक हजार रुपये		
	(ग) मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन	(i) मैनुअल: आठ सौ रुपये (ii) स्वचालित: एक हजार तीन सौ रुपये		
	(घ) भारी माल या यात्री मोटर वाहन	(i) मैनुअल: एक हजार रुपये		

		(ii) स्वचालित: एक हजार पांच सौ रुपये।”		
--	--	--	--	--

(ग) सीरियल नंबर के बाद (11) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“11 ए	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करना या उसका नवीनीकरण करना:		62(2)	
	(क) मोटरसाइकिल	एक हजार रुपये		
	(बी) तीन पहिया या क्वाड्रिसाइकिल	तीन हजार पांच सौ रुपये		
	(ग) हल्के मोटर वाहन	सात हजार पांच सौ		
	(घ) मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन	दस हजार		

		रुपये		
	(ई) भारी माल या यात्री मोटर वाहन	बारह हजार पांच सौ रुपये		
टिप्पणी: फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के पश्चात विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।				

[संख्या आरटी-23013/2/2021-टी] अमित

वरदान, संयुक्त। सचिव.

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।”

10. इन याचिकाओं में 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन मोटर वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के मामले को चुनौती दी गई है, जिसके लिए मोटरसाइकिल, तिपहिया या क्वाड्रिसाइकिल, हल्के मोटर वाहन, मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन और भारी माल या यात्री मोटर वाहनों के संबंध में शुल्क के अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ एक नोट संलग्न किया गया है जिसमें प्रावधान है कि फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। फिटनेस प्रमाणपत्र की

समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क की इसी वसूली को इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

11. संसद ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अधिनियमित किया, जो मोटर वाहनों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। इसने पहले के मोटर वाहन अधिनियम, 1929 को निरस्त कर दिया। संसद द्वारा अधिनियमित मोटर वाहन कानून, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 35 के संदर्भ में है। 1988 का अधिनियम एक व्यापक कानून है जो जहां तक मोटर वाहनों का संबंध है, संचालन, रखरखाव, पंजीकरण, लाइसेंस, बीमा, दावों के न्यायनिर्णयन, दंड और शुल्क लगाने से संबंधित सभी पहलुओं से निपटता है। परिवहन वाहनों सहित मोटर वाहनों के लाइसेंस, पंजीकरण, नियंत्रण के संबंध में 1988 के अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहनों के यातायात, निर्माण, उपकरण और रखरखाव के नियंत्रण के संबंध में भी 1988 के अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं दावों के न्यायनिर्णयन हेतु, 1988 के अधिनियम में दावा न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII में अपराधों, दंडों और प्रक्रिया का प्रावधान है।

12. विभिन्न प्रावधानों में से, 1988 के अधिनियम का अध्याय IV मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित है। 1988 के अधिनियम की धारा 56 में यह अनिवार्य किया गया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके पास ऐसे प्रारूप में उपयुक्तता प्रमाणपत्र न हो, जिसमें ऐसे विवरण और जानकारी शामिल

हों, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो विहित प्राधिकारी द्वारा या उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी अधिकृत परीक्षण केंद्र द्वारा जारी किया गया हो, इस आशय का कि वाहन 1988 के अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का फिलहाल अनुपालन करता है। इसलिए, प्रत्येक परिवहन मोटर वाहन के पास उपयुक्तता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, जिसके बिना उसे वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि वह सड़क पर नहीं चल सकता। अधिनियम 1988 की धारा 64, केन्द्र सरकार को इसमें उल्लिखित विषयों, विशेष रूप से मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित अधिनियम 1988 के अध्याय IV में निहित प्रावधानों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

विशेष रूप से, केंद्र सरकार को मोटर वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने या उनके नवीनीकरण के लिए ली जाने वाली फीस के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। अधिनियम, 1988 की धारा 64 का खंड (ओ) इस प्रकार है:

“64. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।- केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए नियम बना सकती है,

अर्थात्:-

(क)

(ख)

(ग) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीकरण या परिवर्तन के लिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र पर स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में प्रविष्टि करने के लिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र पर किराया-खरीद या पट्टा या दृष्टिबंधक के

समझौते के संबंध में समर्थन करने या रद्द करने के लिए, पंजीकरण चिह्नों के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्रों के लिए, और मोटर वाहनों की जांच या निरीक्षण के लिए, और ऐसी फीस की वापसी के लिए ली जाने वाली फीस।

(ओ.ए)

(ओ.बी)

(पी)"

13. इसलिए, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार, 1988 के अधिनियम की धारा 64 के खंड (ओ) में निहित प्रावधानों से जुड़ा है।

14. अधिनियम 1988 के प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत मोटर वाहनों के संबंध में पंजीकरण, लाइसेंस और अन्य मामलों के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं तथा उस विशेष अध्याय में उल्लिखित मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी प्रदान की गई है।

15. धारा 211 में सामान्यतः केंद्र सरकार को शुल्क लगाने का अधिकार देने वाले प्रावधान हैं। त्वरित संदर्भ के लिए, 1988 के अधिनियम की धारा 211 नीचे दी गई है:

“211. फीस उद्गृहीत करने की शक्ति।- कोई नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिए सशक्त है, उस आशय के किसी

स्पष्ट उपबंध के अभाव में भी, आवेदनों, दस्तावेजों के संशोधन, प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्तियों, परमिटों, परीक्षणों, पृष्ठांकनों, बैजों, प्लेटों, प्रतिहस्ताक्षरों, प्राधिकरण, आंकड़ों या दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियों के प्रदाय के संबंध में तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा कोई सेवा प्रदान करने से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन या मामले के लिए ऐसी फीस उद्धृत करने का उपबंध कर सकेगी, जिसे आवश्यक समझा जाए:

बशर्ते कि सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो सार्वजनिक हित में, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को किसी भी ऐसे शुल्क के भुगतान से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दे सकती है।

16. उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उस विशेष अध्याय में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है जिसमें नियम बनाने की शक्ति संसद द्वारा केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी सौंपी गई है। 1988 के अधिनियम की धारा 211 केंद्र और राज्य सरकार को प्रदत्त शुल्क लगाने की अवशिष्ट शक्ति की प्रकृति की है। यह प्रावधान करता है कि कोई भी नियम जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार 1988 के अधिनियम के तहत बनाने के लिए सशक्त है, उस प्रभाव के किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद, आवेदनों, दस्तावेजों में संशोधन, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिट आदि जारी करने और किसी अन्य उद्देश्य या मामले के लिए ऐसे शुल्क लगाने का प्रावधान कर सकती है जिसमें 1988 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के

तहत अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा कोई सेवा प्रदान करना शामिल है, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है। अधिनियम 1988 की धारा 211 में संलग्न प्रावधान सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को, यदि वह सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे, सामान्य या विशेष आदेश जारी करके, किसी भी प्रकार के शुल्क के भुगतान से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दे सकती है।

17. अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 1989 के नियम बनाए हैं, जिनमें 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लिखित सभी मामलों का प्रावधान है। 1988 के अधिनियम का नियम 81, 1989 के नियम के अध्याय III के प्रावधानों के तहत मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित शुल्क का प्रावधान करता है, जिसमें व्यापार प्रमाणपत्र, पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र और मोटर वाहनों का राज्य रजिस्टर शामिल है। 1989 के नियम 62 से 74 फिटनेस प्रमाणपत्र से संबंधित हैं। फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि 1989 के नियम 62 के तहत निर्धारित की गई है। नए परिवहन वाहनों और जो वाहन नए नहीं हैं, उनके लिए वैधता की अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई है। 1989 के नियम 63 में अधिकृत परीक्षण स्टेशनों के विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान है।

(बी) अतिरिक्त शुल्क लगाना नियम बनाने की शक्ति के बाहर है:

18. निस्संदेह, 1989 के नियमों के नियम 81 के साथ पठित 1988 के अधिनियम की धारा 64, खंड (ओ) केंद्र सरकार को परिवहन मोटर वाहनों सहित मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने और नवीकरण के मामले में शुल्क लगाने के नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

उस संदर्भ में, 1989 के नियमों के नियम 81 में निहित प्रावधान, विभिन्न स्तंभों में, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र देने या नवीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करते हैं जैसा कि 1989 के नियमों के नियम 81 में नए सम्मिलित खंड 11ए के तहत प्रदान किया गया है। हालांकि, खंड 11ए से जुड़े नोट में यह प्रावधान किया गया है कि फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ऐसे मामले में जहाँ परिवहन मोटर वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो गई है और उसकी समाप्ति से पहले उसका नवीनीकरण नहीं किया गया है, प्रत्येक दिन की देरी के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है। अतः, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना शुल्क के रूप में है या जुर्माना या दंड के रूप में अधिरोपण है।

19. आम तौर पर, जब मोटर वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो 1988 के अधिनियम की धारा 64, खंड (ओ) में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को अधिकार देते हैं कि फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। इसमें नवीकरण भी शामिल होगा। लेकिन जहां किसी परिवहन वाहन का मालिक अपनी वैधता की समाप्ति से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने में विफल रहता है, क्या यह केंद्र सरकार को केवल सेवाएं प्रदान करने के लिए या वैधता की समाप्ति से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण लेने में विफल रहने पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देता है और क्या यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने धारा 64, खंड (ओ) या 1988 के अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत

अन्यथा सूचीबद्ध नहीं किए गए उद्देश्य के लिए शुल्क लगाने के लिए अपने नियम बनाने के अधिकार से परे काम किया है।

20. गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में हाल ही में दिए गए आधिकारिक फैसले में, प्रत्यायोजित विधान की शक्ति के प्रयोग में नियम बनाकर शुल्क वसूलने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्षमता से संबंधित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके प्रभुत्व ने माना कि यद्यपि प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिकता की धारणा प्राप्त है, लेकिन इसे मूल विधान के समान प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ 21 सहित अनेक निर्णयों में निर्धारित कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया कि प्रत्यायोजित विधान को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:

"28.:

- (i) प्रत्यायोजित विधान बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव;
- (ii) संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन;
- (iii) संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन;
- (iv) उस कानून के अनुरूप न होना जिसके तहत इसे बनाया गया है या सक्षम अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन करना;
- (v) किसी अन्य अधिनियम के प्रति विरोध; और
- (vi) स्पष्ट मनमानी।"

मोटर वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रावधान वाले विवादित नियम को वर्तमान याचिकाओं में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह उस कानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया है या यह सक्षम अधिनियम, यानी 1988 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार की सीमाओं को पार करता है। 21. गौरव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) के मामले में शुल्क लगाने की शक्ति के संबंध में संवैधानिक और कानूनी स्थिति भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ आई। उपरोक्त निर्णय में, सी.आई.टी बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड 22 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(28) के साथ अनुच्छेद 265 की व्याख्या के सिद्धांतों को निम्नानुसार प्रतिपादित किया:

"31.

21. "कर", "शुल्क", "उपकर" या "फीस" एक वर्ग का गठन करते हुए राज्य के लिए राजस्व जुटाने के लिए कराधान की अपनी संप्रभु शक्ति में राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिरोपण को दर्शाता है। प्रत्येक प्रजाति की अभिव्यक्ति के भीतर प्रत्येक अभिव्यक्ति उस उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के अधिरोपण को दर्शाती है जिसके लिए उन्हें लगाया जाता है। यह शक्ति अपने किसी भी रूप में केवल अनुच्छेद 265 के तहत कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के तहत प्रयोग की जा सकती है, जो केवल इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है कि कानून द्वारा अधिकृत के अलावा कोई "कर" नहीं लगाया जाएगा और एकत्र नहीं किया जाएगा। यह अपने प्राथमिक अर्थ में यह बताता है

कि कर का समर्थन करने के लिए विधायी कार्रवाई आवश्यक है, इसे संघ द्वारा अनुच्छेद 73 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति या राज्य द्वारा अनुच्छेद 162 के तहत किसी विधायी मंजूरी के अभाव में लगाया और एकत्र नहीं किया जा सकता है।

इसे आगे इस प्रकार प्रतिपादित किया गया:

“32. संविधान की सातवीं अनुसूची कर प्रविष्टियों और सामान्य प्रविष्टियों के बीच अंतर करती है। कर लगाने से संबंधित विषयों को सूची I या सूची II में सूचीबद्ध विशिष्ट कर प्रविष्टियों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संसद के पास सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ अनुच्छेद 248 के तहत सूची II या सूची III में सूचीबद्ध न किए गए विषयों पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति है, जिसमें कराधान के मामले भी शामिल हैं। शुल्क लगाने की विधायिका की शक्ति को अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत निपटाया जाता है: (i) सूची I की प्रविष्टि 96 संसद को सूची I के किसी भी मामले के संबंध में शुल्क लगाने का अधिकार देती है; (ii) सूची II की प्रविष्टि 66 राज्य विधानसभाओं को सूची II के किसी भी मामले के संबंध में शुल्क लगाने का अधिकार देती है और (iii) सूची III की प्रविष्टि 47 संसद और राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 254 के अधीन) दोनों को सूची III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देती है सूची I की प्रविष्टि 96 के तहत अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) के तहत।

22. सामान्यतः शुल्क लगाने के संबंध में सिद्धांत पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई:

"33. विधायिका शुल्क लगाने की अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकती है। चूँकि शुल्क एक कर है और धन की अनिवार्य वसूली है, इसलिए शुल्क लगाने की शक्ति का प्रत्यायोजन कानून के स्पष्ट प्राधिकार से ही होना चाहिए। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम शरदकुमार जयंतीकुमार पासावाला मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"7.[...] हमारे विचार में, प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा कर और/या शुल्क लगाने की ऐसी शक्ति बहुत विशिष्ट होनी चाहिए और ऐसे कर या शुल्क लगाने के लिए निहित प्राधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यायोजित प्राधिकारी को अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए प्राधिकार के मापदंडों के भीतर ही कार्य करना चाहिए और राजकोषीय शक्ति के प्रयोग के मामले में निहित इरादे के सिद्धांत या आकस्मिक और सहायक शक्ति की अवधारणा को लाना उचित नहीं होगा।"

34. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत निकलते हैं: (i) अनुच्छेद 366(28) के अनुसार शुल्क एक उपकर है; (ii) अनुच्छेद 265 में प्रयुक्त "कर" का तात्पर्य शुल्क सहित सभी उपकरों से है और इसलिए कोई भी शुल्क वैध कानून के प्राधिकार द्वारा लगाया जाना चाहिए; (iii) शुल्क धन की अनिवार्य वसूली होने के

कारण, शुल्क लगाने की शक्ति निहित नहीं की जा सकती; (iv) शुल्क लगाने की शक्ति विधानमंडल के प्रतिनिधि को सौंपने का प्रावधान मूल कानून के अंतर्गत विशेष रूप से किया जाना चाहिए और (v) प्रतिनिधि को शुल्क और कर लगाते समय मूल कानून द्वारा निर्धारित विधायी नीति के मापदंडों के भीतर सख्ती से कार्य करना चाहिए।"

23. विनियामक शुल्क के रूप में अधिरोपण की प्रकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णयों के संदर्भ में चर्चा की गई और उसे निम्नानुसार समझाया गया:

35. संविधान का अनुच्छेद 110, यद्यपि एक भिन्न संदर्भ में, यह मान्यता देता है कि विधि के प्राधिकार के अंतर्गत अधिरोपित शुल्कों में (i) लाइसेंस के लिए शुल्क; और (ii) सेवा के लिए शुल्क शामिल हो सकते हैं। आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मीन्द्र तीर्थ मालिकर मामले में, संविधान पीठ ने लाइसेंस शुल्क की अवधारणा को इस प्रकार समझाया:

"47. [...] प्रथम श्रेणी के मामलों में, सरकार किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने की अनुमति या विशेषाधिकार प्रदान करती है, जिसे अन्यथा वह व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता और उस विशेषाधिकार के बदले में उस व्यक्ति से भारी या मध्यम शुल्क वसूलती है। इस प्रकार के मामलों का सबसे आम उदाहरण मोटर वाहनों के लिए लाइसेंस शुल्क है। यहाँ लाइसेंस प्रदान करने हेतु किसी कार्यालय या ब्यूरो को चलाने में सरकार द्वारा वहन

की जाने वाली लागत बहुत कम हो सकती है और जो कर लगाया जाता है वह वास्तव में सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर नहीं, बल्कि व्यक्ति को मिलने वाले लाभ पर आधारित होता है। ऐसे मामलों में, सार्वजनिक वित्त पर सभी लेखकों के अनुसार, कर तत्व प्रमुख होता है, और यदि लाइसेंस धारकों द्वारा भुगतान किया गया धन सड़कों के रखरखाव और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य मामलों में खर्च होता है, तो लाइसेंस शुल्क को कर ही माना जाना चाहिए।"

शिरूर मठ (सुप्रा) में यह माना गया कि शुल्क वह धन है जो सरकार द्वारा "किए गए कार्य या प्रदान की गई सेवाओं के बदले में" लिया जाता है। इसलिए, शुल्क की विशेषता भुगतानकर्ता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच लेन-देन के तत्व से होती है।

36. बाद के कई निर्णयों में, इस न्यायालय ने यह माना कि किसी शुल्क को शुल्क माना जा सकता है यदि उसका लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ "उचित संबंध" हो। यह पारंपरिक दृष्टिकोण कि शुल्क के लिए वास्तविक प्रतिदान अवश्य होना चाहिए, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में सख्त अर्थों में लागू नहीं हुआ है। यह माना गया है कि शुल्क की वसूली और प्रदान की गई सेवाओं के बीच संबंध सामान्य प्रकृति का है, गणितीय सटीकता का नहीं।

37. कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता बनाम लिबर्टी सिनेमा में, एक संविधान पीठ ने कहा कि लाइसेंस शुल्क आवश्यक रूप से प्रदान की गई सेवाओं के बदले में नहीं लिया जाता है। इस न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया था कि स्थानीय नियमों को लागू करने की लागत को कम करने के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जा सकता है। सिकंदराबाद हैदराबाद होटल ओनर्स एसोसिएशन बनाम हैदराबाद नगर निगम में, इस न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस शुल्क को मोटे तौर पर नियामक या प्रतिपूरक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह देखा गया कि लाइसेंस शुल्क नियामक होते हैं जब जिन गतिविधियों के लिए लाइसेंस दिया जाता है उन्हें विनियमित या नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यह आगे माना गया कि गतिविधियों के नियमन के लिए लिया गया शुल्क वैध रूप से शुल्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, भले ही कोई सेवा प्रदान न की गई हो। लाइसेंस शुल्क जैसा एक नियामक शुल्क अधिकारियों को उस गतिविधि की निगरानी, विनियमन और निगरानी करने में सक्षम बनाता है जिससे संबंधित लाइसेंस जारी किया गया है

24. उपर्युक्त विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित विधिक स्थिति से पुनर्प्रस्तुत विधि के निरूपण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि चूँकि शुल्क एक अधिरोपण है और किसी दिए गए मामले में, धन की अनिवार्य वसूली है, इसलिए शुल्क लगाने की प्रतिनिधि की शक्ति विधि के स्पष्ट प्राधिकार से ही प्रवाहित होनी चाहिए। प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा कर और/या शुल्क लगाने की ऐसी शक्ति अत्यंत विशिष्ट होनी चाहिए और ऐसे कर या शुल्क लगाने के लिए निहित प्राधिकार की कोई

गुंजाइश नहीं है। प्रत्यायोजित प्राधिकारी को अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए प्राधिकार के मानदंडों के भीतर ही कार्य करना चाहिए और राजकोषीय शक्ति के प्रयोग के मामले में निहित आशय के सिद्धांत या आकस्मिक एवं सहायक शक्ति की अवधारणा को लाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

25. यह भी स्थापित सिद्धांत है कि विधि के प्राधिकार के अंतर्गत अधिरोपित शुल्क में (i) लाइसेंस शुल्क और (ii) सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं। लाइसेंस शुल्क लगाने की स्थिति में, सरकार किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने की अनुमति या विशेषाधिकार प्रदान करती है, जिसे अन्यथा वह व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता और उस विशेषाधिकार के बदले में उस व्यक्ति से भारी या मध्यम शुल्क वसूलती है। मोटर वाहनों के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु शुल्क लगाना ऐसे नियामक शुल्क का एक भाग है। लाइसेंस प्रदान करने हेतु किसी कार्यालय या ब्यूरो के रखरखाव में सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत बहुत कम हो सकती है और यदि लगाई जाने वाली राशि वास्तव में सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर नहीं, बल्कि व्यक्ति को प्राप्त होने वाले लाभ पर आधारित है, तो ऐसे मामलों में कर तत्व प्रमुख होता है, और यदि लाइसेंस धारकों द्वारा भुगतान किया गया धन सड़कों के रखरखाव और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य मामलों में खर्च होता है, तो लाइसेंस शुल्क को कर ही माना जाएगा। (जैसा कि आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मीन्द्र तीर्थ मालिकयार के मामले में कहा गया है)।

उपर्युक्त मामले में यह माना गया कि शुल्क सरकार द्वारा लिया गया धन है “किए गए कार्य या प्रदान की गई सेवाओं के बदले में।” इसलिए, शुल्क की विशेषता भुगतानकर्ता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच लेन-देन के तत्व से होती है।

26. हालाँकि, कई निर्णयों में, शुल्क की विशेषता के रूप में प्रतिदान के संबंध में सिद्धांत के विकास के क्रम में, यह माना गया है कि किसी शुल्क को शुल्क माना जा सकता है यदि उसका लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ "उचित संबंध" हो। यह पारंपरिक दृष्टिकोण कि शुल्क के लिए वास्तविक प्रतिदान अवश्य होना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों में सख्त अर्थों में लागू नहीं किया गया है और यह माना गया है कि शुल्क के आरोपण और प्रदान की गई सेवाओं के बीच संबंध सामान्य प्रकृति का है, गणितीय सटीकता का नहीं। इसके अलावा, एच एच सुधींद्र तीर्थ मालिक बनाम हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती आयुक्त 24 के मामले में, यह देखा गया कि शुल्क के रूप में लगाया गया कोई आरोपण केवल इसलिए उस प्रकार का नहीं रह जाता है क्योंकि इसमें बाध्यता या दबाव का तत्व मौजूद है, न ही यह शुल्क का एक सिद्धांत है कि इसका सीधा संबंध प्राधिकरण द्वारा सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं से होना चाहिए। यदि किसी विशिष्ट सेवा को प्रदान करने के उद्देश्य से कानून द्वारा लेवी लगाई जाती है और सेवा को बनाए रखने के लिए व्यय एकत्रित राशि से पूरा किया जाता है, तो लेवी और सेवा प्रदान करने के लिए किए गए व्यय के बीच उचित संबंध होने पर, लेवी एक शुल्क की प्रकृति की होगी, न कि कर की प्रकृति की।

27. कलकत्ता निगम बनाम लिबर्टी सिनेमा 25 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ के फैसले में, यह देखा गया कि लाइसेंस शुल्क आवश्यक रूप से प्रदान की गई सेवाओं के बदले में नहीं लिया जाता है और स्थानीय विनियमों के प्रशासन की लागत को कम करने के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जा सकता है।

28. सिकंदराबाद हैदराबाद होटल ओनर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम हैदराबाद नगर निगम, हैदराबाद एवं अन्य (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस शुल्क को मोटे तौर पर नियामक या प्रतिपूरक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि लाइसेंस शुल्क तब नियामक होते हैं जब जिन गतिविधियों के लिए लाइसेंस दिया जाता है, उन्हें विनियमित या नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यह भी माना गया कि गतिविधियों के विनियमन के लिए ली जाने वाली फीस को वैध रूप से फीस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, भले ही कोई सेवा प्रदान न की गई हो।

24 1963 एस.यू.पी.पी. (2) एस.सी.आर 302

25 1964 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 65

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों और गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के निर्णय में संदर्भित और भरोसा किए गए कानून की घोषणाओं में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम 1988 के अधिनियम की वैधानिक योजना के संदर्भ में जांच करेंगे, विशेष रूप से शुल्क लगाने से संबंधित प्रावधानों के बारे में कि क्या

फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाना या तो नियामक शुल्क होने की प्रकृति का शुल्क है या क्विड क्वो प्रो आधार पर सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क की प्रकृति का है, जिसका प्रदान की गई सेवाओं के साथ उचित संबंध है या यह लागू करने में विफल रहने और इसकी वैधता की समाप्ति से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराने पर जुर्माना या दंड की प्रकृति का है।

30. किसी मोटर वाहन को सड़कों पर चलने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि 1989 के नियमों के साथ 1988 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए विभिन्न वैधानिक अनुपालन और नियामक उपायों को पूरा नहीं किया जाता है। 1988 के अधिनियम की धारा 39 में घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और किसी मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर वाहन को चलाने या चलाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वाहन 1988 के अधिनियम के अध्याय IV के अनुसार पंजीकृत न हो और वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो और वाहन पर निर्धारित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न न हो। 1988 के अधिनियम की धारा 56 में यह अनिवार्य किया गया है कि सड़क पर चलाए जाने वाले प्रत्येक परिवहन मोटर वाहन के पास कानून के तहत दिए गए फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि एक परिवहन मोटर वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा इस प्रकार, 1988 के अधिनियम की धारा 39 और 56 के संयुक्त वाचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी परिवहन मोटर वाहन के पास कानून के तहत अपेक्षित फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, तो वाहन को वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा और इसलिए, 1988 के अधिनियम की धारा 39 के तहत उस वाहन का सड़क पर चलना प्रतिबंधित होगा।

31. 1988 के अधिनियम की धारा 56 में निहित प्रावधान प्रकृति में नियामक हैं क्योंकि यह सड़क पर परिवहन मोटर वाहन के संचालन को तभी विनियमित करता है जब वाहन को कानून में प्रदान किए गए मानदंडों के तहत सभी मामलों में फिट होने के लिए प्रमाणित किया जाता है। फिटनेस का प्रमाण पत्र या तो निर्धारित प्राधिकारी या अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, यह प्रदान करता है कि इस तरह का प्रमाण पत्र उस अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित प्राधिकारी को किसी भी समय फिटनेस के प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया गया है यदि वह संतुष्ट है कि वह वाहन, जिससे यह संबंधित है, अब 1988 के अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत की गई सभी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है और इस तरह के रद्दीकरण पर, पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी तब तक निलंबित माना जाएगा जब तक कि फिटनेस का नया प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता।

32. अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 1989 के नियमों में उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने और उसके नवीकरण के प्रावधान किए हैं। 1989 के नियमों के नियम 62 से 73 उपयुक्तता प्रमाणपत्र की प्रक्रिया और नियामक तंत्र से संबंधित हैं। 1989 के नियमों का नियम 62 विभिन्न स्थितियों में उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने या एक निश्चित अवधि के लिए उसके नवीकरण का प्रावधान करता है। इसमें आगे प्रावधान है कि उपयुक्तता प्रमाणपत्र का नवीकरण केवल तभी किया जाएगा जब निरीक्षण अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र ने 1989 के नियमों के अनुसार निर्दिष्ट परीक्षण कर लिए हों। इसमें कई विवरण और जाँच

सूचियाँ शामिल हैं जिनका सत्यापन आवश्यक है। ऐसे प्रावधान भी हैं जो प्राधिकृत परीक्षण केंद्रों के संचालन को विनियमित और नियंत्रित करते हैं।

33. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में सेवा का एक तत्व शामिल है। फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने से प्रमाणपत्र धारक को वाहन को सड़क पर चलाने का लाभ मिलता है।

इसलिए, 1989 के नियम 81 के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क का प्रावधान, प्रदान की गई सेवाओं के साथ उचित सहसंबंध प्रतीत होता है और यह प्रतिदान की आवश्यकता को पूरा करता है।

34. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जलकल विभाग नगर निगम एवं अन्य बनाम प्रदेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क देने में सही है कि कर और शुल्क के बीच का अंतर हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास में काफी हद तक मिट गया है और सेवा प्रदान करने में होने वाले व्यय और राज्य द्वारा वसूल की गई राशि के बीच कोई सटीक सहसंबंध होना आवश्यक नहीं है। एक व्यापक सहसंबंध सेवा प्रदान करने या नियामक तंत्र को बनाए रखने के खर्चों को चुकाने के लिए शुल्क लगाने का औचित्य प्रदान करेगा बशर्ते यह अत्यधिक न हो। शुल्क में बाध्यता का एक तत्व शामिल हो सकता है और सभी मामलों में इसकी प्रकृति स्वैच्छिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क लगाना, निस्संदेह, न केवल 1989 के नियम 81 के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों के

लिए अलग-अलग स्लैब के साथ फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए निर्धारित शुल्क की एक विशिष्ट राशि है, बल्कि प्रत्यायोजित विधान का एक वैध भाग भी है। फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क लगाना 1988 के अधिनियम की धारा 64(o) के तहत स्पष्ट रूप से अधिकृत है।

35. 1988 के अधिनियम की धारा 211 में शुल्क लगाने की व्यापक शक्ति भी निहित है। उपरोक्त प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राकेश सेठी एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में विचारार्थ आया था। 1988 के अधिनियम की धारा 211 के दायरे और परिधि का विश्लेषण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“29. इस न्यायालय का मत है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में धारा 211 के वास्तविक आशय को नज़रअंदाज़ कर दिया है। राज्य को सशक्त बनाने वाले विशिष्ट प्रावधानों (जैसे धारा 41(13), 47(7), 49(4) और 50(5)) के अस्तित्व का अर्थ है कि राशि का दावा करने या शुल्क लेने की राज्य की शक्ति को स्पष्ट प्रावधानों द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, कुछ सेवाएँ और कार्य हैं जिनके लिए राज्य शुल्क लगाने के लिए सशक्त है। इन आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए, अर्थात् जहाँ सेवा प्रदान की जाती है या कोई कार्य किया जाता है, राज्य को एक अवशिष्ट प्रावधान (केंद्र सरकार की तरह, जिसके साथ वह समवर्ती रूप से शक्ति साझा करता है) द्वारा शुल्क लगाने के लिए सशक्त किया जाता है। इस संबंध में, यह नोट करना उपयोगी होगा कि धारा 211 को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और कोई भी नियम जिसे केंद्र

सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत बनाने के लिए सशक्त है, उस आशय के किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद, आवेदन, दस्तावेजों में संशोधन, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिट, परीक्षण, पृष्ठांकन, बैज, प्लेट, प्रति-हस्ताक्षर, प्राधिकरण, आंकड़ों की आपूर्ति या दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियां जारी करना और किसी भी सेवा के प्रदान करने से संबंधित किसी भी अन्य उद्देश्य या मामले के लिए। इसलिए, स्पष्ट रूप से, संसद का इरादा था कि शुल्क या राशि लगाने की किसी विशिष्ट शक्ति द्वारा कवर नहीं की गई आकस्मिकताओं, जिनमें राज्य की ओर से कोई गतिविधि शामिल है, जिसमें कोई सेवा प्रदान करना शामिल है, पर वैध रूप से शुल्क या राशि लगाई जा सकती है या शुल्क या राशि लगाई जा सकती है।

36. धारा 211 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास आरक्षित अवशिष्ट शक्ति का उपयोग किसी अन्य नियामक/प्रतिपूरक शुल्क को लगाने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, उपर्युक्त प्रावधान किसी भी ऐसी चीज़ को लगाने के अधिकार का स्रोत नहीं बनता जो शुल्क की प्रकृति की न हो।

37. हालाँकि, यदि इन याचिकाओं में लगाए गए प्रावधान का विश्लेषण किया जाए, तो यह पाया जाता है कि फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद प्रत्येक दिन के लिए "अतिरिक्त शुल्क" नाम से पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय है, जो इसे विलंब का मामला घोषित करता है। इसलिए, अतिरिक्त पचास रुपये का शुल्क प्रदान की गई सेवाओं से कोई संबंध नहीं रखता है, न ही 1988 के अधिनियम के प्रावधानों या फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित प्रासंगिक नियमों के तहत ऐसा कुछ है जो यह प्रकट करे कि यदि फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त

होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन दायर नहीं किया जाता है, तो वैधता समाप्त होने से पहले फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीनीकृत करने के लिए जो आवश्यक है, उसके अलावा कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता होगी। न तो 1988 के अधिनियम की धारा 56 में कोई प्रावधान है, न ही 1989 के नियम 62 से 73 में निहित प्रावधान हैं, जो यह बताते हैं कि नवीनीकरण के लिए आवेदन फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने से पहले या समाप्ति के बाद दायर किया जाता है, जो एक दिन, कुछ दिन, सप्ताह या महीने हो सकते हैं। शब्द, "देरी" का जानबूझकर उपयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी के अनुसार, कानून के तहत एक अधिदेश है कि फिटनेस प्रमाणपत्र को इसकी समाप्ति से पहले नवीनीकृत किया जाए। हालांकि, हम न तो 1988 के अधिनियम की धारा 56 में निहित प्रावधानों में और न ही ऊपर संदर्भित किसी भी प्रासंगिक नियम में पाते हैं जो परिवहन वाहन के मालिक को वैधता अवधि की समाप्ति से पहले फिटनेस प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने के लिए बाध्य करता है, हमने 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII में निहित प्रावधानों का अध्ययन किया है, जो अपराधों, दंड और प्रक्रिया से संबंधित हैं। इसमें ऐसा कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है जो यह घोषित करे कि यदि फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो देरी के लिए कोई दंड या जुर्माना लगाया जाएगा या यह देरी कोई अपराध मानी जाएगी।

38. 1988 के अधिनियम और 1989 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन यह हो सकता है कि जहां किसी परिवहन वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है और कानून के अनुसार इसे नवीनीकृत किए बिना, परिवहन वाहन मालिक उस परिवहन वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर चलाता है। 1988 के अधिनियम की धारा 39 और

56 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में, उस परिवहन वाहन को वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा और वैध पंजीकरण के बिना, वाहन को सड़क पर चलाना 1988 के अधिनियम की धारा 39 के तहत निषिद्ध है।

39. 1988 के अधिनियम के तहत समाप्ति से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण को अनिवार्य करने का कोई प्रावधान नहीं है, न ही समाप्ति से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण न कराने की स्थिति में मूल कानून के तहत दंड या जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

1988 के अधिनियम की धारा 64 या धारा 65 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के तहत, न तो केंद्र सरकार, और न ही राज्य सरकार को फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले इसे नवीनीकृत नहीं कराने पर जुर्माना या दंड लगाने की कोई शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लेना सेवाओं के प्रावधान के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन यह परिवहन मालिक को फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले इसे नवीनीकृत कराने में उसकी विफलता के लिए दंडित करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में "विलंब" शब्द का उपयोग समझा जाना चाहिए। इसलिए, फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद हर दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क दंडात्मक है और जुर्माना या दंड की प्रकृति का है।

40. यह समझा जा सकता है कि फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नवीनीकरण न कराना मूल कानून के तहत जुर्माना या दंड का उल्लंघन माना जाएगा और केंद्र सरकार को विधानमंडल

द्वारा नियम निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से जुर्माना या दंड की दर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। हालाँकि, 1988 के अधिनियम की धारा 64 के तहत केंद्र सरकार को ऐसी किसी आकस्मिक स्थिति में जुर्माना या दंड के रूप में कुछ लगाने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया है, जहाँ परिवहन वाहन का मालिक फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले उसका नवीनीकरण नहीं करा पाता है।

विशेषता से, शुल्क और जुर्माना दो अलग-अलग प्रकार के लेवी हैं। शुल्क लगाने का उद्देश्य सेवा प्रदान करना या नियामक नियंत्रण के रूप में है, शुल्क का उद्देश्य कुछ उल्लंघन के लिए सजा और निवारण के उपाय के रूप में है। शुल्क के मामले में, प्रतिपूरक या नियामक रूप से निहित या प्रत्यक्ष सेवा विनिमय होता है, लेकिन जुर्माने के मामलों में, कोई सेवा या लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। जुर्माना प्रकृति में दंडात्मक होता है और भुगतानकर्ता को कोई पारस्परिक लाभ दिए बिना सजा के रूप में लगाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य निवारण होता है। जुर्माना व्यापक अवधारणा है जो सजा की प्रकृति का भी है और निवारण के रूप में कार्य करता है, यह मौद्रिक और गैर-मौद्रिक हो सकता है। इसके अलावा, जुर्माना और दंड प्रकृति में अनैच्छिक हैं। जुर्माना/जुर्माना इस आधार पर लगाया जाता है कि कानून का उल्लंघन या उल्लंघन हुआ है और इसलिए, व्यक्ति को जुर्माना देना या दंड का सामना करना आवश्यक है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां फीस की प्रकृति नियामक होती है, अर्थात् वे अनैच्छिक होती हैं, उन्हें दंड के रूप में नहीं लगाया जाता है और दंडात्मक तत्व अनुपस्थित होता है।

41. हमने इस स्थापित कानूनी स्थिति पर विचार किया है कि सरकार अपनी नियम निर्माण शक्ति का प्रयोग करते हुए विधानमंडल के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है और

वह विधानमंडल द्वारा प्रदत्त स्पष्ट अधिकार से आगे नहीं बढ़ सकती। गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, प्रत्यायोजित विधान की शक्ति के प्रयोग में शुल्क लगाने की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्ति पर विचार करते हुए, कुंज बिहारी लाल बुटेल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 26 के मामले में अपने निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह निर्णय दिया:

26 (2000) 3 एस.सी.सी 40

"58. संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए, राज्य पिछड़ा वर्ग समितियाँ और भारतीय दंड संहिता (बीसीआई) अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत नियम बना सकती हैं। हालाँकि, राज्य पिछड़ा वर्ग समिति द्वारा बनाया गया कोई भी नियम केवल सहायक होता है और इसका प्रयोग ऐसे मूल अधिकारों, दायित्वों या अक्षमताओं को अस्तित्व में लाने के लिए नहीं किया जा सकता जो मूल अधिनियम के प्रावधानों में परिकल्पित नहीं हैं। इसके अलावा, नियमों को अधिवक्ता अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात्, विधि व्यवसायियों और उनकी योग्यता, नामांकन, अभ्यास करने के अधिकार और अनुशासन के लिए एक सामान्य प्रतिबंध और विनियमन का निर्माण।"

गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे आगे इस प्रकार समझाया गया है:

59. एक विधान, एक प्रतिनिधि को अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसी शक्तियाँ प्रदान करते समय, विधान को उन नीतियों, सिद्धांतों और मानकों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है जो अधीनस्थ प्राधिकारी का मार्गदर्शन करेंगे। विधायी नीति किसी अधिनियम की प्रस्तावना और प्रावधानों से निर्धारित की जा सकती है। प्रतिनिधि को अपनी विधायी शक्तियाँ मूल विधान से प्राप्त होती हैं। विधानमंडल के विपरीत, जिसके पास संविधान से प्राप्त संप्रभु विधायी शक्तियाँ होती हैं, प्रत्यायोजित प्राधिकारी को मूल अधिनियम द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इसलिए, प्रत्यायोजित प्राधिकार को उस विधान के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिसके तहत इसे तैयार किया गया है। एक प्रतिनिधि विधायी नीति को बदल या परिवर्तित नहीं कर सकता है। एक प्रतिनिधि विधायी नीति से आगे बढ़कर या अधिनियम के साथ असंगत प्रावधान बनाकर मूल अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है।

42. इसलिए, फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराने में देरी के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाकर, जुर्माना या दंड के रूप में कुछ लगाने की कोशिश की जा रही है, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्राधिकार के और शुल्क लगाने के अधिकार की आड़ में। देरी के प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का नियमों के प्रशासन में होने वाले खर्च से कोई संबंध या सम्बन्ध नहीं है, यह कहने के लिए कि शुल्क विशुद्ध रूप से एक नियामक उपाय के रूप में लगाया जा सकता है। इसलिए, इसे नियामक उपाय का हिस्सा भी नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम वैम ऑर्गेनिक

केमिकल्स लिमिटेड एवं अन्य 27 के मामले में, उपरोक्त कानूनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की गई थी:

"44. प्रश्न यह है (सिंथेटिक्स की भाषा उधार लेते हुए) कि क्या विनियमों की आड़ में, एक ऐसा विधान, जिसका सार-तत्त्व, जैसा कि हम वर्तमान विधान को देखते हैं, एक ऐसा शुल्क या लेवी, जिसका विनियमन को प्रशासित करने वाली लागत या व्यय से कोई संबंध नहीं है, विशुद्ध रूप से एक नियामक उपाय के रूप में लगाया जा सकता है। विवादित विधान के सार-तत्त्व को देखते हुए, हमारा निश्चित रूप से यह मत है कि इन लेवी को नियामक उपायों का हिस्सा नहीं माना जा सकता।" राज्य ने ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि वह विकृत स्पिरिट के किसी और विनियमन के लिए कोई अतिरिक्त लागत वहन कर रहा था। धारा 3(क) के तहत लेवी के औचित्य के बारे में किसी भी प्रकार के संदेह को, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, सिंथेटिक्स द्वारा उसी लेवी को चुनौती देने वाली दायर रिट याचिका पर इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेश के साथ प्रभावी रूप से समाप्त माना जाना चाहिए। उस आदेश के परिणामस्वरूप सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को धारा 3(क) के तहत भुगतान से राहत मिली है। वर्तमान प्रतिवादियों और सिंथेटिक्स के मामलों में एकमात्र अंतर यह था कि प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में कर को चुनौती देने का विकल्प चुना। यह उन प्रतिवादियों को, जिनकी स्थिति अन्यथा समान है, समान राहत देने से इनकार करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता। (देखें अनिल कुमार नियोतिया बनाम भारत संघ (1998) 2 एससीसी

587)। ऐसे किसी भी सहसंबंध के अभाव में, नियम 3 के तहत शुल्क अतिरिक्त विनियमन या प्रदान की गई किसी सेवा के लिए लगाया गया शुल्क नहीं है, बल्कि वास्तव में शुल्क की आड़ में एक कर है।

43. इसलिए, अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले उसका नवीनीकरण न कराने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रयास करता है। विलंब शुल्क का प्रावधान जुर्माने या दंड के रूप में होता है। भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, यदि ग्राहक नियत तिथि के भीतर बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विलंब शुल्क के प्रावधान को दंड के रूप में माना गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गईं:

"146. विलंब शुल्क एक दंड है जो लाइसेंसधारी द्वारा ग्राहक द्वारा नियत तिथि के भीतर बिल का भुगतान न करने पर लगाया जाता है। कभी-कभी भुगतान के समय सद्भावना के रूप में लाइसेंसधारी द्वारा विलंब शुल्क माफ कर दिया जाता है। लाइसेंसधारी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि लाइसेंस शुल्क प्राप्त राजस्व पर देय होना चाहिए। जो प्राप्त नहीं हुआ है, वह राजस्व का हिस्सा नहीं बन सकता।"

27 ए.आई.आर 2003 एस.सी 4650

44. वास्तव में, राजा राम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6428/2024) मामले में प्रतिवादी भारत संघ द्वारा दायर उत्तर/प्रति-शपथपत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त शुल्क लगाने की प्रस्तावित कार्रवाई, अन्य बातों के अलावा, नवीनीकरण प्रक्रिया में देरी को रोकने के लिए आवश्यक मानी गई थी। उपरोक्त रिट याचिका में दायर उत्तर के प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:

“..... (ii) अतिरिक्त शुल्क लगाने की प्रस्तावित कार्रवाई एक लोकतांत्रिक समाज में एक वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क) समय पर नवीनीकरण: अतिरिक्त शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने फिटनेस प्रमाणपत्रों का समय पर नवीनीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करता है कि सड़कों पर चलने वाले वाहन कानूनी रूप से पंजीकृत हैं और आवश्यक नियामक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इससे सक्रिय वाहनों का एक अद्यतन डेटाबेस बनाए रखने में मदद मिलती है, जो प्रभावी यातायात प्रबंधन और कानून प्रवर्तन के लिए आवश्यक है।

ख) अनुपालन को बढ़ावा: अतिरिक्त शुल्क लगाना नवीनीकरण प्रक्रिया में देरी को रोकने में कारगर साबित होता है। यह वाहन मालिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पंजीकरण प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण की कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उन वाहनों की संख्या कम करने में मदद मिलती है जिनके पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है,

क्योंकि ये पंजीकरण सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं और कानूनी जटिलताओं का कारण बन सकते हैं।

ग) नियमों का प्रवर्तन: अतिरिक्त शुल्क लगाने से वाहन पंजीकरण से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों को लागू करने में मदद मिलती है। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि नियमों का पालन न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय पर फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण न कराने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

45. प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, अतिरिक्त शुल्क लगाने के पीछे की नीति, जिसमें निवारक उद्देश्य भी शामिल है, स्वयं इस प्रावधान को दंडात्मक बनाती है। 1988 के अधिनियम के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले उसके नवीनीकरण को अनिवार्य बनाने वाली कोई विधायी नीति न होने के कारण, अतिरिक्त शुल्क लगाने के पीछे जो उद्देश्य बताया गया है, उससे पता चलता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नवीनीकरण पर जोर देकर अपनी नियम बनाने की शक्ति का अतिक्रमण किया है।

जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति से पहले नवीनीकरण न कराना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि केवल तभी कानून का उल्लंघन होता है जब पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना वाहन सड़क पर चलाया जाता है।

46. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 1988 के अधिनियम की धारा 210 सी(सी) और धारा 211 में निहित प्रावधानों पर बहुत जोर दिया है और सबसे पहले यह प्रस्तुत किया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 211 के तहत केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए

कोई अन्य शुल्क लगाने के लिए प्रदत्त व्यापक शक्तियों के मद्देनजर, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने को चुनौती इस आधार पर कायम नहीं रह सकती कि यह शुल्क 1988 के अधिनियम की धारा 64 के विपरीत है। भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का वैकल्पिक प्रस्तुतीकरण यह है कि भले ही शुल्क प्रकृति में दंडात्मक हो, निवारक उपाय के रूप में, किसी भी मामले में धारा 110 सी के सम्मिलन के बाद, जो अपराधों, दंडों और प्रक्रिया से संबंधित 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII में जगह पाती है, केंद्र सरकार की शक्ति एक निवारक उपाय के रूप में ऐसा प्रावधान करने तक विस्तारित होती है एम. रथिनमालिक एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (सुप्रा), आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी (श्रीमती) और धर्मेन्द्र किरथल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (सुप्रा) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 64, 210 सी और 211 में निहित प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए जो केंद्र सरकार को ऐसा प्रावधान करने के लिए सशक्त बनाती है।

47. यह सही है कि 1988 के अधिनियम की धारा 211 बहुत व्यापक शब्दों में लिखी गई है और यह केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए शुल्क लगाने की अवशिष्ट शक्ति का स्रोत है, भले ही 1988 के अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में इस आशय का कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। हालाँकि, 1988 के अधिनियम की धारा 211 में नियंत्रण और अर्हक खंड यह स्पष्ट करता है कि आवेदनों, दस्तावेजों में संशोधन, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिट, परीक्षण, पृष्ठांकन, बैज, प्लेट, प्रतिहस्ताक्षर, प्राधिकरण, आंकड़ों या दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियों की आपूर्ति और 1988 के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम के तहत

अधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा कोई सेवा प्रदान करने से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य या मामले के संबंध में, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, ऐसी व्यापक शक्ति का प्रयोग शुल्क लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, शक्ति, चाहे वह कितनी भी व्यापक क्यों न हो, शुल्क लगाने के उद्देश्य से ही प्रयोग की जानी चाहिए। हम पहले ही मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राकेश सेठी एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1988 के अधिनियम की धारा 211 की व्याख्या का उल्लेख कर चुके हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि संसद का आशय यह था कि शुल्क या राशि लगाने की विशिष्ट शक्ति द्वारा कवर न की गई आकस्मिकताओं, जिनमें राज्य की ओर से कोई गतिविधि, जिसमें कोई सेवा प्रदान करना भी शामिल है, पर वैध रूप से शुल्क या राशि लगाई जा सकती है या लगाई जा सकती है। इसका अर्थ है कि कर अनिवार्य रूप से शुल्क के रूप में ही लगाया जाना चाहिए।

1988 के अधिनियम की धारा 211, किसी कार्य को करने में विफलता के आधार पर कोई दंडात्मक आरोप या जुर्माना या दंड लगाने के लिए प्राधिकार का स्रोत नहीं है, जो अन्यथा 1988 के अधिनियम की योजना के तहत प्रदान नहीं किया गया है।

48. हम 1988 के अधिनियम की धारा 210 सी(सी) में निहित प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुतीकरण का समर्थन करने में असमर्थ हैं। उपरोक्त प्रावधान 01.10.2020 से प्रभावी एक संशोधन अधिनियम (2019 की संख्या 32) द्वारा पेश किया गया था। उपरोक्त प्रावधान 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII के तहत अपराधों, दंड और प्रक्रिया की वैधानिक योजना का हिस्सा है। 1988 के अधिनियम की धारा 210 सी केंद्र सरकार को खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। दंड से संबंधित मूलभूत

प्रावधान 1988 के अधिनियम की धारा 177 से 198 ए और धारा 200 में निहित हैं। 1988 के अधिनियम की धारा 199, 199 ए और 200 अपराधों और कुछ अपराधों के संयोजन का प्रावधान करती हैं। 1988 के अधिनियम की धारा 199 बी जुर्माने में संशोधन का प्रावधान करती है। 1988 के अधिनियम की धारा 202 बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार देती है। 1988 के अधिनियम की धारा 203 और 204 श्वास परीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण का प्रावधान करती है। 1988 के अधिनियम की धारा 205 वाहन चलाने के लिए अयोग्यता की धारणा से संबंधित है। 1988 के अधिनियम की धारा 206 और 207 के तहत पुलिस को बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र, परमिट आदि के इस्तेमाल किए जा रहे वाहन के दस्तावेज़ ज़ब्त करने और उसे हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। 1988 के अधिनियम की धारा 208 संज्ञान लेने पर न्यायालय द्वारा मामलों के संक्षिप्त निपटारे से संबंधित है। 1988 के अधिनियम की धारा 210 ए राज्य सरकार की दंड बढ़ाने की शक्ति से संबंधित है, जबकि 1988 के अधिनियम की धारा 210 बी में प्रावधान है कि कोई भी प्राधिकारी जो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सशक्त है, यदि ऐसा प्राधिकारी अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है, तो उसे 1988 के अधिनियम के तहत उस अपराध के अनुरूप दोगुने दंड का भुगतान करना होगा।

1988 के अधिनियम के अध्याय XIII में अपराधों, दंडों और प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का गहन अध्ययन और विश्लेषण विधायी योजना को उजागर करता है कि विधानमंडल ने जानबूझकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को 1988 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के किसी भी प्रकार के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए एक नया जुर्माना या दंड लगाने की कोई शक्ति नहीं सौंपी है। लेकिन, जहां भी विधानमंडल ने इसे आवश्यक पाया, उसने निर्दिष्ट किया है कि किस प्रकार के उल्लंघन से जुर्माना या दंड या यहां तक कि अपराध की प्रकृति में दंडात्मक

परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले, विधानमंडल ने लगाए जाने वाले शुल्क या दंड की राशि या जुर्माना या दंड आकर्षित करने वाले उल्लंघनों को भी निर्धारित किया है। उस अध्याय में पहले से निर्दिष्ट जुर्माने को संशोधित करने या गुणा करने के लिए सरकारों को एक सीमित शक्ति सौंपी गई है। 1988 के अधिनियम की धारा 199बी में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तिथि से प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर मौजूदा जुर्माने के मूल्य के दस प्रतिशत से अनधिक राशि तक जुर्माने में संशोधन का प्रावधान है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इसी प्रकार, 1988 के अधिनियम की धारा 210ए में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा रखी गई शर्तों के अधीन, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के तहत प्रत्येक जुर्माने पर लागू होने वाले एक गुणक को निर्दिष्ट करेगी, जो एक से कम और दस से अधिक नहीं होगा और ऐसा संशोधित जुर्माना ऐसे राज्य में लागू होगा और विभिन्न गुणक मोटर वाहनों के विभिन्न वर्गों पर लागू किए जा सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजन के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है।

इसलिए, 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII के तहत प्रदान किए गए जुर्माने के अलावा कोई नया जुर्माना लगाना केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यह दायित्व केवल ऊपर बताए गए प्रावधानों के तहत निर्धारित तरीके से संशोधन या वृद्धि की सीमा तक है।

1988 के अधिनियम की धारा 210 सी केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के मानकों के नियम बनाने की शक्ति देती है; ऐसे अन्य कारक जो धारा 198 ए की उप-धारा (3) के तहत अदालत द्वारा ध्यान में रखे जा सकते हैं और कोई

अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है या किया जाना है। इसलिए, 1988 के अधिनियम की धारा 210 सी (सी) के तहत नियम बनाने की शक्ति, हालांकि प्रकृति में व्यापक और सामान्य है, किसी भी मामले के संबंध में विधानमंडल के प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग की जानी चाहिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अपराधों, दंड और प्रक्रिया से संबंधित 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII में निहित प्रावधानों की योजना के तहत निर्धारित किया जाना है। हम अध्याय XIII के तहत दंड से संबंधित कोई प्रावधान नहीं पा सके, जो केंद्र सरकार को केवल इस आधार पर जुर्माना या दंड लगाने का अधिकार देता है कि किसी परिवहन वाहन का अन्य बातों के अलावा, 1988 के अधिनियम के अध्याय XIII के प्रावधानों के तहत दंड निर्दिष्ट किए गए हैं, जो बिना पंजीकरण के मोटर वाहन का उपयोग करने के लिए दंडात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही ऊपर चर्चा की है, 1988 के अधिनियम की धारा 39 और 56 का संयुक्त वाचन यह दिखाएगा कि जहां किसी परिवहन वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है, उसका पंजीकरण वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाता है और इसलिए, इसे सड़क पर संचालित और चलाया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में, जहां फिटनेस प्रमाणपत्र को नवीनीकृत किए बिना परिवहन वाहन सड़क पर चलाया जाता है, यह 1988 के अधिनियम की धारा 192 के तहत दंडात्मक परिणामों को आमंत्रित करेगा। ऐसी स्थिति में, केंद्र सरकार 1988 के अधिनियम की धारा 210 सी (सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित नियम बना सकती है नियम बनाने की शक्ति, सक्षमकारी अधिनियम में निहित मूल प्रावधानों की केवल सहायक है और नियम बनाने की शक्ति की आड़ में, किसी ऐसी चीज़ के लिए कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया जा सकता जिसे कानून के प्रावधानों का उल्लंघन घोषित न किया गया हो और जिसके लिए जुर्माना या दंड लगाकर कोई दंडात्मक उपाय न किया जा सके। यदि 1988 के अधिनियम में निहित मूल प्रावधान, फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले उसका

नवीनीकरण न कराने पर किसी दंडात्मक परिणाम का प्रावधान नहीं करते हैं, तो नियम बनाने की शक्ति की आड़ में, फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण न कराने पर दंडात्मक प्रावधान नहीं किया जा सकता। इसलिए, कई निर्णयों पर आधारित सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर आधारित तर्क अवश्य ही विफल होगा।

49. गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, नियम बनाने की शक्ति की सीमा के संबंध में सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था, जैसा कि इसके पैरा 58 और 59 में कहा गया है, जो ऊपर उद्धृत हैं। नियम बनाने की शक्ति केवल सहायक है और इसका प्रयोग ऐसे मूल अधिकारों, दायित्वों या अक्षमताओं को अस्तित्व में लाने के लिए नहीं किया जा सकता है जो मूल अधिनियम के प्रावधानों द्वारा परिकल्पित नहीं हैं और नियमों को अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुरूप होना चाहिए। यह रेखांकित किया गया है कि प्रतिनिधि अपनी विधायी शक्तियाँ मूल कानून से प्राप्त करता है। विधानमंडल के विपरीत, जिसके पास संविधान से प्राप्त संप्रभु विधायी शक्तियाँ हैं, प्रत्यायोजित प्राधिकार को मूल अधिनियम द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और इसलिए, प्रत्यायोजित प्राधिकार को उस कानून के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिसके तहत इसे तैयार किया गया है। इसलिए, एक प्रतिनिधि विधायी नीति को बदल या परिवर्तित नहीं कर सकता है। एक प्रतिनिधि विधायी नीति से आगे बढ़कर या अधिनियम के साथ असंगत प्रावधान करके मूल अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है।

अतिरिक्त शुल्क की आड़ में, फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति से पहले उसके नवीकरण के लिए आवेदन न करने पर जुर्माने की ऐसी कोई योजना न होने की स्थिति में जुर्माने की एक विधायी नीति शुरू की गई है।

50. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने चेन्नई सिटी ऑटो ऊटुनार्गल संगम बनाम सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य (सुप्रा) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भारी भरोसा रखा है। उस मामले में, वर्ष 2016 में 1989 के नियमों के नियम 81 में संशोधन किया गया था, जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इस तरह का लेवी निर्धारित शुल्क के अलावा जुर्माना या दंड की प्रकृति का था, जबकि 1988 के अधिनियम और 1989 के नियमों के प्रावधान इस तरह के दंडात्मक लेवी को अधिकृत नहीं करते हैं। वैधता के लिए चुनौती की जांच करते समय, शुल्क के संशोधन पर विचार करने के लिए गठित एक समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर विचार किया गया था, जिसमें दर्ज किया गया था कि चूंकि इसकी समाप्ति से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न करने के लिए कोई जुर्माना निर्धारित नहीं है इसलिए, उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए समय पर फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न कराने पर जुर्माना लगाना आवश्यक समझा गया।

इसने मद्रास उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने का मुख्य आधार बनाया कि शुल्क दंडात्मक था। राजा राम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6428/2024) में प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा दायर उत्तर/प्रति-शपथ पत्र की

विषय-वस्तु को, यदि समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों के साथ रखा जाए, जैसा कि चेन्नई सिटी ऑटो ऊटुनार्गल संगम बनाम सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा 13 में माना गया है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन याचिकाओं में आरोपित अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना को जारी रखने का भी उद्देश्य एक ही है। इसलिए, यह शुल्क निस्संदेह दंडात्मक प्रकृति का है।

51. हमारी चर्चा, विश्लेषण और निष्कर्ष के मद्देनजर, अत्यंत विनम्रता के साथ, हम बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 'के' सवाकाश ऑटो रिक्शा संघ के मामले में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं, जिसका प्रतिनिधित्व इसके ट्रस्टी श्री प्रदीप शंकर भालेराव बनाम भारत संघ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य (सुप्रा) के माध्यम से किया गया था।

52. परिणामस्वरूप, हम घोषित करते हैं कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के क्रमांक 11ए से संलग्न नोट, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के साथ पठित धारा 64(०) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए इसे कानूनन अप्रचलित घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन पर विचार करने के मामले में, प्रतिवादी फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएंगे।

53. तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

54. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

55. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक रिट याचिका के अभिलेख में रखे।

(आशुतोष कुमार), जे

(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

मनोज नरवानी /अंतिम**//पी//

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate